द्वादश माला, खंड 6, अंक 2

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1998
10 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तीसरा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 6 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

श्री एस० गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा० अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री हरनाम सिंह
संयुक्त सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे० एस० वत्स
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय सूची

द्वादश माला, खंड 6, तीसरा सत्र, 1998/1920 (शक)

अंक 2, मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1998/10 अग्रहायण, 1920 शक

विषय	कॉलम
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
निधन संबंधी उल्लेख	1
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	1 38
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 460	38 524

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

लोक सभा

मंगलवार, 1 दिसम्बर, 1998/10 अग्रहायण, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्री मनसुखभाई वसावा (भारुच)

पूर्वाह्न 11.01 बजे

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मुझे सभा को हमारे सहयोगी श्री घासी राम यादव के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री घासी राम यादव वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे और राजस्थान के अलवर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।

इसके पूर्व श्री यादव 1952-67, 1972-77, 1980-85 और 1990-98 के दौरान राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे।

श्री यादव एक सक्रिय सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्ता थे और उन्होंने 1966 और 1981 से 1985 के दौरान राजस्थान सरकार में मंत्री के रूप में अपने राज्य की सेवा की।

श्री घासी राम यादव का 30 नवम्बर, 1998 को 74 वर्ष की आयु में जयपुर में निधन हो गया।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने में मेरा साथ देगी।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस पर रायल्टी

***21. डा॰ वल्लभभाई कथीरिया** : क्या पेट्रोलियम और **प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1996-99 की ब्लाक अवधि के लिए प्राकृतिक गैस की रायल्टी दर में संशोधन किया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस संबंध में गुजरात सरकार से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वाझापड़ी के॰ राममूर्ति) : (क) से (घ) गुजरात सरकार ने जनवरी, 1997 में प्रस्ताव किया था कि प्राकृतिक गैस पर रायल्टी के प्रचलित स्तर को संशोधन करके 10 प्रतिशत से अधिक किया जाए। प्राकृतिक गैस रायल्टी का भुगतान यथा मूल्य आधार पर भुगतान किया जाता है। इसके अलावा गैस पर 20 प्रतिशत की दर से राज्य बिक्री कर प्रभारित किया जाता है जबकि कच्चे तेल के संबंध में यह केवल 4 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया जाता है। गैस मूल्य पर इन पृथक करों के समग्र प्रभाव के संदर्भ में रायल्टी दर को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

***22. श्री अभय सिंह एस॰ भोंसले** :

श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास पटेल :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न खाद्य तेलों, सब्जियों, प्याज, आलू, टमाटर, दालों, मसालों, नमक तथा अन्य दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के मूल्यों में पिछले दिनों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा पिछले दो वर्षों की तुलना में इनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ग) पिछले तीन वर्षों की तुलना में बाजारों, सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार में इन वस्तुओं के वर्तमान बिक्री मूल्य क्या है;

(घ) इन वस्तुओं, विशेषकर नमक, खाद्य तेलों, प्याज और आलू की कमी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन वस्तुओं के निर्यात पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का है; और

(च) मूल्य वृद्धि रोकने तथा इन वस्तुओं को उचित दर पर उपभोक्ता को आसानी से उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) विवरण-I संलग्न है, जिसमें 14.11.98 की स्थिति के अनुसार गत दो वर्षों के दौरान खाद्य तेलों, सब्जियों, प्याज, आलू, टमाटर, दालों, मसालों, नमक और अन्य वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में आया प्रतिशत परिवर्तन दर्शाया गया है। इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के मुख्य कारण प्रतिकूल जलवायु-जन्य स्थितियों की वजह से उत्पादन में कमी होना, मांग और आपूर्ति के बीच अन्तर होना, अंतर्राष्ट्रीय

बाजारों में इनका मूल्य अधिक होने तथा साथ ही उपलब्धता न होने के कारण आयात में कमी होना, निवेश लागत में वृद्धि होना तथा अन्य मौसमजन्य परिस्थितियां हैं।

(ग) विवरण-II संलग्न है, जिसमें गत तीन वर्षों के दौरान खुले बाजार, केन्द्रीय भण्डार तथा सुपर बाजार में चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के तुलनात्मक खुदरा मूल्य दर्शाए गए हैं।

(घ) देश में नमक की कोई कमी नहीं है। जहां तक खाद्य तेलों का संबंध है, उनकी मांग और आपूर्ति के बीच प्रतिवर्ष 12-14 लाख मी॰ टन का अन्तर रहता है। इसके अलावा 1997-98 में तिलहनों के उत्पादन में 28 लाख मी॰ टन तक की कमी आई है, जिसके परिणामस्वरुप खाद्य तेलों का कम उत्पादन हुआ। प्रतिकूल जलवायु जन्य परिस्थितियों के कारण 1998 के दौरान रबी तथा खरीफ के प्याज तथा आलू के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरुप गत पांच महीनों के दौरान इन वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई। 1997-98 के दौरान आलू तथा प्याज की खेती के क्षेत्र में भी कमी हुई थी।

(ङ) सरकार ने 31 जनवरी, 1999 तक प्याज के निर्यात पर पहले ही रोक लगा दी है।

(च) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में रखने तथा उन्हें स्थिर करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हुई है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कुछेक दीर्घकालिक उपायों के साथ-साथ दालों तथा प्याज जैसी वस्तुओं, जिनकी आपूर्ति कम है, को शून्य प्रतिशत सीमा शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रख दिया गया है और खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि इन वस्तुओं की कुल उपलभ्यता में वृद्धि की जा सके। चावल, गेहूं, पामोलीन तथा मिट्टी के तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सार्वजनिक वितरण के जरिए बाजार से कम मूल्यों पर की जाती है। जमाखोरों, चोरबाजारियों तथा अनुचित व्यापार पद्धतियों में लिप्त अन्य लोगों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण-I

14.11.98 और 15.11.98 को समाप्त हुए दो वर्षों के दौरान चुनिंदा वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिशत उतार-चढ़ाव

वस्तु	वर्ष	
	14.11.98 को समाप्त	15.11.97 को समाप्त
1	2	3
चावल	14.3	2.1
गेहूं	15.7	-8.3
चना	-0.5	20.0
अरहर	90.3	-29.5
मूंग	13.9	1.1
मसूर	41.3	-27.7
उड़द	28.4	-17.4
आलू	375.1	-53.7
प्याज	298.5	-2.4
टमाटर	55.0	21.5
चाय	-2.7	60.7
चीनी	-0.2	20.0
नमक	0.7	1.4
वनस्पति	0.3	-0.9
सरसों का तेल	80.0	-8.6
मूंगफली का तेल	26.7	-2.1
लाल मिर्च (सूखी)	30.4	-18.7

विवरण-II

दिल्ली में नवम्बर 98 और गत 3 वर्षों के दौरान चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं के माह के अन्त में खुदरा मूल्य

(रु॰ प्रति कि॰ ग्रा॰)

वस्तु	नवम्बर 98	नवम्बर 97	नवम्बर 96	नवम्बर 95
1	2	3	4	5
चावल	11.00	10.00	11.50	9.50
गेहूं	7.50	6.50	7.00	5.50
चना	20.00	20.00	17.00	15.50
अरहर	41.00	22.00	30.00	31.00
आलू	10.00	5.00	10.00	8.00
प्याज	24.00	8.00	10.00	10.50
चाय	110.00	92.00	88.00	80.00
चीनी	16.00	16.50	15.00	14.50
नमक	6.00	6.00	5.50	4.50
वनस्पति	52.00	39.00	44.00	42.00
सरसों का तेल	76.00	34.00	40.00	39.00
मूंगफली का तेल	82.00	45.00	50.00	49.00

स्रोत : राज्य नागरिक आपूर्ति विभाग

केन्द्रीय भण्डार में 1998 और गत तीन वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

(रु॰ प्रति कि॰ग्रा॰)

क्रम सं॰	वस्तु का नाम	दर			
		1.11.95 को	1.11.96 को	1.11.97 को	1.11.98 को
1	2	3	4	5	6
1.	दाल अरहर	27.30	26.70	15.70	41.50
2.	दाल चना	10.10	14.90	18.30	17.50
3.	चावल परमल	8.20	9.30	9.40	11.20
4.	आटा 10 कि.ग्रा. (एगमार्क)	56.50	71.00	68.00	82.00
5.	मूंग छिलका	18.60	18.40	19.20	23.50
6.	नमक (टाटा)	4.10	5.40	5.40	5.40
7.	डालडा (वनस्पति)	38.80	35.35	33.70	51.40
8.	सरसों का तेल (कनोडिया)	51.50	50.90	48.00	74.50
9.	हल्दी पाउडर* (एगमार्क)	4.90	7.70	8.90	11.50
10.	धनिया पाउडर* (एगमार्क)	5.70	11.10	8.50	7.60
11.	मिर्च पाउडर (एगमार्क)	10.40	11.80	7.30	12.20
12.	प्याज	इनकी बिक्री केन्द्रीय भण्डार द्वारा नहीं की जाती है।			
13.	आलू				
14.	टमाटर				

* रुपए प्रति 200 ग्राम। स्रोत : केन्द्रीय भण्डार

सुपर बाजार में 1998 और गत तीन वर्षों के दौरान आवश्यक वस्तुओं के मूल्य दर्शाने वाला तुलनात्मक विवरण

क्रम सं॰	वस्तु का नाम	पैक	दर			
			30.11.95 को	30.11.96 को	30.11.97 को	30.11.98 को
1	2		3	4	5	6	7
1.	दाल अरहर	1 कि॰ग्रा॰	27.95	29.60	18.70	45.00
2.	दाल चना	1 कि॰ग्रा॰	10.10	15.80	20.65	23.00
3.	चावल परमल	1 कि॰ग्रा॰	8.30	9.15	10.35	11.30
4.	आटा (एगमार्क)	10 कि॰ग्रा॰	59.50	65.00	71.50	84.00
5.	मूंग छिलका	1 कि॰ग्रा॰	19.75	19.70	21.95	28.00
6.	टाटा, नमक आयोडीनियुक्त	1 कि॰ग्रा॰	4.15	5.50	5.50	5.50
7.	डालडा (वनस्पति)	1 कि॰ग्रा॰	38.85	35.05	35.50	30.40
8.	सरसों का तेल (पी॰ ब्रांड)	1 कि॰ग्रा॰	50.25	50.30	50.30	75.00
9.	हल्दी पाउडर	(200 ग्राम)	5.50	7.25	10.40	11.50
10.	धनिया पाउडर	(200 ग्राम)	8.25	13.80	12.00	9.25
11.	मिर्च पाउडर	(200 ग्राम)	17.45	13.10	11.20	16.25
12.	प्याज	1 कि॰ ग्रा॰	9.50	8.00	14.00	10.00
13.	आलू	1 कि॰ ग्रा॰	4.50	8.00	4.50	9.30
14.	टमाटर	1 कि॰ ग्रा॰	15.90	12.00	7.50	30.00

स्रोत : सुपर बाजार

[हिन्दी]

महिला श्रमिकों का शोषण

***23. डा॰ प्रभा ठाकुर :** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिला श्रमिकों को बहुत कम मजूरी दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या आज बीड़ी उद्योग, हस्तशिल्प और निर्माण कार्य में कार्यरत महिला श्रमिकों का शोषण हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ड.) उनको उचित मजूरी दिलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ड.) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि राज्य तथा केन्द्र सरकारें अपने-अपने क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित रोजगारों के लिए मजदूरी की न्यूनतम दरों का निर्धारण/संशोधन करेगी। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/संशोधन करते

समय समुचित सरकारों द्वारा मजदूरी की दरों को प्रभावित करने वाली स्थानीय परिस्थितियों तथा अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। अधिनियम में लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

सामान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 जिसका विस्तार पूरे भारत में है, के अंतर्गत उसी कार्य या सदृश प्रकृति के कार्य के लिए महिलाओं को समान पारिश्रमिक प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। अधिनियम के अधीन, ''समुचित सरकार'' के अधिकारी जिन्हें ''निरीक्षकों'' के रूप में अधिसूचित किया जाता है, निरीक्षण करते हैं एवं अधिनियम का उल्लंघन करते पाए जाने वालों के विरुद्ध अभियोजन चलाते हैं। केन्द्रीय सरकार अधिनियम के कार्यान्वयन का सतत् रूप से प्रबोधन करती है।

उपर्युक्त दोनों अधिनियमों में किसी ऐसे रोजगार के संबंध में, केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, जो केन्द्रीय सरकार अथवा रेलवे प्रशासन के प्राधिकरण द्वारा या उसके अधीन चलाया जाता है या जो किसी बैंकिंग कम्पनी, खान, तेलक्षेत्र या महापत्तन या किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रतिष्ठापित किसी निगम के संबंध में चलाया जाता है। किसी अन्य रोजगार के संबंध में राज्य सरकारें समुचित सरकारें हैं।

महिला कर्मकारों की विशिष्ट समस्याओं पर विचार करते हुए तथा बीड़ी उद्योग, हथकरघा क्षेत्र एवं निर्माण कार्य सहित भिन्न-भिन्न रोजगारों में उनके शोषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा बीड़ी एवं सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966, बागान श्रम अधिनियम, 1951, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम, 1970, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1979, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (रोजगार का विनियमन एवं सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 आदि जैसे अनेक कानून बनाए गए हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

***24. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्तरोत्तर बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों की तुलना में गत छह माह के दौरान आज तक दर्ज किए गए अपराधों की अपराधवार तथा माहवार संख्या कितनी है;

(घ) ऐसे आपराधिक मामलों को हल करने में दिल्ली पुलिस की क्या उपलब्धि रही है;

(ङ.) इनके परिणामस्वरूप कितनी जानें गई तथा कितनी सम्पत्ति लूटी गई तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए;

(च) क्या दिल्ली पुलिस दिल्ली में अपराधों को रोकने में असफल रही है; और

(छ) यदि हां, तो उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दिल्ली पुलिस बल को चुस्त-दुरुस्त बनाने/मजबूत बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं तथा इस संबंध में अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) गत तीन वर्षों की इसी अवधि की तुलना में गत छः माह (मई-अक्तूबर) के दौरान दिल्ल पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराध के मामलों की अपराधवार और माहवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है।

(घ) गत छः माह (अक्तूबर, 1998 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा हल किए गए अपराध के मामलों की संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है। गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा हल किए गए अपराध के मामलों की संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई हैं।

(ङ.) दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि चालू वर्ष (अक्तूबर, 1998 तक) के दौरान 596, व्यक्तियों की ''हत्या'' की गई और डकैती आदि के मामलों में लगभत 6.44 करोड़ रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। इसी अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, की संख्या 41,450 है।

(च) जी नहीं, श्रीमान्।

(छ) सरकार ने दिल्ली पुलिस को सुदृढ़ करने की दृष्टि से हाल ही में वार्षिक 25.01 करोड़ रुपए के आवर्ती व्यय और 4.95 करोड़ रुपए के अनावर्ती व्यय से 17 अतिरिक्त पुलिस स्टेशनों की स्थापना की स्वीकृति दी है। सरकार ने पुलिस कन्ट्रोल रूम और पी. सी. आर. वाहनों के बीच वी. एच. एफ. आधारित रुढ़िगत वर्तमान प्रणाली को 14.21 करोड़ रुपए (सीमा शुल्क आदि घटाकर) की लागत से एक स्टेट ऑफ आर्ट यू. एच. एफ. डिजिटल ट्रंक्ट रेडियो प्रणाली द्वारा बल कर संचार नेटवर्क का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों की इसी अवधि की तुलना में गत छः माह (मई-अक्तूबर) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किए गए अपराधों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

अपराध शीर्ष	मई				जून				जुलाई			
	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998
डकैती	6	2	2	5	4	2	4	6	1	6	7	9
हत्या	39	50	57	60	50	47	33	52	46	46	45	59
हत्या का प्रयास	65	71	41	48	40	42	51	61	64	44	47	65
लूटमार	62	50	44	89	47	40	52	93	51	43	50	99
बलात्कार	32	47	40	31	28	51	51	54	36	44	49	40
फिरौती के लिए अपहरण	6	2	—	2	4	1	3	2	2	5	4	5
दंगे	13	18	18	15	19	20	25	19	27	15	28	31
छीना-झपटी	59	47	58	67	40	48	63	89	60	48	81	123
घायल करना	238	231	253	236	227	220	263	236	232	240	270	254
सेंधमारी	186	228	266	254	145	241	265	361	158	198	220	360
चोरी	1543	1513	1986	1867	1486	1598	1892	2563	1551	1836	1988	2771
अन्य भा.दं.सं.	1993	2519	2291	2050	1935	2338	2330	2235	2133	2680	2520	2425
कुल भा.दं.सं.* योग	4242	4778	5056	4724	4025	4648	5032	5771	4361	5205	5313	6241
एल.एस.एल.**	1131	1187	918	671	1177	1195	1105	718	1381	1129	1134	730

अपराध शीर्ष	अगस्त				सितम्बर				अक्तूबर			
	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998	1995	1996	1997	1998
डकैती	2	1	6	6	3	6	6	7	3	3	1	5
हत्या	42	46	46	68	43	48	48	54	52	45	49	52
हत्या का प्रयास	49	42	47	58	45	24	49	67	65	41	37	49
लूटमार	48	54	63	73	54	62	54	73	54	59	48	71
बलात्कार	24	54	65	52	38	36	67	37	25	25	32	30
फिरौती के लिए अपहरण	1	-	2	-	7	-	2	2	7	2		2
दंगे	18	24	17	18	17	16	23	13	18	36	11	12
छीना-झपटी	59	59	80	101	66	63	65	121	42	-	60	118
घायल करना	210	196	263	258	224	236	251	236	210	201	201	
सेंधमारी	195	214	202	362	176	191	207	384	183	182	197	371
चोरी	1450	1806	1804	2623	1410	1902	1852	2683	1363	1934	1815	2520
अन्य भा.दं.सं.	2009	2536	2601	2901	2081	2453	2683	2602	1900	2633	2526	2603
कुल भा.दं.सं.* योग	4107	5032	5196	6520	4164	5037	5307	6279	3922	5217	4974	6071
एल.एस.एल.**	1177	1243	1119	672	1061	1303	1090	713	1443	1354	1046	851

*भा.दं.सं. – भारतीय दण्ड संहिता

**एल.एस.एल. स्थानीय और विशेष कानून- आई.पी.एस. के अंतर्गत कवर न किए गए अपराध अर्थात उत्पादक अधिनियम, मनोरंजन अधिनियम आदि।

विवरण-II

गत छः माह (अक्तूबर, 1998 तक) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा हल किए गए अपराधों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

अपराध शीर्ष	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्तूबर
1	2	3	4	5	6	7
जघन्य अपराध						
डकैती	6	1	2	2	2	0
हत्या	23	19	17	27	15	18
हत्या का प्रयास	32	31	32	37	38	25
लूटमार	42	38	34	29	29	35
बलात्कार	16	22	21	27	20	20
फिरौती के लिए अपहरण	-	1	4	-	1	1
दंगे	9	12	15	10	11	8
गैर जघन्य अपराध						
छीना-झपटी	23	23	29	28	13	25

1	2	3	4	5	6	7
घायल करना	142	144	138	158	142	120
सेंधमारी	28	44	41	47	46	45
कुल चोरी	167	201	224	225	212	183
अन्य भा.दं.सं.	1147	1167	1255	1342	1255	1498
कुल भा.दं.सं.	1630	1703	1812	1932	1784	1978

विवरण-III

गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा हल किए गए अपराधों की संख्या दर्शाने वाला विवरण

शीर्ष	1995	1996	1997
डकैती	29	27	32
हत्या	386	398	412
हत्या का प्रयास	513	480	463
लूटमार	402	472	484
बलात्कार	337	428	495
फिरौती के लिए अपहरण	29	24	13
दंगे	194	213	198
छीना-झपटी	365	386	414
घायल करना	2162	2212	2394
सेंधमारी	692	869	1047
चोरी	4488	5692	6373
अन्य आई॰ पी॰ सी॰	18351	25260	22891
कुल आई॰ पी॰ सी॰	27948	36461	35216

अल्पसंख्यकों पर हिंसक हमले

***25. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन :**

श्री ए॰ सी॰ जोस :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान देश के अनेक भागों में अल्पसंख्यकों पर बड़े पैमाने पर हिंसक हमले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उन हिंसक हमलों का अपराध-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में हुई ऐसी घटनाओं की संख्या सहित उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तुलनात्मक विवरण क्या है;

(घ) इन हिंसक हमलों में कितने व्यक्ति संलिप्त पाए गए और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई तथा जांच के क्या परिणाम निकले;

(ङ.) उक्त अवधि के दौरान कितनी अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई/बलात्कार किये गये/जान से मार दी गई;

(च) क्या सरकार ने इस संबंध में उन राज्यों से रिपोर्ट मांगी है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है; और

(ज) अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए कौन से ठोस उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्। हालांकि इस वर्ष के दौरान देश के कतिपय भागों में अल्पसंख्यकों पर हमलों की कुछ घटनाओं की सूचना मिली है।

(ग) विगत तीन वर्षों में मुसलमानों एवं ईसाइयों संबंधी साम्प्रदायिक घटनाओं के बारे में उपलब्ध राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई मिली है।

(घ) से (ज) भारत के संविधान के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय है। अपराध का पंजीकरण, जांच और पता लगाना तथा अपराध को रोकने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। व्यक्तिगत मामलों का ब्यौरा केन्द्र के स्तर पर नहीं रखा जाता है।

यद्यपि, अपराध से निपटना अनिवार्य रूप से राज्यों का काम है लेकिन उनके साथ सूचना का आदान-प्रदान करने के अलावा केन्द्र सरकार उनकी पुलिस संरचना में सुधार लाने के लिए उन्हें सहायता भी उपलब्ध कराती रही है। साम्प्रदायिक स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता के उद्देश्य से इसने त्वरित कार्रवाई बल नामक एक विशिष्ट बल का गठन भी किया है। विभिन्न समुदायों के सदस्यों के बीच दुर्भावना, घृणा या वैमनस्य फैलाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की आवश्यकता की ओर राज्य सरकारों का ध्यान आकर्षित करते हुए समय-समय पर दिशानिर्देश भी जारी किये गए हैं।

अल्पसंख्यकों पर हमलों की हाल की घटनाओं के बाद संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों को सलाह दी गई है कि वे जिला कानून एवं व्यवस्था प्राधिकारियों को यह निर्देश जारी करें कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों/शोषण की घटनाओं पर तत्काल कार्रवाई की जाय और दोषी व्यक्तियों को पहचानने और सजा देने के लिए तत्काल और प्रभावकारी कार्रवाई शुरू की जाय। सरकार का यह स्पष्ट विचार है कि अल्पसंख्यक समुदायों के प्रति जब भी और जिस भी रूप में हिंसात्मक कार्रवाई हो तो उससे सख्ती से निपटा जाय तथा ऐसा करने वालों को निवारक दण्ड दिया जाये।

विवरण

साम्प्रदायिक घटनाओं की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण (मुसलमानों और ईसाईयों को शामिल करते हुए)

राज्य	1996	1997	1998* (15 नवम्बर तक)
1 2	3	4	5
1. आन्ध्र प्रदेश	30	27	17
2. अरुणाचल प्रदेश	0	2	0
3. असम	5	7	5
4. बिहार	146	118	84
5. गोवा	0	0	0
6. गुजरात	84	84	65
7. हरियाणा	0	1	1
8. हिमाचल प्रदेश	0	0	0
9. जम्मू व कश्मीर	0	3	2
10. कर्नाटक	22	31	30
11. केरल	19	9	9
12. मध्य प्रदेश	43	43	30
13. महाराष्ट्र	88	67	67
14. मणिपुर	0	1	0
15. मेघालय	0	1	0
16. मिजोरम	0	0	0
17. नागालैण्ड	0	0	0
18. उड़ीसा	32	22	14
19. पंजाब	0	2	2
20. राजस्थान	17	53	39
21. सिक्किम	0	0	0
22. तमिलनाडु	37	47	42
23. त्रिपुरा	3	0	0
24. उत्तर प्रदेश	125	148	108
25. पश्चिम बंगाल	42	40	30
संघ शासित क्षेत्र			
26. अ. और नि. दीपसमूह	0	0	0
27. चंडीगढ़	0	0	0
28. दादरा व नागर हवेली	0	0	1
29. दमण व दीव	0	0	0
30. दिल्ली	19	28	14
31. लक्षद्वीप	0	0	0
32. पांडिचेरी	0	0	0
कुल	712	734	560

[हिन्दी]

जनसंख्या

*26. **श्री विजय गोयल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करने के लिए नई सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) प्रस्तावित नई जनसंख्या नीति में इस संबंध में क्या विशेष प्रावधान किए जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने गत सात माह के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई विशेष कदम उठाए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) परिवार कल्याण हेतु राष्ट्रीय प्रयास को पर्याप्त रूप से पुनर्संगठित किया गया है और प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से सुदृढ़ किया गया है। इसे सरकार द्वारा सितम्बर, 97 में अनुमोदित किया गया था और चालू वर्ष के दौरान इसके कार्यान्वयन को संवेग प्रदान किया गया है। बंध्यीकरणों में पुरुषों की कम भागीदारी के मद्देनजर "चीरा रहित बंध्यीकरण (नो स्केलपेल वैसक्टामी)" के प्रचार पर और अधिक बल दिया गया है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रारूप विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद तैयार किया गया है और शीघ्र ही इसका प्रस्ताव मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृत के बाद इसे संसद के पटल पर रखने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

खाद्य तेलों में मिलावट

*27. **श्री विलास मुत्तेमवार** :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोळ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त, 1998 के दौरान देश में सरसों के तेल, धारा, वनस्पति घी और अन्य खाद्य तेलों में मिलावट से हुए जलोदर

रोग (ड्राप्सी) के कारण बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई/गंभीर रूप से बीमार हुए और उनमें से कुछ लोग हमेशा के लिए अपंग हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने पीड़ित व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता दी है और जलोदर की बीमारी के उपचार के लिए सरकार/निजी अस्पतालों में भर्ती किए गए मरीजों की स्थिति का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ.) क्या सरकार/राज्य सरकारों ने इस तरह की मिलावट करने वाले व्यापारियों अथवा व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है अथवा उनके खिलाफ मामले दर्ज किए है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार/राज्य सरकारों ने इन मामलों को जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा है;

(ज) यदि हां, तो केन्द्रीय जांच ब्यूरो से अब तक प्राप्त मामलों की प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(झ) खाद्य तेलों में ऐसी मिलावट को रोकने के लिए कौन से निवारक उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) सरसों के तेल और अन्य खाद्य बसा में मिलावट के कारण ड्रॉप्सी से कुल 2992 व्यक्ति प्रभावित हुए थे। इनमें से 67 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। राज्यवार सूचना संलग्न विवरण-I में है।

(ग) और (घ) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों को ड्राप्सी रोगियों के नैदानिक संकेतों, लक्षणों और उपचार की रूपरेखा दर्शाते हुए ब्यौरे प्रदान किए गए थे। ड्रॉप्सी के प्रत्येक रोगी की जांच करने हेतु दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में विशेष मेडिकल बोर्ड गठित किए गए।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 अथवा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अधीन इस बीमारी के शिकार हुए व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। तथापि, मुआवजा लेने हेतु उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन छह मामले दायर किए गए हैं।

(ङ.) और (च) खाद्य अपमिश्रण के सभी मामलों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के उपबंधों के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाती है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अब तक 84 मामलों में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अधीन मुकदमा चलाने की कार्यवाहियां शुरू की गई हैं। न्यायालय ने इन सभी मुकदमों में अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए हैं।

(छ) और (ज) जी, हां। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सरकार के अनुरोध पर 7.9.1998 को एक और मामला दर्ज किया और आगे जांच पड़ताल शुरू की है। इसके परिणामस्वरूप, उन्होंने 23.11.1998 को भारतीय दंड संहिता की संगत धाराओं के अधीन कुछ अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध नामोद्दिष्टन्त न्यायालय में एक आरोप पत्र दायर किया है।

(झ) खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे सरसों के तेल सहित खाद्य तेलों के अधिक से अधिक नमूनें लें और स्थिति पर लगातार नजर रखें। सरकार ने दिनांक 17 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 584 (अ) के द्वारा खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियम) आदेश, 1998 प्रख्यापित किया है। इस आदेश के अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ सरसों के खाद्य तेल सहित खाद्य तेलों को 15 दिसम्बर, 1998 से केवल पैक (डिब्बा बंद) करके बेचने की अनुमति दी जाएगी और पैक करने वाले व्यक्तियों को पंजीकृत होने की आवश्यकता होगी और खाद्य तेल के नमूनों की जांच करने के लिए सरकार की संतुष्टि के अनुसार विश्लेषणात्मक सुविधाएं स्थापित करनी जरूरी होंगी। इस आदेश की प्रमुख विशेषताएं संलग्न विवरण-II में दी गई हैं।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा विभिन्न अतिरिक्त उपाए किए गए हैं जो संलग्न विवरण-III में सूचीबद्ध किए गए हैं।

विवरण-I

ड्राप्सी के रोगी

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	केन्द्रीय/राज्य सरकारी अस्पतालों से 5.8.98 से आज तक सूचित किए गए ड्रॉप्सी के रोगियों की संचित संख्या	मौतें
1	2	3	4
1.	असम	88	
2.	दिल्ली	2556	66
3.	गुजरात	41	
4.	हरियाणा	18	
5.	जम्मू व कश्मीर	08	
6.	मेघालय	3	
7.	मिजोरम	1	
8.	पंजाब	02	
9.	राजस्थान	40	

1	2	3	4
10.	सिक्किम	01	
11.	उत्तर प्रदेश	234	1
	कुल	2992	67

विवरण-II

दिनांक 17 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 584 (अ) की प्रमुख विशेषताएं

1) सरसों के खाद्य तेल सहित खाद्य तेलों को 15 दिसम्बर, 1998 से केवल पैक (डिब्बा बंद) करके बेचने की अनुमति दी जाएगी।

2) पैक करने वाले व्यक्तियों को अपने-आपको किसी पंजीयन प्राधिकरण में पंजीकृत करवाना होगा।

3) पैक करने वाले व्यक्ति के पास सरकार की संतुष्टि के अनुसार खाद्य तेलों के नमूनों की जांच करने हेतु अपनी विश्लेषणात्मक सुविधाएं होंगी अथवा पर्याप्त प्रबंध होंगे।

4) केवल ऐसे तेलों को, जो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में यथानिर्दिष्ट गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप होंगे, पैक करने की अनुमति दी जाएगी।

5) प्रत्येक कान्टेनर अथवा पैक पर सभी संगत विवरण दर्शाने होंगे ताकि उपभोक्ता गुमराह न हों और पैक करने वाले की पहचान भी स्पष्ट हो सके।

6) खाद्य तेल बाट और माप मानक (पैक की गई वस्तुएं) नियम, 1977 और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और उसके अधीन बनाए गए नियमो के समनुरूप पैक किए जाएंगे।

7) राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए पैक करने संबंधी आदेश की किसी भी अपेक्षा को शिथिल करने की शक्ति प्राप्त होगी।

खाद्य तेल पैकेजिंग (विनियम) आदेश, 1998 के कार्यान्वयन की शक्ति मूल रूप से राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित की गई है। पैक करने वाले व्यक्तियों को अपने-आपको राज्य सरकारों के साथ पंजीकृत करवाना होगा। यह पंजीकरण तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा यदि इससे पहले निलंबित न किया गया हो। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा लेकिन आदेश के अधीन 15 दिसम्बर, 1998 तक तैयारी करने का समय दिया गया है जिसके बाद किसी भी पैक किए गए तेल को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

विवरण-III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मिलावट की जांच करने हेतु किए गए अतिरिक्त निवारक उपाय

1) सभी 27 उपखंड मजिस्ट्रेटों को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबंधों के अधीन स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी के रूप में अधिसूचित किया गया है और खाद्य तेल में मिलावट का पता लगाने के लिए गहन छापे मारे गए हैं।

2) प्रचार माध्यमों से सरसों के तेल में मिलावट के कुप्रभावों के बारे में लोगों को अवगत कराने हेतु प्रत्येक प्रयास किया जा रहा है।

3) राष्ट्रीय और देशी भाषा के समाचार पत्रों नामतः हिन्दी, उर्दू और पंजाबी में नियमित आधार पर सार्वजनिक अपीलें प्रकाशित की गई हैं। खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भी इस संबंध में आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से अपीलें की हैं।

4) लोगों को खाद्य प्राधिकारी निदेशालय में एक नियंत्रण कक्ष, जो 9 बजे पूर्वाह्न से 6 बजे अपराह्न तक कार्य करता है, स्थापित किए जाने की जानकारी भी दी गई है।

5) उपखंड अधिकारी/स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारी की देखरेख में व्यापक छापे मारे गए जिसके परिणामस्वरूप 23 सितम्बर, 1998 तक आम लोगों, पुलिस और अस्पतालों से 869 से अधिक नमूनें उठाए गए हैं/प्राप्त किए गए हैं।

6) इस तथ्य को देखते हुए कि सरसों के तेल के जाने-माने ब्रांडो में मिलावट पाई गई, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा 27 अगस्त, 1998 को एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें सभी रूपों में (खुले अथवा पैक बंद) सरसों के तेल की बिक्री के लिए प्रदर्शित करने, उसके बेचने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया था।

7) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा 23 सितम्बर, 1998 को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें सभी प्रकार के खाद्य तेलों को पैक करके बेचने की अनुमति दी गई थी बशर्ते विनिर्माता/आपूतिकर्ता ने यह प्रमाणित किया हो कि तेल की गुणवत्ता खाद्य अपमिश्रण निवारण की अपेक्षाओं के समनुरूप है।

8) 13 अक्तूबर, 1998 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन एक और अधिसूचना जारी की जिसमें सरसों के तेल को छोड़कर सभी खाद्य तेलों को खुले रूप में बेचने की अनुमति प्रदान की गई।

[हिन्दी]

भेषज अनुसंधान

***28. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

डा॰ अशोक पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भेषज (फार्मास्यूटिकल) अनुसंधान के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं है। क्योंकि मूलतः भारत में बनाई गई दवाइयों का पेटेन्ट नहीं कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन दवाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर पिछले पांच वर्षों के दौरान भारत ने अनुसंधान कार्य किया है और फार्मूलेशन कार्य किया है तथा उसके क्या परिणाम रहे; और

(ग) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाये जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) भारत में आधुनिक फार्मास्यूटिकल उद्योग द्वारा बनाई गई दवाईयां लागत प्रभावी और आसानी से उपलब्ध पायी गई हैं। यह भारतीय अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के द्वारा अपनाई गई नवीन प्रक्रियाओं के कारण संभव हुआ है।

भारत में भेषीय अनुसंधान नई आणविक खोज जो सभी संभावनाओं से कहीं अधिक में महंगी है, की अपेक्षा विकास की नई प्रक्रिया पर केन्द्रित किया गया है। भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत पेटेंट उत्पाद के पंजीकरण के लिए इस समय कोई व्यवस्था नहीं है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अधीन केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान ने सूचना दी है कि भारत ने अब तक 30 से अधिक औषधों और ड्रग इंटर मीडिएट्स की नई और सस्ती प्रक्रियाएं विकसित की हैं। विवरण-I संलग्न है। पिछले 5 वर्षों में वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने 3 नई औषधें विकसित की हैं। जबकि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 2 नई औषधें विकसित की हैं, विवरण-II संलग्न है। कालाजार और फफूंदीय संक्रमण के उपचार के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा विकसित एम्फोटेरिसिन के रूप में नई खुराक का के॰ ई॰ एम॰ अस्पताल, मुम्बई में नैदानिक अनुसंधान किया जा रहा है।

रसायन एवं पैट्रो-रसायन विभाग ने भेषीजीय क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए कार्यनीतियां तैयार करने हेतु एक अंतर मंत्रालय दल का गठन किया जिसने अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए उपायों को संस्तुति की। इसके परिणाम स्वरूप (1) सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों के अनुसंधान एवं विकास एकक प्रमुख उपकरणों, उपभोज्यों इत्यादि की खरीद के लिए मोडविट सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे, (2) निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त सहयोगी अनुसंधान के लिए निश्चित की गई धनराशि को बढ़ाये जाने की संस्तुति की गई है।

इसके अतिरिक्त -

- स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से विकसित की गई नई औषधों को अनुसंधान एवं विकास पर आधारित कम्पनियों को 10 वर्ष की अवधि के लिए मूल्य नियंत्रण से बाहर रखे जाने की अनुमति दी जाती है।

  यदि औषध स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास से विकसित की जाती है तो बल्क औषध निर्माताओं को मूल्य नियंत्रण से भी छूट दी जा रही है।

- भेषजीय क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढावा देने और मानीटर करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने एक दो-श्रेणीय समिति गठित की है।

- औषधों के क्षेत्र में मूल अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए चंडीगढ़ में राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है।

- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने प्राकृतिक संसाधनों से नई औषधों के विकास के बारे में एक प्रमुख नेटवर्क कार्यक्रम तैयार किया है।

- समुद्र विकास विभाग के पास समुद्र से नये अणुओं की खोज करने के लिए एवं अंतर संगठन समन्वित कार्यक्रम है।

  विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने औषध विकास के क्षेत्र में अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों और प्राथमिकता के आधार पर सहायता के रूप में दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाया है।

विवरण-I

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित सस्ती प्रक्रियाएं

वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद ने लाइसेंसीकृत और वाणिज्यीकृत 30 से अधिक औषधों और चार औषध अन्तर्वर्तकों के लिए नई और सस्ती प्रक्रियाएं विकसित की हैं। ये इस प्रकार है; एंटी-एड्स-ए॰ जैड॰ टी॰ (एजिडो थिमिड्इडाइन) सिप्ला, लुपिन, ब लेबोजेन, विषाणु-रोधी-एसाइक्लोविर सिप्ला, लुपिन, वाकहार्ड, एंटो-कैंसर इरोपोसाइड सिप्ला मिरोक्सट्रोन सनफार्मा, ओनडेन्सेट्रोन सिप्ला, लिप्रोलाइड (एल. एच. आर. एच. एग्नोसिट) सिप्ला, जीवाणु-रोधक औषधें: नौरफ्लोक्सेसिन, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, सिप्ला, एजिथरो माइसिन, टोरेंट, कोप्रगन, सल्बेक्टम, ग्यूनीकेम सुल्टेमिसिलिन टोसिलेट, यूनिकेमटोरेंट, मलेरिया-रोधो-मेफ्लोक्विन, यूनिकेम, सिप्ला, हृद्य-धमनी-इनैलेस्रिल केडिला, न्यूलैंड प्रयोगशालाएं, डिलिटियाजेम लुपिन नेडोबोल, लुपिन, मेटोप्रोलोल, लुपिन, फेलोडिपाइन, केडिला, लिपिड विनियमन-

(ब्लडकोलेस्ट्रोल कम करना) जेम्फीब्रोजिल, केडिला, पीड़ाहारी और प्रदाहक-रोधी-केटोरोलेक, लुपिन फ्लरबिप्रोफेन, न्यूलैंड प्रयोगशालाएं, सोल केडिला, एफ डी सी, प्रत्यूर्जा-रोधी-एस्टेमाइजोन, केडिला, सिटरोजाइन, सनफार्मा, अल्सटररोधी-ओमेप्राजोल, सिप्ला, केडिला, एफ.डी.सी., लेन्सोप्रोजोल, डा. रेड्डी प्रयोगशाला, लुपिन, ग्लुकोमा-रोधी-बेटाक्सोलोल, केडिला, जठरान्जीय उत्तेजक-सिसाप्राइड, कोप्रन, प्रदाहक-रोधी-इस इबुप्रोफेन, सिप्ला, एस-फ्लुबिप्रोफेन, एफ. डी. सी. उच्च रक्त-दाब रोधी, एस. एस. इनेलेप्रिल, केडिला, न्यूलैंड प्रयोगशालाएं, ग्लुकोमा-रोधी-एस. टिमोलोल, एफ.डी.सी.,

औषध अन्तर्वर्तक (ड्रगइन्टरमीडिएट्स) इस प्रकार हैं: सेमि सिंथेटिक पेंसिलिन, डी-फेनिलग्लाइसिन, लुपिन, केडिला, सोल-4-हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन, कोप्रन, सिप्रोफ्लोक्सेसिन, 2-4 डियलोरोफ्लुरोबेन्जीन, सिप्ला लुपिन, नोरफ्लोक्सेसिन, 3-क्लौरो-4 फ्लुरोन एनिलाइन, नेविन फ्लोराइन।

विवरण-II

पिछले 5 वर्षों के दौरान भारत में पता लगाई/तैयार की गई नई नई औषधें

	उत्पाद	वर्ष	उपयोग	संस्था
1	2	3	4	5
1.	चैंडोनियम आयोडाइड	1994	न्यूरोम स्कूलर ब्लाकर	के॰ औ॰ अनु॰ संस्थान, लखनऊ
2.	सेंटप्रोपेजाइन	1997	शमर रोधी	--वही--
3.	अररटीथर	1997	मलेरिया रोधी	--वही--
4.	थोम्बीनेस		हृदय वक्ष	भा॰आयु॰अनु॰ परिषद
5.	साइक्लोस्पोरिन		रोग प्रतिरक्षण	--वही--

[अनुवाद]

महिलाओं के प्रति अपराध

***29. श्री तारिक अनवर :**

श्रीमती रानी नरह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1998 से अब तक महिलाओं के प्रति अपराधों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी घटनाएं हुई;

(ख) ऐसे अपराधों में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितने मामलों को निपटाया गया है और कितनी गिरफ्तारियां की गई;

(घ) बलात्कार की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ॰) क्या दिल्ली लोगों विशेष रूप से महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर है;

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(छ) महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए कौन से उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं;

(ज) क्या मौजूदा कानूनों में संशोधन करने और महिलाओं के प्रति अपराधों और बाल वैश्या-वृत्ति में संलिप्त व्यक्तियों के लिए मृत्यु-दण्ड का प्रावधान करने का सरकार का विचार है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (झ) जनवरी, 1998 से महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की घटनाओं के बारे में उपलब्ध सूचना राज्वार/संघ शासित क्षेत्र-वार विवरण के रूप में संलग्न है।

महिलाओं के प्रति हुए अपराधों के बारे में 1998 के प्रथम 6 महीनों के उपलब्ध आकड़ों से यह पता चलता है कि अपराध दर (अर्थात 1 लाख जनता पर अपराधों की घटनाऐ) राजस्थान में सबसे अधिक (11.85) रही, उसके बाद मध्य प्रदेश (10.10), दिल्ली में (9.70) और आंध्र प्रदेश में (8.72) रही।

हल किए गए मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में सूचना सुलभ नहीं है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय हैं। अपराधों को दर्ज करने उनकी जांच करने, पता लगाने और रोकने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की है। तथापि, महिलाओं के प्रति अपराधों के बारे में निवारात्मक और दण्डात्मक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

पर जोर देते हुए केन्द्र सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को लिखती रही है। इन उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित हैं:- महिला पुलिस स्टेशनों की स्थापना, पुलिस स्टेशनों में महिला पुलिस प्रकोष्ठों का सृजन, पुलिस में महिलाओं की भर्ती, अत्याचार-बहुल क्षेत्रों का पता लगाना, न्यायालयों में बलात्कार के मामलों की सुनवाई जहां तक संभव हो महिला न्यायाधीशों द्वारा करना, महिलाओं के कार्य-स्थानों पर उनके साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के संबंध में सरकारी/अर्धसरकारी/निजी संगठनों को सुग्राही बनाना, महिलाओं के प्रति अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना, वर्तमान कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करना, इत्यादि।

केन्द्र सरकार बदलते समाज की आवश्यकताओं के प्रति सचेत है और वह वर्तमान नियमों को अधिक सख्त बनाने के विचार से उनमें लगातार आशोधन और संशोधन करती रही है। बलात्कार के लिए मृत्युदण्ड की सजा की व्यवस्था करने के प्रश्न पर केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। इस मामले पर, 27 नवम्बर, 1998 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार-विमर्श किया गया था।

महिलाओं के प्रति अपराधों का दायरा विस्तृत है और इसके सामाजिक-आर्थिक प्रभाव हैं। महिला और बाल-विकास विभाग ने कानूनी साक्षरता मैन्युल प्रकाशित किया है, जो महिलाओं को प्रभावित करने वाले कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में महिलाओं के जागरूकता स्तर को बढ़ाने की दिशा में एक प्रयास है। महिलाओं और बालिकाओं की विकासात्मक आवश्यकताओं और उन्हें शक्तियां प्रदान करने की जरूरत पर जोर देने के लिए, सरकार द्वारा समय-समय पर मिडिया अभियान भी चलाए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 1998 के दौरान महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की घटनाएं

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	कुल	टिप्पणी (आंकड़े सामने दिखाए गए महीने तक के हैं)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	8793	अगस्त
2.	अरुणाचल प्रदेश	43	जुलाई
3.	असम	1246	जुलाई
5.	गोवा	89	सितम्बर
6.	गुजरात	3939	अगस्त
7.	हरियाणा	2095	सितम्बर
8.	हिमाचल प्रदेश	628	सितम्बर
9.	जम्मू और कश्मीर	672	जून
10.	कर्नाटक	4151	सितम्बर
11.	केरल	2899	अगस्त
12.	मध्य प्रदेश	11192	सितम्बर
13.	महाराष्ट्र	10332	सितम्बर
14.	मणिपुर	52	सितम्बर
15.	मेघालय	31	अगस्त
16.	मिजोरम	91	सितम्बर
17.	नागालैण्ड	13	सितम्बर
18.	उड़ीसा	2290	जून
19.	पंजाब	906	सितम्बर
20.	राजस्थान	8593	अगस्त
21.	सिक्किम	30	सितम्बर
22.	तमिलनाडु	4422	जून
23.	त्रिपुरा	231	सितम्बर
24.	उत्तर प्रदेश	9179	जुलाई
25.	पश्चिम बंगाल	4294	अगस्त
कुल (राज्य)		176211	
संघ शासित क्षेत्र			
26.	अ॰ और न॰ द्वीपसमूह	14	सितम्बर
27.	चंडीगढ़	85	जुलाई
28.	द॰ और न॰ हवेली	12	सितम्बर
29.	दमन व दीव	1	सितम्बर
30.	दिल्ली	1660	अगस्त
31.	लक्षद्वीप	1	अक्तूबर
32.	पांडिचेरी	47	सितम्बर
कुल (संघ शासित क्षेत्र)		1820	
कुल समस्त भारत		78031	

एच॰ आई॰ वी॰ संक्रमित महिलाएं

***30. डा॰ असीम बाला :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में एच॰ आई॰ वी॰ संक्रमित गर्भवती महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या गर्भवती महिलाओं में संक्रमण दर में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बीमारी को रोकने हेतु कौन से निवारक उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज़िलमलाई) : (क) से (घ) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार 31.10.98 को एच आई वी से संक्रमित गर्भवती महिलाओं की संख्या 989 है। यह देश में सूचित एच आई वी संक्रमित कुल व्यक्तियों की संख्या का 1.24 प्रतिशत है। यह 1992 में 0.43 प्रतिशत से बढ़कर अक्तूबर, 1998 में 1.24 प्रतिशत हो गई है।

गर्भवती महिलाओं में एच आई वी संक्रमण में वृद्धि का प्रमुख कारण देह व्यापार में लगे लोगों, ट्रक ड्राइवरों, यौन संचारित रोगों के क्लिनिकों में जाने वाले लोगों, अन्तः शिरा-औषध प्रयोगकर्ताओं में संक्रमण का बढ़ता स्तर है क्योंकि ऐसे संक्रमित व्यक्ति बाद में अपने पति/पत्नी को संक्रमित करते हैं।

निवारक उपाय

वर्ष 1986 में सबसे पहले चेन्नई में एच आई वी संक्रमण के कुछ रोगियों का पता लगते ही देश में एच आई वी संक्रमण की व्याप्तता का पता लगाने और समुचित नियंत्रण उपाय करने के लिए राष्ट्रीय एड्स समिति का गठन किया गया था। वर्ष 1987 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम आरंभ किया गया जिसमें एच आई वी/एड्स के बारे में जागरूकता लाने, एच आई वी संक्रमण के लिए रक्त की जांच करने तथा उच्च जोखिम आचरण वाले व्यक्तियों की जांच करने पर बल दिया गया।

वर्ष 1992 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन की स्थापना की गई। विश्व बैंक से प्राप्त 84 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण से एच आई वी/एड्स की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक पांच वर्षीय कार्यनीति योजना बनाई गई। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक कार्यक्रम प्रबंधन, सूचना, शिक्षा एवं संचार और सामाजिक गतिशीलता, निगरानी, रक्त निरापदता और रक्त का युक्तिसंगत उपयोग, यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण, कण्डोम को बढ़ावा देना, नैदानिक उपचार और उपचर्या एवं समर्थन प्रदान करना है।

I) कार्यक्रम प्रबंधन

कार्यक्रम प्रबंधन के अंतर्गत केन्द्रीय स्तर पर कार्यक्रम के तेजी से कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है राज्य स्तर पर इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य स्तरीय शक्ति प्राप्त समितियां गठित की गईं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यक्रम के समुचित प्रबंधन के लिए राज्य एड्स प्रकोष्ठ/समितियां गठित की गई हैं।

II) सूचना, शिक्षा एवं संचार

कारगर सूचना, शिक्षा एवं संचार तथा सामाजिक गतिशीलता के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से बहु प्रचार माध्यम कार्यनीति योजना अपनाई गई। विभिन्न राज्यों में स्कूल एड्स शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। विशिष्ट रूप से लक्षित श्रेणियों में उपायों के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा रहा है।

III) रक्त निरापदता और रक्त के युक्तिसंगत उपयोग के लिए सार्वजनिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्र के 815 रक्त बैंकों को सुदृढ़ किया गया है। 1.1.1998 से व्यावसायिक रक्तदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

IV) यौन संचारित रोग नियंत्रण

यौन संचारित रोगों पर नियंत्रण करना कार्यक्रम के प्रमुख कार्यों में से एक है क्योंकि ऐसे रोगों और एच आई वी/ एड्स के बीच गहरा संबंध होता है। जिला, उप-जिला स्तरीय अस्पतालों में कुल मिलाकर 504 यौन संचारित रोग नियंत्रण क्लिनिकों को सुदृढ़ किया गया है जिसमें यौन संचारित रोगों के निदान एवं उपचार में चिकित्सा अधिकारियों और प्रयोगशाला तकनीशियनों को प्रशिक्षण प्रदान करना भी शामिल है। इसके अतिरिक्त सभी जिला महिला अस्पतालों को प्रजनन मार्गीय संक्रमण और यौन संचारित रोगों के उपचार के लिए सुदृढ़ किया गया है। यौन संचारित रोगों की रोकथाम के लिए बढ़िया गुणवत्ता वाले कण्डोम को बढावा देना दूसरा महत्त्वपूर्ण पहलू है और इसलिए इन्हें इन केन्द्र पर उपलब्ध कराया जाता है।

V) परिचर्या एवं समर्थन

एच आई वी/एड्स से जुड़ी बीमारियां के नैदानिक उपचार के लिए चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है और सभी राज्यों/संघ राज्यों में संयोगिक संक्रमणों के उपचार के लिए तदनुसार बजट आबंटन किया गया है। एच आई वी/एड्स की अधिक घटनाओं वाले राज्यों से गहन परिचर्या और स्थाई रूप से बीमार निराश्रित व्यक्तियों के लिए आश्रयस्थल खोलने का आग्रह किया गया है।

[हिन्दी]

राजभाषा

***31. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में और कितने उच्च न्यायालयों में 14 दिसम्बर, 1948 तक देवनागरी लिपि को राजभाषा हिन्दी के रूप में स्वीकार किए जाने से पूर्व हिन्दी राजभाषा थी और 15 सितम्बर, 1948 के पश्चात उनकी राजभाषा अंग्रेजी बनाई गई थी;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्रों में हिन्दी के प्रयोग पर स्थायी प्रतिबन्ध लगा दिए गए हैं;

(ग) क्या सचिव स्तर के अधिकारियों को अंग्रेजी को अनिश्चितकालीन तक प्रयोग करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है; और

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय की भाषा केवल अंग्रेजी है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत की संविधान सभा ने दिनांक 14 सितम्बर, 1949 को भारत के संविधान में भाषाई और राजभाषाई उपबंधों को अपनी स्वीकृति प्रदान की थी। 14 सितम्बर, 1948 को अथवा 14 सितम्बर, 1949 से पहले राज्यों में तथा उच्च न्यायालयों में राजभाषाई व्यवस्था और प्रावधान क्या थे, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारत का संविधान 26 जनवरी, 1950 को जब प्रभावी हुआ तो संविधान के अनुच्छेद 345 से भारत के राज्यों की राजभाषाएं प्रत्यक्षतः प्रभावित नहीं हुई। संघ की राजभाषा, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिन्दी को स्वीकार किया गया।

भारत के संविधान के प्रभावी होने के समय देश में कुल 28 राज्य तथा 18 उच्च न्यायालय थे। राजभाषा आयोग की जुलाई, 1956 की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के अनुसार 5 राज्यों तथा बिहार मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत तथा राजस्थान ने हिन्दी को तथा 2 राज्यों तथा जम्मू तथा कश्मीर और सौराष्ट्र ने अपनी प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा बना लिया था। शेष राज्यों में प्रशासन के उच्च स्तर पर अंग्रेजी का व्यवहार रहा। उसी रिपोर्ट के अनुसार तत्कालीन 3 उच्च न्यायालयों यथा मध्य भारत, पैप्सू तथा राजस्थान में हिन्दी का प्रयोग तथा 2 उच्च न्यायालयों तथा हैदराबाद तथा तिरूवान्कुर-कोचीन में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग केवल कार्यवाहियों के लिए हो रहा था। शेष राज्यों के उच्च न्यायालयों में पूरा कार्य अंग्रेजी में हो रहा था।

- (ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) संविधान के अनुच्छेद 348 (1) के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय की भाषा अंग्रेजी है।

[अनुवाद]

चीनी के आयात-शुल्क में वृद्धि

***32. श्री विठ्ठल तुपे :**

श्री के॰ एस॰ राव :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग ने केन्द्र सरकार से चीनी पर लगाए जाने वाले आयात शुल्क में वृद्धि करने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी, हां।

(ख) चीनी उद्योग के दो शीर्ष संगठनों अर्थात इंडियन शुगर मिल एसोसियेशन (इस्मा) और नेशनल फेडरेशन ऑफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज ने सरकार को अभ्यावेदन दिया है और उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा है कि चीनी का बड़ी मात्रा में आयात हो रहा है और चीनी के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में काफी गिरावट आई है। तथा उन्होंने चीनी के आयात शुल्क को वर्तमान के 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने की मांग की है।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

खाद्य तेलों का भंडार जब्त किया जाना

***33. श्री मोतीलाल वोरा :**

श्री बालासाहिब विखे पाटील :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में जलोदर (ड्राप्सी) महामारी के कितने मामले दर्ज किए गए तथा कितनी मात्रा में मिलावटी खाद्य तेल जब्त किया गया;

(ख) मिलावटी तेल का उपयोग किस प्रकार किया गया;

(ग) क्या ऐसी बीमारी के फैलाव को रोकने हेतु सरसों के तेल की बिक्री तथा आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(घ) क्या जलोदर की महामारी के पश्चात् सरसों तथा अन्य खाद्य तेलों की कमी के कारण कीमतों में अत्यधिक वृद्धि हो गई है;

(ङ.) क्या सरकार ने खाद्य तेलों में मिलावट का रोक-थाम हेतु लागू किया गया नियंत्रण आदेश वापस ले लिया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) सरकार द्वारा मिलावट को रोकने हेतु खाद्य तेलों एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को योजनाबद्ध ढंग से नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या इस प्रयोजनार्थ आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख) वर्ष 1998 (9 सितम्बर, 1998 तक) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा आर्जीमोन तेल के साथ अपमिश्रित सरसों के तेल के 84 मामलों में अभियोजन की कार्रवाई की गई है।

विभिन्न राज्यों में पकड़े गये अपमिश्रित खाद्य तेल की मात्रा और प्रयोग में लाए गए तरीके के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) ड्राप्सी मामलों में हुई मौत के कारण व्याप्त भय को देखते हुए अनेक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में खुले सरसों के तेल की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। सरसों के तेल के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(घ) ड्राप्सी महामारी और उसके बाद कड़ाई से लागू की गई गुणवत्ता जांच के बाद खाद्य तेलों, विशेष रूप से सरसों के तेल के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई थी। तथापि पिछले एक महीने के दौरान मूल्यों में काफी हद तक गिरावट आई है जिसे नीचे दर्शाया गया है:-

खाद्य तेलों के थोक मूल्यों में विभिन्नता

तेल का नाम	प्रतिशत में विभिन्नता	
	18 नवम्बर/18 अक्तूबर	27 नव०/27 अक्तू०
मूंगफली तेल	-24.00 प्रतिशत	-5.6 प्रतिशत
सरसों का तेल	-4.50 प्रतिशत	-12.1 प्रतिशत
पामोलीन तेल	-7.80 प्रतिशत	-6.2 प्रतिशत
सूरजमुखी तेल	-14.11 प्रतिशत	-7.0 प्रतिशत
सोयाबीन तेल	-10.50 प्रतिशत	-6.8 प्रतिशत
नारियल तेल	-4.08 प्रतिशत	-5.4 प्रतिशत
तिल का तेल	+7.52 प्रतिशत	+2.1 प्रतिशत

(ङ.) और (च) खाद्य तेलों में अपमिश्रण निवारण को खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उक्त अधिनियम लागू है।

(छ) केन्द्रीय सरकार ने खाद्य तेल पैकिंग (नियमन्) आदेश 1998 प्रख्यापित किया है ताकि उपभोक्ताओं के लिये सुरक्षित खाद्य तेल की बिक्री सुनिश्चित हो सके। राज्यों को परामर्श दिया गया है कि वे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को कठोरता से लागू करना सुनिश्चित करें।

(ज) जी, नहीं।

(झ) प्रश्न नहीं उठता।

बाल श्रमिक

*34. **श्री अर्जुन सेठी : क्या श्रम मंत्री यह बताने की** कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कुल कितने बाल श्रमिकों का पुनर्वास किया गया है और इस पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) क्या देश में जोखिम भरे और बिना जोखिम भरे धंधों में लगे सभी बच्चों के पुनर्वास के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) भारत सरकार बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए दो योजनाएं क्रियान्वित कर रही है जिनके नाम हैं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना (एन सी एल पी) और स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान। एन सी एल पी योजनाओं के अंतर्गत जिलास्तरीय परियोजना सोसाइटियों को निधियां निर्गत की जाती हैं जो विशेष स्कूलों का संचालन करती हैं तथा उन स्कूलों में अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, वृत्तिका आदि की व्यवस्था करते हैं।

अभी तक, बाल श्रम की बहुलता वाले राज्यों में 76 बाल श्रम परियोजनाओं की मंजूरी प्रदान की गई है जिनमें 1.5 लाख बालकों को शामिल किया गया है। 76 राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं को मुख्य उद्देश्य खतरनाक रोजगारों से मुक्त कराए गए बालकों का पुनर्वास करना है। गैर खतरनाक प्रकृति के कार्यों में लगे हुए बच्चों का पुनर्वास मुख्य रूप से औपचारिक एवं अनौपचारिक स्कूलों द्वारा किया जाता है जिनकी देख-रेख शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय करता है।

सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत बाल श्रमिकों का पुनर्वास करने के लिए कार्रवाई उन्मुख परियोजनाएं चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान योजना के अंतर्गत 64 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान की गई।

कुल मिलाकर बाल श्रम योजनाओं का व्यय नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:-

वर्ष	व्यय (रु॰ लाखों में)
1	2
1992-93	171.84
1993-94	326.80
1994-95	159.21

1	2
1995-96	3429.71
1996-97	3383.50
1997-98	1317.76

बाल श्रम समस्या की व्यापकता को ध्यान में रखते हुए, कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए एक क्रमिक, उत्तरोत्तर तथा एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

पुनर्वास संबंधी उपायों के अलावा, बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को भी प्रवर्तित किया जा रहा है।

अनुच्छेद 356 पर राष्ट्रीय बहस

*35. **श्री मदन पाटील** :

श्री सुरेश वरपुडकर :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अन्तर-राज्यीय परिषद मंच का प्रयोग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 356 पर कोई राष्ट्रीय बहस/चर्चा शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के संबंध में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अन्तर्राज्यीय परिषद की 15.1.1997, 10.5.1997, 17.6.1997 और 8.7.1997 को आयोजित स्थायी समिति की बैठकों में विचार-विमर्श किया गया है। अन्तर-राज्यीय परिषद की 17.7.1997 को आयोजित तीसरी बैठक में भी इस मामले पर विचार किया गया था लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। अन्तर-राज्यीय परिषद की स्थायी समिति की आगामी बैठक अब 19.12.1998 को बुलाई गई है। कार्यसूची में आपात स्थिति प्रावधानों से संबंधित सरकारिया आयोग की सिफारिशों को शामिल किया गया है।

ग्राम रक्षा समितियां

*36. **डा० जयन्त रंगपी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रभावित राज्यों में विद्रोह का मुकाबला करने हेतु ग्राम रक्षा समितियां (वी डी सी) गठित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्राम रक्षा समिति योजना पूर्वोत्तर क्षेत्रों में भी क्रियान्वित की जायेगी;

(घ) यदि हां, तो उक्त क्षेत्रों में ग्राम रक्षा समिति योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अपने-अपने गांव में उग्रवादियों की गतिविधियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से जम्मू व कश्मीर राज्य में ग्राम सुरक्षा समितियां (वी डी सी) कार्य कर रही हैं। इस समय, प्रत्येक ग्राम सुरक्षा समिति में एक विशेष पुलिस अधिकारी तथा 10 से 15 स्वयं सेवक शामिल है। राज्य सरकार द्वारा ग्राम सुरक्षा समितियों के सदस्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हथियार और उपकरण दिए जाते हैं। जम्मू व कश्मीर में विशेष सुरक्षा अधिकारियों को 1500/- रुपये मासिक पारिश्रमिक दिया जा रहा है तथा हथियारों का प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। राज्य सरकार को उनकी आवश्यकतानुसार, वी० डी० सी० योजना को मजबूत करने तथा मौजूदा उग्रवाद विरोधी अभियान में वी डी सी को शामिल करने का सुझाव दिया गया है।

(ग) से (ड.) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

चावल/गेंहू का लेवी मूल्य

*37. **श्री बलराम सिंह यादव** :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में चावल और गेंहू के लेवी मूल्यों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो कितना तथा पुराने और संशोधित मूल्य क्या हैं;

(ग) ऐसी वृद्धि के क्या कारण हैं; और

(घ) इन खाद्यान्नों के खुदरा मूल्यों में ऐसी वृद्धि करने का क्या प्रभाव पड़ा है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) सरकार प्रत्येक खरीफ विपणन मौसम के लिए चावल मिल मालिकों/डीलरों को लेवी चावल का देय मूल्य अधिसूचित करती है। चूंकि गेंहू पर कोई लेवी नहीं है, इसलिए गेंहू के लिए लेवी मूल्य निर्धारित/अधिसूचित नहीं किए जाते।

(ख) वर्तमान खरीफ विपणन मौसम 1998-99 और पिछले मौसम 1997-98 के लिए लेवी चावल के राज्यवार मूल्य बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, सांविधिक प्रभार और मिलिंग प्रभार आदि जैसे सभी संगत घटकों पर विचार करने के पश्चात प्रत्येक मौसम में लेवी चावल के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं।

(घ) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने हेतु तथा बफर स्टाक रखने के लिए केन्द्रीय पूल में लेवी चावल की आपूर्ति करने के लिए चावल मिल-मालिकों/डीलरों को लेवी चावल का मूल्य अदा किया जाता है। लेवी मूल्य उन अनेक घटकों में से केवल एक घटक है, जो खुदरा मूल्य स्तर को प्रभावित करते हैं और यह मूल्य प्रत्येक वर्ष निर्धारित किया जाता है/बढ़ाया जाता है जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्यों और सांविधिक प्रभारों तथा अन्य घटकों पर इसके परिणामी प्रभाव पर आधारित होता है। अतः चावल के खुदरा मूल्य स्तर पर लेवी मूल्यों की वृद्धि के प्रभाव का अनुमान लगाना संभव नहीं है।

विवरण

1997-98 और 1998-99 (अक्तूबर-सितम्बर) के लिए लेवी चावल (रॉ और सेला) का वसूली मूल्य

राज्य	साधारण				रूपये प्रति क्विंटल		ग्रेड "ए"	
	1997-98		1998-99		1997-98		1998-99	
	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला	रॉ	सेला
1. आ॰ प्र॰	735.10	738.70	783.40	786.30	784.40	787.20	832.70	834.80
2. असम	691.80	696.00	737.50	741.00	737.90	741.40	783.60	786.40
3. हरियाणा/दिल्ली	729.40	733.10	780.70	783.60	778.20	781.20	829.80	831.90
4. कर्नाटक	679.40	683.80	724.30	728.10	724.60	728.30	769.60	772.60
5. म॰ प्र॰	679.40	683.80	724.30	728.10	724.60	728.30	769.60	772.60
6. महाराष्ट्र	680.50	684.90	725.50	729.20	725.70	729.40	770.60	773.70
7. उड़ीसा	710.30	714.30	757.20	760.40	757.80	761.00	804.60	807.20
8. पंजाब	736.60	740.20	788.40	791.20	786.00	788.80	838.00	840.10
9. राजस्थान	720.20	724.00	767.70	770.80	768.40	771.50	815.90	818.20
10. *उत्तर प्रदेश	707.20	711.20	757.20	760.40	754.50	757.80	804.60	807.20
11. प॰ बंगाल	676.30	680.70	721.00	724.80	721.30	725.00	766.00	769.20
12. संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ	716.50	720.40	763.70	766.90	764.40	767.60	811.60	814.10
13. पांडिचेरी	673.20	677.70	717.80	721.60	717.90	721.80	762.50	765.70

*यदि उत्तर प्रदेश में बाजार फीस 4% की दर से लगती है, तो लेवी मूल्य निम्नानसार होंगे।

	1996-97		1997-98	
	रॉ	सेला	रॉ	सेला
साधारण	662.70	666.60	719.60	723.40
ग्रेड 'ए'	-	-	767.80	770.80

[हिन्दी]

यूरिया का उत्पादन

***38. श्री अरविंद कांबले** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान यूरिया तथा अन्य उर्वरकों के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र के उर्वरक उत्पादक उपक्रमों द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे तथा इनमें वास्तव में वर्षवार कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या इनके उत्पादन में कोई कमी आयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कौन से घटक जिम्मेवार हैं; और

(घ) उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) लक्ष्यों के संदर्भ में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा यूरिया तथा अन्य

उर्वरकों के उत्पादन के संबंध में समेकित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) 1995-96 की तुलना में 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में यूरिया के उत्पादन में 9.2% की कमी आई। यह कमी राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰ -थाल (आर सी एफ) को गैस फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि॰ को विद्युत की आपूर्ति में कमी तथा नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰ (एन एफ एल) के प्रचालनों में वित्तीय एवं संचलन बाधाओं के कारण आई।

1996-97 की तुलना में 1997-98 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एककों में यूरिया के उत्पादन में 27% की वृद्धि हुई। यह वृद्धि एच बी जे पाइपलाइन पर उर्वरक संयंत्रों को गैस आपूर्ति में सुधार, मार्च, 1997 में आरंभ की गई एन एफ एल विजयपुर विस्तार परियोजना द्वारा उत्पादन में योगदान तथा आर सी एफ के थाल संयंत्र के निष्पादन में सुधार के कारण हुई।

(घ) देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक परियोजनाओं को निम्न प्रोत्साहन उपलब्ध है:-

I) सामान्यतः उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

II) नए संयंत्र स्थापित करने/विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत मालों का निःशुल्क आयात।

III) उर्वरक परियोजनाओं के पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को संभावित निर्यात लाभ बशर्ते कि ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के अंतर्गत की गई हो।

IV) उर्वरक कच्चे माल और मध्यवर्तियों का निःशुल्क आयात।

V) इस समय यूरिया पर लागत प्रतिधारण मूल्य सह राज-सहायता योजना के अंतर्गत उद्यमियों को निवेश पर उचित लाभ।

VI) पौध पोषकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनियंत्रित उर्वरकों पर सरकार द्वारा विशेष रियासत प्रदान की जाती है। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

विवरण

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र "क" के उपक्रमों द्वारा 1995-96 से 1997-98 तक उर्वरकों का उत्पादवार लक्ष्य एवं उत्पादन

उत्पाव का नाम	लक्ष्य 1995-96			उत्पादन 1995-96			लक्ष्य 1996-97			उत्पादन 1996-97			लक्ष्य 1997-98			उत्पादन 1997-98		
	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी	मात्रा	एन	पी
यूरिया	5422.6	2494.4	0.0	5209.3	2396.3	0.0	5547.9	2552.0	0.0	4729.9	2175.8	0.0	5888.6	2708.8	0.0	6006.7	2763.1	0.0
ए/एस	308.4	64.8	0.0	336.9	70.7	0.0	304.8	64.0	0.0	325.1	68.3	0.0	340.0	71.4	0.0	289.7	60.8	0.0
सीएएन	456.9	114.2	0.0	334.8	83.7	0.0	418.5	104.6	0.0	277.5	69.4	0.0	406.5	101.6	0.0	270.6	67.7	0.0
डीएपी	630.0	113.4	289.8	582.8	104.9	268.1	573.0	103.1	263.6	421.2	75.8	193.8	736.0	132.5	338.6	786.5	141.6	361.8
एसएसपी	249.0	0.0	39.8	249.4	0.0	39.9	318.0	0.0	50.9	278.3	0.0	44.5	370.0	0.0	59.2	317.5	0.0	50.8
20:20:0	620.1	124.0	124.0	725.5	145.1	145.1	588.5	117.7	117.7	658.5	131.7	131.7	650.0	130.0	130.0	641.7	128.3	128.3
15:15:15	300.0	45.0	45.0	313.4	47.0	47.0	360.0	54.0	54.0	351.5	52.7	52.7	360.0	54.0	54.0	331.7	49.8	49.8
20.7:20.7	270.0	55.9	55.9	238.0	49.3	49.3	300.0	62.1	62.1	249.0	51.5	51.5	300.0	62.1	62.1	246.8	51.1	51.1
17:17:17	675.0	114.8	114.8	724.1	123.1	123.1	630.0	54.4	107.1	436.1	74.1	74.1	566.0	96.2	96.2	430.9	73.3	73.3
10:26:26	60.0	6.0	15.6	70.0	7.0	18.2	100.0	10.0	26.0	0.0	0.0	0.0	50.0	5.0	13.0	0.0	0.0	0.0
12:32:16	60.0	7.2	19.2	0.0	0.0	0.0	100.0	12.0	32.0	72.5	8.7	23.2	75.0	9.0	24.0	23.6	2.8	7.6
14:35:14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	7.3	1.0	2.6
14:28:14	-	-	-	-	-	-	0.0	0.0	0.0	184.0	25.8	51.5	100.0	14.0	28.0	10.3	1.4	2.9
योग	9052.0	3139.6	704.1	8784.2	3027.1	690.7	9240.7	3134.0	713.4	7983.6	2733.8	623.1	9842.1	3384.6	805.1	9363.4	3340.9	728.1

शीर्षक

ए/एस अमोनियम सल्फेट

सीएएन केलशियम अमोनियम नाइट्रेट

डीएपी डाई-अमोनियम फास्फेट

एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेटस

[अनुवाद]

आदिवासी महिलाओं के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

*39. **श्रीमती कमल रानी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में आदिवासी महिलाओं के लिए शिक्षा केन्द्र चलाने वाले स्वयंसेवी संगठनों को समय पर अनुदान जारी कर दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा समय पर अनुदान उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार को कुछ स्वयंसेवी संगठनों से अनुदान सहायता की राशि बढ़ाने और उसका भुगतान वर्ष में एक बार करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

माफिया गिरोहों द्वारा जबरदस्ती धन वसूल किया जाना

*40. **श्री मधुकर सरपोतदार** :

श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर महानगरों में माफिया गिरोह व्यापारियों, व्यवसायियों और उद्योगपतियों से जबरदस्ती पैसा वसूल करने में लिप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस बुराई को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन अपराधों के लिए कड़ी सजा देने के लिए अपराध दण्ड संहिता में संशोधन करने का है;

(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) केन्द्र सरकार को देश के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर महानगरों में सक्रिय गिरोहों और उनके द्वारा जबरदस्ती धन वसूल करने और अन्य संगठित अपराधों में संलिप्त होने की जानकारी हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, ये गिरोह गोदी/गोदामों में पड़े आयातित सामान की चोरी, सोने और अन्य निषिद्ध माल की तस्करी, मादक द्रव्यों के व्यापार, हवाला रैकट और भूमि और आवासीय परिसरों के विवादों को निपटाने में हिस्सेदारी प्राप्त करने में संलिप्त है।

भारत के संविधान के अंतर्गत ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं। तद्नुसार, अपराध की रोकथाम के साथ अपराध की जांच करना और पता लगाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी हैं। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को उनकी पुलिस संरचना में सुधार लाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान भी करती है और समय - समय पर उन्हें सलाह भेजती है।

धन वसूलने से संबंधित अपराध भारतीय दण्ड संहिता (अध्याय XVII) के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत दण्डनीय है। तथापि, इस बारे में भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारिया आयोग

231. **श्री महबूब जहेदी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारिया आयोग ने यह सिफारिश की है कि राज्यपालों की नियुक्ति संबंधित राज्यों के परामर्श से की जाए; और

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सरकारिया आयोग ने सिफारिश की है कि राज्यपाल नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति के चयन में राज्य के मुख्य मंत्री के साथ प्रभावकारी विचार-विमर्श करना सुनिश्चित करने के लिए, अनुच्छेद 155 में उपयुक्त संशोधन करके स्वयं संविधान में ही परामर्श की प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए।

(ख) यद्यपि, राज्यपाल के पद से संबंधित सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर विचार-विमर्श चल रहा है फिर भी राज्यपालों की नियुक्ति करते समय राज्य सरकारों को अनिवार्य रूप से विश्वास में लिया जाता है।

विशाखापत्तनम तेलशोधक परियोजना का विस्तार

232. **डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने अपनी विशाखापत्तनम तेलशोधक परियोजना के लिए उपस्करों की विलम्ब से सप्लाई करने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दण्डित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और कुछ अन्य आपूर्तिकर्ता दो से चार माह पीछे चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विशाखापत्तनम तेलशोधक परियोजना का विस्तार कार्य पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) ठेकों की शर्तों के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि॰ (एच पी सी एल) ने लम्बित हुए आदेशों पर भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (बी एच ई एल) पर जुर्माना धारा प्रवृत्त की है।

(ख) बी एच ई एल, बी एच पी वी, एल एण्ड टी आदि सहित 16 आपूर्तिकर्ता समयानुक्रम से पीछे चल रहे हैं।

(ग) विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा विलंब प्रायः आंतरिक आयोजना/निगरानी की कमी, लम्बी ''शाप फैब्रीकेशन'' अवधि और वित्ताभाव आदि के कारण हुआ है।

(घ) एच पी सी एल ने उपस्कर सुपुर्दगी में विलम्बों को न्यूनतम करने और विक्रेताओं के साथ निरन्तर अनुपालन हेतु सम्पर्क बनाए रखते हुए खोए समय की यथासंभव पूर्ति करने के लिए कड़े प्रयास किए हैं। निर्माण ठेकों के मामले में निर्माण समयावधि निर्धारित की गई तथा जब कभी आवश्यक हुआ विलंबकर्ता ठेकदारों से ठेके वापस ले लिए गए और नए आदेश दिए गए। परियोजना को शीघ्र पूरी करने के लिए एच पी सी एल और परामर्शक द्वारा सभी स्तरों पर ठेकेदारो के कार्यनिष्पादन की नियमित निगरानी की जा रही है।

सुपर बाजार में निलंबित अधिकारी

233. **डा॰ विजय सोनकर शास्त्री** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में सुपर बाजार में कितने अधिकारी किस-किस तारीख से निलंबित है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) कितने अधिकारियों के विरुद्ध विभागी जांच चल रही है;

(ग) ये जांच किन--किन तारीख को शुरू की गई थीं तथा इन्हें पूरा करने हेतु क्या समय सीमा निर्धारित है;

(घ) इन्हें पूरा नहीं किए जाने के क्या कारण हैं तथा विभागीय कार्यवाही को पूरा करने तथा शेष मामलों में आरोप पत्र जारी किए जाने में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ड.) शेष मामलों को कब तक निपटा दिए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) अब तक केवल एक अधिकारी को 22.2.98 से निलंबित किया गया है क्योंकि उसको सुपर बाजार के जरिए दिल्ली सरकार को बिस्कुटों की आपूर्ति के बारे में एक आपराधिक मामले के सिलसिले में 22.2.98 को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किया गया था और 48 घण्टे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रखा गया था।

(ख) से (ड.) दो अधिकारियों के खिलाफ क्रमशः जनवरी, 1996 और मार्च, 1998 से तीन विभागीय जांचें शुरू की गई हैं। इन जांचों को पूरा करने में आरोपित अधिकारियों द्वारा जांच अधिकारी के पूर्वाग्रहग्रस्त होने का आरोप लगाए जाने तथा उसके बदले जाने, उक्त मामले पर विचार करने के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकरण के नाते बोर्ड की अनुशासन समिति का गठन न किए जाने, जांच अधिकारी का स्वास्थ्य ठीक न होने तथा प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, जो तीन महीने से अधिक अवधि के लिए विदेश गए हुए थे, के उपलब्ध न होने के कारण समय लगा। सुपर बाजार ने सूचित किया है कि जांच को जल्दी पूरा करने के लिए कदम उठाए हैं।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही जनजातियां

234. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में 80 प्रतिशत जनजातीय लोग गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का इन जनजातियों की उन्नति हेतु कोई उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं। वर्ष 1993-94 के लिए गरीबी पर योजना आयोग के अनुमान के अनुसार, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 51.94% तथा 41.14% आदिवासी जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे हैं।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों की भौगोलिक पृथकता, घटिया संसाधन आधार, निम्न साक्षरता स्तर, प्रौद्योगिकीय पिछड़ापन आदि आदिवासियों के बीच अपेक्षाकृत उच्चतर निर्धनता के लिए उत्तरदायी है।

(ग) और (घ) आदिवासी उपयोजना नीति के अंतर्गत विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुसूचित आदिवासी जनसंख्या के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अनेक केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाएं और राज्य योजना कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

सरसों के तेल को यमुना नदी में फेंकना

235. **श्री माधवराव सिंधिया :**

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल के स्टाकिस्टों और व्यापारियों ने दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में ड्राप्सी महामारी फैलने के बाद सरसों का तेल यमुनानदी में बहा दिया है जिससे नदी का जल प्रदूषित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो यमुना नदी में इस प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सूचित किया है कि उन्हें यमुना नदी में सरसों के तेल के फैंके जाने की किसी घटना की जानकारी नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठते।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

236. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों में परिवार नियोजन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सर्वोत्तम उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(ख) उन परिवार नियोजन कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है जो सर्वाधिक लोकप्रिय हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) परिवार कल्याण कार्यक्रम का सर्वप्रमुख उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि की दर को नियंत्रित करना है। परिणामस्वरूप जनसंख्या की वृद्धि परिवार कल्याण विधियों के प्रयोग द्वारा सीधे नियंत्रित की जाती है जो दंपत्ति सुरक्षा दर के रूप में मापी जाती है।

वर्ष 1997 के दौरान अखिल भारतीय औसत से कम जन्म दर प्राप्त करने वाले सभी राज्यों (बड़े या छोटे) को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश राज्यों ने 31 मार्च, 98 की स्थिति के अनुसार दंपति सुरक्षा दर अखिल भारतीय औसत से अधिक प्राप्त की है।

(ख) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत पुरुष एवं महिला बंध्यीकरण, आई॰ यू॰ डी॰, कंडोम और मुखीय गोलियां जैसे अनेक तरीके लोगों को पेश किए गए हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (1992-93) के अनुसार परिवार नियोजन का सबसे अधिक सर्वमान्य तरीका महिला बंध्यीकरण है।

विवरण

वर्ष 1997 (नमूना पंजीकरण पद्धति अनुमान) के दौरान अखिल भारतीय औसत जन्म दर से कम जन्म दर प्राप्त करने वाले राज्यों को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	जन्म दर 1997*
1. आंध्र प्रदेश	22.5
2. गुजरात	25.6
3. कर्नाटक	22.7
4. केरल	17.9
5. महाराष्ट्र	23.1
6. उड़ीसा	26.5
7. पंजाब	23.4
8. तमिलनाडु	19.0
9. पश्चिम बंगाल	22.4
10. अरुणाचल प्रदेश	21.4
11. गोवा	14.2
12. हिमाचल प्रदेश	22.6
13. मणिपुर	19.7
14. मिजोरम	15.0
15. सिक्किम	19.8
16. त्रिपुरा	18.3
भारत * *	27.2

* = आंकड़े अनंतिम

* * = रिटर्न की आंशिक प्राप्ति के कारण जम्मू व कश्मीर शामिल नहीं है

टिप्पण : जम्मू व कश्मीर राज्य के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

गन्ने का उत्पादन

237. **श्रीमती कमल रानी :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में गन्ने का कितना उत्पादन हुआ और चालू वर्ष में इसका कितना उत्पादन होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्तर प्रदेश में वर्तमान में चीनी मिलों की पेराई क्षमता कितनी है;

(ग) क्या गन्ने के समूचे स्टाक की पेराई करने के लिए राज्य में वर्तमान में कार्यरत चीनी मिलें अक्षम हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो राज्य में उत्पादित की जाने वाले गन्ने की पूर्ण मात्रा की पेराई करना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) और (ख) पिछले चीनी मौसम 1997-98 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान उत्तर प्रदेश में गन्ने का उत्पादन 1334.0 लाख टन था। जबकि 1998-99 मौसम के दौरान गन्ने का उत्पादन 1260 लाख टन होने की संभावना है। चीनी उद्योग 11.9.1990 से लाइसेंसमुक्त कर दिया गया है। 31.8.1998 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की संस्थापित क्षमता 293325 टी॰ सी॰ डी॰ थी।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश राज्य में उत्पादित गन्ने का उपयोग चीनी, खांडसारी तथा गुड बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, इसका उपयोग बीज तथा चूसने के लिए भी किया जाता है। हाल के दिनों में चीनी मिलों द्वारा गन्ने के उपयोग का प्रतिशत 35 से 42 के बीच है। अतः उत्तर प्रदेश राज्य में मिलों में उपलब्ध गन्ने की पेराई की पर्याप्त क्षमता है। चीनी मिलों की पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना तथा विद्यमान पेराई क्षमता बढ़ाने के लिए चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के लिए 99 आशय पत्र जारी किए गए थे।

[अनुवाद]

पेट्रोल के डीलरों को मिलने वाले कमीशन में संशोधन

238. श्री एस॰ एस॰ ओवसी :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में पेट्रोल के डीलरों को मिलने वाले कमीशन में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रतिवर्ष राजकोष पर इससे कितना बोझ पड़ेगा;

(घ) क्या यह निर्णय तेल समन्वय समिति की सिफारिश के आधार पर लिया गया है; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ड.) सरकार ने एम एस, एच एस डी, एल पी जी इत्यादि पर डीलरों के कमीशन के संशोधन के उद्देश्य से तेल कम्पनियों के निदेशकों (विपणन) की एक समिति गठित की थी। इस निदेशक समिति की सिफारिश के आधार पर एम एस/एच एस डी पर डीलरों के कमीशन को 6 नवम्बर, 1997 को संशोधित किया गया था। जिसका वित्तीय, प्रभाव लगभग 227 करोड़ रुपए था। डीलरों के कमीशन को 3 जुलाई, 1996 से पूर्व अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में संशोधन से संबंधित अनुमोदित सूत्र के अनुसार 1 अप्रैल, 1998 को भी संशोधित किया गया था।

बाल यौन अपराध

239. श्री राजवीर सिंह :

श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल यौन अपराधों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) वर्ष 1995 से 1997 के दौरान, बच्चों के साथ बलात्कार, नाबालिग लड़कियों का प्रापण और लड़कियों को वेश्यावृत्ति के लिए बेचने और खरीदने की घटनाओं के संबध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गयी है;

क्रम सं॰	वर्ष	बच्चों के साथ बलात्कार	प्रापण	लड़कियों का बेचना	लड़कियों का खरीदना
1.	1995	4,067	107	17	19
2.	1996	4,083	94	6	22
3.	1997	उपलब्ध नहीं	87	9	13

(ग) पुलिस राज्य का विषय होने के कारण बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक निवारात्मक और दण्डात्मक उपाय करना अनिवार्यतः राज्य सरकारों का काम है। केन्द्र सरकार अपनी तरफ से महिला और बाल विकास के जरिए महिलाओं और बच्चों की समस्याओं के प्रति ध्यान केन्द्रित कर रही है।

[हिन्दी]

अधिनियमों के संशोधन हेतु सुझाव

240. **श्री थावर चन्द गेहलौत :**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिकता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यमान अधिनियमों/कानूनों में संशोधन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) संभवतः यह मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट से संदर्भित है जिसमें इस मंत्रालय द्वारा निपटाए जा रहे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो से संबंधित कुछ विषयों पर वर्तमान अधिनियमों/कानूनों में संशोधन करने की सिफारिश की गई है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार को अभी तक 4 रिपोर्ट तथा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग की पहली तथा दूसरी विशेष रिपोर्ट की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन के साथ पहले ही दोनों सभा पटलों पर रख दी गई हैं। आयोग की इसकी तीसरी तथा चौथी रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, की गई कार्रवाई ज्ञापन दोनो सभा पटलों पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

राशन कार्ड जारी करना

241. **श्री सत्यपाल जैन :** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के निवासियों को राशन-कार्ड जारी करने के बारे में कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चंडीगढ़ की कुल जनसंख्या कितनी है और चंडीगढ़ में आज तक कितने राशन कार्ड जारी किए गए हैं; और

(घ) इस समय कितने राशन डिपो हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार वसूली करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिंसे उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेदार है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों का आगे वितरण करने के लिए प्रचालानात्मक प्रबंध करने का दायित्व जिसमें राशन कार्ड जारी करना शामिल है, राज्य सरकार/संघशासित प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आता है।

(ग) पहली जुलाई, 1998 को स्थिति के अनुसार चंडीगढ़ की कुल अनुमानित जनसंख्या 8.40 लाख है और प्रचालित राशनकार्डों की संख्या 1.96 लाख है। (31 अगस्त, 1998 की स्थिति के अनुसार)।

(घ) चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र में 247 उचित दर की दुकानें हैं (31 अगस्त, 1998 की स्थिति के अनुसार)।

दक्षिणी राज्यों में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय

242. **श्री टी० गोविन्दन :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों में स्थित केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय अपने लाभार्थियों/सरकारी पेन्शनरों की मांग को पूरा करने योग्य है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय किन-किन स्थानों पर हैं;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का उन स्थानों पर नए केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का विचार है जहां वे इस समय नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान जिन स्थानों पर ये औषधालय खोले जाने हैं उनका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) दक्षिणी राज्यों में, बंगलौर, चेन्नई, हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम राज्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर किए गए हैं और लाभार्थियों तथा पेंशनधारियों की मांगें साधारणतया योजना की विशेषताओं के अनुसार पूरी की जाती हैं।

(ग) और (घ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना को सर्वप्रथम संसाधनों की उपलब्धता के

आधार पर निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले राज्यों के राजधानी वाले शहरों तक विस्तारित किया जाना है।

स्टाफ सहित आधारभूत ढांचे की उपलब्धता के आधार पर वर्ष 1998-99 के दौरान त्रिवेन्द्रम में एक आयुर्वेदिक तथा एक होम्योपैथिक औषधालय खोलने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

वितरकों के विरुद्ध शिकायतें

243. **श्री पुन्नू लाल मोहले** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वितरकों और क्षेत्रीय बिक्री अधिकारियों के विरुद्ध संसद सदस्यों/भूतपूर्व संसद सदस्यों/उपभोक्ताओं से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) इनमें से सरकार द्वारा कुल कितनी शिकायतों का समाधान किया जा चुका है; और

(ग) लम्बित शिकायतों का समाधान कब तक किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान संसद सदस्यों/भूतपूर्व संसद सदस्यों/उपभोक्ताओं से सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कम्पनियों के विरुद्ध प्राप्त की गई शिकायतों के वर्षवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

	1995-96	1996-97	1997-98
संसद सदस्यों/भूतपूर्व संसद सदस्यों से प्राप्त शिकायतें	104	123	205
उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतें	77139	106105	88004
क्षेत्राधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें	2	1	4

वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान प्राप्त सभी शिकायतें निपटा ली गई थीं।

सामान्यतः संसद सदस्यों/भूतपर्व संसद सदस्यों तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की जांच पड़ताल की जाती है और इनका एक माह के समय में निपटारा करना होता है। नियंत्रण परे परिस्थितियों के कारण एक माह से अधिक समय से लंबित शिकायतों के विषय में तेल कंपनियों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई करके इनका समाधान करने के प्रयास किए जाते हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम का सृजन

244. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने योजना आयोग के अनुरूप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम का सृजन किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

245. **श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मचारी राज्य बीमा योजना की मूलभूत बातें क्या हैं और इसे कब आरंभ किया गया था;

(ख) इस समय कर्मचारी राज्य बीमा हेतु कितने कर्मचारी लाभार्थी अंशदान कर रहे हैं; और

(ग) लाभार्थियों को सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में राज्य सरकारों और कर्मचारी राज्य बीमा निगम की प्रतिभागिता का ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मकारों/उनके परिवारों की बीमारी, प्रसूति तथा रोजगार चोट जिसके परिणामस्वरूप अशक्तता अथवा मृत्यु हो जाती है, की आकस्मिकताओं में व्यापक चिकित्सा देख-रेख तथा नकद हितलाभ उपलब्ध कराता है। 10 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले तथा बिजली का प्रयोग करने वाले कारखानों पर और 20 अथवा अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले तथा बिजली का प्रयोग न करने वाले कारखानों व कुछेक अन्य स्थापनाओं पर योजना लागू की जाती है। 6500/- रुपये प्रतिमाह तक मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर योजना लागू होती है। योजना की शुरूआत 24.2.1952 को दो केन्द्रों पर की गई थी। इस समय 83.62 लाख कर्मचारी इस योजना में अंशदान दे रहे हैं।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा देख-रेख के प्रशासन की जिम्मेदारी दिल्ली तथा नौएडा के अलावा जहां इसका संचालन सीधे कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है, राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासकों की होती है। लाभार्थियों को नकद हितलाभ वितरण से संबंधित कार्य कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है।

विकलांग व्यक्तियों हेतु रोजगार कार्यालय

246. मोइनुल हसन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विकलांग व्यक्तियों के लिए राज्यों में विशेष रोजगार कार्यालय और विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) संलग्न विवरण के अनुसार राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 50 विशेष रोजगार कार्यालय तथा 39 विशेष सेल हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष नियोजनालय

क्रम सं०	पता
1	2
1.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, आजमबाद, हैदराबाद-500020, आन्ध्र प्रदेश।
2.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, विशाखापत्तनम, आन्ध्र प्रदेश
3.	सहायक निदेशक (रोजगार), विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, नहरलागुन, अरुणाचल प्रदेश।
4.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, गुवाहटी, असम।
5.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, जोरहाट, असम। (दिनांक 21.3.95 को उन्नयन)
6.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कम्बाइन्ड बिल्डिंग लेवर, वेली रोड, पटना-800001, बिहार।
7.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, सालजोसो क्रास रोड़, एस॰ वी॰ कालेज के सामने, अहमदाबाद-380001, गुजरात।
8.	उप-क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कोठी बिल्डिंग, बड़ौदा, गुजरात।
9.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, मेह्‌साना, गुजरात। (दिनांक 31.3.95 को उन्नयन)
10.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कुआसिवाला बंगला, जंक्सन प्लाट, राजकोट गुजरात।
11.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, मल्टीस्टोरी बिल्डिंग, नानपुरा, सूरत, गुजरात।
12.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, 1282, सेक्टर-13 ग, चंडीगढ़-160018
13.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, स्टॉक पैलेस, शिमला-171002, हिमाचल प्रदेश।
14.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, जम्मू और कश्मीर, जम्मू। (दिनांक 31.3.95 को उन्नयन)
15.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, नं॰ 5, क्रेसेन्ट रोड, हाई ग्राउन्डस पश्चिम, बंगलौर 560020 कर्नाटक।
16.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार अधिकारी, गुलबर्गा, कर्नाटक। (31.3.98 को उन्नयन)
17.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, मैसूर, कर्नाटक। (दिनांक 21.3.95 को उन्नयन)
18.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कोट्टायम, केरल। (24.3.98 को उन्नयन)
19.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कोझीकोडे, केरल। (21.3.95 को उन्नयन)
20.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, नेथ्याट्टिनकारा, केरल। (24.3.98 को उन्नयन)

1	2
21.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, नन्दनवम रोड़, पलायम त्रिवेन्द्रम, केरल।
22.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, 965, रॉइट टाउन, जबलपुर-482001, मध्य प्रदेश।
23.	विशेष रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, मर्केन्टाइल चैम्बर्स, तीसरी मंजिल, ग्राह्म रोड, महाराष्ट्र, बालार्ड इस्टेट, बम्बई-400001
24.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, नागपुर, महाराष्ट्र। (दिनांक 30.9.95 को उन्नयन)
25.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, पुणे, महाराष्ट्र। (दिनांक 30.3.95 को उन्नयन)
26.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, थाणे, महाराष्ट्र। (दिनांक 30.3.95 को उन्नयन)
27.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, इम्फाल, मणिपुर। (दिनांक 15.3.96 को उन्नयन)
28.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, फ्लैट, नं॰ 367, शहीद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा-751007
29.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, ब्लाक नं॰ 2, गिल रोड, लुधियाना, पंजाब।
30.	सहायक निदेशक, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, अजमेर, राजस्थान। (दिनांक 30.3.96 को उन्नयन)
31.	सहायक निदेशक, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, अलवर, राजस्थान। (दिनांक 30.3.96 को उन्नयन)
32.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, जयपुर-302001, राजस्थान।
33.	सहायक निदेशक, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय 33, माउन्ट रोड़, नन्दनम, मद्रास-600035 तमिलनाडु, चेन्नई।
34.	उपक्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, अगरतला, त्रिपुरा। (दिनांक 31.3.98 को स्वीकृत)

1	2
35.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, आगरा, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
36.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
37.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, इलाहबाद, उत्तर प्रदेश। (7.3.96 को उन्नयन)
38.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश। (7.3.96 को उन्नयन)
39.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। (7.3.96 को उन्नयन)
40.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। (7.3.96 को उन्नयन)
41.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, जी॰ टी॰ रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
42.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
43.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, मथुरा, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
44.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। (दिनांक 7.3.96 को उन्नयन)
45.	विशेष रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, 67, बेन्टीक स्ट्रीट, तीसरी मंजिल, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल।
46.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र, चण्डीगढ़। (दिनांक 31.3.95 को उन्नयन)
47.	क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, बैरक नं॰ 1/ई-5, ब्लाक-क, कर्जन रोड, नई दिल्ली।

1	2
48.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, यमुनापार दिल्ली। (दिनांक 31.3.95 को उन्नयन)
49.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, इर्नाकुलम, केरल। (दिनांक 21.3.95 को उन्नयन)
50.	रोजगार अधिकारी, विशेष विकलांग रोजगार कार्यालय, कोलाम, केरल। (दिनांक 21.3.95)

राज्यों के विशेष प्रकोष्ठ

क्र॰ सं॰	राज्य	विशेष प्रकोष्ठ का स्थान
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा
2.	बिहार	माराफाड़ी
3.	हरियाणा	सोनीपत
4.	हरियाणा	महेन्द्रगढ़
5.	हिमाचल प्रदेश	धर्मशाला
6.	केरल	पालघाट
7.	केरल	नेदूमनगड
8.	केरल	कयमकुलम
9.	केरल	अलुवा
10.	केरल	इंरिजलकुड़ा
11.	कर्नाटक	मंगलौर तुमकुर से स्थानांतरित
12.	मध्य प्रदेश	विलासपुर
13.	मध्य प्रदेश	दुर्ग
14.	मध्य प्रदेश	देवास
15.	मध्य प्रदेश	रीवा
16.	महाराष्ट्र	नासिक
17.	महाराष्ट्र	शोलापुर
18.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
19.	मेघालय	शिलांग
20.	नागालैंड	कोहिमा
21.	उड़ीसा	कटक
22.	पंजाब	अमृतसर
23.	राजस्थान	कोटा
24.	राजस्थान	झुंझनु
25.	राजस्थान	सीकर
26.	राजस्थान	श्री गंगानगर
27.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर
28.	तमिलनाडु	चेंगलपेट
29.	तमिलनाडु	कुड्डालोर
30.	तमिलनाडु	सेलम
31.	तमिलनाडु	तिरूनेलवैली
32.	तमिलनाडु	वेलोर
33.	तमिलनाड	चिडनाबारानार
34.	तमिलनाडु	पेरियार
35.	पश्चिम बंगाल	उथग नेलम
36.	पश्चिम बंगाल	बेरकपुर
37.	पश्चिम बंगाल	हावड़ा
39.	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया
40.	पश्चिम बंगाल	खड़गपुर

एड्स का फैलना

247. **श्री रूपचंद मुर्मुः** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दन्त विशेषज्ञों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले चिकित्सा संबंधी उपस्कर एड्स फैलाने में सहायक घटक हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इसके विरुद्ध खतरे को टालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं। दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयोग में लाए गए चिकित्सा उपकरण एड्स के प्रसार में सहायक नहीं होते यदि वे उचित ढंग से विसंक्रमित किए गए हों।

(ख) दंत चिकित्सकों द्वारा एच० आई० वी० एड्स के रोकने के लिए बरती जाने वाली व्यापक सावधानियों संबंधी दिशा-निर्देश सभी अस्पतालों को परिचालित किए गए हैं।

परोक्ष युद्ध

248. **वैद्य विष्णु दत्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू व कश्मीर में परोक्ष युद्ध का सामना करते हुए कितने सुरक्षा/सैन्य कर्मी मारे गए हैं;

(ख) उनके आश्रितों के पुनर्वास के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) कितने सुरक्षा/सैन्य कर्मी गुमशुदा हैं या नहीं मिल रहे है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू व कश्मीर में जनवरी, 1990 से अक्तूबर, 1998 तक की अवधि के दौरान सुरक्षा बलों के 1694 कार्मिक उग्रवादी हिंसा में मारे गए हैं।

(ख) अपनी ड्यूटी के निष्पादन, जिसे आतंकवादियों द्वारा की गई हिंसा की घटना कहा जा सकता हो, के दौरान हुई मौत के मामलों में 5.00 लाख रुपये की अनुदान राशि का भुगतान स्वीकार्य है। उग्रवादियों/आतंकवादियों/अतिवादियों इत्यादि के खिलाफ की गई कार्रवाई में हुई मौत में, आश्रितों को 7.50 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। ग्रुप बीमा, और उदारीकृत पेंशन की एवज में भी लाभ ग्राह्य हैं।

मृत कार्मिक के आश्रितों को कतिपय व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने हेतु प्राथमिकता भी दी जाती है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के मामलों में, मृत कार्मिकों के पात्र आश्रित अनुकम्पा आधार पर सरकारी नौकरियों में श्रेणी "ग" और "घ" में भर्ती के भी पात्र हैं।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

रेलवे स्टेशनों का नाम बदलना

249. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल सरकार से रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

बिहार में गोदाम

250. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितने गोदामों का निर्माण किया गया है/निर्माणाधीन है और इनकी क्षमता क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और गोदामों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानावार ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) 30.9.98 की स्थिति के अनुसार बिहार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन गोदामों की क्षमता-वार संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) जी, हां।

(ग) अनुमोदित वार्षिक योजना 1998-99 के अनुसार गुमला (जिला रांची) में 5000 टन क्षमता का गोदाम निर्माणाधीन है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

बिहार में निर्मित/निर्माणाधीन गोदामों की क्षमतावार संख्या बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र० सं०	केन्द्र का नाम	ढकी हुई (क्षमता-वार) (अपनी)
1	2	3
क.	*निर्मित गोदाम*	
1.	जासीदीह	12.50
2.	दरभंगा	5.74
3.	जय नगर	9.67

1	2	3
4.	गया (एफएसडी)	64.72
5.	गया (सिलो बिन)	32.00
6.	धनबाद	13.74
7.	चनपतिया	6.28
8.	मुजफ्फरपुर	7.60
9.	नारायणपुर अनंत	36.67
10.	बक्सर	25.00
11.	दीघाघाट	32.44
12.	मोकामा	57.63
13.	फुलवारी शरीफ	56.97
14.	बेलोरी (पूर्णिया)	8.98
15.	कटिहार	10.84
16.	सहरसा	14.64
		395.42
ख.	*निर्माणाधीन गोदाम*	
1.	गुमला	5.00

गुजरात में स्वयं सेवी संगठनों को सहायता

251. **श्री हरि भाई चौधरी** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठनों की संख्या कितनी है;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान इन संगठनों द्वारा कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई है और उन्हें वास्तव में कितनी वित्तीय सहायता दी गई;

(ग) कल्याण संबंधी क्रियाकलापों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(घ) गत दो वर्षों के दौरान काली सूची में डाले गए ऐसे संगठनों के राज्यवार नाम क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) गुजरात में उन स्वैच्छिक संगठनों की संख्या, जिन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 1996-97 तथा 1997-98 में वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, और मंजूर की गई सहायता की कुल धनराशि इस प्रकार है:-

वर्ष	संगठनों की संख्या	मंजूर की गई सहायता की धनराशि (रुपये लाख में)
1996-97	29	129.19
1997-98	31	164.58

(ग) यह संगठन सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 के अंतर्गत दर्ज होना चाहिए और न्यूनतम 2 वर्षों से कार्यरत होना चाहिए। सहायतानुदान प्रत्येक योजना के संबंध में निर्धारित मानदंडों के अनुसार तथा संबंधित राज्य सरकार की सिफारिश के आधार पर निर्मुक्त की जाती है।

(घ) उन संगठनों जिनके मामले में सहायतानुदान रोक दिया गया था अथवा जिन्हें काली सूची में रखा गया है, की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

उन स्वैच्छिक संगठनों की सूची जिनके मामले में सहायतानुदान रोक दिया गया था अथवा जिन्हें काली सूची में रखा गया था।

राज्य	संगठन का नाम
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1. प्रगति यूथ संगम, गुटूंर
	2. प्रजा अभ्युदय सेवा समिति, चितूर
	3. श्री सुब्रह्मेश्वरी महिला मंडली, गुंटूर
	4. विजयपुरम प्रजा सेवा समिति, चितूर
	5. इंडियन काउन्सिल फार सोसल वेलफेयर
2. असम	जागृति सम्मिलित उन्नयन केन्द्र, लखीमपुर
3. बिहार	1. इन्दिरा गांधी समाज सेवाश्रम, पटना
	2. गुलाबसिंह महिला एवं बाल कल्याण संघ, सीवान
	3. ग्रामीण बाल वनिता विकास निकेतन, नवादा
	4. अखिल भारतीय संथाल कल्याण एवं सांस्कृतिक सोसायटी, साहेबगंज
	5. राष्ट्रीय विकास एकता एवं जागरूकता संस्थान, कंकड़बाग, पटना

1	2
	6. महिला राहत एवं कल्याण सोसायटी, पटना
	7. वनांचल विकास सेवाश्रम, साहेबगंज
	8. नवीन भारतलय प्रतिष्ठान, मुज्जफरपुर
4. दिल्ली	1. शोषण उन्मूलन परिषद, दिल्ली
	2. वाई डब्ल्यू सी ए, आशा प्रोजेक्ट, नई दिल्ली
5. कर्नाटक	1. भानु एजुकेशनल सोसायटी, बैंगलूर
	2. शिक्षा, सेवा एवं प्रशिक्षण केन्द्र, बैंगलूर
6. केरल	कोल्लम नटका वेदी, कोल्लम
7. उड़ीसा	संजीवनी, भुवनेश्वर
8. राजस्थान	एस॰ एल॰ आदर्श विद्यालय समिति, श्रीगंगानगर
9. सिक्किम	1. एसोसिएशन फार सोसल हेल्थ इन इंडिया, गंगटोक
	2. श्रद्धा, पेक्योग
10. तमिलनाडु	1. एप्लायड इण्टर डिसिप्लीनरी डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीटयूट, चेन्नई
	2. कला सेल्वी करूणालय सोसल वेलफेयर सोसायटी, चेन्नई
11. उत्तर प्रदेश	1. समाज कल्याण शिक्षा समिति, देवरिया
	2. अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान, देवरिया
	3. तारादेवी शिक्षा समिति, देवरिया
	4. संस्कृत भाषा विकास परिषद, देवरिया
	5. ग्राम सेवा संस्थान, देवरिया
	6. जन जागरण परिषद, इलाहाबाद
	7. बंजारा विकास परिषद, अलीगढ़
	8. भारतीय समाजोत्थान सेवा संस्थान देवरिया
	9. सर्वोदय ग्राम एवं महिला विकास संस्थान, रामपुर
12. पश्चिम बंगाल	1. सियुलीपुर उदयन क्लब, मिदनापुर
	2. हल्दिया समाज कल्याण परिषद, मिदनापुर
	3. सलम भारतीय, हुगली
	4. प्रबुद्ध भारती, मिदनापुर

सी॰ सी॰ आर॰ एच॰ द्वारा जूनियर/सीनियर रिसर्च फैलो के लिए विज्ञापन

252. **श्री रामेश्वर पाटीदार** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री दिनांक 21 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न सं॰ 4845 के उत्तर के संबंध में सी॰ सी॰ आर॰ एच॰, नई दिल्ली में विभिन्न पदों में भर्ती के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून, 1997 से जून, 1998 तक जूनियर/सीनियर रिसर्च फैलो के पदों पर नियुक्ति के संदर्भ में परिषद् द्वारा किए गए विज्ञापनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) योग्यताओं सहित इन पदों के लिए आमंत्रित किए गए आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) समाचार पत्रों में भर्ती के लिए कोई सामान्य विज्ञापन नहीं दिया गया था। वरिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येताओं के पद पर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इसकी मांग उस क्षेत्र के रोजगार कार्यालय को भेजी जाती है जहां वह यूनिट अव्यवस्थित होती है और जिसके पास रिक्तियां होती हैं। जून, 1997 से जून, 1998 से जून, 1998 की अवधि के दौरन कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता के पद को भरने हेतु लखनऊ तथा दिल्ली के रोजगार कार्यालयों को दो रिक्तियां भेजी गई थीं और संबंधित रोजगार कार्यालयों ने क्रमशः 23 और 21 आवेदकों के आवेदनों को अग्रेषित किया था। आवेदकों के पास होम्योपैथी में डिग्री तथा डिप्लोमा दोनों की अर्हताएं थीं। इस अवधि के दौरान व॰ अनु॰ अध्येता के पद की भर्ती के लिए कोई रिक्ति या विज्ञापन इस कारण नहीं दिया गया था कि सामान्यतया वरिष्ठ अनुसंधान अध्येता विधिवत् गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा संबंधित परियोजना अधिकारी से परामर्श करके पहले ही से कार्यरत कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता में से ही परिषद् द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

[अनुवाद]

खाद्यान्न भंडार में विसंगति

253. **श्री सुनील खाँ** :

श्री विकास चौधरी :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

क्या खाद्य और उपभोक्ताओं मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने 1996-97 के दौरान भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध खाद्यान्न के भंडार में गंभीर विसंगतियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विसंगतियों के लिए जिम्मेवार अधिकारियों की संख्या कितनी है; और

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय ने और भारतीय खाद्य निगम ने केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों के स्टाक के जो आंकड़े तैयार किए हैं, उनमें विसंगतियां हैं। अतः सरकार ने भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक से अनुरोध किया है कि वे भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों और उनकी एजेन्सियों द्वारा केन्द्रीय पूल में रखे गए खाद्यान्नों की विशेष लेखा-परीक्षा करवाएं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कुष्ठ का टीका

254. **श्री भेरूलाल मीणा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुष्ठ के उपचार के लिए देश में किसी टीके का विकास किया गया है;

(ख) क्या उक्त टीके का अब तक परीक्षण कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस टीके को बाजारों में बिक्री हेतु उपलब्ध कराने के लिए इसका व्यावसायिक उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) देश में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा तीन कुष्ठ रोधी वैक्सीनें अर्थात् आई सी आर सी वैक्सीन, एम डब्ल्यू वैक्सीन और एम. हब्बाना वैक्सीन विकसित की गई हैं। आई सी आर सी और एम डब्ल्यू वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण चल रहा है और एम॰ हब्बाना वैक्सीन का मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्याज की कमी

255. **श्री आर॰ साम्बासिवा राव** : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्याज की कमी के क्या कारण हैं;

(ख) क्या कमी के बावजूद प्याज का निर्यात जारी रहा;

(ग) निर्यात समझौते को रद्द नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या जमाखोर भी इस कमी के लिए जिम्मेदार हैं; और

(ड.) यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) (क) देश में प्याज की कमी का मुख्य कारण जलवायु संबंधी कारकों की वजह से वर्ष 1997-98 के दौरान उनके उत्पादन में कमी होना था। अगस्त-अक्तूबर, 1998 के दौरान भारी वर्षा के कारण खरीफ की फसल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(ख) और (ग) प्याज के निर्यात पर 14.10.1998 से रोक लगा दी गई।

(घ) और (ड.) जुलाई, 1998 में सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। कई राज्य सरकारो और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अपने राज्यों में जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की।

कमजोर वर्गों की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले

256. **श्री अमन कुमार नागरा** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में कमजोर वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई अध्ययन कराया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ड.) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी।

आई॰ वी॰ फ्लूइड का संदूषित होना

257. **श्री मोहन रावले** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा संदूषित आई॰ वी॰ फ्लूइड घटना की जांच करने के लिए गठित समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) घटना में कितने व्यक्तियों को दोषी पाया गया;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ड.) आई॰ वी॰ फ्लूइड में संदूषण को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि अन्तः शिरा द्रवों की खरीद उच्च दरों पर की गई थी। समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि दोषी पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने में किए गए विलम्ब के संबंध में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आगे जांच करें और उसके लिए जिम्मेवार अधिकारियों को स्थानांतरित करने की सिफारिश की। इसने आगे भविष्य में ऐसी पुनरावृत्तियों को न होने देने के लिए उपचारात्मक उपाय सुझाए।

(ग) और (घ) इन खरीदों के लिए 4 व्यक्तियों को दोषी पाया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से अनुरोध किया गया है कि वह इस मामले की जांच पड़ताल करे। एक व्यक्ति के खिलाफ विभागीय जांच पहले ही चल रही है।

(ड.) केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में अन्तः शिरा द्रवों के संदूषण की जांच करने हेतु निम्नलिखित निवारक उपाय किए जाते हैं:-

1. सरकारी संस्थानों को आपूर्ति करने हेतु सरकारी चिकित्सा सामग्री विभाग द्वारा अन्तः शिरा द्रवों की खरीद अनुमोदित विनिर्माताओं से और संबंधित संयुक्त क्रय समिति द्वारा अनुमोदित टेंडर जांच पड़ताल करने पर की जाती हैं।

2. अन्तः शिरा द्रवों के सभी बैचों की उन्हें उपयोक्ता संसथा को जारी करने से पूर्व गुणवत्ता नियंत्रण के लिए जांच की जाती है।

3. फफूंद लगने से रोकने हेतु आर्द्रता और नमी से रहित शुष्क ठण्डे स्थानों पर भंडारण किया जाता है।

4. प्रत्येक बोतल की उसे जारी करने से पूर्व उसे रोशनी के सामने करके उस को सफेद और काला पड़ जाने की पृष्ठभूमि के संबंध में जांच की जाती है।

5. रोगियों का अन्तः शिरा द्रव का प्रयोग करने से पूर्व उपयोगकर्ताओं द्वारा अन्तः शिरा की प्रत्येक बोतल की रोशनी के सामने कर के पुनः जांच की जाती है और यदि इसमें कोई विविक्त पदार्थ/फफूंद हो तो रोगियों के लिए किसी बोतल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है।

कोई विविक्त पदार्थ या कोई फफूंद पाए जाने की हालत में संपूर्ण बैच को इस्तेमाल के लिए निलंबित कर दिया जाता है। उसे इस्तेमाल से वापिस उठा लिया जाता है और इस मामले की उपयुक्त प्राधिकारी को सूचना दी जाती है।

तथापि, समिति द्वारा दिए गए सुझावों को देखते हुए मामले की इस संदर्भ में जांच की जा रही है कि ऐसे द्रवों के प्रापण की पद्धति के संबंध में क्या-क्या और निवारक उपाय किए जा सकते हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों में तस्करी

258. **श्री भीम दाहाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में तस्करी की गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

औषध मूल्य नियंत्रण आदेश

259. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1995 के लागू किए जाने के पश्चात् आमतौर पर उपयोग में लाई जाने वाली फार्मास्युटिकल औषधियों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) क्या इस संबंध में किसी एर्जेसी द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी एर्जेसी द्वारा मूल्य में कितनी वृद्धि दिखाई गई है;

(घ) कीमतों में वृद्धि को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाये जाने का विचार है;

(ड.) क्या केन्द्र सरकार को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के अंतर्गत (थोक और खुदरा) औषधियों के मूल्यों के निर्धारण का अधिकार है;

(च) क्या केन्द्र सरकार औषधियों के मूल्यों के निर्धारण हेतु राज्यों को शक्ति प्रत्यायोजित करेगी; और

(छ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) थोक मूल्य सूचकांक (आधार 1981-82=100) द्वारा आंकी गई कीमतें वर्ष 1995-96 की तुलना में 1997-98 में औषधों और दवाईयों के संबंध में 11.43 प्रतिशत बढ़ गई हैं; जबकि इसी अवधि के दौरान सभी वस्तुओं के लिए वृद्धि 11.49 प्रतिशत हुई है। अतः दवाइयों में मूल्य वृद्धि अन्य वस्तुओं के अनुरूप हुई है।

(ख) और (ग) जी, हां। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने एक सर्वेक्षण किया है। मिल-जुले रुख को नोट कर लिया गया है। कुछ औषधों के मामले में मूल्य बढ़ गए हैं, जबकि अन्य औषधों के मामले में मूल्य या तो गिर गए हैं या अपरिवर्तित रहे हैं।

(घ) मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 74 प्रपुंज औषधों तथा उनके सूत्रयोगों को "औषध नीति, 1986 में संशोधन" में दिए गए मानदण्ड के अनुसार डीपीसीओ, 1995 में मूल्य नियंत्रण के अधीन रखा गया है। (मूल्य) विनियंत्रित औषधों के मूल्यों का भी आवधिक रूप से विश्लेषण किया जाता है।

(ङ.) औषधों/सूत्रयोगों के मूल्य डीपीसीओ, 95 के उपबंधों के अनुसार निर्धारित/संशोधित किए जाते हैं।

(च) और (छ) जी, नहीं।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी मेडिकल स्टोर डिपो की निरीक्षण समिति

260. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के यूनानी मेडिकल स्टोर डिपो को प्राप्त होने वाली औषधियों के निरीक्षण के लिए कोई निरीक्षण समिति गठित की है;

(ख) क्या सरकार को उक्त समिति की रिपोर्टें मिल गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबधी ब्योरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है; और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त समिति की रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी हां। औषधालयों/यूनिटों के दो यूनानी चिकित्सकों की एक निरीक्षण समिति गठित की गई है जिसमें एक निरीक्षण अधिकारी और दूसरा चिकित्सा अधिकारी है।

(ख) और (ग) जब कभी सप्लायरों से यूनानी भण्डार में औषधियां प्राप्त की जाती हैं तब इस समिति द्वारा तैयार निरीक्षण रिपोर्टों को यूनानी चिकित्सा भण्डार डिपो के प्रभारी चिकित्सक को सौंप दिया जाता है। जब कभी सप्लायरों से औषधें प्राप्त होती हैं तब समिति द्वारा पास किए गए चार्ज पर औषधें प्राप्त करने के बाद रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय) को प्रस्तुत की जाती है जो कि एक नियमित प्रक्रिया है।

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक मिट्टी के तेल के वितरण पर नियंत्रण

261. **श्री प्रमथेस मुखर्जी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक मिट्टी के तेल के वितरण पर नियंत्रण है तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इसे बहुत कम मात्रा में विक्रय किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार मिट्टी के तेल पर वितरण संबंधी नियंत्रण हटाने के लिए राज्यों को निर्देश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में उठाए जाने वाले अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) राज्य सरकारों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों से इस संबंध में समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि सार्वजनिक तेल कंपनियों द्वारा मिट्टी/तेल की आपूर्तियों का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केवल घरेलू उपयोग के लिए किया जाए तथा औद्योगिक इकाइयों को समानान्तर विपणन प्रणाली के तहत उपलब्ध मिट्टी का तेल का उपयोग करना चाहिए। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें सरकारी तेल कंपनियों से हुई आपूर्तियों में से औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी मिट्टी/तेल आवंटित करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस प्रकार इसकी एक सीमित मात्रा की आपूर्ति भी की जा रही है।

[हिन्दी]

अमरनाथ तीर्थयात्री

262. **श्री अमर पाल सिंह** :

श्री रामपाल सिंह :

श्री वीर सिंह महतो :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितने तीर्थयात्री अमरनाथ की यात्रा पर गए;

(ख) प्राकृतिक आपदा के कारण कितने व्यक्ति मारे गए;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा अमरनाथ के तीर्थयात्रियों को कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरनाथ के तीर्थयात्रियों को ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं करायी गई हैं; और

(ड.) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस मामले की जांच करायी गई है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस वर्ष 1,49,920 तीर्थयात्री अमरनाथ गये थे।

(ख) शून्य।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए व्यवस्थाएं राज्य सरकार द्वारा की जा रही हैं और वर्ष 1996 में घटित अमरनाथ यात्रा त्रासदी के बाद गठित की गई डा॰ सेनगुप्त समिति की सिफारिशों के अनुसार तीर्थयात्रियों को सुविधायें राज्य सरकार उपलब्ध करा रही है। एक सिफारिश तीर्थयात्रियों की कुल संख्या को सीमित करने के संबंध में है। इस वर्ष अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों की संख्या में हुई वृद्धि के कारण तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण न किये जाने के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं क्योंकि वे निर्धारित संख्या से अधिक हो गये थे। ये शिकायतें राज्य सरकार को भेज दी गयी थीं। कुछ शिकायतें 25/- रू॰ पंजीकरण शुल्क लगाने के बारे में थीं जिन्हें उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को भेज दिया गया था।

(ड.) उपरोक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता है।

पन्द्रह सूत्री कार्यक्रम

263. **श्री राजो सिंह** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15 सूत्री कार्यक्रम को मजबूत बनाने के लिए कोई कार्यवाही की है/करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां, बिहार के अल्पसंख्यकों सहित देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को संशोधित किया जा रहा है।

(ख) इस कार्यक्रम का कार्यान्वियन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है तथा केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अर्द्धवार्षिक रिपोर्टों के आधार पर निकट से मॉनीटर किया जाता है।

[अनुवाद]

ग्रामीण अनाज बैंक

264. **श्री दिनशा पटेल** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में जनजातीय लोगों के लिए ग्रामीण अनाज बैंक नामक एक केन्द्रीय योजना क्रियान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राज्य को इस योजना के लिए वर्षवार कितनी धनराशि जारी की गई है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान राज्य के कितने जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) गुजरात सहित 13 राज्यों में आदिवासियों के बीच कुपोषण/भूखमरी को मद्देनजर रखते हुए संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचान किए गए सुदूर तथा पिछड़े आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों की मृत्यु के विरुद्ध एक निवारणात्मक उपाय के रूप में वर्ष 1996-97 के दौरान ग्रामीण अनाज बैंक की योजना शुरू की गई थी।

इस योजना के अंतर्गत एक ग्रामीण अनाज बैंक स्थापित करने के लिए 100 परिवारों के लिए एक क्विंटल प्रति परिवार खाद्यान्न क्रय करने, माप तोल लागत और भंडारण सुविधाओं के लिए एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाता है। एक सदस्य-परिवार अभाव समय के दौरान बैंक से खाद्यान्न उधार ले सकता है तथा बाद में उनको भुगतान कर सकता हैं। ये निधियां आदिवासी सहकारी विपणन विकास परिसंघ को निर्मुक्त की जाती है जो इसके बदले में अनाज बैंक स्थापित करने के लिए प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार राज्य सरकारों को अनुदान निर्मुक्त करता है।

(ग) और (घ) इस योजना का कार्यान्वियन वर्ष 1996 से आरंभ हुआ। वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान 28 तथा 30 बैंक स्थापित करने के लिए राज्य को क्रमशः 17.92 लाख तथा 19.20 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए थे जिससे अभाव समय के दौरान लगभग 5800 आदिवासी परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर 1998-99 के लिए अनुदान निर्मुक्त किया जाएगा।

[हिन्दी]

बलात्कारियों को मृत्युदण्ड

265. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार अब भी अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुलिस अधिनियम, 1861 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का अनुपालन कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बलात्कारियों को मृत्युदण्ड का प्रावधान करने वाला विधेयक पुरःस्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो ऐसा विधेयक कब तक पुरःस्थापित किया जाएगा;

(ङ.) क्या सरकार ने इस अधिनियम का दुरुपयोग रोकने के लिए इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) विभिन्न राज्य सरकारों ने अपनी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 में संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर संशोधन किए हैं। अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में भी समय-समय पर संशोधन किया गया है।

(ग) से (च) बलात्कारियों को मृत्यु दण्ड देने के प्रश्न पर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के साथ बातचीत कर रही है। आवश्यक विधायन बनाते समय मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

[अनुवाद]

दृष्टिहीन बच्चों के लिए शिक्षा

266. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजनाएं किन-किन राज्यों में कार्यान्वित की जा रही हैं;

(घ) उन राज्यों को अंध विद्यालय और दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अन्य संस्थान चलाने के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ.) इन विद्यालयों में कितने दृष्टिहीन बच्चें अध्ययन कर रहे हैं?

सामजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) हालांकि दृष्टिहीन बच्चों को शिक्षा देने के लिए कोई विशेष योजना नहीं है फिर भी इस मंत्रालय द्वारा विकलांगों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान नामक एक योजना लागू की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत, दृष्टिबाधित बच्चों सहित विकलांगों को शिक्षा देने के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास के लिए स्वयसेवी संगठनों को सहायता अनुदान दिया जाता है।

(ग) से (ङ.) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपए लाख में)

क्र० सं०	राज्य	संगठन का नाम	1996-97 में निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थियों की संख्या	1997-98 निर्मुक्त धनराशि	लाभार्थियों की संख्या
1	दिल्ली	नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड	1.77	32	1.88	42
2	उड़ीसा	निवांचन सेवा प्रतिष्ठान	6.17	76	5.41	76
3	आन्ध्र प्रदेश	नवजीवन ब्लाइंड सेंटर	3.30	50	3.32	50
4	तमिलनाडु	इंडियन एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड	3.86	88	4.12	91
5	हरियाणा	आल इंडिया कानफेडरेशन आफ दि ब्लाइंड	2.43	31	3.16	55

[हिन्दी]

शारीरिक विकलांग संस्थान

267. **श्री सुरेश चन्देल** :

श्री महेश्वर सिंह :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध विकलांग जन संस्थान द्वारा चलाए जा रहे साढ़े तीन वर्ष का बी० एस० सी० (आनर्स) फिजियोथेरेपी और बी० एस० सी० (आनर्स) व्यवसायिक

शिक्षा पाठ्यक्रम अन्य संस्थानों द्वारा चलाए जा रहे इसी तरह के साढ़े चार वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रम की तुलना में निम्नस्तर के हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार शारीरिक विकलांग संस्थान द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों की अवधि बढ़ा कर साढ़े चार वर्ष करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) विकलांग जन संस्थान का बी॰ एस॰ सी॰ (आनर्स) भौतिक चिकित्सा व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम जो 3½ वर्षों की अवधि के हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। ये पाठ्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय की आवश्यकता के अनुसार संचालित किए जाते हैं। यद्यपि कुछ संस्थानों में ओटी/पीटी पाठ्यक्रम 4½ वर्षों की अवधि का है फिर भी अवधि में भिन्नता के कारण इसकी तुलना नहीं की जा सकती।

(ग) से (ड.) विकलांग जन संस्थान के भौतिक चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रमों को भारतीय पुनर्वास परिषद के दायरे में लाया गया है। पाठ्यक्रम की अवधि का निर्णय भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा किया जाएगा।

गो संरक्षण

268. **श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :**

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न हिस्सों में गो संरक्षण उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो गो संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) राज्य नीति के निदेशात्मक मूल तत्वों में से एक यह व्यादेश देता है कि "राज्य, कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नसलों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध का प्रतिवेद करने के लिए कदम उठाएगा। तथापि, संविधान की सावतीं अनुसूची की सूची-।। तहत पशु-संरक्षण एक ऐसा मामला है जिस पर राज्य विधानमण्डल को विधायन बनाने का अन्नय अधिकर प्राप्त है।

निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों ने गाय और उसकी सन्तति की हत्या को रोकने संबंधी विधायन बनाए हैं:-

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अण्डमान और निकोबार द्वीप-समूह, चण्डीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन-दीव और पांडिचेरी।

तथापि, अरुणाचल प्रदेश, केरल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप ने ऐसा कोई विधायन नहीं बनाया है।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का पुनर्गठन

269. **श्री पंकज चौधरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का पुनरुद्धार करने और विश्व चिकित्सा पद्धति में भारतीय चिकित्सा पद्धति के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस पर गहन वैज्ञानिक अनुसंधान, विश्लेषण और प्रयोग करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) भारतीय चिकित्सा पद्धति जिसमें आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, योग, प्राकृतिक चिकित्सा तथा होम्योपैथी सम्मिलित हैं, को बढ़ावा देने और प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी (आई एस एम एंड एच) के एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना मार्च, 1995 में की है। आयुर्वेद समेत इन पद्धतियों का विकास और संवर्धन करने के लिए विभाग ने प्रतिबल वाले क्षेत्रों का निर्धारण किया है। ये हैं:- शिक्षा, औषधों का मानकीकरण, कच्ची सामग्रियों की उपलब्धता बढ़ाना, अनुसंधान और विकास, सूचना, शिक्षा तथा संचार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भागीदारी। इन प्रतिबल वाले क्षेत्रों के लिए स्कीमें शुरू की गई हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में व्यवस्थित रूप से अनुसंधान करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति और होमियोपैथी विभाग के अंतर्गत केन्द्रीय आयुर्वेद तथा सिद्ध अनुसंधान परिषद नामक एक अनुसंधान परिषद पहले से ही है जो आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के और विकास के लिए और वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य अनुसंधान में लगी हुई है ताकि यह पद्धति इस देश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने में और कारगर भूमिका निभा सके।

तेल की खोज संबंधी समझौते

270. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी :**

श्री महबूब जहेदी :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ :

श्री सुनील खां :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 18 क्षेत्रों में तेल की खोज और उत्पादन के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारतीय तथा विदेशी कंपनियों के साथ सहयोग समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक किन-किन कंपनियों के ठेके दिए गए हैं तथा समझौते की शर्तें क्या हैं;

(ग) ऐसे तेल क्षेत्रों की संख्या कितनी है जिनके लिए ठेके दिए जा चुके हैं तथा इन तेल क्षेत्रों में से प्रत्येक में अनुमानित तेल भण्डार कितना है;

(घ) इस पर होने वाली निवेश की अनुमानित राशि कितनी है; और

(ङ.) अब तक कितने ठेके कार्यान्वित किये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) 1992 के बाद से सरकार ने तेल और गैस के अन्वेषण के लिए अन्वेषण ब्लाकों के संबंध में 22 संविदाओं और खोजे गए क्षेत्रों के विकास और उत्पादन के लिए 17 संविदाओं पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इन संविदाओं का ब्यौरा विवरण - I के रूप में संलग्न है। अन्वेषण ब्लाकों की संविदाएं उत्पादन हिस्सेदारी संविदाएं हैं और कच्चे तेल और सहबद्ध गैस के मामले में संविदा अवधि 25 वर्ष तक है।

कंपनियों को बोनसों ओर सांविधिक उद्ग्रहणो के भुगतान से छूट है। भारत सरकार को इन संविदाओं के अंतर्गत उत्पादित तेल के संबंध में अस्वीकृत का प्रथम अधिकार होगा और कंपनी को अंतराष्ट्रीय मूल्यों पर तेल के हिस्से का भुगतान किया जाएगा। अन्वेषण और/अथवा विकास चरण पर उद्यम में ओ एन जी सी/ओ आई एल द्वारा प्रतिभागिता का प्रावधान किया गया है और ओ एन जी सी/ओ आई एल उद्यम में 40 प्रतिशत तक प्रतिभागिता हित ले सकते हैं। वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य प्राकृतिक गैस संसाधनों के विकास के लिए भी प्रावधान किए गए है इन संविदाओं के विकास के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इन संविदाओं के तहत भारत सरकार द्वारा कोई व्यय नहीं किया जाता।

5 मध्यम आकार के खोजे गए क्षेत्रों के लिए सरकार, ओ एन जी सी और ओ आई एल के बीच संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनमें ओ एन जी सी अथवा ओ आई एल के पास उद्यम में 40 प्रतिशत प्रतिभागिता है। छोटे आकार के क्षेत्रों के लिए सरकार और सफल बोलीदाता कंपनियों के बीच संविदाओं पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं और ओ एन सी/ओ आई एल के पास छोटे आकार के क्षेत्र की संविदओं में कोई प्रतिभागिता हित नहीं है। संविदाकारों को सारे सांविधिक उदग्रहणों और बोनसों का भुगतान करना होता है। संविदाकारों को आयात शुल्कों के भुगतान से छूट है। सरकार को इन संविदाओं के अंतर्गत उत्पादित सारे तेल को अंतरराष्ट्रीय मूल्य पर खरीदने के संबंध में अस्वीकृति का प्रथम अधिकार है। प्राकृतिक गैस के विपणन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

(ग) जहां तक अन्वेषण ब्लाकों का संबंध है, दो ब्लाकों को छोड़कर इन ब्लाकों में अभी अन्वेषणात्मक/विकास वेधन के माध्यम से संरचनाओं की खोज/स्थापना की जानी है। ब्लाक के भीतर तेल/गैस भंडारों का अनुमान नहीं लगाया गया है। एक अन्वेषण ब्लाक अर्थात् सी वाई-ओ एस-90/1 के मामले में 7.45 एम एम टी के अनुमानित अंतिम भंडारों सहित उत्पादन हो रहा है और एक अन्वेषण ब्लाक के-जी-ओ एस/90 के संबंध में संविदा समाप्त कर दी गई है। 17 पी एस सीज खोजे गए क्षेत्रों के लिए अंतिम भंडार संलग्न विवरण-।। में निर्दिष्ट है।

(घ) इन ब्लाकों और क्षेत्रों में व्यय की अनुमानित राशि लगभग 2.0 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है।

(ङ.) इन ब्लाकों/क्षेत्रों में कार्य संबंधित संविवाओं के निबंधनों के अनुसार कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

विवरण-I

उन 22 अन्वेषण ब्लाकों की सूची जिनके लिए संविदाएं 1992 के बाद से हस्ताक्षरित की गई हैं

क्र॰ सं॰	ब्लाक	कंपनी/परिसंघ का नाम	
1	2	3	
1) .	केजी-ओएस-90/1	हार्डी आयल एण्ड गैस, यू॰ के॰ हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं॰ (एच ओ ई सी), इंडिया नीको रिर्सोसेस, कनाडा नागार्जुन उर्वरक और रसायन लि॰, भारत	संविदा समाप्त कर दी गई।

1	2	3	
2)	जी एन-ओएन-90/3	एच ओ ई सी, इंडिया मफतलाल इंडस्ट्रीज, इंडिया	
3)	सीवाई-ओएस-90/1	हार्डी आयल एण्ड गैस, यू के एच ओ ई सी, इंडिया टाटा पेट्रोडाइन लि॰, इंडिया	वाणिज्यिक उत्पादन के अधीन
4)	आरजे-ओएन-90/1	शैल इंडिया प्रोडक्शन डिवेलपमेंट बी वी, नीदरलैंड	
5)	बीबी-ओएस/5	एस्सार आयल लि॰, इंडिया	
6)	सीवाई-ओएस/2	हार्डी आयल एण्ड गैस, यू के एच ओ ई सी, इंडिया टाटा पेट्रोडाइन लि॰ इंडिया	
7)	आरजे-ओएन-90/4	एस्सार आयल लि॰, इंडिया पोलिश आयल एण्ड गैस कं॰, पोलैण्ड	
8)	आरजे-ओएन-90/5	एस्सार आयल लि॰, इंडिया पोलिश आयल एण्ड गैस कं॰, पौलेण्ड	
9)	सीबी-ओएस/1	हार्डी आयल एण्ड गैस, यू के एच ओ ई सी, इंडिया टाटा पेट्रोडाइन लि॰, इंडिया	
10)	जीके-ओएन-90/2	ओकलैण्ड इंटरनेशनल एल डी सी, यू एस ए	
11)	जी के-ओस-/5	ओकलैण्ड इंटरनेशनल एल डी सी, यू एस ए	
12)	सीबी-ओएन/1	ओकलैण्ड इंटरनेशनल एल डी सी, यू एस ए	
13)	एए-ओएन/3	ओकलैण्ड इंटरनेशनल एल डी सी, यू एस ए	
14)	सीबी-ओएन/3	एस्सार आयल लि॰	
15)	केजी-ओएन/1	दुल्लू आयल पीएलसी, आयरलैण्ड जे टी आई, यू एस ए लार्सन एण्ड टूब्रो लि॰, इंडिया	
16)	जीके-ओएसजे/1	दुल्लू आयल पीएलसी, आयरलैण्ड जे टी आई, यू एस ए लार्सन एण्ड टूब्रो लि॰, इंडिया	
17)	केजी-ओएस/6	केर्न्स एनर्जी, अस्ट्रेलिया वीडियोकॉन इंटरनेशनल लि॰, इंडिया	
18)	सीबी-ओएस/2	केर्न्स एनजी, अस्ट्रेलिया टाटा पेट्रोडाइन लि॰, इंडिया	
19)	एएपी-ओएन-94/1	हिन्दुस्तान आयल एक्सप्लोरेशन कं॰ लि॰ (एच ओ ई सी), इंडिया जनरल फाइबर्स डीलर्स लि॰, इंडिया	

1	2	3
20)	जी के-ओएन/4	फीनिक्स ओवरसीज लि॰, इंडिया
21)	आरजे-ओएन/6	फीनिक्स ओवरसीज लि॰; इंडिया
22)	सीआर-ओएन-90/1	एस्सार आयल लि॰, एच ओ ई सी

विवरण-II

उन 18 क्षेत्रों की सूची जिनके लिए संविदाओं पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

क्र॰ सं॰	क्षेत्र	कंपनी/परिसंघ का नाम प्रतिशत प्रतिभागिता हित	अंतिम भंडार (तेल+तेल समकक्ष गैस) एमएमटी में (पूर्व-पी एस सी)
1	2	3	4
मध्यम आकार के क्षेत्र			
1)	पन्ना और मुक्ता	एनरान एक्सप्लोरेशन कं॰, यू एस ए (30 प्र॰) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि॰, इंडिया (30 प्र॰) ओ एन जी सी (40 प्रतिशत)	37.29
2)	मध्य और दक्षिण ताप्ती	एनरान एक्सप्लोरेशन कं॰, यू एस ए (30 प्र॰) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि॰, इंडिया (30 प्र॰) ओ एन जी सी (40 प्र॰)	31.16
3)	राव्वा	कैरिन्स एनर्जी, अस्ट्रेलिया (22.5 प्र॰) राव्वा (आयल) सिंगापुर, सिंगापुर (12.5 प्र॰) वीडियोकॉन पेट्रोलियम, इंडिया (25 प्र॰) ओ एन जी सी (40 प्र॰)	17.94
4)	खरसांग	जियोपेट्रोल इंटरनेशनल, फ्रांस (25 प्र॰) एनप्रो इंडिया लि॰, इंडिया (25 प्र॰) जियोएनप्रो लि॰, इंडिया (10 प्र॰) आयल इंडिया लि॰, (40 प्र॰)	4.68
मध्यम आकार के क्षेत्र			
5)	हाजीरा	नीको रिर्सोसेस, कनाडा (33 प्र॰) ओ एस पी सी, इंडिया (67 प्र॰)	नगण्य
6)	भांवुत	नीको रिर्सोसेस, कनाडा (33 प्र॰) जी एस पी सी, इंडिया (67 प्र॰)	-वही-
7)	मातार	नीको रिर्सोसेस, कनाडा (33 प्र॰) जी एस पी सी, इंडिया (67 प्र॰)	-वही-
8)	कैम्बे	नीको रिसोर्सेस, कनाडा (33 प्र॰) जी एस पी सी, इंडिया (67 प्र॰)	2.69

1	2	3	4
9)	साबरमती	नीको रिर्सोसेस, कनाडा (33 प्र०) जी एस पी सी, इंडिया (67 प्र०)	नगण्य
10)	असजोल	पेट्रोडाइन इंक०, यू एस ए (10 प्र०) एच ओ ई सी, इंडिया (40 प्र०) जी एस पी सी, इंडिया (50 प्र०)	0.10
11)	ढ़ोलका	जोशी टैक्नोलाजी इंक, यू एस ए (50 प्र०) एल एण्ड टी, इंडिया (50 प्र०)	नगण्य
12)	वेवल	जोशी टैक्नोलाजी इंक, यू एस ए (50 प्र०) एल एण्ड टी, इंडिया (50 प्र०)	-वही-
13)	पी वाई-।	मोशबेचर एनर्जी, यू एस ए (50 प्र०) पेट्रोडाइन इंक०, यू एस ए (10 प्र०) एच ओ ई सी, इंडिया (40 प्र०)	4.80
14)	इन्दोरा	सेलन एक्सप्लोरेशन टैक्नोलाजी लि० (100 प्र०)	नगण्य
15)	बकरोल	-वही-	नगण्य
16)	लोहार	-वही-	नगण्य
17)	बवोला	इंटरलिंक पेट्रोलियम लि० (100 प्र०)	नगण्य

प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र

271. **श्री मणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री डी० एस० अहिरे :

श्री रंजीब बिस्वाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य में किन-किन स्थानों पर तथा कितने प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र, परिवार योजना केन्द्र, सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र तथा उपकेन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र तथा राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम कार्यरत हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इन केन्द्रों को कितनी धनराशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या सरकार का विचार 9वीं योजना के दौरान राज्यों में और ऐसे केन्द्र खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) इस समय देश में कार्यरत 22962 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 2708 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 136815 उपकेन्द्र, 550 जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र, 1012 उपजिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र, 1083 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र, 871 स्वास्थ्य केन्द्र तथा बंध्यीकरण पलंग स्कीम के तहत 3170 पलंग हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों एवं ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों का राज्यवार विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-। तथा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्रों, उप जिला प्रसवोत्तर केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा बंध्यीकरण पलंग स्कीम के तहत पलंगों का राज्यवार तथा अवस्थितिवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ख) ब्यौरा संलग्न-विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) और (घ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उप केन्द्रों के लिए 9 वीं योजना के लक्ष्यों को संलग्न विवरण-V पर देखा जा सकता है। ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों, जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्रों, उपजिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्रों, शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों, शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों तथा बंध्यीकरण पलंग स्कीम के तहत पलंगों के संबंध में 9 वीं योजना के लक्ष्य को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण-I

1991 की जनसंख्या के अनुसार अपेक्षित और 31.12.1997 की स्थिति के अनुसार कार्यरत उप केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को दर्शाने वाला विवरण

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उपकेन्द्र			प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र			सामुदायिक स्वा. केन्द्र		
		अपेक्षित	कार्यरत	कमी	अपेक्षित	कार्यरत	कमी	अपेक्षित	कार्यरत	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	10242	10568	*	1707	1335	372	427	207	220
2.	अरुणाचल	220	245	*	37	47	*	9	9	-
3.	असम	4356	5280	*	726	619	107	181	105	76
4.	बिहार	15825	14799	1026	2637	2209	428	659	148	511
5.	गोवा	138	172	*	23	18	5	6	5	1
6.	गुजरात	6168	7274	*	1028	960	68	257	186	71
7.	हरियाणा	2482	2299	183	414	398	16	103	64	39
8.	हिमाचल प्रदेश	973	2093	*	162	315	*	40	55	*
9.	जम्मू और कश्मीर	1176	1700	*	196	337	*	49	45	4
10.	कर्नाटक	6431	8143	*	1072	1601	*	268	242	26
11.	केरल	4325	5094	*	721	956	*	180	80	100
12.	मध्य प्रदेश	12122	11938	184	2020	1814	206	505	198	307
13.	महाराष्ट्र	10533	9725	808	1756	1695	61	439	304	135
14.	मणिपुर	344	420	*	57	72	*	14	16	
15.	मेघालय	464	377	87	77	82	*	19	13	6
16.	मिजोरम	122	324	*	20	38	*	5	6	-
17.	नागालैंड	325	244	81	54	33	21	14	5	9
18.	उड़ीसा	6374	5927	447	1062	1352	*	265	157	108
19.	पंजाब	2858	2852	6	476	484	*	119	105	14
20.	राजस्थान	7484	9650	*	1247	1636	*	312	261	51
21.	सिक्किम	85	147	*	14	24	*	4	2	2
22.	तमिलनाडु	7424	8681	*	1237	1436	*	309	72	237
23.	त्रिपुरा	579	537	42	96	56	40	24	11	13
24.	उत्तर प्रदेश	22337	20153	2184	3723	3808	*	931	310	621
25.	पश्चिम बंगाल	10356	7873	2483	1726	1556	170	431	89	342

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26. अंड निको. द्वीपसमूह	45	97	*	7	17	*	2	4	-	
27. चंडीगढ़	13	12	1	2	--	2	1	1	-	
28. दादरा और नागर हवेली	40	34	6	7	6	1	2	-	2	
29. दमण और दीप	12	21	*	2	3	*	1	1	-	
30. दिल्ली	190	42	148	32	8	24	8	--	8	
31. लक्षद्वीप	7	14	*	1	4	*	--	3	-	
32. पांडिचेरी	58	80	*	10	43	*	3	4	-	
अखिल भारत	134108	136815	7686	22349	22962	1521	5587	2708	2903	

(आंकड़े अंतिम हैं)

-- : शून्य

*: सरप्लस आधारभूत ढांचा

सरप्लस आधारभूत ढांचे (*) वाले राज्यों को छोड़ कर

विवरण-II

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	420
2.	असम	146
3.	बिहार	587
4.	गुजरात	251
5.	हरियाणा	93
6.	हिमाचल प्रदेश	77
7.	जम्मू और कश्मीर	82
8.	कर्नाटक	269
9.	केरल	163
10.	मध्य प्रदेश	460
11.	महाराष्ट्र	428
12.	मणिपुर	31
13.	मेघालय	23
14.	नागालैंड	7
15.	उड़ीसा	314
16.	पंजाब	129
17.	राजस्थान	232
18.	सिक्किम	15
19.	तमिलनाडु	383
20.	त्रिपुरा	35
21.	उत्तर प्रदेश	907
22.	पश्चिम बंगाल	335
23.	चंडीगढ़	1
24.	दिल्ली	8
25.	गोवा	13
26.	मिजोरम	14
27.	पांडिचेरी	12
28.	अरुणाचल प्रदेश	-
	कुल	5435

विवरण-III

जिन स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्रों की सूची

एचसी	प्रसवोत्तर केन्द्र का नाम	टीसी	एसी	जिला	डीसी
1	2	3	4	5	6
			आन्ध्र प्रदेश		
1.	जिला हैडक्वार्टर्स, हस्पताल, आदिलाबाद	4	2	आदिलाबाद	1
2.	जिला हैडक्वार्टर्स, हस्पताल, अनन्तपुर	3	2	अनन्तपुर	2
3.	जिला हैडक्वार्टर्स, हस्पताल, चित्तूर	3	2	चित्तूर	3
4.	श्री रामनारायन रूइया होस्पिटल, तिरूपति	1	2	चित्तूर	3
5.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, कुड्डापा	3	2	कुड्प्पा	4
6.	रेंगारैया मेडिकल कालेज, काकीनाडा	1	2	गोदावरी (ईस्ट)	5
7.	गर्व॰ हैड क्वाटर्स होस्पिटल, राजामुन्दरी	4	2	गोदावरी (ईस्ट)	5
8.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, इलूरू	3	2	गोदावरी (पश्चिम)	6
9.	गर्व॰ मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, गुंटूर	1	2	गुंटूर	7
10.	गर्व॰ मेडिकल कॉलेज एण्ड होस्पिटल, हैदराबाद	1	2	हैदराबाद	8
11.	नीलूफर होस्पिटल, हैदराबाद	2	4	हैदराबाद	8
12.	आंध्रा महिला सभा हॉस्पिटल, हैदराबाद	3	4	हैदराबाद	8
13.	गर्व॰ होस्पिटल, सुल्तान बाजार, हैदराबाद	2	2	हैदराबाद	8
14	ई॰ एस॰ आई॰ हॉस्पिटल, संत नगर, हैदराबाद	3	5	हैदराबाद	8
15.	गांधी मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, सिकन्दर सिकन्दराबाद	1	2	हैदराबाद	8
16.	डिस्ट्रिक हैडक्वार्टर्स, करीमनगर	3	2	करीमनगर	9
17.	डिस्ट्रिक हैडक्वार्टर्स, होस्पिटल, खम्माम	4	2	खम्माम	10
18.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, मछलीपट्नम	3	2	कृष्णा	11
19.	गर्व॰ जनरल होस्पिटल (मेडिकल कालेज), कुरनूल	1	2	कुरनूल	12
20.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, मेहबूबनगर	3	2	मेहबूबनगर	13
21.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, संगारेड्डी	4	2	मेडक	14
22.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, नालगोंडा	3	2	नालगोंडा	15
23.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, नेल्लोर	3	2	नेल्लोर	16
24.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, निजामाबाद	4	2	निजामाबाद	17

1	2	3	4	5	6
25.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, अंगोले	4	2	पराकाशम	18
26.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, श्रीकाकूलम	4	2	श्रीकाकूलम	20
27.	किंग जार्ज होस्पिटल (एएमसी) विशाखापटनम	1	2	विशाखापटनम	21
28.	एम॰ जी॰ एम॰ होस्टिपटल (काकाटैया एम॰ सी॰) वारांगल	1	2	वारांगल	23
	असम				
1.	सिल्चर मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, सिल्चर	1	2	कछार	2
2.	सिविल होस्पिटल, धुबरी	4	2	धुबरी	4
3.	असम मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, डिब्रूगढ़	1	2	डिब्रूगढ़	5
4.	सिविल होस्पिटल, जोरहाट	4	2	जोरहाट	7
5.	मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, गुवाहटी	1	2	कामरूप	9
6.	सिविल होस्पिटल, दिफू	4	2	करबी-अंगलोंग	8
7.	सिविल होस्पिटल, लखीमपुर	4	2	लखीमपुर	12
8.	सिविल होस्पिटल, हाफ्लोंग	4	2	एन॰ कछार हिल	14
9.	सिविल होस्पिटल, नौगांव	4	2	नौगांव	15
10.	सिविल होस्पिटल, गोलाहाट	4	2	सिबसागर	16
11.	सिविल होस्पिटल, तेजपुर	4	2	सोनीतपुर	17
	बिहार				
1.	सदर होस्पिटल, औरंगाबाद	2	2	औरंगाबाद	2
2.	सदर होस्पिटल, बेगूसराय	3	2	बेगूसराय	3
3.	भागलपुर मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, भागलपुर	1	2	भागलपुर	4
4.	सदर होस्पिटल, आरा	3	2	भोजपुर	5
5.	सदर होस्पिटल, मोतीहारी	2	2	चंपारन (ईस्ट)	6
6.	एम॰ के॰ होस्पिटल, बेतिया	2	2	चम्पारन (वेस्ट)	7
7	दरभंगा मेडि॰ कालेज एण्ड होस्पिटल, लहरसराय	1	2	दरभंगा	8
8.	सदर होस्पिटल, धनबाद	2	2	धनबाद	10
9.	पाटिलीपुत्र मेडिकल कालेज धनबाद	1	2	धनबाद	10
10.	मगध मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, गया	1	2	गया	12
11.	लेडी एलजीन जनाना होस्पिटल, गया	2	2	गया	12
12.	सदर होस्पिटल, गिरिडीह	2	2	गिरिडीह	13
13.	सदर होस्पिटल, हजारीबाग	3	2	हजारीबाग	17

1	2	3	4	5	6
14.	सदर होस्पिटल, कटिहार	3	2	कटिहार	18
15.	सदर होस्पिटल, मधुबनी	2	2	मधुबनी	22
16.	सदर होस्पिटल, मुंगेर	3	2	मुंगेर	23
17.	श्री कृष्णा मेडिकल कालेज, मुज्जफरपुर	1	2	मुज्जफरपुर	24
18.	सदर होस्पिटल, मुज्जफरपुर	3	2	मुज्जफरपुर	24
19.	सदर होस्पिटल, बिहार शरीफ	3	2	नालंदा	25
20.	सदर होस्पिटल, नवादा	3	2	नवादा	26
21.	सदर होस्पिटल, डाल्टनगंज	3	2	पलामाऊ	27
22.	सदर होस्पिटल, गोपालगंज	3	2	गोपालगंज	15
23.	नालंदा मेडिकल कालेज होस्पिटल, पटना	1	2	पटना	28
24.	पटना मेडिकल कालेज, पटना	1	2	पटना	28
25.	सदर होस्पिटल, पूर्णिया	3	2	पूर्णिया	29
26.	डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल, रांची	3	2	रांची	30
27.	सदर होस्पिटल, (राजेन्द्र मेडि. कालेज), रांची	1	2	रांची	30
28.	सदर होस्पिटल, सासाराम	3	2	रोहताश	31
29.	सदर होस्पिटल, सासाराम	3	2	सहरसा	32
30.	सदर होस्पिटल, समस्तीपुर	2	2	समस्तीपुर	33
31.	सदर होस्पिटल, दुमका	3	2	संथाल पड़	34
32.	सदर होस्पिटल, छपरा	3	2	सरन	35
33.	गर्व॰ होस्पिटल, एण्ड मेडि॰ कालेज, जमशेदपुर	1	2	सिंहभूम (ई॰)	36
34.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, छाईबासा	2	2	सिंहभूम (वे॰)	37
35.	सदर होस्पिटल, सीतामढ़ी	2	2	सीतामढ़ी	38
36.	सदर होस्पिटल, सीवान	2	2	सीवान	39
37.	सदर होस्पिटल, वैशाली	2	2	वैशाली	40
		गोवा			
1.	पेडिट्रिक्स वार्ड सियोलिन एसोलो, मूपका	4	2	गोवा	1
2.	राबीन्द्रा होस्पिटल एंड मेडि॰ कालेज, पणजी	1	2	गोवा	1
3.	कोटेज होस्पिटल, छिकालिम, गोवा	4	2	गोवा	1
4.	होपिसियो होस्पिटल, मारगोवा	3	2	गोवा	1

1	2	3	4	5	6
	गुजरात				
1.	वी॰ एस॰ जन॰ होस्पिटल एंड मेडि॰ कालेज, अहमदाबाद	1	2	अहमदाबाद	1
2.	बी॰ जे॰ मेडिकल कालेज, अहमदाबाद	1	2	अहमदाबाद	1
3.	शारदाबेन म्युनिसिपल होस्पिटल, अहमदाबाद	2	3	अहमदाबाद	1
4.	ई॰ एस॰ आई॰ जन॰ होस्पिटल, बापूनगर अहमदाबाद	2	5	अहमदाबाद	1
5.	सेठ एल॰ जी॰ जनरल होस्पिटल, अहमदाबाद	2	3	अहमदाबाद	1
6.	विक्टोरिया जुबली होस्पिटल, अहमदाबाद	3	4	अहमदाबाद	1
7.	सिविल होस्पिटल, अमरेली	4	2	अमरेली	2
8.	सिविल होस्पिटल, पालनपुर	4	2	बनासकांठा	3
9.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बराउच	4	2	बराउच	4
10.	सर टी॰ होस्पिटल एण्ड सी॰ एम॰ होम, भावनगर	4	4	भावनगर	5
11.	के॰ के॰ होस्पिटल, सेवर कुण्डला	4	2	भावनगर	5
12.	डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल, आहवा	4	4	अहवा	6
13.	सिविल होस्पिटल, गांधी नगर	4	2	गांधी नगर	7
14.	एम॰ पी॰ शाह मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, जामनगर	1	2	जामनगर	8
15.	जनरल होस्पिटल, जूनागढ़	3	2	जूनागढ़	9
16.	जी॰ के॰ जनरल होस्पिटल, भुज	3	2	कच्छाछ-भुज	10
17.	म्युनिसिपल होस्पिटल, आनंद	4	3	खेडा	11
18.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, खेडा	4	2	खेडा	11
19.	गर्वनमेंट होस्पिटल, नाडियाड	4	2	खेडा	11
20.	म्यूनिसिपल जनरल होस्पिटल, कालोल	4	3	मेहसाना	12
21.	जनरल होस्पिटल, विशम नगर, मेहसाणा	2	2	मेहसाणा	12
22.	सिविल होस्पिटल, मेहसाणा	4	2	मेहसाणा	12
23.	जनरल होस्पिटल, पाटन	4	2	मेहसाणा	12
24.	म्युनिसिपल जनरल होस्पिटल, सिद्धपुर	3	3	मेहसाणा	12
25.	सिविल होस्पिटल, गोधरा	4	2	पांच महल	13
26.	गर्व॰ होस्पिटल (रसूलकांजी) जनाना होस्पिटल, राजकोट	2	2	राजकोट	14
27.	सिविल होस्पिटल, हिम्मतनगर	4	2	सबरकांठा	15
28.	गर्व॰ मेडिकल कालेज, सूरत	1	2	सूरत	16

1	2	3	4	5	6
29.	आर॰ के॰ होस्पिटल (डिस्ट्रिक होस्पिटल), लिम्डी	4	2	सुरेन्द्रनगर	17
30.	एम॰ जी॰ स्मारक होस्पिटल, सुरेन्द्र नगर	4	2	सुरेन्द्रनगर	17
31.	जमनाबाई होस्पिटल, वाडोदरा	2	3	वाडोदरा	18
32.	एस॰ एस॰ जी॰ होस्पिटल एंड मेडि॰ कालेज, वडोदरा	1	2	वडोदरा	18
33.	एम॰ जी॰ जी॰ होस्पिटल, नवसराय	4	3	वल्साड	19
	हरियाणा				
1.	सिविल होस्पिटल, अम्बाला	4	2	अम्बाला	1
2.	जनरल होस्पिटल, भिवानी	4	2	भिवानी	2
3.	ई॰ एस॰ आई॰ होस्पिटल, फरिदाबाद	4	5	फरीदाबाद	3
4.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, गुडगांव	3	2	गुडगांव	4
5.	सिविल होस्पिटल, हिसार	4	2	हिसार	5
6.	जनरल होस्पिटल, जीन्द	4	2	जीन्द	6
7.	जनरल होस्पिटल, करनाल	4	2	करनाल	8
8.	बी॰ एम॰ सी॰ होस्पिटल, कुरुक्षेत्र	4	2	कुरुक्षेत्र	9
9.	जनरल होस्पिटल, नारनौल	3	2	महेन्द्रगढ़	10
10.	गर्व॰ मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, रोहतक	1	2	रोहतक	13
11.	सिविल होस्पिटल, रोहतक	4	2	रोहतक	13
12.	सिविल होस्पिटल, सिरसा	4	2	सिरसा	14
13.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सोनीपत	3	2	सोनीपत	15
	हिमाचल प्रदेश				
1.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बिलासपुर	4	2	बिलासपुर	1
2.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, चम्बा	4	2	चम्बा	2
3.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, हमीरपुर	4	2	हमीरपुर	3
4.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, धर्मशाला	4	2	कांगड़ा	4
5.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, कुल्लू	4	2	कुल्लू	6
6.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, मण्डी	4	2	मण्डी	8
7.	रिप्पोन होस्पिटल, शिमला	4	2	शिमला	9
8.	इंदिरा गांधी मेडिकल कालेज, शिमला	1	2	शिमला	9
9.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, नहान	4	2	सिरमौर	10
10.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सोलन	4	2	सोलन	11
11.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, उना	4	2	उना	12

1	2	3	4	5	6
	जम्मू और कश्मीर				
1.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, अनन्तनाग	4	2	अनन्तनाग	1
2.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बारामुल्ला	4	2	बारामुल्ला	2
3.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, डोडा	4	2	डोडा	4
4.	एम० एन० जी० एस० होस्पिटल एंड गर्व, मेडिकल कालेज जम्मू तवी	1	2	जम्मू	5
5.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, गांधी नगर, जम्मू तवी	4	2	जम्मू	5
6.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, कथुआ	4	2	कथुआ	7
7.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, लेह	4	2	लेह	9
8.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, राजौरई	4	2	राजौरई	12
9.	गर्व० मेडिकल कालेज एंड होस्पिटल, श्रीनगर	1	2	श्रीनगर	13
10.	जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल होस्पिटल, श्रीनगर	4	2	श्रीनगर	13
11.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, उधमपुर	4	2	उधमपुर	14
	कर्नाटक				
1.	एच० एस० आई० एस० गोशान होस्पिटल, बंगलौर	2	2	बंगलौर (यू)	2
2.	वानी विलास होस्पिटल (मेडि० कालेज), बंगलौर	1	2	बंगलौर (यू)	2
3.	बोवरिंग एंड लेडी कर्जन होस्पिटल, बंगलौर	2	4	बंगलौर (यू)	2
4.	ई० एस० आई० होस्पिटल, बंगलौर	2	5	बंगलौर (यू)	2
5.	के० सी० जनरल होस्पिटल, मल्लेशवरम, बंगलौर	2	2	बंगलौर (यू)	2
6.	म्युनिसिपल डिस्पेंसरी, अथणी	4	3	बेलगम	3
7.	म्युनिसिपल होस्पिटल, बेथंगल	4	3	बेलगम	3
8.	डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल, (मेडिकल कालेज), बेलगम	1	2	बेलगम	3
9.	टी० बी० डिस्पेंसरी, चिक्कोडी	4	3	बेलगम	3
10.	म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी, नीपनी	4	3	बेलगम	3
11.	म्यूनिसिपल डिस्पेंसरी, रामदुर्ग	4	3	बेलगम	3
12.	मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, बैल्लारी	1	2	बेल्लारी	4
13.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बिदर	3	2	बिदर	5
14.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बीजापुर	4	2	बीजापुर	6
15.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, चिकमंगलूर	3	2	चिकमंगलूर	7
16.	जे० जे० एम० मेडिकल कालेज, दवंगेरे	1	2	चितरदुर्ग	8

1	2	3	4	5	6
17.	सिविल होस्पिटल, हरीबार	4	2	चितरदुर्ग	8
18.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, चितरदुर्ग	3	2	चितरदुर्ग	8
19.	गर्व॰ हैड क्वार्टर्स होस्पिटल, मेडि॰ कालेज, मनीपाल	1	2	दक्षिण कन्नाडा	9
20.	वेनलॉक एण्ड लेडी गोशम हॉस्पिटल, मंगलौर	2	2	दक्षिण कन्नाडा	9
21.	सिविल होस्पिटल, धारवाड	4	2	धारवाड	10
22.	गर्वनमेंट, होस्पिटल, सवनूर	4	2	धारवाड	10
23.	कर्नाटका मेडिकल कालेज, हुबली	1	2	धारवाड	10
24.	छितगुपी होस्पिटल, हुबली	4	2	धारवाड	10
25.	एम॰ आर॰ मेडिकल कालेज, गुलबर्गा	1	2	गुलबर्गा	11
26.	श्री चमा राजेन्द्रा होस्पिटल, हसन	2	2	हसन	12
27.	सिविल होस्पिटल, मेडकरा	4	2	कोडागू	13
28.	जनरल होस्पिटल, सोमवरपथ	4	2	कोडागू	13
29.	सिविल होस्पिटल, विजयपेट	4	2	कोडागू	13
30.	श्री नरसिमा राजा होस्पिटल, कोलार	3	2	कोलार	14
31.	सिविल होस्पिटल, के॰ जी॰ एफ॰ कोलार	3	2	कोलार	14
32.	जनरल होस्पिटल, मण्डया	3	2	मण्डया	15
33.	छालूवामबा होस्पिटल (मेडि॰ कोलज), मैसूर	1	2	मैसूर	16
34.	सेंट मोहनदास टी. दास वोमन होस्पिटल, मैसूर	3	3	मैसूर	16
35.	सिविल होस्पिटल, रायचूर	4	2	रायचूर	17
36.	जी॰ जनरल होस्पिटल, शिमोगा	3	2	शिमोगा	18
37.	जे॰ सी॰ होस्पिटल, तिरूथल्लाई	4	2	शिमोगा	18
38.	जनरल होस्पिटल, तुमकुर	3	2	तुमकुर	19
39.	सिविल होस्पिटल, कारवाड	4	2	उत्तर कांडा	20
	केरल				
1.	वोमन एंड चिल्ड्रन होस्पिटल, अलाप्पूझा	2	2	अलापूप्झा	1
2.	टी.डी. मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, अलाप्पूझा	1	2	अलाप्पूझा	1
3.	एन॰ एस॰ एस॰ मेडिकल मिशन होस्पिटल, पंडलिम	4	4	अलाप्पूझा	1
4.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, कन्नूर	2	2	कन्नूर	4
5.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, मनन्थावडे	4	2	वैनाड	14
6.	जनरल होस्पिटल, एर्नाकुलम	2	2	एर्नाकुलम	2

1	2	3	4	5	6
7.	मलंकारा मेडिकल मिशन होस्पिटल, कोलेंच	4	4	एर्नाकुलम	2
8.	वोमन एंड चिल्ड्रन होस्पिटल, मट्टाचेरी	2	2	एर्नाकुलम	2
9.	सेंट थोमस मिशन होस्पिटल, क्ट्टापाना	3	4	इडुक्की	3
10.	गर्वनमेंट होस्पिटल, थोडुपुझा	4	2	इडुक्की	3
11.	मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, कोट्टायम	1	2	कोट्टायम	7
12.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, कोट्टायम	2	2	कोट्टायम	7
13.	मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, कोझीकोडे	1	2	कोझीकोडे	8
14.	वोमन एण्ड चिल्ड्रन होस्पिटल, कोझीकोडे	3	2	कोझीकोडे	8
15.	डिस्ट्रिक हैडक्वार्टस होस्पिटल, मालापुरम	4	2	मालापुरम	9
16.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, पालाक्काड	2	2	पालाक्काड	10
17.	विक्टोरिया होस्पिटल, कोल्लाम	2	2	कोल्लाम	6
18.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, थिरीस्सुर	2	2	थिरीस्सूर	12
19.	गर्वनमेंट होस्पिटल, कुन्नामकुलम	4	2	थिरीस्सूर	12
20.	एस॰ ए॰ टी॰ होस्पिटल (मेडि॰ कालेज), थिरूवनंथाप॰	1	2	त्रिवेन्द्रम	13
21.	वोमेन एण्ड चिल्ड्रन होस्पिटल, थिरूवनंथाप॰	2	2	त्रिवेन्द्रम	13
22.	एस॰ एस॰ श्री नारायन मेडि॰ मिशन होस्पिटल, वरकला	4	4	त्रिवेन्द्रम	13
	मध्य प्रदेश				
1.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, वालाघाट	4	2	वालाघाट	1
2.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, जगदलपुर	3	2	बस्तर	2
3.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, वेतूल	4	2	बेतूल	3
4.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, भिण्ड	3	2	भिण्ड	4
5.	सुल्तानिया जनाना होस्पिटल एण्ड मेडिकल कालेज, भोपाल	1	2	भोपाल	5
6.	तुलसी नगर होस्पिटल, भोपाल	3	2	भोपाल	5
7.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, विलासपुर	3	2	बिलासपुर	6
8.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, छत्तरपुर	3	2	छत्तरपुर	7
9.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, छिन्दवाड़ा	3	2	छिन्दवाड़ा	8
10.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, दमोह	4	2	दमोह	9
11.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, दतिया	3	2	दतिया	10

1	2	3	4	5	6
12.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, देवास	3	2	देवास	11
13.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, धार	3	2	धार	12
14.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, दुर्ग	3	2	दुर्ग	13
15.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, गुना	3	2	गुना	14
16.	जी॰ आर॰ मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, ग्वालियर	1	2	ग्वालियर	15
17.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, होशंगाबाद	3	2	होशंगाबाद	16
18.	महाराजा यशवंतराव होस्पिटल, एंड एम॰ सी॰ इंदौर	1	2	इंदौर	17
19.	मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, जबलपुर	1	2	जबलपुर	18
20.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, झबूआ	4	2	झबूआ	19
21.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, मंडला	4	2	मंडला	20
22.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, मंदसौर	3	2	मंदसौर	21
23.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, मौरेना	2	2	मौरेना	22
24.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, नरसिंहपुर	4	2	नरसिंहपुर	23
25.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, खंडवा	3	2	निमाड (ई)	24
26.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बडवानी	3	2	डिबडवानी (वे॰)	25
27.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, पन्ना	4	2	पन्ना	26
28.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, राजगढ़	4	2	राजगढ़	30
29.	के॰ जी॰ होस्पिटल, रायगढ़	4	2	रायगढ़	27
30.	मेटरनिटी होस्पिटल एण्ड मेडि॰ कोलेज, रायपुर	1	2	रायपुर	28
31.	धामतरी क्रिशिचयन होस्पिटल, धामतरी	4	4	रायपुर	28
32.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, रायसेन	4	2	रायसेन	29
33.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, राजनंदगांव	4	2	राजनंदगांव	31
34.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, रतलाम	3	2	रतलाम	32
35.	एस॰ एस॰ मेडिकल कालेज॰ रीवा	1	2	रीवा	33
36.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सागर	3	2	सागर	34
37.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सतना	3	2	सतना	35
38.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सियोर	3	2	सियोर	36
39.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सियोनी	4	2	सियोनी	37
40.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, शहडौल	4	2	शहडौल	38

1	2	3	4	5	6
41.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, शाजापुर	3	2	शाजापुर	39
42.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, शिवपुरी	3	2	शिवपुरी	40
43.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सिधी	4	2	सिधी	41
44.	रघुनाथ होस्पिटल, अम्बिकानगर	4	2	सुरगुजा	42
45.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, टिकमगढ़	4	2	टिकमगढ़	43
46.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, उज्जैन	2	2	उज्जैन	44
47.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, विदिशा	3	2	विदिशा	45
	महाराष्ट्र				
1.	जनरल होस्पिटल, अहमदनगर	4	2	अहमदनगर	1
2.	डिस्ट्रिक होस्पिटल फार वोमन, अकोला	2	2	अकोला	2
3.	लेडी डफरिंग होस्पिटल, मुरतीजापुर	4	2	अकोला	2
4.	डिस्ट्रिक होस्पिटल फार वोमन, अमरावती	2	2	अमरावती	3
5.	जनरल होस्पिटल एण्ड मेडिकल कालेज, औरंगाबाद	1	2	औरंगाबाद	4
6.	एस डब्ल्यु॰ रामा नन्द तीरथ मेडिकल कालेज, अम्बाजोगी	1	2	बीड	5
7.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बीड	4	2	बीड	5
8.	जनरल होस्पिटल, भंडारा	4	2	भंडारा	6
9.	बी॰ जी॰ वोमनस होस्पिटल, गोंदिया	3	2	भंडारा	6
10.	एस॰ बी॰ गर्वनमेंट होस्पिटल, तुमसर	3	2	भंडारा	6
11.	सेठ जी॰ एस॰ मेडिकल कालेज, बम्बई	1	2	मुम्बई	7
12.	टोपीवाला मेडिनेशनल मेडिकल कालेज, मुम्बई	1	2	मुम्बई	7
13.	फैमिली वेल्फेयर होस्पिटल, पारले, मुम्बई	4	3	मुम्बई	7
14.	सेंट जार्ज होस्पिटल, मुम्बई	4	2	मुम्बई	7
15.	जे॰ जे॰ ग्रुप आफ होस्पिटलस (ग्रान्ट एम॰ सी॰) मुम्बई	1	2	मुम्बई	7
16.	लोकमान्य तिलक मेमोरियल होस्पिटल एण्ड एम॰ सी॰, मुम्बई	1	2	मुम्बई	7
17.	नौरोजी वाडिया मेटरनिटी होस्पिटल, मुम्बई	2	4	मुम्बई	7
18.	डा॰ आर॰ एन॰ कपूर म्यूनि॰ होस्पिटल, जुहू, मुम्बई	2	3	मुम्बई	7
19.	कामा एण्ड एलबेस होस्पिटल, मुम्बई	2	4	मुम्बई	7
20.	जनरल होस्पिटल, बुलडाणा	3	2	बुलडाणा	8
21.	जनरल होस्पिटल, चन्द्रपुर	2	2	चन्द्रपुर	9

1	2	3	4	5	6
22.	जनरल होस्पिटल, धूले	3	2	धूले	10
23.	जनरल होस्पिटल, जलगांव	3	2	जलगांव	12
24.	कोट्टेज होस्पिटल, जालना	3	2	जालना	13
25.	सावित्री बाई फूले होस्पिटल, कोल्हापुर	3	3	कोल्हापुर	14
26.	सी॰ पी॰ आर॰ जनरल होस्पिटल, कोल्हापुर	2	2	कोल्हापुर	14
27.	जनरल होस्पिटल, रायगढ़, अलीबाग	4	2	कुलाबा	15
28.	म्युनिसिपिल होस्पिटल, लातूर	3	3	लातूर	16
29.	गर्व॰ मेडिकल कालेज, नागपुर	1	2	नागपुर	17
30.	मायो जनरल होस्पिटल (म्यूनि॰ एम॰ सी॰) नागपुर	1	2	नागपुर	17
31.	दागा मैमोरियल होस्पिटल, नागपुर	2	2	नागपुर	17
32.	मटरू सेवासंघ होस्पिटल, सीतावुल्डी	2	4	नागपुर	17
33.	गुरू गोविंद सिंह मैमोरियल होस्पिटल, नांदेड	3	2	नांदेड	18
34.	सिविल होस्पिटल, नासिक	3	2	नासिक	19
35.	जनरल होस्पिटल, उस्मानावाद	4	2	उस्मानाबाद	20
36.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, परभनी	4	2	परभनी	21
37.	एन॰ एम॰ वादिया होस्पिटल, शुकरावाड पेथ, पुणे	4	4	पुणे	22
38.	सोनावाणे मेटरनिटी होस्पिटल, भवानीपेथ, पुणे	2	2	पुणे	22
39.	सासाउन जनरल होस्पिटल, (वी॰ जे॰ एम॰ सी॰) पुणे	1	2	पुणे	22
40.	के॰ ई॰ एम॰ होस्पिटल, रस्ता पेथ, पुणे	3	4	पुणे	22
41.	तालेगांव जनरल होस्पिटल, तालेगांव	4	4	पुणे	22
42.	सिविल होस्पिटल, रतनगिरी	4	2	रतनगिरी	23
43.	जनरल होस्पिटल एण्ड मिराज मेडि॰ कालेज, मिराज	1	2	सांगली	24
44.	जनरल होस्पिटल, सतारा	4	2	सतारा	25
45.	वाइक मेटरनिटी होम, शोलापुर	2	3	शोलापुर	26
46.	जनरल होस्पिटल (वी॰ एम॰ मेडि॰ कालेज), शोलापुर	1	2	शोलापुर	26
47.	एन॰ एम॰ वाडिया चेरीटेबल होस्पिटल, शोलापुर	4	4	शोलापुर	26
48.	वी॰ एस॰ जनरल होस्पिटल, थाणे	3	2	थाणे	28
49.	एम॰ जी॰ इंस्टी॰ आफ मेडि॰ साइंसेज, सेवाग्राम	1	2	वर्धा	29
50.	जनरल होस्पिटल, वर्धा	4	2	वर्धा	29
51.	म्यूनिसिपल होस्पिटल, पुसाड	4	3	यवतमाल	30
52.	वोमनस होस्पिटल, यवतमाल	2	2	यवतमाल	30

1	2	3	4	5	6
		मणिपुर			
1.	साउथ डिस्ट्रिक होस्पिटल, चुराचांदपुर	4	2	चुराचांदपुर	3
2.	सेंट्रल डिस्ट्रिक होस्पिटल, इम्फाल	2	2	इम्फाल	4
3.	रिजनल मेडिकल कालेज, इम्फाल	1	2	इम्फाल	4
		मेघालय			
1.	सिविल होस्पिटल, तुरा	4	2	गारो हिल्स (वेस्ट)	2
2.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, जोवाई	4	2	2 जैनतियां हिल्स	3
3.	गणेश दास होस्पिटल, शिलांग	2	2	खासी हिल्स (ईस्ट)	4
		मिजोरम			
1.	सिविल होस्पिटल, एज़वाल	4	2	एजवाल (ईस्ट)	1
2.	सिविल होस्पिटल, लुंगलेई	4	2	लुंगलेई	4
3.	सेन्ट्रल होस्पिटल, होकोहिमा	4	2	कोहिमा	1
		उड़ीसा			
1.	डिस्ट्रिक हैड क्वार्टस होस्पिटल, बालासोर	4	2	बालासोर	1
2.	डिस्ट्रिक हैड क्वाटर्स होस्पिटल, बालासोर	3	2	बालासोर	2
3.	एस॰ सी॰ बी॰ मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, कटक	1	2	कटक	3
4.	सिटी होस्पिटल, कटक	4	2	कटक	3
5.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, धेनकनाल	4	2	कटक	4
6.	एम॰ के॰ सी॰ जी॰ मेडिकल कालेज, ब्रह्मपुर	1	2	गंजम	5
7.	बपतीस मिशन होस्पि॰ शेरंगो, ब्रह्मपुर	3	4	गंजम	5
8.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, ब्रह्मपुर	4	2	गंजम	5
9.	हैडक्वाटर्स होस्पिटल, भवानीपट्नम	4	2	कालीहांडी	6
10.	डिस्ट्रिक हैड क्वाटर्स होस्पिटल, क्योंझर	4	2	क्योंझर	7
11.	डिस्ट्रिक हैड क्वाटर्स होस्पिटल, कोरापुट	4	2	कोरापुट	8
12.	हैड क्वाटर्स होस्पिटल, बारीपाडा	2	2	मयूरभंज	9
13.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, फुलबनी	4	2	फुलवनी	10
14.	एन॰ ए॰ होस्पिटल, भुवनेश्वर	4	3	पुरी	11
15.	कैपिटल होस्पिटल, भुवनेश्वर	3	2	पुरी	11
16.	हैड क्वाटर्स होस्पिटल, पुरी	4	2	पुरी	11
17.	डिस्ट्रिक हैड क्वाटर्स होस्पिटल, संभलपुर	3	2	संभलपुर	12

1	2	3	4	5	6
18.	वी॰ एस॰ एस॰ मेडिकल कालेज, बुरला, संभलपुर	1	2	संभलपुर	12
19.	हैड क्वार्टर्स होस्पिटल, सुन्दरगढ़	4	2	सुन्दरगढ़	13
	पंजाब				
1.	मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, अमृतसर	1	2	अमृतसर	1
2.	पी॰ डब्लयु जैड॰ म्यूनिसिपल कारपोरेशन होस्पिटल, अमृतसर	4	3	अमृतसर	1
3.	सिविल होस्पिटल, भटिंडा	3	2	भटिंडा	2
4.	गुरू गोबिन्द सिंह मेडि॰ कालेज, फरीदकोट	1	2	फरीदकोट	4
5.	सिविल होस्पिटल, फिरोजपुर	4	2	फिरोजपुर	5
6.	मेटरनिटी, बटाला	4	2	गुरदासपुर	6
7.	सिविल होस्पिटल, गुरदासपुर	4	2	गुरदासपुर	6
8.	सिविल होस्पिटल, होशियारपुर	4	2	होशियारपुर	7
9.	सिविल होस्पिटल, जालंधर	2	2	जालंधर	8
10.	सिविल होस्पिटल, कपूरथला	4	2	कपूरथला	9
11.	लार्ड महावीर सिविल होस्पिटल, लुधियाना	4	2	लुधियाना	10
12.	दयानन्द मेडि॰ कालेज एण्ड होस्पिटल, लुधियाना	1	4	लुधियाना	10
13.	क्रिशियन मेडि॰ कालेज एण्ड होस्पिटल, लुधियाना	1	2	लुधियाना	10
14.	लुधियाना मेटरनिटी होस्पिटल, लुधियाना	3	4	लुधियाना	10
15.	लंगसगोडान होस्पिटल, नाभा	3	2	पटियाला	12
16.	लेडी डफरीन होस्पिटल, पटियाला	2	4	पटियाला	12
17.	मेडि॰ कालेज एण्ड राजेन्द्रा होस्पिटल, पटियाला	1	2	पटियाला	12
18.	सिविल होस्पिटल, रूपनगर	4	2	रूपनगर	13
19.	सिविल होस्पिटल, संगरूर	3	2	संगरूर	14
	राजस्थान				
1.	जे॰ एल॰ एन॰ मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, अजमेर	1	2	अजमेर	1
2.	ए॰ के॰ होस्पिटल, व्यावार	4	2	अजमेर	1
3.	जनरल होस्पिटल, अलवर	2	2	अलवर	2
4.	जनरल होस्पिटल, बांसवाड़ा	4	2	बांसवाड़ा	3
5.	जनरल होस्पिटल, बाडमेर	4	2	बाडमेर	5
6.	जनरल होस्पिटल, भरतपुर	2	2	भरतपुर	6

1	2	3	4	5	6
7.	मेटरनिटी होस्पिटल, भीलवाड़ा	4	2	भीलवाडा	7
8.	आर॰ बी॰ एम॰ वोमनस होस्पिटल (मेडि॰ कालेज) बीकानेर	1	2	बीकानेर	8
9.	जनरल होस्पिटल, बूंदी	4	2	बूंदी	9
10.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, चित्तौड़गढ़	4	2	चित्तौड़गढ़	10
11.	जनाना होस्पिटल, प्रतापगढ़	4	2	चित्तौड़गढ़	10
12.	एस॰ सी॰ बी॰ वोमेनस होस्पिटल, रतनगढ़	4	2	चूरू	11
13.	जनरल होस्पिटल, धौलपुर	4	2	धौलपुर	13
14.	जनरल होस्पिटल, डूंगरपुर	4	2	डूंगरपुर	14
15.	एस॰ एस॰ एम॰ मेडिकल कालेज, जयपुर	1	2	जयपुर	15
16.	इंडियन रैड क्रास सोसायटी होस्पिटल, जयपुर	4	4	जयपुर	15
17.	एम॰ सी॰ एच॰ एंड अरबन एफडब्ल्युसी, चौड़ा रास्ता जयपुर	4	2	जयपुर	15
18.	एम॰ सी॰ डब्ल्यू एंड अरबन एफ डब्ल्यु सेन्टर, रामगंज जयपुर	4	2	जयपुर	15
19.	श्री जवाहर होस्पिटल, जैसलमेर	4	2	जैसलमेर	16
20.	जनरल होस्पिटल, जालोर	4	2	जालोर	17
21.	महिला चिकित्सालय, झालावाड़	4	2	झालावाड़	18
22.	बी॰ डी॰ के॰ होस्पिटल, झुंझुनू	4	2	झुंझुनु	19
23.	डा॰ एस॰ एन॰ मेडिकल कालेज, जोधपुर	1	2	जोधपुर	20
24.	जे॰ के॰ ला॰ लोन होस्पिटल, कोटा	2	2	कोटा	21
25.	गर्वमेंट होस्पिटल, नागौर	4	2	नागौर	22
26.	बंगर होस्पिटल, पाली	4	2	पाली	23
27.	गवर्नमेंट होस्पिटल, कारौली	4	2	सवाई माधोपुर	25
28.	जनरल होस्पिटल, सवाई माधोपुर	4	2	सवाई माधोपुर	25
29.	गर्व॰ जनरल होस्पिटल, श्री गंगानगर	4	2	श्री गंगानगर	28
30.	म्यूनिसिपल होस्पिटल, श्री गंगानगर	4	3	श्री गंगानगर	28
31.	श्री कल्याण होस्पिटल, सीकर	4	2	सीकर	26
32.	जनाना होस्पिटल, सिरोही	4	2	सिरोही	27
33.	जनाना होस्पिटल, टोंक	4	2	टोंक	29
34.	जनाना होस्पिटल (आर एन टी मेडि॰ कालेज), उदयपुर	1	2	उदयपुर	30
35.	कस्तूरबा मटर्नमंदिर नर्सिंग होम, उदयपुर	4	4	उदयपुर	30

1	2	3	4	5	6
		सिक्किम			
1.	एस॰ टी॰ एन॰ एम॰ होस्पिटल, गंगटोक	4	2	ईस्ट डिस्ट्रिक	1
		तमिलनाडु			
1.	मेडिकल कालेज, होस्पिटल, चिंगलेपुट	1	2	चेंगई एम॰ जी॰ आर॰	1
2.	डिस्ट्रिक हैड क्वार्टस, होस्पिटल, कांछीपुरम	2	2	चेंगई एम॰ जी॰ आर	1
3.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, तूतीकोरिन	3	2	चेंगई एम॰ जी॰ आर	1
4.	कोयम्बटूर मेडिकल कालेज, कोयम्बटूर	1	2	कोयम्बटूर	3
5.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, धर्मपुरी	३	2	धर्मपुरी	4
6.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, डिंडीगुल	2	2	डिंडीगुल आना	5
7.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, नागेरकोइल	3	2	कन्याकुमारी	7
8.	कम्यूनिटि वेलफेयर सेंटर, पुलियांथोपे, मद्रास	3	3	मद्रास	८
9.	गर्व॰ किलपौक मेडिकल कालेज, मद्रास	1	2	मद्रास	८
10.	गर्व॰ आर॰ एस॰ आर॰ एम॰ एलाइनिंग इन होस्पिटल, मद्रास	1	2	मद्रास	८
11.	इंस्टी॰ आफ ओवीएसटी एंड ग्याने एम॰ सी॰ एजमोर, मद्रास	1	2	मद्रास	8
12.	कस्तूरबा गांधी होस्पिटल, मद्रास	2	2	मद्रास	8
13.	मेटरनिटी हाउस, संजीवरसनपेटई, मद्रास	3	3	मद्रास	८
14.	आंध्रा महिला सभा नर्सिंग होम, मद्रास	2	4	मद्रास	८
15.	कम्यूनिटी वेलफेयर, वडपलानी, मद्रास	3	3	मद्रास	८
16.	मेटरनिटी हाउस, साइदापेट, मद्रास	3	3	मद्रास	8
17.	क्रिश्चियन मिशन होस्पिटल, मदुरै	3	4	मदुरै	9
18.	गर्व॰ एरसकीन होस्पिटल, मदुरै	1	2	मदुरै	9
19.	कस्तूरबा होस्पिटल, गांधीग्राम, मदुरै	4	4	मदुरै	९
20.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, वेल्लोर	2	2	एन॰ ए॰ अम्बेडकर	10
21.	क्रिश्चियन मेडिकल कालेज, वेल्लोर	1	4	एन॰ ए॰ अम्बेडकर	10
22.	मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, तिरूवेल्लई	1	2	कट्टाबोम्मनम	12
23.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, ओटाकमूंड	3	2	नील गिरिस	13
24.	थानथाई पेरीयर हैड क्वार्टस होस्पिटल, इरोड	2	2	पेरियर	14
25.	गर्व॰ हैड क्वार्टस होस्पिटल, पोदूकोट्टाई	3	2	पोदूकोट्टाई	15
26.	डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल, रामानाथापुरम	3	2	रामाड	17

1	2	3	4	5	6
27.	डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर्स होस्पिटल, स्लेम	2	2	स्लेम	18
28.	डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल, कुडालोर	2	2	साउथ अरकोट	19
29.	डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल, नागापटनम	3	2	थंजावूर	20
30.	गर्व॰ राजा मिरासदार होस्पिटल (एम॰ सी॰) थंजावूर	1	2	थंजावूर	20
31.	मेटिरनिटी होस्पिटल सेंटर, तिरूथिरापल्लई	4	3	तिरूथिरापल्लई	22
32.	डिस्ट्रिक्ट होस्पिटल, तिरूथिरापल्लई	2	2	तिरूथिरापल्लई	22
	त्रिपुरा				
1.	गोविन्द बल्लभ पन्त होस्पिटल, अगरतला	2	2	वेस्ट त्रिपुरा	4
	उत्तर प्रदेश				
1.	एन॰ एन॰ मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, आगरा	1	2	आगरा	1
2.	एल॰ एम॰ एण्ड दुफ्फरिन होस्पिटल, आगरा	2	4	आगरा	1
3.	जे॰ एल॰ एन॰ मेडिकल कालेज, अलीगढ़	1	2	अलीगढ़	2
4.	वोमेनस होस्पिटल, अलीगढ़	2	2	अलीगढ़	2
5.	एम॰ एल॰ एन॰ मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	1	2	इलाहाबाद	3
6.	दुफ्फरिन होस्पिटल, इलाहाबाद	2	2	इलाहाबाद	3
7.	कमला नेहरू होस्पिटल, इलाहाबाद	2	4	इलाहाबाद	3
8.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, अल्मोड़ा	3	2	अल्मोड़ा	4
9.	डिस्ट्रिक वोमेन्स होस्पिटल, आजमगढ़	2	2	आजमगढ़	5
10.	क्रिश्चियन होस्पिटल, आजमगढ़	4	4	आजमगढ़	5
11.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बदायूं	4	2	बादायू	6
12.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बहराइच	3	2	बहराइच	7
13.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बलिया	2	2	बलिया	8
14.	डिस्ट्रिक वोमेनस होस्पिटल, बांदा	4	2	बांदा	9
15.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बाराबंकी	2	2	बाराबंकी	10
16.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बरेली	2	2	बरेली	11
17.	वोमेनस होस्पिटल, बस्ती	2	2	बस्ती	12
18.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, बिजनौर	4	2	बिजनौर	13
19.	वोमेनस होस्पिटल, बुलन्दशहर	3	2	बुलन्दशहर	14
20.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, चमोली	4	2	चमोली	15
21.	वोमेन्स होस्पिटल, देहरादून	2	2	देहरादून	16

1	2	3	4	5	6
22.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, दियोराई	3	2	दियोराई	17
23.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, एटा	3	2	एटा	18
24.	क्रिश्चियन होस्पिटल, एटा	4	4	एटा	18
25.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, इटावा	2	2	इटावा	19
26.	दुफ्फरिनस होस्पिटल, फैजाबाद	2	2	फैजाबाद	20
27.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, फतेहगढ़	3	2	फर्रुखाबाद	21
28.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, फतेहपुर	4	2	फतेहपुर	22
29.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, गाजियाबाद	2	2	गाजियाबाद	24
30.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, गाजीपुर	2	2	गाजीपुर	25
31.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, गोंडा	2	2	गोंडा	26
32.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, गोरखपुर	2	2	गोरखपुर	27
33.	बर्ड मेडिकल कालेज होस्पिटल, गोरखपुर	1	2	गोरखपुर	27
34.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, हमीरपुर	4	2	हमीरपुर	28
35.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, हरदोई	3	2	हरदोई	29
36.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, उरई	3	2	जालौन	31
37.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, जौनपुर	2	2	जौनपुर	32
38.	एम॰ एल॰ बी॰ मेडिकल कालेज, झांसी	1	2	झांसी	33
39.	अकरमेन होली मेमोरियल होस्पिटल, झांसी	4	4	झासी	33
40.	वोमेनस होस्पिटल, झांसी	2	2	झांसी	33
41.	जे॰ ए॰ एम॰ होस्पिटल, गोबिन्दनगर, कानपुर	3	2	कानपुर (अरबन)	35
42.	ए॰ एच॰ एम॰ दुफ्फरिन होस्पिटल, कानपुर	2	4	कानपुर (अरबन)	35
43.	यूएसआईई मेटरनिटी होस्पिटल, (जीएसवीएम एम सी) कानपुर	1	2	कानपुर (अरबन)	35
44.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, खेरी	3	2	खेरी	36
45.	वोमेनस होस्पिटल, ललितपुर	4	2	ललितपुर	37
46.	वोमेनस होस्पिटल, लखनऊ	2	2	लखनऊ	38
47.	क्वीन मेरीस होस्पिटल (मेडि॰ कालेज), लखनऊ	1	2	लखनऊ	38
48.	वोमेनस होस्पिटल, मैनपुरी	3	2	मैनपुरी	40
49.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, मथुरा	3	2	मथुरा	41
50.	मेथोदिस्ट मिशन होस्पिटल, जयसिंहपुरा मथुरा	4	4	मथुरा	41

1	2	3	4	5	6
51.	एल॰ एल॰ आर॰ एम॰ मेडिकल कालेज, मेरठ	1	2	मेरठ	43
52.	दुफ्फरिन होस्पिटल, मेरठ	2	2	मेरठ	43
53.	फिमेल होस्पिटल, मिर्जापुर	3	2	मिर्जापुर	44
54.	वोमेन्स होस्पिटल, मुरादाबाद	2	2	मुरादाबाद	45
55.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, मुज्जफर नगर	2	2	मुज्जफर नगर	46
56.	एल॰ डी॰ भट्ट होस्पिटल, काशीपुर	4	2	नैनीताल	47
57.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, प्रतापगढ़	2	2	प्रतापगढ़	48
58.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, पौढ़ी गढ़वाल	4	2	पौढ़ी गढ़वाल	49
59.	वोमेन्स होस्पिटल, पीलीभीत	3	2	पीलीभीत	50
60.	डिस्ट्रिक वोमेन्स होस्पिटल, पिथौरागढ़	4	2	पिथौरागढ़	51
61.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, रायबरेली	3	2	रायबरेली	52
62.	वोमेनस होस्पिटल, रामपुर	4	2	रामपुर	53
63.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सहारनपुर	3	2	सहारनपुर	54
64.	वोमेनस होस्पिटल, शाहजहांपुर	3	2	शाहजहांपुर	55
65.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सीतापुर	2	2	सीतापुर	57
66.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सुल्तानपुर	3	2	सुल्तानपुर	59
67.	वोमेनस होस्पिटल, टेहरी गढ़वाल	4	2	टेहरी गढ़वाल	60
68.	डिस्ट्रिक्ट वोमेन्स होस्पिटल, उन्नाव	4	2	उन्नाव	61
69.	वोमेनस होस्पिटल, उत्तरकाशी	4	2	उत्तरकाशी	62
70.	इंस्टी॰ आफ मेडिकल साइंस (भु॰), वाराणसी	1	2	वाराणसी	63
71.	श्री राम लक्ष्मी नारायण होस्पिटल, वाराणसी	3	4	वाराणसी	63
72.	इश्वरी मेमोरियल होस्पिटल, वाराणसी	2	4	वाराणसी	63
	पश्चिम बंगाल				
1.	एम॰ आर॰ बंगूर होस्पिटल, तोल्लैगंज, कलकत्ता	2	2	24-परगना (एन)	1
2.	जनरल होस्पिटल (मेडि॰ कालेज), बंकूरा	1	2	बंकूरा	3
3.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, सूरी	2	2	बीरभूम	4
4.	बिधन चन्द्रा होस्पिटल, (एम॰ सी॰) बुरदावान	1	2	बुरदवान	5
5.	पोस्ट ग्रेज्युऐट मेडि॰ इस्टीटयूट, कलकत्ता	1	2	कलकत्ता	6
6.	नीलरतन सिरचर मेडि॰ कालेज, कलकत्ता	1	2	कलकत्ता	6
7.	आर॰ जी॰ कार मेडिकल कालेज, कलकत्ता	1	2	कलकत्ता	6

1	2	3	4	5	6
8.	जनरल होस्पिटल, (कलकत्ता एम॰ सी॰) कलकत्ता	1	2	कलकत्ता	6
9.	मेडिकल कालेज एण्ड होस्पिटल, कलकत्ता	1	2	कलकत्ता	6
10.	अविनाश दत्ता मेटरनिटी होम, कलकत्ता	2	2	कलकत्ता	6
11.	आर॰ के॰ मिशन सेवा प्रतिष्ठान, कलकत्ता	2	4	कलकत्ता	6
12.	चिट॰ सेवा सदन, भवानीपुर, कलकत्ता	2	2	कलकत्ता	6
13.	लेडी डुफ्फरिन वी॰ होस्पिटल, कलकत्ता	2	2	कलकत्ता	6
14.	एम॰ जे॰ एन॰ डिस्ट्रिक होस्पिटल, कूच बेहड	2	2	कूछबिहड़	7
15.	एन॰ बी॰ यू॰ मेडिकल कालेज, दार्जिलिंग	1	2	दार्जिलिंग	8
16.	विक्टोरिया होस्पिटल, दार्जिलिंग	2	2	दार्जिलिंग	8
17.	सदर होस्पिटल, बलुरघाट	2	2	दीनाजपुर (एन)	9
18.	डिस्ट्रिक होस्पिटल, हुगली	2	2	हुगली	12
19.	टी. एल. जाईसवाल अस्पताल, हावड़ा	2	2	हावड़ा	13
20.	हावड़ा जनरल अस्पताल, हावड़ा	2	2	हावड़ा	13
21.	सदर अस्पताल, जलपाईगुड़ी	2	2	जलपाईगुड़ी	14
22.	जिला अस्पताल, मालदा	2	2	मालदा	15
23.	सदर के॰ ई॰ एम॰ अस्पताल, मिदनापुर	2	2	मिदनापुर	16
24.	बरहामपुर सदर अस्पताल, मुर्शिदाबाद	2	2	मुर्शिदाबाद	17
25.	जे॰ एन॰ एम॰ अस्पताल, कल्याणी	2	2	नाडिया	18
26.	सदर अस्पताल, कृष्णा नगर	2	2	नाडिया	18
27.	सदर अस्पताल, पुरलिया	2	2	पुरलिया	19
	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह				
1.	गोविन्द बल्लभ पन्त अस्पताल, पोर्ट ब्लेयर	3	2	अंडमान	1
	चंडीगढ़				
1.	पी॰ जी॰ आई॰ एम॰ ई॰ आर॰ चंडीगढ़	1	2	चंडीगढ़	1
2.	सिविल अस्पताल, चंडीगढ़	2	2	चंडीगढ़	1
	दिल्ली				
1.	@हिन्दू राव अस्पताल, दिल्ली	2	3	दिल्ली	1
2.	@कस्तूरबा अस्पताल, जामा मस्जिद, दिल्ली	2	3	दिल्ली	1

1	2	3	4	5	6
3.	@दयानंद अस्पताल, शाहदरा, दिल्ली	2	3	दिल्ली	1
4.	$गिरिधारी मेटरनिटी अस्पताल, दिल्ली	2	4	दिल्ली	1
5.	$सेंट स्टीफन अस्पताल तीस हजारी, दिल्ली	2	4	दिल्ली	1
6.	*एम॰ ए॰ एम॰ कालेज और एल एन जे पी अस्पताल, नई दिल्ली	1	2	दिल्ली	2
7.	$डा॰ बी॰ एल॰ कपूर मेटरनिटी अस्पताल, नई दिल्ली	2	4	नई दिल्ली	2
8.	ई॰ एस॰ आई॰ अस्पताल, बसई दारापुर, नई दिल्ली	3	5	नई दिल्ली	2
9.	$एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, आर॰ के॰ पुरम, नई दिल्ली	4	4	नई दिल्ली	2
	पांडिचेरी				
1.	जनरल अस्पताल, कराईकेल	3	2	कराईकेल	1
2.	जनरल अस्पताल, मेहे	4	2	मेहे	2
3.	गवर्नमेंट मेटरनिटी अस्पताल, पांडिचेरी	2	2	पांडिचेरी	3
	केन्द्रीय क्षेत्र				
1.	रूरल फॅमिली प्लानिंग ट्रेनिंग केन्द्र, बम्बई	3	1	बम्बई	1
2.	केन्द्रीय अस्पताल, कल्ला (पश्चिम बंगाल)	4	5	बुर्दवान	2
3.	केन्द्रीय अस्पताल, धनबाद	3	5	धनबाद (बिहार)	3
4.	*आल इंडिया इंस्टी॰ आफ॰ मेडि॰ साईंसिज, नई दिल्ली	1	5	नई दिल्ली	4
5.	*लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	1	1	नई दिल्ली	4
6.	डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	2	1	नई दिल्ली	4
7.	सी॰ जी॰ एच॰ एस॰ मेटरनिटी अस्प॰ आर॰ के॰ पुरम नई दिल्ली	3	1	नई दिल्ली	4
8.	रूरल हैल्थ ट्रेनिंग केन्द्र, नजफगढ़	3	1	नई दिल्ली	4
9.	सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली	2	1	नई दिल्ली	4
	जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्र				
10.	जे॰ आई॰ पी॰ एम॰ आर॰ पांडिचेरी	1	1	पांडिचेरी	5
11.	आर्म्डफोर्सेज मेडिकल कालेज पुणे	1	2	पुणे	6
12.	आई॰ एस॰ पी॰ ए॰ टी॰ जनरल हास्पिटल राउरकेला (उड़ीसा)	2	5	सुन्दरगढ़	7

एच॰ सी॰ -अस्पताल कोड डी॰ सी॰-जिला कोड ए॰ सी॰-नियंत्रक एजेंसी कोड

टाइप - प्रसवोत्तर केन्द्रकी टाइप

टाइप कोड 1 - ए टाइप शिक्षण

टाइप कोड 2 - ए टाइप गैर-शिक्षण

टाइप कोड 3 - बी टाइप

टाइप कोड 4 - सी टाइप

एजेंसी कोड 1 - केन्द्रीय क्षेत्र

एजेंसी कोड 2 - राज्य सरकार

एजेंसी कोड 3 - स्थानीय निकाय

एजेंसी कोड 4 - स्वैच्छिक संगठन

एजेंसी कोड 5-अन्य

उप जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्रों की सूची

एचसी	प्रसवोत्तर केन्द्र का नाम	पिन	डी नाम	डी.सी.
1	2	3	4	5
1.	गवर्नमेंट हास्पिटल	निर्मल-504106	आदिलाबाद	1
2.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सिरपुर-504296	आदिलाबाद	1
3.	गवर्नमेंट हास्पिटल	गूटी-515401	अनन्तपुर	2
4.	गवर्नमेंट हास्पिटल	हिन्दूपुर-515201	अनन्तपुर	2
5.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कल्याण दुर्ग-515761	अनन्तपुर	2
6.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कुप्पम-517425	चित्तूर	3
7.	गवर्नमेंट हास्पिटल	रायचोटी-516269	कुड्डाप्पा	4
8.	गवर्नमेंट हास्पिटल	राजमपट-516115	कुड्डापा	4
9.	गवर्नमेंट हास्पिटल	अमलपुरम-533201	गोदावरी (इस्ट)	5
10.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पेड्डापुरम-534437	गोदावरी (इस्ट)	5
11.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पितम्पुरम-533450	गोदावरी (इस्ट)	5
12.	गवर्नमेंट हास्पिटल	रामचन्द्रपुरम-533255	गोदावरी (इस्ट)	5
13.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कोव्वुवा-534350	गोदावरी (वेस्ट)	6
14.	गवर्नमेंट हास्पिटल	टानुकु-534211	गोदावरी (इस्ट)	6
15.	गवर्नमेंट हास्पिटल	बाप्तला-522101	गंटूर	7
16.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नर्सारावपेट-522601	गंटूर	7
17.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सत्तेनपल्ली-522403	गंटूर	7
18.	गवर्नमेंट हास्पिटल	तेनाली-522101	गंटूर	7
19.	गवर्नमेंट हास्पिटल	वेणुकोंडा-522647	गंटूर	7
20.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सिरसिल्ला-505301	करीमनगर	9
21.	गवर्नमेंट हास्पिटल	हजुराबाद-505468	करीमनगर	9
22.	गवर्नमेंट हास्पिटल	मधिरा-507203	खम्माम	10
23.	गवर्नमेंट हास्पिटल	अवनीग्ड्दा-521211	कृष्णा	11
24.	गवर्नमेंट हास्पिटल	गुडीवाड़ा-521301	कृष्णा	11
25.	गवर्नमेंट हास्पिटल	जग्गैयापेट-521175	कृष्णा	11
26.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नंदीगामा-521185	कृष्णा	11
27.	तालूक हास्पिटल	नजवीड-521201	कृष्णा	11

1	2	3	4	5
		जिला स्तरीय प्रस्वोत्तर केन्द्रों की सूची		
28.	गवर्नमेंट हास्पिटल	तिरुवुर-521235	कृष्णा	11
29.	गवर्नमेंट वूमेन एंड चाइल्ड हास्पिटल	अदोनी-518301	करनूल	12
30.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कोइलकुंटाला-518134	करनूल	12
31.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नंडियाल-518501	करनूल	12
32.	गवर्नमेंट हास्पिटल	गडवाल-509125	महबूबनगर	13
33.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नगर करनूल-509209	महबूबनगर	13
34.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नारायनपेट-509210	महबूबनगर	13
35.	गवर्नमेंट हास्पिटल	शादनगर-509216	महबूबनगर	13
36.	गवर्नमेंट हास्पिटल	वानापर्ती-509103	महबूबनगर	13
37.	गवर्नमेंट हास्पिटल	जोगीपेट-502270	मेडक	14
38.	गवर्नमेंट हास्पिटल	जहीराबाद-502220	मेडक	[illegible]
39.	गवर्नमेंट हास्पिटल	भिरियालगुडा-508207	नलगोंडा	15
40.	गवर्नमेंट हास्पिटल	रननापेट-508113	नलगोंडा	15
41.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सूर्येपेट-508213	नलगोंडा	15
42.	गवर्नमेंट हास्पिटल	बालकोंडा-508217	निजामाबाद	17
43.	ताल्लूक हास्पिटल	चिराला-523155	प्रकाशम	18
44.	गवर्नमेंट हास्पिटल	गिड्डालर-523357	प्रकाशम	18
45.	तालूक हास्पिटल	कवाली-524201	निल्लौर	16
46.	गवर्नमेंट हास्पिटल	इब्राहिमपत-505450	रंगारेड्डी	19
47.	गवर्नमेंट हास्पिटल	तंदूर-505405	रंगारेड्डी	19
48.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पार्वतीपुरम-532501	श्रीकाकुलम	20
49.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सलूर-532591	विजयनगरम	22
50.	गवर्नमेंट हास्पिटल	श्रंग्गावरपुकोटा-53114	विजयनगरम	22
51.	गवर्नमेंट हास्पिटल	चिरियाल-506223	वारांगल	23
52.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नरसोनपेट-506136	वारांगल	23
53.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पारकल-506164	वारांगल	23
		जिला स्तरीय प्रसवोत्तर केन्द्रों की सूची		
54.	तालूक हास्पिटल	मदनपल्ले-517325	चित्तूर	3
55.	तालूक हास्पिटल	प्रोद्दतूर-516360	कुड्डापा	4

1	2	3	4	5
		अरुणाचल प्रदेश		
1.	जनरल हास्पिटल	महारलंगम-792120	चांगलंग	1
		असम		
1.	सिविल हास्पिटल	हेलकंडी-788151	कचर	2
2.	सिविल हास्पिटल	मंगलदै-784125	दारंग	3
3.	उदलगड़ी हास्पिटल	उदलगड़ी-784509	दारंग	3
4.	चपर हास्पिटल	चपर-783371	धुबरी	4
5.	साउथ सलमारा हास्पिटल	सलमारा-783127	धुबरी	4
6.	सब-डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	चपखोवा-786157	डिब्रूगढ़	5
7.	सिविल हास्पिटल	तिनसुकिया-786125	डिब्रूगढ़	5
8.	नार्थ सलमारा हास्पिटल	अभयपुरी-788384	गोलपाड़ा	6
9.	सिविल हास्पिटल	गोलपाड़ा-783101	गोलपाड़ा	6
10.	कमालबाड़ी हास्पिटल	कमालबाड़ी-785106	जोरहाट	7
11.	बोकाजन हास्पिटल (30 बेड)	बोकाजन-782480	काबड़ी-आंगलंग	8
12.	सब-डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	हमरेन-782486	काबड़ी-आंगलंग	8
13.	डिस्ट्रिक्ट ब्रांच हास्पिटल	घांदमार, गुवाहटी-781001	कामरूप	9
14.	रेडक्रास हास्पिटल	कामरूप-782426	कामरूप	9
15.	सिविल हास्पिटल	नलबाड़ी-781335	कामरूप	9
16.	सिविल हास्पिटल	रंगिया-781354	कामरूप	9
17.	सिविल हास्पिटल	करीमगंज-788710	करीमगंज	10
18.	गोसाई गांव हास्पिटल	गोसाईगांव-783360	कोकराझार	11
19.	आर॰ एन॰ बी॰ सिविल हास्पिटल	कोकराझार-783370	कोकराझार	11
20.	सिविल हास्पिटल	धेमाजी-787057	लखीमपुर	12
21.	जाओनी हास्पिटल	जाओनी -787060	लखीमपुर	12
22.	मेलबोंग हास्पिटल	मेलबोंग-788831	नार्थ कचर हिल्स	14
23.	होजाई हास्पिटल	होजाई-782435	नावगांग	15
24.	जखलबांदा हास्पिटल	जखलबांदा-728410	नावगांग	15
25.	सिविल हास्पिटल	मारीगांव-782105	नावगांग	15
26.	सिविल हास्पिटल	शिवसागर-785640	शिवसागर	16
27.	सोरियावेव हास्पिटल	सोनारी-785690	शिवसागर	16

1	2	3	4	5
28.	विश्वनाथ चारियाली हास्पिटल	विश्वनाथघाट-784177	सोनितपुर	17
29.	धौलपुर हास्पिटल	धौलपुर-784165	सोनितपुर	17
30.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल			0
		बिहार		
1.	सब-डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	अररिया-854311	अररिया	1
2.	सब-डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	फोरबिसगंज-854318	अररिया	1
3.	रेफरल हास्पिटल	दलसिंहसराय-848114	बेगुसराय	3
4.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	बांका-813102	भागलपुर	4
5.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	न्यूगछिया-853204	भागलपुर	4
6.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	बक्सर-802101	भोजपुर	5
7.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	सिकारदेड़ा-811315	चम्पारण (पूर्वी)	6
8.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	वगहा-847125	चम्पारण (पश्चिम)	7
9.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	देवघर-814113	देवघर	9
10.	रेफरल हास्पिटल	राजमहल-816108	दुमका	11
11.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	साहेबगंज-816109	दुमका	11
12.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	जहानाबाद-804408	गया	12
13.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	परमा-847255	गिरिडीह	13
14.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	रसड़ा-848210	गिरिडीह	13
15.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	गोड्डा-814133	गोड्डा	14
16.	रेफरल हास्पिटल	भोरे-841426	गोपालगंज	15
17.	तालूक हास्पिटल	हथुवा-841436	गोपालगंज	15
18.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	चतरा-825401	हजारीबाग	17
19.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	कोडरमा-825410	हजारीबाग	17
20.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	खगड़िया-851204	खगड़िया	19
21.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	किशनगंज-855107	किशनगंज	20
22.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	मधेपुरा-852113	मधेपुरा	21
23.	रेफरल हास्पिटल	झंझारपुर-847403	मधुबनी	22
24.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	जुमई-811307	मुगेर	23
25.	रेफरल हास्पिटल	झाझा-811308	मुगेर	23

1	2	3	4	5
26.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	लखीसराय-811311	मुंगेर	23
27.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	हिल्सा-801302	नालंदा	25
28.	रेफरल हास्पिटल	ईस्लामपुर-801303	नालंदा	25
29.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	राजगीर-803116	नालंदा	25
30.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	गढ़वा-822114	पलामू	27
31.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	लतेहार 829206	पलामू	27
32.	रेफरल हास्पिटल	तेनुघाट-829129	पलामू	27
33.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	बारासालीगंज-800018	पटना	28
34.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	बाढ़-803213	पटना	28
35.	तालुक हास्पिटल	दिनापुर-801503	पटना	28
36.	रेफरल हास्पिटल	नौबतपुर-801109	पटना	28
37.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	पटनासिटी-800008	पटना	28
38.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	पटना-800016	पटना	28
39.	रेफरल हास्पिटल	बिन्दू-835228	रांची	30
40.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	गुमला-835207	रांची	30
41.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	खुंटी-835210	रांची	30
42.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	लोहरडगा-835302	रांची	30
43.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	सिंगेगा-835223	रांची	30
44.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	भिकमगंज-802212	रोहतास	31
45.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	भमूआ-821101	रोहतास	31
46.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	बिरपुर-854340	सहरसा	32
47.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	सपौल-852131	सहरसा	32
48.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	पुसा-848125	समस्तीपुर	33
49.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	जमतारा-815351	संथाल परगना	34
50.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	पाकुर-814207	संथाल परगना	34
51.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	ठाकुरगगन्ती-815001	संथाल परगना	34
52.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	जमशेदपुर-831001	सिंहभूम (पश्चिम)	36
53.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	जगसलाई-831006	सिंहभूम (पूर्वी)	36
54.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	सरायकिला-833219	सिंहभूमि (पश्चिम)	37

1	2	3	4	5
		गुजरात		
1.	गवर्नमेंट हास्पिटल	धनधुका-382460	अहमदाबाद	1
2.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सोला-380001	अहमदाबाद	1
3.	कम्यूनिटी हैल्थ सेन्टर	बार्ला-364421	ओमरेली	2
4.	गवर्नमेंट कोटेज हास्पिटल	लाथी-364430	आमरेली	2
5.	रेफरल हास्पिटल	राजूला-364560	आमरेली	2
6.	कम्युनिटी हैल्थ सैंटर	राधनपुर-385340	बनासकांटा	3
7.	रेफरल हास्पिटल	जम्बूसर-392150	भड़ौच	4
8.	रेफरल हास्पिटल	राजपिपला-393145	भड़ौच	4
9.	कम्युनिटी हैल्थ सैंटर	बतड़-383325	भावनगर	5
10.	कम्युनिटी हैल्थ सैंटर	गडाका-384300	भावनगर	5
11.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पालिटाना-364270	भावनगर	5
12.	गवर्नमेंट हास्पिटल	मोर्बी-363641	भावनगर	5
13.	कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर	धारोल-3612110	जामनगर	8
14.	कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर	द्वारका-361335	जामनगर	8
15.	रेफरल हास्पिटल	खम्भालिया-362305	जामनगर	8
16.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	मानववार-362630	जूनागढ़	9
17.	गवर्नमेंट हास्पिटल	मानदारला-362260	जूनागढ़	9
18.	गवर्नमेंट हास्पिटल	मांगरोल-362225	जूनागढ़	9
19.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पोरबंदर-360575	जूनागढ़	9
20.	रेफरल हास्पिटल	अंजार-370110	कच्छ	10
21.	गवर्नमेंट हास्पिटल	गांधीधाम-370201	कच्छ	10
22.	कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर	मांडवी-370465	कच्छ	10
23.	रेफरल हास्पिटल	डाकोर-388225	खेड़ा	11
24.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पेटलाड-388450	खेड़ा	11
25.	रेफरल हास्पिटल	मंशा-382845	मेहसाना	12
26.	गवर्नमेंट हास्पिटल	ऊना-362560	मेहसाना	12
27.	काटेज हास्पिटल	ऊंझा-384170	मेहसाना	12

1	2	3	4	5
28.	गवर्नमेंट काटेज हास्पिटल	दाहोड़-389151	पंचमहल	13
29.	गवर्नमेंट हास्पिटल	देवगढ़ बारिया-389380	पंचमहल	13
30.	कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर	हलोल-389350	पंचमहल	13
31.	गवर्नमेंट काटेज हास्पिटल	लुनावाड़ा-389230	पंचमहल	13
32.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सनरामपुर-389260	पंचमहल	13
33.	गवर्नमेंट हास्पिटल	दोराजी-360410	राजकोट	14
34.	गवर्नमेंट हास्पिटल	गोंडाल-360311	राजकोट	14
35.	गवर्नमेंट हास्पिटल	जसदान-360050	राजकोट	14
36.	गवर्नमेंट हास्पिटल	जेतपुर-360370	राजकोट	14
37.	पदमा कुनवर्मा हास्पिटल	राजकोट-360001	राजकोट	14
38.	गवर्नमेंट कोटेज हास्पिटल	उपलेता-360490	राजकोट	14
39.	कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर	वनकनेर-363621	राजघाट	14
40.	गवर्नमेंट काटेज हास्पिटल	भिलोडा-383245	सबरकांटा	15
41.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	दीसा-385535	सबरकांटा	15
42.	कम्युनिटी हैल्थ सेन्टर	इदर-383430	सबरकांटा	15
43.	जनरल हास्पिटल	माण्डवी-394160	सुरत	16
44.	रेफरल हास्पिटल	व्यारा-394650	सुरत	16
45.	कम्युनिटी हेल्थ सेंटर	चोटिला-363520	सुरेन्द्र नगर	17
46.	गवर्नमेंट हास्पिटल	धरनगाधरा-363310	सुरेन्द्र नगर	17
47.	रेफरल हास्पिटल	छोटा उदेपुर-391165	वड़ोदरा	18
48.	काटेज हास्पिटल	दवोही-391110	वड़ोदरा	18
49.	कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर	पादरा-391440	वड़ोदरा	18
50.	ई॰ एस॰ आई॰ हास्पिटल	वड़ोदरा-390001	वड़ोदरा	18
51.	काटेज हास्पिटल	भिलाड़-396105	वलसाड़	19
52.	गवर्नमेंट हास्पिटल	धरमपुर-396050	वलसाड़	19
53.	कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर	गणदेवी-396360	वलसाड़	19
54.	गवर्नमेंट हास्पिटल	वलसाड़-396001	वलसाड़	19
55.	काटेज हास्पिटल	वंसडा-396580	वलसाड़	18

1	2	3	4	5
		हरियाणा		
1.	सिविल हास्पिटल	कालका-133302	अम्बाला	1
2.	सिविल हास्पिटल	चर्खी दादरी-123306	भिवानी	2
3.	सिविल हास्पिटल	पलवल-121102	फरीदाबाद	3
4.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	फिरोजपुर जीहिरका-122104	गुड़गांव	4
5.	सिविल हास्पिटल	नुह-122107	गुड़गांव	4
6.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	फतेहाबाद-125050	हिसार	5
7.	सिविल हास्पिटल	हांसी-125033	हिसार	5
8.	सिविल हास्पिटल	नरवाना-126116	जिन्द	6
9.	सिविल हास्पिटल	सफीदोन-126112	जिन्द	6
10.	सिविल हास्पिटल	गुहला-132035	कैथल	7
11.	सिविल हास्पिटल	कैथल-132027	कैथल	7
12.	सिविल हास्पिटल	पानीपत-132103	पानीपत	11
13.	सिविल हास्पिटल	लडवा-132132	कुरुक्षेत्र	9
14.	सिविल हास्पिटल	मोहिन्द्रगढ़-123029	मोहिन्द्रगढ़	10
15.	सिविल हास्पिटल	रिवाड़ी-123401	रिवाड़ी	12
16.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	बहादुरगढ़-124507	रोहतक	13
17.	सिविल हास्पिटल	झझर-124103	रोहतक	13
18.	सिविल हस्पताल	दबवाली-125055	सिरसा	14
19.	सिविल हस्पताल	गोहाना-124301	सोनीपत	15
20.	मुकुन्दी लाल सिविल हास्पिटल	यमुनानगर-135001	यमुनानगर	16
		हिमाचल प्रदेश		
1.	रेफॅरल हास्पिटल	घुमारविन-174021	बिलासपुर	1
2.	सिविल हास्पिटल	भारमौर-176209	चम्बा	2
3.	रेफरल हास्पिटल	चोवरी-176302	चम्बा	2
4.	सिविल हास्पिटल	देहरा-177101	कांगड़ा	4
5.	सिविल हास्पिटल	कांगड़ा-176001	कांगड़ा	4
6.	सिविल हास्पिटल	नूरपुर-1762002	कांगड़ा	4
7.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	पालमपुर-176061	कांगड़ा	4

1	2	3	4	5
8.	रुरल हास्पिटल	अनी-172026	कुल्लू	6
9.	रेफरल हास्पिटल	बनजार-175123	कुल्लू	6
10.	सिविल हास्पिटल	जोगिन्दर नगर-176120	मांडी	8
11.	सिविल हास्पिटल	कारसोग-171304	मांडी	8
12.	कम्युनिटी हैल्थ सैंटर	रत्ती-176208	मांडी	8
13.	रुरल हास्पिटल	संधोले-176090	मांडी	8
14.	सिविल हास्पिटल	सेरकाघाट-175024	मांडी	8
15.	सिविल हास्पिटल	सुन्दरनगर-174401	मांडी	8
16.	सिविल हास्पिटल	चौपाल-171211	शिमला	9
17.	सिविल हास्पिटल	कोटागढ़-172031	शिमला	9
18.	सिविल हास्पिटल	रोहरु-171207	शिमला	9
19.	सिविल हास्पिटल	पाओंटा-173025	सिरमौर	10
20.	कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर	अर्की-173208	सोलन	11
21.	रुरल हास्पिटल	नालागढ़-174101	"	11
22.	रेफरल हास्पिटल	अमलेहार-176082	ऊना	12
		जम्मू एवं कश्मीर		
1.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	दूरू-192211	अनन्तनाग	1
2.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	किस्तवार-182204	जम्मू	5
3.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	नौसेरा-180011	"	5
4.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	बिलेवार-184204	कथुवा	7
5.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	कंगन-191202	"	7
6.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	सोपोर-193201	श्रीनगर	13
		कर्नाटक		
1.	जनरल हास्पिटल	चन्नापटन-571501	बंगलौर (आर)	1
2.	जनरल हास्पिटल	डोडाबल्लपुर-561203	"	1
3.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कनकपुरा-562117	"	1
4.	जनरल हास्पिटल	गोकाक-591307	बेलगाम	3
5.	जनरल हास्पिटल	सौनधती-591126	"	3

1	2	3	4	5
6.	अरबन फैमिली वेलफेयर	होसपेट-583201	बेल्लारी	4
7.	जनरल हास्पिटल	सिरुपुप्पा-583121	बेल्लारी	4
8.	जनरल हास्पिटल	बसावा कल्याण-585327	बिदड़	5
9.	जनरल हास्पिटल	भलाकी-585328	"	5
10.	जनरल हास्पिटल	हमनाबाद-585330	"	5
11.	अरबन फैमिली वेलफेयर	बगलकोट-587101	बिजापुर	6
12.	जनरल हास्पिटल	हुनागंड-587118	"	6
13.	पोस्ट पार्टम सेन्टर	इन्दी-586209	बिजापुर	6
14.	जनरल हास्पिटल	जनखंडी-587301	"	6
15.	केम जनरल हास्पिटल	मुधोल-587313	"	6
16.	जनरल हास्पिटल	कादुर-577548	चिकमंगलूर	7
17.	के एस डी एम गवर्नमेंट जनरल हास्पिटल	कोप्पा-577126	चिकमंगलूर	7
18.	जनरल हास्पिटल	मुडीगेरे-577132	चिकमंगलूर	7
19.	जनरल हास्पिटल	तारिकेरे-577228	चिकमंगलूर	7
20.	कम्बाइंड डिस्पेंसरी	चलाकेरे-577522	चित्रदुर्ग	8
21.	जनरल हास्पिटल	होसादुर्ग-577527	चित्रदुर्ग	8
22.	गवर्नमेंट जनरल हास्पि०	कुंडापुर-526201	दक्षिण कन्नाडा	9
23.	जनरल हास्पिटल	पुत्तुर-574201	दक्षिण कन्नाडा	9
24.	अरबन फैमिली वेलफेयर सेन्टर	उडुपी-576103	दक्षिण कन्नाडा	9
25.	जनरल हास्पिटल	गोडग-582101	धारवाड़	10
26.	जनरल हास्पिटल	हवेरी-574223	धारवाड़	10
27.	सिविल डिस्पेंसरी	चिरचोली-585307	गुलबर्गा	11
28.	सिविल डिस्पेंसरी	चित्तापुर-585211	गुलबर्गा	11
29.	सिविल डिस्पेंसरी	जेवार्गी-585310	गुलबर्गा	11
30.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सदाम-585001	गुलबर्गा	11
31.	जनरल हास्पिटल	शाहपुर-585229	गुलबर्गा	11
32.	सिविल डिस्पेंसरी	यादगिरी-585201	गुलबर्गा	11
33.	जनरल हास्पिटल	आरसीकेरे-583251	हसन	12

1	2	3	4	5
34.	जनरल हास्पिटल	बेलूर-571418	हसन	12
35.	गवर्नमेंट हास्पिटल	चन्नारायापत-573116	हसन	12
36.	कम्बाइंड डिस्पेंसरी	कोनोनुर-573130	हसन	12
37.	जनरल हास्पिटल	स्कालेसापुर-573134	हसन	12
38.	सिविल डिस्पेंसरी	बंगारपेट-563114	कोलार	14
39.	जनरल हास्पिटल	चिक्काबल्लपुर-562101	कोलार	14
40.	जनरल हास्पिटल	चिंतामणि-563125	कोलार	14
41.	जनरल हास्पिटल	कृष्णराजापेट-571426	मांड्या	15
42.	कम्बाइन्ड डिस्पेंसरी	मद्दुर-571428	मांड्या	15
43.	जनरल हास्पिटल	नागमंगला-571432	मांड्या	15
44.	कम्बाइन्ड डिस्पेंसरी	श्रीनागपट्टनम-571438	मांड्या	15
45.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कामराजनगर-571313	मैसूर	16
46.	जनरल हास्पिटल	गंडलूपेट-571111	मैसूर	16
47.	गवर्नमेंट हास्पिटल	हंसूर-571105	मैसूर	16
48.	जनरल हास्पिटल	कृष्णराय नगर-571602	मैसूर	16
49.	रुरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर	ननजंगुड-571301	मैसूर	16
50.	सिविल हास्पिटल	देवदुर्ग-584111	रायचुर	17
51.	जनरल हास्पिटल	सिन्दमाड़-585223	रायचुर	17
52.	सिविल हास्पिटल	गंगावती-583227	रायचुर	17
53.	सिविल हास्पिटल	कस्तागी-583229	रायचुर	17
54.	प्राइमरी हेल्थ यूनिट	जी॰ ए॰ कोप्पाल-583231	रायचुर	17
55.	जनरल हास्पिटल	मांडवी-584123	रायचुर	17
56.	जनरल हास्पिटल	भद्रावती-577301	शिमोगा	18
57.	कम्बाइंड डिस्पेंसरी	चन्नागिरी-577213	शिमोगा	18
58.	जनरल हास्पिटल	सागर-577401	शिमोगा	18
59.	जनरल हास्पिटल	शिकारीपुर-577427	शिमोगा	18
60.	कम्याइंड हास्पिटल	मधुगिरी-572132	तुमकुर	19

1	2	3	4	5
61.	प्राइमरी हेल्थ सेंटर	सिरा-577137	तुमकुर	19
62.	जनरल हास्पिटल	तिपातुर-572201	तुमकुर	19
63.	जनरल हास्पिटल	डंडेली हेलयान-581325	उत्तर कन्नाडा	20
64.	जनरल हास्पिटल	सिरिसी-581401	उत्तर कन्नाडा	20
		केरल		
1.	गवर्नमेंट हास्पिटल	चेन्गन्नूर-689121	अल्लापूजा	1
2.	तालूक हैड क्वार्टर हास्पिटल	हरिपद-690514	अल्लापूजा	1
3.	गवर्नमेंट हास्पिटल	क्याकूलम-690502	अल्लापूजा	1
4.	तालूक हैड क्वार्टर हासिपटल	मवेलीकारा-690101	अल्लापूजा	1
5.	तालूक हैड क्वार्टर हासिपटल	पूलिंगकुनु-688504	अल्लापूजा	1
6.	तालूक हैड क्वार्टर हासिपटल	चेरताल्लई-688524	अल्लापूजा	1
7.	तालूक हैड क्वार्टर हासिपटल	अलवेई-683101	एर्नाकूलम	2
8.	तालूक हैड क्वार्टर हासिपटल	कोचीन-682001	एर्नाकूलम	2
9.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कोटामंगलम-686691	एर्नाकूलम	2
10.	गवर्नमेंट हास्पिटल	मूवाटूपूजा-686661	एर्नाकूलम	2
11.	तालूक हैड क्वार्टर हास्पिटल	नार्थ पारुर-683513	एर्नाकूलम	2
12.	तालूक हैड क्वार्टर हास्पिटल	पेरिमबुवुर-683542	एर्नाकूलम	2
13.	गवर्नमेंट हास्पिटल	त्रिपुनितूरा-682301	एर्नाकूलम	2
14.	गवर्नमेंट हास्पिटल	आदिमली-685561	एर्नाकूलम	2
15.	तालूक हैड क्वार्टर हास्पिटल	नेडूकंडोम-685553	इद्दूकी	3
16.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कननकुड-670315	इद्दूकी	3
17.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कुदुपरम्बा-670643	कुन्नूर	4
18.	तालूक हैड क्वार्टर हास्पिटल	प्यान्नूर-670307	कुन्नूर	4
19.	गवर्नमेंट हास्पिटल	ताली पुरम्बा-670141	कुन्नूर	4
20.	तालूक हैड क्वार्टर हास्पिटल	तेलीचेरि-670307	कुन्नूर	4
21.	गवर्नमेंट हास्पिटल	तिरुवंगाड़ा-670103	कुन्नूर	4
22.	तालूक हैड क्वार्टर हास्पिटल	कसरगोड़-670121	कसरगोड	5
23.	गवर्नमेंट हास्पिटल	काल्लूपाड़ा-689583	कोल्लाम	6

1	2	3	4	5
24.	तालूक हैड क्वार्टर हास्पिटल	कारुनागापल्ली-690518	कोल्लाम	6
25.	तालूक हैड क्वार्टर हास्पिटल	कोत्तरकारा-691506	कोल्लाम	6
26.	तालूक हैड क्वार्टर हास्पिटल	तिरुवल्ला-689101	कोल्लाम	6
27.	गवर्नमेंट हास्पिटल	चंगनसेरी-686106	कोट्टायम	7
28.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	कंजीरापल्ली-686507	कोट्टायम	7
29.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	पलई-686575	कोट्टायम	7
30.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	वीकोम-686141	कोट्टायम	7
31.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	बदागरा-673101	कोझीकोडे	8
32.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	क्वीलेंडी-673305	कोझीकोडे	8
33.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	सुल्तानस बैटरी-673592	कोझीकोडे	8
34.	गवर्नमेंट हास्पिटल	मालापुरम-676505	माल्लापुरम	9
35.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नीलामबुर-679330	माल्लापुरम	9
36.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पेरींथलामान्ना-679322	माल्लापुरम	9
37.	तालुक हैड क्वार्टस हास्पिटल	पोनानी-679577	माल्लापुरम	9
38.	गवर्नमेंट हास्पिटल	तीरूर-676101	माल्लापुरम	9
39.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	अलाथूर-678541	पल्लाक्काड	10
40.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	चित्तूर-678101	पल्लाक्काड	10
41.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	मन्नारघाट-678583	पल्लाक्काड	10
42.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नेनमारा-678508	पल्लाक्काड	10
43.	गवर्नमेंट हास्पिटल	ओटटापलम-679101	पल्लाक्काड	10
44.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	अदूर-691523	पथनमथीट्टा	11
45.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	पथनमथीट्टी-689645	पथनमथीट्टा	11
46.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	पुनालूर-691305	पथनमथीट्टा	11
47.	गवर्नमेंट हास्पिटल	छालाकुडी-680307	थिरीसूर	12
48.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	थावकाड-680506	थिरीसूर	12
49.	गवर्नमेंट हास्पिटल	इरीनजलाकुडा-680121	थिरीसूर	12
50.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कोडक्कल-680684	थिरीसूर	12
51.	तालुक हैड क्वार्टर्स हास्पिटल	कोडुंगल्लूर-680664	थिरीसूर	12

1	2	3	4	5
52.	तालुक हास्पिटल	वडक्कनछेरी-680502	थिरीसूर	12
53.	तालुक हैड क्वाटर्स हास्पिटल	छिराईनकील-695304	थिरूवनन्तपुरम	13
54.	तालुक हैड क्वाटर्स हास्पिटल	नयुययाटीनकारा-695121	थिरूवनन्तपुरम	13
55.	तालुक हैड क्वाटर्स हास्पिटल	नेडूमंगूड-695541	थिरूवनन्तपुरम	13
56.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नीमोम-695020	थिरूवनन्तपुरम	13
57.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पारासल्ला-695502	थिरूवनन्तपुरम	13
58.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पेरूनकाडा-695005	थिरूवनन्तपुरम	13
59.	आर्युवेदा कालेज	पुझापुरा-695012	थिरूवनन्तपुरम	13
60.	तालुक हैड क्वाटर्स हास्पिटल	वैईथिरी-673576	व्यांनाड	14
		मध्य प्रदेश		
1.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	कटांगी-481445	बालाघाट	1
2.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	वरसियोनी-481331	बालाघाट	1
3.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	दंतेवारडा-494449	बस्तर	2
4.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	कनकेर-494334	बस्तर	2
5.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	कोंडागांव-494226	बस्तर	2
6.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	अमला-460551	बेतूल	3
7.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	भेंइसडेही-460220	बेतूल	3
8.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	मुलताई-460661	बेतूल	3
9.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	चम्पा-495671	बिलासपुर	6
10.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	जंजगीर-495668	बिलासपुर	6
11.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	कोरबा-495677	बिलासपुर	6
12.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	मुंगेली-495334	बिलासपुर	6
13.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	तखेतपुर-495330	बिलासपुर	6
14.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	बीजावार-471405	छत्तरपुर	7
15.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	चांदला-471101	छत्तरपुर	7
16.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	अमरवरडा-480221	छिन्दवाड़ा	8
17.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	सियोन्धा-475661	दतिया	10
18.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	कन्नोड-455332	देवास	11

1	2	3	4	5
19.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	सतवास-455459	देवास	11
20.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	बदनावार-454660	धार	12
21.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	दन्नाड-454554	धार	12
22.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	कुकशी-454331	धार	12
23.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	बेमेतरा-491335	दुर्ग	13
24.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	डोंडी-491230	दुर्ग	13
25.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	अशोक नगर-473331	गुना	14
26.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	चंचौडा-473118	गुना	14
27.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	मुंगौली-473443	गुना	14
28.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	भंदार-475335	ग्वालियर	15
29.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	हारडा-461331	होशंगाबाद	16
30.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	इटारसी-461111	होशंगाबाद	16
31.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	सोहागपुर-461771	होशंगाबाद	16
32.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	मोहव-453441	इंदौर	17
33.	ई॰ एस॰ आई॰ जनरल हास्पिटल	नंदानगर-452001	इंदौर	17
34.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	सनवेर-453551	इंदौर	17
35.	सिविल हास्पिटल	सिहोरा-483025	जबलपुर	18
36.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	विजयारागौघाड-483775	जबलपुर	18
37.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	कटनी-483501	जबलपुर	18
38.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	अलीराजपुर-457687	झबुआ	19
39.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	जोबाट-457990	झबुआ	19
40.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	भानपुरा-458775	मंदसौर	21
41.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	गरौठ-458880	मंदसौर	21
42.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	जवाड-458330	मंदसौर	21
43.	सिविल हास्पिटल	मनसा-458110	मंदसौर	21
44.	सब डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल	नीमुच-458441	मंदसौर	21
45.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	रामपुरा-458118	मंदसौर	21
46.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	अंबा-476111	मुरैना	22
47.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	सबलगढ़-476229	मुरैना	22

1	2	3	4	5
48.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	गदुरवाडा-487551	नरीसमपुर	23
49.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	बुरहरपुर-450331	नीमर (ईस्ट) खण्डवा	24
50.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	हरसूद-450116	नीमर (ईस्ट) खण्डवा	24
51.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	खरगांव-451001	नीमर (वेस्ट) खरगांव	25
52.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	संवाड-451111	नीमर (वेस्ट) खरगांव	25
53.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	खरखोदा-496111	रायगढ़	27
54.	सिविल हास्पिटल	जशपुरनगर-496331	रायगढ़	27
55.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	खरसिया-496661	रायगढ़	27
56.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	बलोडबाजार-493332	रायपुर	28
57.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	धमतरी-493773	रायपुर	28
58.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	महसमूद-493445	रायपुर	28
59.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	सरायपली-493558	रायपुर	28
60.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	खरगांव-464671	रायसेन	29
61.	सिविल हास्पिटल	सिन्हा ब्यौरा-465661	राजगढ़	30
62.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	खरीरागढ़-491881	राजनंदगांव	31
63.	सिविल हास्पिटल	अलोट-457114	रतलाम	32
64.	सिविल हास्पिटल	जौरा-457226	रतलाम	32
65.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	खुआरी-456071	सागर	34
66.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	मैईहार-485771	सतना	35
67.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	अस्था-466116	सिहोर	36
68.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	छपरा-430884	सियोनी	37
69.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	उमराई-484661	शहडौल	38
70.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	सुजालपुर-465331	शाजापुर	39
71.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	बडनगर-456771	उज्जैन	44
72.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	कच्छरोड-456224	उज्जैन	44
73.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	महिदपुर-456443	उज्जैन	44
74.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	तराना-456665	उज्जैन	44
75.	सब डिस्ट्रिक हास्पिटल	बसोदा-464221	विदिशा	45

1	2	3	4	5
		महाराष्ट्र		
1.	पवारे मेडिकल ट्रस्ट	लोनी-413713	अहमदनगर	1
2.	रूरल होस्पिटल	राजूर-422604	अहमदनगर	1
3.	कोटेज हास्पिटल	संगमनेर-422605	अहमदनगर	1
4.	परवारा रूरल हास्पिटल	मंगरूलपुर-444403	अकोला	2
5.	म्युनिसिपल हास्पिटल	वसीम-444505	अकोला	2
6.	कोटेज हास्पिटल	अचलपुर-444805	अमरावती	3
7.	रूरल हास्पिटल	मोरशी-444905	अमरावती	3
8.	रूरल हास्पिटल	तिवासी-444903	अमरावती	3
9.	रूरल हास्पिटल	पधोड-431121	औरंगाबाद	4
10.	रूरल हास्पिटल	सिल्लोड-431112	औरंगाबाद	4
11.	सिविल डिस्पेंसरी	ज्योरई-431127	बीड	5
12.	सिविल हास्पिटल	कीज-431123	बीड	5
13.	काटेज हास्पिटल	सकोली-441802	भंडारा	6
14.	राजवादी म्यु॰ जनरल हास्पिटल	घटकोपार-400086	बम्बई	7
15.	रूरल हास्पिटल	धौलगांव माही-443204	बुलडाणा	8
16.	साई बाई मोटे हास्पिटल	शेरगांव-444203	बुलडाणा	8
17.	डिस्ट्रिक हास्पिटल फार वोमन	खमागांव-444303	बुलडाणा	8
18.	कोटेज हास्पिटल	मलकापुर-443101	बुलडाणा	8
19.	म्युनिसीपल हास्पिटल	वरोरा-442907	चन्दरपुर	9
20.	काटेज हास्पिटल	शीरापुर-425405	धुले	10
21.	रूरल हास्पिटल	अहेरी-442705	गडछिरोली	11
22.	रूरल हास्पिटल	पहुर जम्मेर-424205	जलगांव	13
23.	रूरल हास्पिटल	मंथा-431504	जालना	13
24.	रूरल हास्पिटल	तेमभुरनी-431208	जालना	13
25.	के॰ ई॰ एम॰ हास्पिटल	ईच्छलकरंजी-416115	कोल्हापुर	14
26.	रूरल हास्पिटल	नेसारी-416504	कोल्हापुर	14
27.	रूरल हास्पिटल	मुरूड-413510	लातूर	1o
28.	रूरल हास्पिटल	उदगीर-413517	लातूर	16
29.	रूरल हास्पिटल	दियोलापुर-440408	नागपुर	17

1	2	3	4	5
30.	डा. वलवी मैमोरियल होस्पिटल	नागपुर-440001	नागपुर	17
31.	म्युनिसिपल मेटरनिटी होम	रामटेक-441106	नागपुर	17
32.	रूरल हास्पिटल	नाईगांव-431709	नानदेड	18
33.	नानदेड मेडिकल फाउंडेशन	नानदेड-431661	नानदेड	18
34.	काटेज हास्पिटल	कालवा-423500	नासिक	19
35.	सतनारोईड हास्पिटल	मालेगांव-423203	नासिक	19
36.	म्युनिसिपल डिस्पेंसरी	मनमेड-423104	नासिक	19
37.	म्युनिसिपल डिस्पेंरी	नन्दगांव-423106	नासिक	19
38.	म्युनिसिपल डिस्पर्पेसरी	सिन्नूर-422103	नासिक	19
39.	म्युनिसिपल डिस्पेंसरी	तुलजापुर-413601	उस्मानाबाद	20
40.	रूरल हास्पिटल	हिंगोली-431513	परभनी	21
41.	रूरल हास्पिटल	भोर-412206	पुणे	22
42.	लोकमान्य मेडि॰ फाउंडेशन	चिन्चवाड-411019	पुणे	22
43.	महाराष्ट्र अरोग्य मण्डल	हडपसर-411028	पुणे	22
44.	आनन्द मेडिकल फाउंडेशन	कोथराड-415405	पुणे	22
45.	डी॰ एस॰ मेडिकल फाउंडेशन	पुणे-411001	पुणे	22
46.	सिल्वर जुबली हास्पिटल	सरमती-411311	पुणे	22
47.	प्राईमरी हैल्थ सेन्टर	ससवाड-412301	पुणे	22
48.	म्युनिसिपल डिस्पेंसरी	खेड-415709	रत्नगिरी	23
49.	रुरल हास्पिटल	अतपदी-415301	सांगली	24
50.	वैनलेस हास्पिटल	मिराज-416410	सांगली	24
51.	काटेज हास्पिटल	करोड-415110	सतारा	25
52.	जिला परिषद डिस्पेंसरी	फलतन-415523	सतरा	25
53.	डा॰ आगशे चार॰ हास्पिटल	सतारा-415501	सतरा	25
54.	रूरल हास्पिटल	अकालूज-413101	शोलापुर	26
55.	काटेज हास्पिटल	करमला-413203	शोलापुर	26
56.	आर्युवैदिक महाविद्यालय	शोलापुर	शोलापुर	26
57.	जिला परिषद हास्पिटल	कुदाल-416520	सिंधुगढ़	27
58.	जनरल हास्पिटल	स्वातीवादी-416510	सिंधुगढ	27

1	2	3	4	5
59.	डा॰ बी॰ जी॰ छाया हास्पिटल	अम्बरनाथ-421501	थाणे	28
60.	न्यु हास्पिटल काम्पलेक्स	भिवाण्डी-421308	थाणे	28
61.	काटेज हास्पिटल	वहनू-421601	थाणे	28
62.	काटेज हास्पिटल	शाहपुर-431723	थाणे	28
63.	गर्व॰ मेंटरनिटी होम	उल्लहासनगर कैम्प-।। 421004	थाणे	28
64.	काटेज हास्पिटल	धरवहा-445202	यवतमाल	30
65.	रूरल हास्पिटल	लोही-445210	यवतमाल	30
66.	रूरल हास्पिटल	मारेगांव-445303	यवतमाल	30
67.	प्राइमरी हैल्थ सेन्टर	नर यज्योतमल-445001	यवतमाल	30
68.	रूरल हास्पिटल	पंधार कवाडा-445302	यवतमाल	30
69.	आर॰ पी॰ उत्तरवाड हास्पिटल	उमरखेड-445206	यवतमाल	30
		मणिपुर		
1.	तालुक लेवल हास्पिटल	काक-चिंग-795103	थम्बल	7
		मेघालय		
1.	सिविल हास्पिटल	विलियम नगर-793001	गारोहिल्स (ईस्ट)	1
		मिजोरम		
1.	थंपई हास्पिटल	थमय-796102	आइजॉल ईस्ट	1
2.	सब-डिविजन होस्पिटल	कोलासीब-796101	आइजॉल ईस्ट	1
3.	सोरीनिप होस्पिटल	सोरीनिप-796014	आईजॉल ईस्ट	1
4.	तिलबूनग होस्पिटल	तिलबूलग-796001	आइजॉल ईस्ट	1
		नागालैंड		
1.	सिविल होस्पिटल	डिमापुर-797112	कोहिमा	1
		उड़ीसा		
1.	उप जिला होस्पिटल	जालास्वर-756032	बालेश्वर	1
2.	उप जिला होस्पिटल	नीलगिरी	बालेश्वर	1
3.	उप जिला होस्पिटल	भडक-756100	बालेश्वर	1
4.	उप जिला होस्पिटल	सोरो-756045	बालेश्वर	1
5.	उप जिला होस्पिटल	कनटाबनी-767039	बोलनगीर	2

1	2	3	4	5
6.	उप जिला होस्पिटल	पनतनगर-761025	बोलनगीर	2
7.	उप जिला होस्पिटल	सोनपुर-767017	बोलनगीर	2
8.	उप जिला होस्पिटल	तितिलगढ-767033	बोलनगीर	2
9.	उप जिला होस्पिटल	अथगढ-755019	कटक	3
10.	उप जिला होस्पिटल	बॉकी-754001	कटक	3
11.	उप जिला होस्पिटल	जगतसिंहपुर-754103	कटक	3
12.	उप जिला होस्पिटल	जजपुररोड-755019	कटक	3
13.	उप जिला होस्पिटल	जजपुर-7550019	कटक	3
14.	उप जिला होस्पिटल	केन्द्र रपारा-754211	कटक	3
15.	उप जिला होस्पिटल	नरसिंहपुर-754032	कटक	3
16.	उप जिला होस्पिटल	पारादीप-754142	कटक	3
17.	उप जिला होस्पिटल	अंगूल-759122	धनकलाल	4
18.	उप जिला होस्पिटल	अटटामलिक-759125	धनकलाल	4
19.	उप जिला होस्पिटल	भूबन-759017	धनकलाल	4
20.	उप जिला होस्पिटल	हिंडल-759022	धनकलाल	4
21.	उप जिला होस्पिटल	कमाख्यानगर-759018	धनकलाल	4
22.	उप जिला होस्पिटल	पलालहर-759119	धनकलाल	4
23.	उप जिला होस्पिटल	तलचर-759100	धनकलाल	4
24.	उप जिला होस्पिटल	असका-761110	गंजम	5
25.	उप जिला होस्पिटल	भंजनगर-761126	गंजम	5
26.	उप जिला होस्पिटल	छत्रपुर-761020	गंजम	5
27.	उप जिला होस्पिटल	परलाखेमुडी-761201	गंजम	5
28.	उप जिला होस्पिटल	संवरागीरा-761001	गंजम	5
29.	उप जिला होस्पिटल	धर्मगढ़-766015	कालाहांडी	6
30.	उप जिला होस्पिटल	जूनागढ़-766014	कालाहांडी	6
31.	उप जिला होस्पिटल	नवपाडा-766105	कालाहांडी	6
32.	उप जिला होस्पिटल	अनंतपुर-756046	क्योंझर	7
33.	उप जिला होस्पिटल	बारबिल-758035	क्योंझर	7

1	2	3	4	5
34.	उप जिला होस्पिटल	चमपुआ-758041	क्योंझर	7
35.	उप जिला होस्पिटल	गुनपुर-765022	कोरापुट	8
36.	उप जिला होस्पिटल	जयापोर-764001	कोरापुट	8
37.	उप जिला होस्पिटल	मलकानगिरी	कोरापुट	8
38.	उप जिला होस्पिटल	नवरंगपुर-764059	कोरापुट	8
39.	उप जिला होस्पिटल	रयागड-765001	कोरापुट	8
40.	उप जिला होस्पिटल	उमरकोट-764073	कोरापुट	8
41.	उप जिला होस्पिटल	जशीपुर-757034	मयूरभंज	9
42.	उप जिला होस्पिटल	करगिया-757037	मयूरभंज	9
43.	उप जिला होस्पिटल	रायरंगपुर-757043	मयूरभंज	9
44.	उप जिला होस्पिटल	उडाला-757041	मयूरभंज	9
45.	उप जिला होस्पिटल	बालीगुडा-762103	फुलबनी	10
46.	उप जिला होस्पिटल	बाधराज-762104	फुलबनी	10
47.	उप जिला होस्पिटल	खुंजा-725055	पुरी	11
48.	उप जिला होस्पिटल	नयागढ-752039	पुरी	11
49.	उप जिला होस्पिटल	रानापुर-752026	पुरी	11
50.	उप जिला होस्पिटल	साक्षीगोपाल	पुरी	11
51.	उप जिला होस्पिटल	बरगढ-768028	सम्बलपुर	12
52.	उप जिला होस्पिटल	देवघर-768108	सम्बलपुर	12
53.	उप जिला होस्पिटल	हीराकुडे-768016	सम्बलपुर	12
54.	उप जिला होस्पिटल	झासुगुडा-768201	सम्बलपुर	12
55.	उप जिला होस्पिटल	कुचिंडा-768222	सम्बलपुर	12
56.	उप जिला होस्पिटल	पदमपुर-765025	सम्बलपुर	12
57.	उप जिला होस्पिटल	रायरखोल-768106	सम्बलपुर	12
58.	उप जिला होस्पिटल	बोनाइगढ-770038	सुंदरगढ	13
59.	आर जी पुर होस्पिटल	राजगंगापुर-770017	सुंदरगढ	13
60.	उप जिला होस्पिटल	राउरकेला-769001	सुंदरगढ	13

1	2	3	4	5
		पंजाब		
1.	सिविल होस्पिटल	अजनाला-143102	अमृतसर	1
2.	सिविल होस्पिटल	बाबाबकाला-143202	अमृतसर	1
3.	सिविल होस्पिटल	पट्टी-143416	अमृतसर	1
4.	सिविल होस्पिटल	तरनतारन-143401	अमृतसर	1
5.	सिविल होस्पिटल	रमन-151301	भटिन्डा	2
6.	सिविल होस्पिटल	रामपुराफूल-151103	भटिन्डा	2
7.	सिविल होस्पिटल	तलवन्डीसाबू-151302	भटिन्डा	2
8.	सिविल होस्पिटल	फतहगढसाहिब-143112	फतहगढसाहिब	3
9.	सिविल होस्पिटल	मोगा-142001	फरीदकोट	4
10.	सिविल होस्पिटल	मुक्तसर-152026	फरीदकोट	4
11.	सिविल होस्पिटल	अबोहर-152116	फिरोजपुर	4
12.	सिविल होस्पिटल	फजिलका-152123	फिरोजपुर	5
13.	सिविल होस्पिटल	जीरा-142007	फिरोजपुर	5
14.	सिविल होस्पिटल	पठानकोट-145001	गुरूदासपुर	5
15.	सिविल होस्पिटल	बालचापुर	होशियारपुर	7
16.	सिविल होस्पिटल	दसूया-144205	होशियारपुर	7
17.	सिविल होस्पिटल	गढ शंकर-144527	होशियारपुर	7
18.	सिविल होस्पिटल	नकोदर-141310	जालंधर	8
19.	सिविल होस्पिटल	नवीनशहर-141310	जालंधर	8
20.	सिविल होस्पिटल	फिललोर-144410	जालंधर	8
21.	सिविल होस्पिटल	फगवाडा-144401	कपूरथला	9
22.	सिविल होस्पिटल	सतलानपुरलोदी-144626	कपूरथला	9
23.	सिविल होस्पिटल	जगराव-142026	लुधियाना	10
24.	सिविल होस्पिटल	खन्ना-141401	लुधियाना	10
25.	सिविल होस्पिटल	लुधियाना-141001	लुधियाना	10
26.	सिविल होस्पिटल	समरला-141114	लुधियाना	10
27.	सिविल होस्पिटल	मनसा-151505	पटियाला	11

1	2	3	4	5
28.	सिविल होस्पिटल	राजपुरा-140401	पटियाला	11
29.	सिविल होस्पिटल	सामना-147101	पटियाला	11
30.	सिविल होस्पिटल	आनन्दपुरसाहिब-140118	रोपड़	12
31.	सिविल होस्पिटल	खरार-140301	रोपड़	12
32.	सिविल होस्पिटल	बरनाला-148101	संगरूर	13
33.	सिविल होस्पिटल	धूरी-148024	संगरूर	14
34.	सिविल होस्पिटल	मलकरकोठला-148023	संगरूर	14
35.	सिविल होस्पिटल	सुनम-148028	संगरूर	14
		राजस्थान		
1.	स्वा० एवं प० क० केन्द्र	अजमेर-305001	अजमेर	1
2.	उपजिला होस्पिटल	विजयनगर-305624	अजमेर	1
3.	उपजिला होस्पिटल	राजगढ़-331001	अजमेर	1
4.	गवर्नमेंट होस्पिटल	केकरी-305404	अजमेर	1
5.	वाई० एन० होस्पिटल	किशनगढ़-305802	अजमेर	1
6.	सिविल हास्पिटल	बहरोर-301701	अलवर	2
7.	अपग्रादेड पी एच सी	गोविंदगढ़-303712	अलवर	2
8.	गवर्नमेंट हास्पिटल	राजगढ़-301409	अलवर	2
9.	गवर्नमेंट हास्पिटल	तिजारा-301411	अलवर	2
10.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कुशलगढ़-327801	बन्सवाडा	3
11.	गवर्नमेंट हास्पिटल	प्रतापपुर-327024	बन्सवाडा	3
12.	गवर्नमेंट हास्पिटल	बारन-325205	बारन	3
13.	गवर्नमेंट हास्पिटल	छबलरा-325220	अलवर	3
14.	गवर्नमेंट हास्पिटल	बलोतरा-344022	बाडमेर	4
15.	प्राइमरी हेल्थ सेंटर	चोंटन-344702	बाडमेर	5
16.	एम एवं सी कल्याण केन्द्र	सिंदरी-344030	बाडमेर	5
17.	गवर्नमेंट हास्पिटल	बयाना-321401	भरतपुर	6
18.	गवर्नमेंट हास्पिटल	डेग-321203	भरतपुर	6
19.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कमह-321022	भरतपुर	6

1	2	3	4	5
20.	गवर्नमेंट हास्पिटल	गंगापुर-311801	भिलवाडा	7
21.	उप जिला हास्पिटल	गुलाबपुर-311021	भिलवाडा	7
22.	गवर्नमेंट हास्पिटल	जहाजपुर-305400	भिलवाडा	7
23.	रेफरल हास्पिटल	मण्डलगढ-311604	भिलवाडा	7
24.	सिविल हास्पिटल	शाहपुरा-311404	बीकानेर	8
25.	एम॰ सी॰ डब्ल्यू॰ सेंटर	लूनकरनसर-334603	बीकानेर	8
26.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नोखा-334803	बीकानेर	8
27.	गवर्नमेंट हास्पिटल	केसोरायपटन-323601	बूंदी	9
28.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नेनवा-323801	बूंदी	9
29.	जनरल हास्पिटल	बेगुन-312023	चितौरगढ़	10
30.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कपासीन-312202	चितौरगढ़	10
31.	गवर्नमेंट हास्पिटल	निम्बाहेरा-312601	चितौरगढ़	10
32.	सिविल हास्पिटल	छपरा-331502	चुरु	11
33.	उप जिला होस्पिटल	चुरु-331001	चुरु	11
34.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सरदार सहोर-331403	चुरु	11
35.	गवर्नमेंट हास्पिटल	तारानगर-331304	चुरु	11
36.	सिविल हास्पिटल	दौसा-303303	दौसा	12
37.	एम एवं सी प॰ क॰ केन्द्र	लालसोट-303503	दौसा	12
38.	उच्चीकृत प्रा॰ स्वा॰ केन्द्र	बारी-328021	धोलपुर	13
39.	गवर्नमेंट हासिपटल	दूगरगढ-314001	दूनगापुर	14
40.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सगवारा-314025	दूनगापुर	14
41.	उच्चीकृत प्रा॰ स्वा॰ केन्द्र	सिमलवारा-314403	दूनगापुर	14
42.	गवर्नमेंट हास्पिटल	आदर्शनगर-302004	जयपुर	15
43.	गवर्नमेंट हास्पिटल	चोमू-303702	जयपुर	15
44.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नरायोना-303348	जयपुर	15
45.	ई॰ एस॰ आई॰ हास्पिटल	जयपुर-302001	जयपुर	15
46.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कोटपुतली-303108	जयपुर	15
47.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सांभर-303604	जयपुर	15

1	2	3	4	5
48.	गवर्नमेंट हास्पिटल	शाहपुर-323103	जयपुर	15
49.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पोखरन-355021	जयसलमेर	16
50.	उच्चीकृत प्रा॰ स्वा॰ केन्द्र	बडगांव-335021	जयलोरी	17
51.	गवर्नमेंट हास्पिटल	भिनमल-333021	जयलोरी	17
52.	गवर्नमेंट हास्पिटल	संचोर-343041	जयलोरी	17
53.	प्राइमरी हेल्थ सेंटर	सियाना-343044	जयलोरी	17
54.	एम॰ सी॰ डब्ल्यु सेंटर	अकलेरा-326033	झालावार	18
55.	सिविल हास्पिटल	भवानी मांडी-326502	झालावार	18
56.	गवर्नमेंट हास्पिटल	भलरापतन-326023	झालावार	18
57.	गवर्नमेंट हास्पिटल	बांगर-333023	झुनझुन	18
58.	सिविल हास्पिटल	चिरावा-333026	झुनझुन	19
59.	गवर्नमेंट हास्पिटल	खतारी-303503	झुनझुन	19
60.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नवलगढ-333042	झुनझुन	19
61.	गवर्नमेंट हास्पिटल	बिलारा-342602	झुनझुन	19
62.	एम॰ सी॰ डब्ल्यु॰ सेंटर	जोधपुर-342001	जोधपुर	20
63.	गवर्नमेंट हास्पिटल	फलोदी-342301	जोधपुर	20
64.	गवर्नमेंट हास्पिटल	पिपरासिटी-342601	जोधपुर	20
65..	गवर्नमेंट हास्पिटल	रामगंजमाडी-266519	कोटा	21
66.	उप जिला हास्पिटल	डीडवाना-341303	नागोर	22
67.	गवर्नमेंट हास्पिटल	कुचमानसिटी	नागोर	22
68.	सिविल हास्पिटल	लाडन-341306	नागौर	22
69.	गवर्नमेंट हास्पिटल	मकरानी-341505	नागौर	22
70.	गवर्नमेंट हास्पिटल	मीटा शहर-341510	नागौर	22
71.	गवर्नमेंट हास्पिटल	परबसर-341512	नागौर	22
72.	सिविल हास्पिटल	बाली-306701	पाली	23
73.	गवर्नमेंट हास्पिटल	जयतारन-306302	पाली	23
74.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सोजट-306104	पाली	23
75.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सुमेरपुर-306902	पाली	23

1	2	3	4	5
76.	गवर्नमेंट हास्पिटल	भीम-305921	राजसामुण्ड	24
77.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नाथदारा-313301	राजसामुण्ड	24
78.	गवर्नमेंट हास्पिटल	राजसमुन्द-313326	राजसामुण्ड	24
79.	गवर्नमेंट हास्पिटल	गंगापुर शहर-322201	सवाईमाधोपुर	25
80.	गवर्नमेंट हास्पिटल	हिंदौन-322230	सवाईमाधोपुर	25
81.	गवर्नमेंट हास्पिटल	फतहपुर-332301	सिकर	26
82.	गवर्नमेंट हास्पिटल	लोसल-332025	सिकर	26
83.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नीमकथाना-332713	सिकर	26
84.	उच्चीकृत प्रा॰ स्वा॰ केन्द्र	अबु रोड-307028	सिरोही	27
85.	जनरल हास्पिटल	माउन्टआबु-307501	सिरोही	27
86.	गवर्नमेंट हास्पिटल	शियोगंज-307027	सिरोही	27
87.	सिविल हास्पिटल	भद्रा-335001	श्री गंगा नगर	38
88.	उप जिला हास्पिटल	हनुमानगढ-335513	श्री गंगा नगर	28
89.	उप जिला हास्पिटल	श्रीकरणपुर-335073	श्री गंगा नगर	28
90.	गवर्नमेंट हास्पिटल	नौहर-335523	श्री गंगा नगर	28
91.	उप जिला हास्पिटल	रायसिंहपुर-335051	श्री गंगा नगर	28
92.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सुरत गढ-335804	श्री गंगा नगर	28
93.	गवर्नमेंट हास्पिटल	देवली-304804	टान्क	29
94.	गवर्नमेंट हास्पिटल	मालपुरा-304502	टान्क	29
95.	गवर्नमेंट हास्पिटल	निवाई-364021	टान्क	29
96.	गवर्नमेंट हास्पिटल	आमत-313001	उदयपुर	30
97.	गवर्नमेंट हास्पिटल	भिन्दर-313603	उदयपुर	30
98.	गवर्नमेंट हास्पिटल	झडोल-312702	उदयपुर	30
99.	गवर्नमेंट हास्पिटल	सालुम्बर-313027	उदयपुर	30
100.	सर्वोदय सेवा केन्द्र	उदयपुर-313001	उदयपुर	30
		सिक्किम		
1.	जिला हास्पिटल	निमथि-737126	साउथ डिस्ट्रिक	31
2.	जिला हास्पिटल	ग्यालसिंह-737001	वैस्ट डिस्ट्रिक	31

1	2	3	4	5
		तमिलनाडु		
1.	गवर्मेंट हास्पिटल	मधुरनघागम-602001	चेन्नई एम जी आर	1
2.	गवर्मेंट हास्पिटल	तम्बारम-600045	चेन्नई एम जी आर	1
3.	गवर्मेंट हास्पिटल	तिरुवललूर-602001	चेन्नई एम जी आर	1
4.	गवर्मेंट हास्पिटल	तिरुचेन्दर-628215	चेन्नई एम जी आर	1
5.	गवर्मेंट हास्पिटल	कोविलपट्टी-627701	चिदम्बनरु	2
6.	गवर्मेंट हास्पिटल	कोयम्बतूर-641001	कोयम्बतूर	3
7.	गवर्मेंट हास्पिटल	मेट्टपलामन-641301	कोयम्बतूर	3
8.	गवर्मेंट हास्पिटल	पल्लादम-642001	कोयम्बतूर	3
9.	गवर्मेंट हास्पिटल	पोलचयी-642001	कोयम्बतूर	3
10.	गवर्मेंट हास्पिटल	उडमालपेट-642126	कोयम्बतूर	3
11.	गवर्मेंट हास्पिटल	वलपराई-642127	कोयम्बतूर	3
12.	गवर्मेंट हास्पिटल	हरुर-636903	धर्मपुरी	4
13.	गवर्मेंट हास्पिटल	होसुर-635109	धर्मपुरी	4
14.	गवर्मेंट हास्पिटल	कावेरीपतीनम-635112	धर्मपुरी	4
15.	गवर्मेंट हास्पिटल	कृष्णागीरि-636001	धर्मपुरी	4
16.	गवर्मेंट हास्पिटल	उतनगराई-635207	धर्मपुरी	4
17.	गवर्मेंट हास्पिटल	बटलागुण्डु-624202	डिडिगुलएन्ना	5
18.	गवर्मेंट हास्पिटल	नीलाकोट्टई	डिडिगुलएन्ना	5
19.	गवर्मेंट हास्पिटल	पलानी-624601	डिडिगुलएन्ना	5
20.	गवर्मेंट हास्पिटल	राजापलायम-626117	कमराजर	6
21.	गवर्मेंट हास्पिटल	सिवकाशी-626123	कमराजर	6
22.	गवर्मेंट हास्पिटल	श्रीविलियुतुर-626125	कमराजर	6
23.	गवर्मेंट हास्पिटल	अरुप्पीकोट्टई-626101	कमराजर	6
24.	गवर्मेंट हास्पिटल	विरुधुनागर-626001	कमराजर	6
25.	गवर्मेंट हास्पिटल	कोलाचेल-629251	कन्याकुमारी	7
26.	गवर्मेंट हास्पिटल	कुम्रीतुरई-629163	कन्याकुमारी	7
27.	गवर्मेंट हास्पिटल	पदमनभपुरम-628619	कन्याकुमारी	7

1	2	3	4	5
28.	गवर्मेंट हास्पिटल	कुमबुम-626516	मदुरई	9
29.	गवर्मेंट हास्पिटल	मेलूर-625106	मदुरई	9
30.	गवर्मेंट हास्पिटल	पेरियाकुलम-626501	मदुरई	9
31.	गवर्मेंट हास्पिटल	थीनी-626531	मदुरई	9
32.	गवर्मेंट हास्पिटल	तिरुमंगलम-626706	मदुरई	9
33.	गवर्मेंट हास्पिटल	उसीलमपट्टी-626532	मदुरई	9
34.	गवर्मेंट हास्पिटल	अरक्कोनम-631001	एन ए अम्बीकार	10
35.	गवर्मेंट हास्पिटल	अरनी-632301	एन ए अम्बीकार	10
36.	गवर्मेंट हास्पिटल	चयूयार-632316	एन ए अम्बीकार	10
37.	गवर्मेंट हास्पिटल	शोलीनगर-631102	एन ए अम्बीकार	10
38.	गवर्मेंट हास्पिटल	मयीलादुयुर्ई-609001	नगाईकुडी मिलाई	11
39.	गवर्मेंट हास्पिटल	सिरकली-609110	नगाईकुडी मिलाई	11
40.	गवर्मेंट हास्पिटल	गुडियट्टम-632602	नगाईकुडी मिलाई	11
41.	गवर्मेंट हास्पिटल	कुनूर-643101	नीलगीरीस	12
42.	गवर्मेंट हास्पिटल	गुडलौर-634211	नीलगीरीस	13
43.	गवर्मेंट हास्पिटल	भवानी-638301	पेरियार	14
44.	गवर्मेंट हास्पिटल	धरपुरम-638556	पेरियार	14
45.	गवर्मेंट हास्पिटल	गोवीचेट्टीपलायम-638452	पेरियार	14
46.	गवर्मेंट हास्पिटल	अरंतान्गी-614616	पुडीकोट्टई	15
47.	गवर्मेंट हास्पिटल	थिरुमयाम-614001	पुडीकोट्टई	15
48.	गवर्मेंट हास्पिटल	कराईकुडी-623001	पसमपोन थीवार	16
49.	गवर्मेंट हास्पिटल	शिवगंगा-623560	पसमपोन थीवार	16
50.	गवर्मेंट हास्पिटल	तिरुपत्थूर-635601	पसमपोन थीवार	16
51.	गवर्मेंट हास्पिटल	कामुदी-622603	रमनाड	17
52.	गवर्मेंट हास्पिटल	परमाकुडी-623707	रमनाड	17
53.	गवर्मेंट हास्पिटल	अतूर-636301	सेलम	18
54.	गवर्मेंट हास्पिटल	कुमारपलायम-637205	सेलम	18
55.	गवर्मेंट हास्पिटल	मतूर डेम-636401	सेलम	18

1	2	3	4	5
56.	गवर्मेंट हास्पिटल	नमक्कल-637001	सेलम	18
57.	गवर्मेंट हास्पिटल	संकरी-637303	सेलम	18
58.	गवर्मेंट हास्पिटल	तिरुचनकोड-637211	सेलम	18
59.	गवर्मेंट हास्पिटल	चिदम्बरम-608001	साउथ अरकोट	19
60.	गवर्मेंट हास्पिटल	गिन्नी-604202	साउथ अरकोट	19
61.	गवर्मेंट हास्पिटल	कललकूरीची-606202	साउथ अरकोट	19
62.	गवर्मेंट हास्पिटल	पालूर-606802	साउथ अरकोट	19
63.	गवर्मेंट हास्पिटल	सतीमगलम-604153	साउथ अरकोट	19
64.	गवर्मेंट हास्पिटल	तिनदिननम-604002	साउथ अरकोट	19
65.	गवर्मेंट हास्पिटल	तिरुवलमलय-606601	साउथ अरकोट	19
66.	गवर्मेंट हास्पिटल	तिरुकोयलूर-605757	साउथ अरकोट	19
67.	गवर्मेंट हास्पिटल	उलूदुरपेट-606107	साउथ अरकोट	19
68.	गवर्मेंट हास्पिटल	वन्दवासी-604408	साउथ अरकोट	19
69.	गवर्मेंट हास्पिटल	विरुवचलम-606001	साउथ अरकोट	19
70.	गवर्मेंट हास्पिटल	विल्लूपूरम-605602	साउथ अरकोट	19
71.	गवर्मेंट हास्पिटल	कुमबकोनम-612001	तन्जाबूर	20
72.	गवर्मेंट हास्पिटल	मन्नारगुडी-614001	तन्जाबूर	20
73.	गवर्मेंट हास्पिटल	पट्टकोतई-622001	तन्जाबूर	20
74.	गवर्मेंट हास्पिटल	परावूरानी-614104	तन्जाबूर	20
75.	गवर्मेंट हास्पिटल	तिरुतुययार-610108	तन्जाबूर	20
76.	गवर्मेंट हास्पिटल	तिरुतराडपूनीवी-614713	तन्जाबूर	20
77.	गवर्मेंट हास्पिटल	अम्बीसमुदम-627404	तिरुनेलवेली	21
78.	गवर्मेंट हास्पिटल	कोविलपट्टी-627701	तिरुनेलवेली	21
79.	गवर्मेंट हास्पिटल	सकरनकोली-627756	तिरुनेलवेली	21
80.	गवर्मेंट हास्पिटल	तनकासी-627811	तिरुनेलवेली	21
81.	गवर्मेंट हास्पिटल	अरियालूर-621708	त्रिचुरापल्ली	22
82.	गवर्मेंट हास्पिटल	करुर-639003	त्रिचुरापल्ली	22
83.	गवर्मेंट हास्पिटल	सनगोट्टई-627809	तिरूनेलवेली	22

1	2	3	4	5
84.	गवर्मेंट हास्पिटल	जयनगोदम-621802	त्रिचुरापल्ली	22
85.	गवर्मेंट हास्पिटल	लालगुडी-621601	त्रिचुरापल्ली	22
86.	गवर्मेंट हास्पिटल	मूसिरी-621211	त्रिचुरापल्ली	22
87.	गवर्मेंट हास्पिटल	पैराम्बलूर-621212	त्रिचुरापल्ली	22
		त्रिपुरा		
1.	उप जिला हास्पिटल	धर्मनगर-799250	नार्थ त्रिपुरा	2
2.	कलशहर	कलशहर-799277	नार्थ त्रिपुरा	2
3.	उतईपुर हास्पिटल	उतईपुर-799001	साउथ त्रिपुरा	3
		उत्तर प्रदेश		
1.	महिला चिकित्सालय	अछनेरा-283101	आगरा	1
2.	महिला चिकित्सालय	फह-282001	आगरा	1
3.	महिला चिकित्सालय	फिरोजाबाद	आगरा	1
4.	महिला चिकित्सालय	अतरोली-202280	अलीगढ़	2
5.	महिला चिकित्सालय	हाथरस-204101	अलीगढ़	2
6.	महिला चिकित्सालय	खैर-202138	अलीगढ़	2
7.	महिला चिकित्सालय	सिकन्दराबाद-202001	अलीगढ़	2
8.	महिला चिकित्सालय	हन्डिया-221503	इलाहाबाद	3
9.	महिला चिकित्सालय	करचना-212301	इलाहाबाद	3
10.	महिला चिकित्सालय	मरुएमा-212001	इलाहाबाद	3
11.	महिला चिकित्सालय	फूलपुर-212402	इलाहाबाद	3
12.	तहसील हास्पिटल	सिराधु-212217	इलाहाबाद	3
13.	महिला चिकित्सालय	रानीखेत-262645	अलमोडा	4
14.	तहसील हास्पिटल	लालगंज-276202	आजमगढ़	5
15.	महिला हास्पिटल	मउनाथ भंजन-275001	आजमगढ़	5
16.	महिला हास्पिटल	बिशौली-202520	बदाऊं	6
17.	महिला हास्पिटल	उझानी-243639	बदाऊं	6
18.	महिला हास्पिटल	भिंगा-271831	बहराइच	7
19.	महिला हास्पिटल	केसरगंज-271903	बहराइध	7

1	2	3	4	5
20.	महिला हास्पिटल	ननपारा-271885	बहराइच	7
21.	महिला हास्पिटल	बंशडीह-277202	बलिया	8
22.	महिला हास्पिटल	नवीन नगर-276204	बलिया	8
23.	महिला हास्पिटल	रसदा-221712	बलिया	8
24.	महिला हास्पिटल	अटार-210201	बांदा	9
25.	महिला हास्पिटल	कारवी-210205	बांदा	9
26.	महिला हास्पिटल	मसौली-227115	बाराबंकी	10
27.	महिला हास्पिटल	आमला-243301	बरेली	11
28.	महिला हास्पिटल	बहदी-243201	बरेली	11
29.	महिला हास्पिटल	फरीदपुर-243503	बरेली	11
30.	महिला हास्पिटल	खलीलाबाद-272175	बस्ती	12
31.	महिला हास्पिटल	नौगढ़-272203	बस्ती	12
32.	महिला हास्पिटल	धमपुर-246761	बिजनौर	13
33.	महिला हास्पिटल	नगीना-224676	बिजनौर	13
34.	महिला हास्पिटल	नजीबाबाद-246001	बिजनौर	13
35.	महिला हास्पिटल	अनुपशहर-202390	बुलन्दशहर	14
36.	महिला हास्पिटल	खुर्जा-203131	बुलन्दशहर	14
37.	संयुक्त हास्पिटल	सिकन्दराबाद-203205	बुलन्दशहर	14
38.	महिला हास्पिटल	जोशीमठ-246443	चमोली	15
39.	महिला हास्पिटल	विकासनगर-248198	देहरादून	16
40.	महिला हास्पिटल	हटा-274203	देवरिया	17
41.	महिला हास्पिटल	पदरौना-274304	देवरिया	17
42.	महिला हास्पिटल	तमकोही-274407	देवरिया	17
43.	महिला हास्पिटल	गंजदूनद्वारा-207001	एटा	18
44.	महिला हास्पिटल	जलेसर-207302	एटा	18
45.	महिला हास्पिटल	कासगंज-207123	एटा	18
46.	महिला हास्पिटल	अरिया-206122	इटावा	19
47.	महिला हास्पिटल	भरथाना 206242	इटावा	19

1	2	3	4	5
48.	महिला चिकित्सालय	बिदुना-206243	इटावा	19
49.	महिला चिकित्सालय	अकबरपुर-224122	फैजाबाद	20
50.	महिला चिकित्सालय	अयोध्या-224123	फैजाबाद	20
51.	महिला चिकित्सालय	टांडा-224190	फैजाबाद	20
52.	महिला चिकित्सालय	छिबरामउ-202721	फरूखाबाद	21
53.	महिला चिकित्सालय	कैमगंज-207502	फरूखाबाद	21
54.	महिला चिकित्सालय	शमशाबाद-207503	फरूखाबाद	21
55.	महिला चिकित्सालय	बिन्दाकी-212635	फतेहपुर	22
56.	महिला चिकित्सालय	फतेहपुर-212601	फतेहपुर	22
57.	महिला चिकित्सालय	चंदौसी-202412	गाजियाबाद	24
58.	महिला चिकित्सालय	दादरी-203207	गाजियाबाद	24
59.	महिला चिकित्सालय	हापुड़-245101	गाजियाबाद	24
60.	महिला चिकित्सालय	पिलखुआ-245304	गाजियाबाद	24
61.	महिला चिकित्सालय	साइदपुर-245411	गाजीपुर	25
62.	महिला अस्पताल	जमानिया-232329	गाजीपुर	25
63.	महिला चिकित्सालय	बलरामपुर-271201	गौंडा	26
64.	तहसील अस्पताल	मानिकपुर-271302	गौंडा	26
65.	महिला चिकित्सालय	उतराउला-271604	गौंडा	26
66.	तहसील अस्पताल	बासगांव-273403	गोरखपुर	27
67.	महिला चिकित्सालय	सिसवाबाजार-273153	गोरखपुर	27
68.	महिला चिकित्सालय	चरखारी-210421	हमीरपुर	28
69.	महिला चिकित्सालय	महोवा-210422	हमीरपुर	28
70.	महिला चिकित्सालय	रथ-210431	हमीरपुर	28
71.	महिला चिकित्सालय	संदिला-241204	हरदोई	29
72.	महिला चिकित्सालय	शाहबाद-241124	हरदोई	29
73.	महिला चिकित्सालय	विलग्राम-206001	हरदोई	29
74.	महिला चिकित्सालय	ऋषिकेश-249201	हरिद्वार	30
75.	महिला चिकित्सालय	हरिद्वार-249401	हरिद्वार	30

1	2	3	4	5
76.	महिला चिकित्सालय	जालौन-285123	जालौन	31
77.	महिला चिकित्सालय	काल्पी-285204	जालौन	31
78.	महिला चिकित्सालय	कुंच-285205	जालौन	31
79.	महिला चिकित्सालय	मछलीशहर-222143	जौनपुर	32
80.	महिला चिकित्सालय	मर्दयान-222161	जौनपुर	32
81.	महिला चिकित्सालय	शाहगंज-223101	जौनपुर	32
82.	महिला चिकित्सालय	मौरानीपुर-284001	झांसी	33
83.	महिला चिकित्सालय	समथार-284304	झांसी	33
84.	महिला चिकित्सालय	बिलिनोर-209202	कानपुर (ग्रामीण)	34
85.	तहसील अस्पताल	डेरापुर-209301	कानपुर (ग्रामीण)	34
86.	महिला चिकित्सालय	घाटमपुर-209001	कानपुर (ग्रामीण)	34
87.	महिला चिकित्सालय	कन्नौज-209725	कानपुर (ग्रामीण)	34
88.	महिला चिकित्सालय	पुखराया-209111	कानपुर	34
89.	महिला चिकित्सालय	रूरा-209303	कानपुर	34
90.	महिला चिकित्सालय	गोलाघाट-262802	खेरी	36
91.	महिला चिकित्सालय	मोहम्मदी-262804	खेरी	36
92.	महिला चिकित्सालय	पालिया-262902	खेरी	36
93.	महिला चिकित्सालय	सम्पूर्णनगर-262904	खेरी	36
94.	महिला चिकित्सालय	तलबेहाट-284126	ललितपुर	37
95.	महिला चिकित्सालय	मोहन लालगंज-227305	लखनऊ	38
96.	महिला चिकित्सालय	सरोजनी नगर-226008	लखनऊ	38
97.	महिला चिकित्सालय	बेवाड-206301	मैनपुरी	40
98.	महिला चिकित्सालय	शिकोहाबाद-205135	मैनपुरी	40
99.	महिला चिकित्सालय	कोसी कलां-281403	मथुरा	41
100.	तहसील अस्पताल	मंथ-281202	मथुरा	41
101.	महिला चिकित्सालय	सादाबाद-281306	मथुरा	41
102.	महिला चिकित्सालय	वृंदावन-281121	मथुरा	41
103.	महिला चिकित्सालय	हस्तिनापुर-250404	मेरठ	43

1	2	3	4	5
104.	महिला चिकित्सालय	मवाना-250401	मेरठ	43
105.	तहसील अस्पताल	सरधना-250342	मेरठ	43
106.	महिला अस्पताल	चुनार-231304	मिर्जापुर	44
107.	महिला चिकित्सालय	रोबर्ट गंज-231216	मिर्जापुर	44
108.	महिला चिकित्सालय	अमरोहा-244221	मुरादाबाद	45
109.	महिला चिकित्सालय	हसनपुर-244241	मुरादाबाद	45
110.	महिला चिकित्सालय	संभल-244302	मुरादाबाद	45
111.	तहसील अस्पताल	जनसाथ-251314	मुजफ्फरनगर	46
112.	वोमनस अस्पताल	कैराना-247774	मुजफ्फरनगर	46
113.	महिला चिकित्सालय	खतौली-251201	मुजफ्फरनगर	46
114.	महिला चिकित्सालय	शामली-247776	मुजफ्फरनगर	46
115.	महिला चिकित्सालय	हल्दवानी-263139	नैनीताल	47
116.	महिला चिकित्सालय	नैनीताल-263001	नैनीताल	47
117.	महिला चिकित्सालय	रामनगर-241001	नैनीताल	47
118.	महिला चिकित्सालय	रूलरपुर-263001	नैनीताल	47
119.	महिला चिकित्सालय	टनकपुर-262309	नैनीताल	47
120.	महिला चिकित्सालय	पट्टी-230135	प्रतापगढ़	48
121.	महिला चिकित्सालय	कोटद्वार-246149	पौढ़ीगढ़वाल	49
122.	महिला चिकित्सालय	श्रीनगर-246174	पौढ़ीगढ़वाल	49
123.	महिला चिकित्सालय	बिलासपुर-244921	पीलीभीत	50
124.	महिला चिकित्सालय	गोलाकोरन्नाथ-262802	पीलीभीत	50
125.	महिला चिकित्सालय	पुरनपुर-262122	पीलीभीत	50
126.	महिला चिकित्सालय	लोहाघाट-272175	पिथौरागढ़	51
127.	महिला चिकित्सालय	जैस-229305	राय बरेली	52
128.	महिला चिकित्सालय	लाल गंज-229206	राय बरेली	52
129.	तहसील अस्पताल	महाराज गंज-229128	राय बरेली	52
130.	महिला चिकित्सालय	देवबंद-247554	सहारनपुर	54
131.	महिला चिकित्सालय	जलालाबाद-242221	शाहजहांपुर	55

1	2	3	4	5
132.	महिला चिकित्सालय	तिलहार-242307	शाहजहांपुर	55
133.	महिला चिकित्सालय	बिसवान-261201	सीतापुर	57
134.	जैड॰ जैड॰ अस्पताल	महमूदाबाद-206451	सीतापुर	57
135.	महिला चिकित्सालय	मिसरिख-261401	सीतापुर	57
136.	महिला चिकित्सालय	गौरीगंज-227409	सुलतानपुर	59
137.	तहसील अस्पताल	कादी पुर-228145	सुलतानपुर	59
138.	महिला चिकित्सालय	मुसाफिरखाना-227813	सुलतानपुर	59
139.	तहसील अस्पताल	टेहरी-249001	टेहरी गढ़वाल	60
140.	महिला चिकित्सालय	बंगर मउ-241501	उन्नाव	61
141.	महिला चिकित्सालय	मौरावं-209821	उन्नाव	61
142.	महिला चिकित्सालय	सफीपुर-241504	उन्नाव	61
143.	तहसील अस्पताल	बडकोट-241401	उत्तर काशी	62
144.	महिला चिकित्सालय	चोकिया-232103	वाराणसी	63
145.	महिला चिकित्सालय	ज्ञानपुर-221304	वाराणसी	63
146.	महिला चिकित्सालय	मुगल सराय-232101	वाराणसी	63
147.	एल॰ बी॰ शास्त्री चिकित्सालय	रामनगर-221008	वाराणसी	63
		पश्चिम बंगाल		
1.	सब डिस्ट्रीक्टस अस्पताल	बरसात-743201	24 परगनास (नार्थ)	1
2.	सब डिस्ट्रीक्टस अस्पताल	बर्रराकपुर-743101	24 परगनास (नार्थ)	1
3.	सब डिस्ट्रीक्टस अस्पताल	बसीरहाट-743411	24 परगनास (नार्थ)	1
4.	सब डिस्ट्रीक्टस अस्पताल	भटपाड़ा-743123	24 परगनास (नार्थ)	1
5.	सव डिस्ट्रीक्टस अस्पताल	वोनगांव-743235	24 परगनास (नार्थ)	1
6.	स्टेट जन॰ अस्पताल	हेबरा स्टेट-743263	24 परगनास (नार्थ)	1
7.	जनरल अस्पताल	नेईहाती-731220	24 परगनास (नार्थ)	1
8.	जनरल अस्पताल	पनीहाती-743176	24 परगनास (नार्थ)	1
9.	जनरल अस्पताल	सेनगरदत्ता-731001	24 परगनास (नार्थ)	1
10.	रूरल अस्पताल	केनिंग-743329	24 परगनास (साउथ)	2
11.	सब डिस्ट्रीक्टस अस्पताल	डायमंड हर्बर-743331	24 परगनास (साउथ)	2

1	2	3	4	5
12.	सब डिस्ट्रीक्टस अस्पताल	विष्णुपुर-722001	बंकुरा	3
13.	जनरल हास्पिटल	बोलपुर-731204	वीरभूम	4
14.	उपजिला अस्पताल	रामपुरहट-731224	वीरभूम	4
15.	उपजिला अस्पताल	आसनसोल-713301	वर्दवान	5
16.	रूरल अस्पताल	भटार-713125	वर्दवान	5
17.	कलना एस॰ डी॰ अस्पताल	वर्दवान-713101	वर्दवान	5
18.	उप जिला अस्पताल	दुर्गापुर-713201	वर्दवान	5
19.	उप जिला अस्पताल	कटवा-713130	वर्दवान	5
20.	जनरल हास्पिटल	बेलीघटा-700010	कलकत्ता	6
21.	एस एन पंडित हास्पिटल	कामघतिपुर-700058	कलकत्ता	6
22.	जनरल अस्पताल	विधासागर-700001	कलकत्ता	6
23.	जनरल अस्पताल	दिनहटा-735135	कलकत्ता	6
24.	उप जिला अस्पताल	मथाभंगा-736146	कूँच	6
25.	उप जिला अस्पताल	कलिम्पौंग-734301	कूँच	7
26.	उप जिला अस्पताल	कलिम्पौंग-734301	दार्जलिंग	8
27.	उप जिला अस्पताल	कार्सियांग	दार्जलिंग	8
28.	रुरल अस्पताल	नक्सलवारी-734429	दार्जलिंग	7
29.	उप जिला अस्पताल	सिलिगुडी-734401	दार्जलिंग	7
30.	रुरल अस्पताल	चंडीतला-712702	दिनापुर (वेस्ट)	8
31.	रुरल अस्पताल	गंगारामपुर-733134	दिनापुर (वेस्ट)	8
32.	उपजिला अस्पताल	रामगंज-733134	दिनापुर (वेस्ट)	8
33.	उपजिला अस्पताल	आराम बाग-712601	हुगली	12
34.	उपजिला अस्पताल	चन्दन नगर-712138	हुगली	12
35.	उपजिला अस्पताल	इस्लामपुर-733202	हुगली	12
36.	उपजिला अस्पताल	सारनपुर-712201	हुगली	12
37.	उपजिला अस्पताल	उलुबेरिया-711315	हुगली	12
38.	जनरल अस्पताल	उत्तरपरा-712758	हुगली	12
39.	रुरल अस्पताल	बधन हावडा-711303	हावडा	12

1	2	3	4	5
40.	स्टेट जनरल अस्पताल	गबेबेरिया-711101	हावड़ा	13
41.	उपजिला अस्पताल	अलापुर द्वार-736121	जलपाइगुडी	14
42.	जनरल अस्पताल	बीरपरा-735205	जलपाइगुडी	14
43.	रुरल अस्पताल	माल-735225	जलपाइगुडी	14
44.	उप जिला अस्पताल	राणाघाट-741142	मालदा	15
45.	उप जिला अस्पताल	कान्तई-721401	मीवनापुर	16
46.	जनरल अस्पताल	दिघा-721428	मीवनापुर	16
47.	उप जिला अस्पताल	घटल-721212	मीवनापुर	16
48.	उप जिला अस्पताल	झरगराम-721507	मीवनापुर	16
49.	जनरल अस्पताल	खडगपुर-721301	मीवनापुर	16
50.	भा॰ रेडक्रास सो॰ अस्पताल	मिदनापुरी-721101	मीदनापुर	16
51.	गवर्मेंट अस्पताल	तमलूक-721636	मीदनापुर	16
52.	उप जिला अस्पताल	जागीपुर-742213	मुरसीदाबाद	17
53.	कोंडी जी॰ जी॰ हास्पिटल	कोन्डी-721401	मुरसीदाबाद	17
54.	उप जिला अस्पताल	लालबाग-742416	मुरसीदाबाद	17
55.	रुरल अस्पताल	मेनबाजार-723131	पुरलिया	19
		दिल्ली		
1.	दीनवयाल उपाध्याय अस्पताल	हरि नगर, न॰ दि॰ 110018	नई दिल्ली	2
2.	मालवीय नगर अस्पताल	नई दिल्ली-110017	नई दिल्ली	2
3.	तिलक नगर अस्पताल	नई दिल्ली-110018	नई दिल्ली	2
4.	कालका जी अस्पताल	नई दिल्ली-110019	नई दिल्ली	2
5.	मूल चन्द अस्पताल	नई दिल्ली-110048	नई दिल्ली	

एच सी -अस्पताल कोड डी सी - जिला कोड

आन्ध्र प्रदेश राज्य में 31.3.98 की स्थिति के अनुसार कार्यरत शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची :

क्रम सं॰	नाम और पता	जिला	एजेंसी	टाइप
1	2	3	4	5
1.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, टेक्कली	श्रीकाकूलम	सरकारी	I
2.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, इच्छापूर्णी	श्री काकूलम	सरकारी	I
3.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पालकोन्डा	श्री काकूलम	सरकारी	II
4.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, ऐलमानचिलि	विशाखापटनम	सरकारी	I

1	2	3	4	5
5.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, चोडावरियाम	विशाखापटनम	सरकारी	I
6.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, नार्सिपटनम	विशाखापटनम	सरकारी	I
7.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बेमूनीपटनम	विशाखापटनम	सरकारी	I
8.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अनाकापल्ली	विशाखापटनम	सरकारी	I
9.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अनाकापल्ली	विशाखापटनम	सरकारी	III
10.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अराकूवेल्ली	विशाखापटनम	सरकारी	III
11.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, के॰ जी॰ अस्पताल	विशाखापटनम	सरकारी	III
12.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, के॰ जी॰ अस्पताल	विशाखापटनम	सरकारी	III
13.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, डब्ल्यू॰ एण्ड सी अ॰	विशाखापटनम	सरकारी	III
14.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, चिपुरुपल्ली	विजियानगरम	सरकारी	I
15.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, प्रभातपुरम	विजियानगरम	सरकारी	II
16.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, विजयानगरम	विजियानगरम	सरकारी	III
17.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गाजापाथनिगरम	विजियानगरम	सरकारी	III
18.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, रामचन्द्रपुरम	पूर्वीगोदावरी	सरकारी	I
19.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, तूरील	पूर्वीगोदावरी	सरकारी	I
20.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, रामाधन्द्रपुरम	पूर्वीगोदावरी	सरकारी	I
21.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, तूरिल	पूर्वीगोदावरी	सरकारी	II
22.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, काकिनाडा	पूर्वीगोदावरी	सरकारी	III
23.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, राजामून्दरी	पूर्वीगोदावरी	सरकारी	III
24.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, चिन्तालापुडी	पश्चिमीगोदावरी	सरकारी	I
25.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, निदादवोलू	पश्चिमीगोदावरी	सरकारी	II
26.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पालाकोल्लू	पश्चिमीगोदावरी	सरकारी	II
27.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, नारसापुर	पश्चिमीगोदावरी	सरकारी	II
28.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पोलावरम	पश्चिमीगोदावरी	सरकारी	II
29.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पालावरम	पश्चिमीगोदावरी	सरकारी	II
30.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, भिमावरम	पश्चिमीगोदावरी	सरकारी	III
31.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कैकालूरू	कृष्णा	सरकारी	I
32.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गन्नावरम	कृष्णा	सरकारी	I
33.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, विजयावादा	कृष्णा	सरकारी	III

1	2	3	4	5
34.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, विजयावादा	कृष्णा	सरकारी	III
35.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, ई॰ एस॰ आई॰	कृष्णा	सरकारी	III
36.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी हेडक्वाटर अस्पताल	कृष्णा	सरकारी	III
37.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी हेडक्वाटर अस्पताल	कृष्णा	सरकारी	III
38.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मनचेरला	गुन्टूर	सरकारी	I
39.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मंगलापुरी	गुन्टूर	सरकारी	I
40.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, रिपैलर	गुन्टूर	सरकारी	I
41.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पन्नूर	गुन्टूर	सरकारी	I
42.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, चिलिकालूरीपेट	गुन्टूर	सरकारी	II
43.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, ई॰ एस॰ आई॰ गुन्टूर	गुन्टूर	सरकारी	III
44.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मारकापुर	प्रकाशम	सरकारी	I
45.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कन्दूकूर	प्रकाशम	सरकारी	I
46.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, वेलापालम	प्रकाशम	सरकारी	I
47.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कांगिरि	प्रकाशम	सरकारी	I
48.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कोवूर			
49.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, वेकेंटागिरि	नेल्लोर	सरकारी	I
50.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आत्माकुर	नेल्लोर	सरकारी	I
51.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सुलूरपेट	नेल्लोर	सरकारी	I
52.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गुदूर	नेल्लोर	सरकारी	II
53.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, जमालामुदुगु	कुडडपाह	सरकारी	I
54.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, रायाचोटी	कुड्डपाह	सरकारी	I
55.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, नन्दीकोटकूर	करनूल	सरकारी	I
56.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, ऐमीगानूर	करनूल	सरकारी	I
57.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरसैलम	करनूल	सरकारी	I
58.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पट्टीकोन्डा	करनूल	सरकारी	I
59.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बागमपल्ली	करनूल	सरकारी	I
60.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एम सी एच प्रसूतिकेन्द्र	करनूल	सरकारी	III
61.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, रायदुर्ग	अनन्तपुर	सरकारी	I

1	2	3	4	5
62.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कदरी	अनन्तपुर	सरकारी	I
63.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, धर्मावरम	अनन्तपुर	सरकारी	I
64.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, उर्वाकोन्डा	अनन्तपुर	सरकारी	I
65.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, केनकल	अनन्तपुर	सरकारी	I
66.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, टेडपटरी	अनन्तपुर	सरकारी	I
67.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पेनूकोडा	अनन्तपुर	सरकारी	I
68.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गून्टाकल	अनन्तपुर	सरकारी	III
69.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पुत्तूर	चित्तौड़	सरकारी	I
70.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पलमानूरू	चित्तौड़	सरकारी	I
71.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकलाहस्ती	चित्तौड़	सरकारी	II
72.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, ऐलनान्दू	खेमाम	सरकारी	I
73.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बदरचलम	खेमाम	सरकारी	I
74.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पलवान्चा	खेमाम	सरकारी	I
75.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कोटगुडम	खेमाम	सरकारी	III
76.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पेड्डापल्ली	करीमनगर	सरकारी	I
77.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, जगतियाल	करीमनगर	सरकारी	I
78.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मेटापल्ली	करीमनगर	सरकारी	I
79.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मनचेरियल	करीमनगर	सरकारी	I
80.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, चेन्नूर	करीमनगर	सरकारी	I
81.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बैनसा	करीमनगर	सरकारी	I
82.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कजागनगर	करीमनगर	सरकारी	I
83.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, जनगोन	वारांगल	सरकारी	I
84.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, महबूबाबुद	वारांगल	सरकारी	I
85.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, जनगोन	वारांगल	सरकारी	II
86.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मतवादा	वारांगल	सरकारी	III
87.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मतवादा	वारांगल	सरकारी	III
88.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आलमपुर	महबूबनगर	सरकारी	I
89.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सिद्दीपेट	मेडक	सरकारी	I
90.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मेडक	मेडक	सरकारी	I

1	2	3	4	5
91.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सदाशिवापेट	मेडक	सरकारी	I
92.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, संगारेड्डी	मेडक	सरकारी	I
93.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, भानगिर	नैगोंडा	सरकारी	
94.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, विजयपुरी	नैगोंडा	सरकारी	III
95.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, हुजूरनगर	नैगोंडा	सरकारी	III
96.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आरमूर	नैगोंडा	सरकारी	I
97.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कामारेड्डी	निजामाबाद	सरकारी	
98.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बन्सवादा	निजामाबाद	सरकारी	
99.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बोधना	निजामाबाद	सरकारी	II
100.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, निजामाबाद	निजामाबाद	सरकारी	III
101.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, विक्राबाद	निजामाबाद	सरकारी	
102.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अलवाल	निजामाबाद	सरकारी	
103.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मैट अस्पताल, नयापूल	हैदराबाद	सरकारी	III
104.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गोंधी अस्पताल, सिकन्दराबाद	हैदराबाद	सरकारी	III
105.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सुल्तान बाजार, हैदराबाद	हैदराबाद	सरकारी	III
106.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, निलोफर अस्पताल, हैदराबाद	हैदराबाद	सरकारी	III
107.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गोलकोन्डा अस्पताल, हैदराबाद	हैदराबाद	सरकारी	III
108.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आर एच एफ डब्ल्यू॰ टीसी सुल्तान बाजार	हैदराबाद	सरकारी	III
109.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, नामपल्ली अस्पताल बाजारघाट	हैदराबाद	सरकारी	III
110.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सूरजभान अस्पताल चंदुलाबेला	हैदराबाद	सरकारी	III
111.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, न्यू बायोगुदा नामूलगुदु	हैदराबाद	सरकारी	III
112.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पानबाजार	हैदराबाद	सरकारी	III
113.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बेंगम बाजार	हैदराबाद	सरकारी	III
114.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पूरना फूल	हैदराबाद	सरकारी	III
115.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, दारुलसिजा पुराना हवेली	हैदराबाद	सरकारी	III

1	2	3	4	5
116.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, हरजपेन्टा	हैदराबाद	सरकारी	III
117.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, भोगुलाकुन्दा कांगकोली	हैदराबाद	सरकारी	III
118.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आगापुरा हिन्दी नगर	हैदराबाद	सरकारी	III
119.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बेलागंज	हैदराबाद	सरकारी	III
120.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, उंदाबाजार मकेलाबांदा	हैदराबाद	सरकारी	III
121.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, करवान	हैदराबाद	सरकारी	III
122.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्पताल मालकपेट	हैदराबाद	सरकारी	III
123.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गुविदियानारमगंगामहल	हैदराबाद	सरकारी	III
124.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सूरभान अस्पताल चारमिनार	हैदराबाद	सरकारी	III
125.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, याकुतपुरा	हैदराबाद	सरकारी	III
126.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, डा॰ पौलदास सेन्टर, रामगंज	हैदराबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
127.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, लेडीबुस्तान सेन्टर	हैदराबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
128.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰ लकादिकापूल	हैदराबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
129.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एफ॰ पी॰ ए॰ आई, समाजगुदा	हैदराबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
130.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, शान्तिनगर	हैदराबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
131.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, काकिनादा	पूर्वी गोदावरी	स्वैच्छिक संगठन	III

असम राज्य में 31.3.98 की स्थिति के अनुसार कार्यरत शहरी परिवार कल्याण केन्द्र की सूची

1.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सिविलअस्पताल, लम्थडींग	नागौन	सरकारी	I
2.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एम॰ सी॰ डब्ल्यू॰ सेन्टर	डिब्रूगढ़	सरकारी	:
3.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, राज्य डिस्पेंसरी, मौरैनी	जोरहाट	सरकारी	III
4.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पी॰ एच॰ सी॰, बदरपुर	करीमगंज	सरकारी	II
5.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, राज्य डिस्पेंसरी, टंगला	दारांग	सरकारी	III
6.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, रंगापाड़ा	सोनितपुर	सरकारी	II
7.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बारपेटारोड, पी॰ एच॰ सी॰	बारापेटा	सरकारी	II
8.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सिविल अस्पताल, दुम-दुम	तिनसुकिया	सरकारी	I
9.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, राज्य डिस्पेंसरी दरगांव	गोलाघाट	सरकारी	III
10.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, राज्य डिस्पेंसरी. दिगबोक	तिनसुकिया	सरकारी	III

1	2	3	4	5
	बिहार राज्य में 31.3.98 की स्थिति के अनुसार कार्यरत परिवार कल्याण केन्द्र की सूची			
1.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, खन्गोल	पटना	सरकारी	I
2.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, हथेवा	गोपालगंज	सरकारी	I
3.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, झरिया	धनबाद	सरकारी	II
4.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कुमार दुग्गी	धनबाद	सरकारी	II
5.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, जोरापोखर	धनबाद	सरकारी	II
6.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सिकन्दरी	धनबाद	सरकारी	II
7.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, डेहरी	रोहतास	सरकारी	II
8.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गोगिरी	गिरिडिह	सरकारी	II
9.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बरौनी	बेगुसराय	सरकारी	II
10.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मोकामा	पटना	सरकारी	II
11.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, दंमरी	हजारीबाग	सरकारी	II
12.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पतरात	हजारीबाग	सरकारी	II
13.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, तिलिया	हजारीबाग	सरकारी	II
14.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, डीह	हजारीबाग	सरकारी	II
15.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बोकारास्टीलप्लान्ट, बोकारा	धनबाद	सरकारी	II
16.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, जगन्नाथपुर	रांची	सरकारी	II
17.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, जमशेदपुर	सिंघभूम	सरकारी	III
18.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, दानापुर	पटना	सरकारी	III
19.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गार्दिनीबाग	पटना		
20.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, न्यू गार्डनर रोड	पटना	सरकारी	III
21.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, हजारीबाग	हजारीबाग	सरकारी	III
22.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, भागलपुर	भागलपुर	सरकारी	III
23.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, दरभंगा	दरभंगा	सरकारी	III
24.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, जमालपुर	मुंघेर	सरकारी	III
25.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, रांची	रांची	सरकारी	III
26.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, चक्रधारपुर	सिंघभूम	सरकारी	III
27.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰ ताजपुर	समस्तीपुर	स्वैच्छिक संगठन	III

1	2	3	4	5
28.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, एफ० पी० ए० आई० मुक्तापुर	समस्तीपुर	स्वैच्छिक संगठन	।।।
29.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, बिहार, काउंसिल ऑफ ओमेन	पटना	स्वैच्छिक संगठन	।।।
30.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, डा० घोष नर्सिंग होम, मुज्जफरपुर	मुज्जफरपुर	स्वैच्छिक संगठन	।।।
31.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, बिहार लोक सेवा संगठन, भक्तियारपुर	पटना	स्वैच्छिक संगठन	।।।
32.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, एफ० सी० एच० केन्द्र, खगोल		स्वैच्छिक संगठन	।।।
33.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, एम० सी० एच० केन्द्र, पटना शहर	पटना	स्वैच्छिक संगठन	।।।
34.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, टी० आई० एस० सी० ओ० जमशेदपुर	सिंघभूम	स्वैच्छिक संगठन	।।।
35.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, परिवार कल्याण संस्था, रानू खगरिया		स्वैच्छिक संगठन	।।।
36.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, गौतमबुद्ध हेल्थ फमिली वेलफेयर, संघ, वैशाली		स्वैच्छिक संगठन	।।।
37.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, श्री देव नर्सिंग होम, मुज्जफरनगर	मुज्जफरनगर	स्वैच्छिक संगठन	।।।
38.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, लेडी रदरफोर्ड एम सी एच केन्द्र गरदानी बाग	पटना	स्वैच्छिक संगठन	।।।
39.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, लेडी सिस्टर एम सी एच केन्द्र, भनवार, पोखर	पटना	स्वैच्छिक संगठन	।।।
40.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, लेडी हाबिलर एम एण्ड सी डब्ल्यू केन्द्र, गुलबार बाग	पटना	स्वैच्छिक संगठन	।।।
41.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, लेडी स्टेफनसन एमसीडब्ल्यू केन्द्र मंगलतलाब	पटना	स्वैच्छिक संगठन	।।।
42.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, (नामअज्ञात)		स्वैच्छिक संगठन	।।।

31.3.97 तक गुजरात राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची

1.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, ईएसआईएस डिस्पेंसरी, अहमदाबाद	अहमदाबाद	स्वैच्छिकसंगठन	।।।
2.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, आई आर सी एस, हिमावान	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	।।।
3.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, ज्योतिसंघ, कालुपुर	अहमदाबाद	स्वैच्छिकसंगठन	।।।
4.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, ज्योतिसंघ, राजपुर	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	।।।
5.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, अशोकमिल्स लिमिटेड, नरोदा	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	।।।
6.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, एआईडब्ल्यू० सी०, अहमदाबाद	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	।।।
7.	शहरी परि० कल्याण केन्द्र, डीसीपी शाहीबाग, अहमदाबाद	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	।।

1	2	3	4	5
8.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, निरमान नर्सिंग होम	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
9.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र सिटिजन काउन्सिल आफ अहमदाबाद	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
10.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आईएमए, एफ॰ पी॰ कमेटी रैखाद	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
11.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आईएमए, एफ॰ पी॰ कमेटी सी॰ रास्ता	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
12.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आईएमए, ओल्ड वाडाज	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
13	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आईएमए, डा॰ रन्छादजीमन्दिर	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
14.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आईएमए, भूलाभाई पार्क	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
15.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आईएमए, मेंघनीनगर	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
16.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, खोखरा	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
17.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आई एम गोमतीपुर	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
18.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आईएमए, अम्बूवावी	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
19.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आई एम ए रायपुर	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
20.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आईएमए, दरियापुर	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
21.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, चमनपुरा	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
22.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गुजरात शायोगाट्रस्ट	अहमदाबाद	स्वैच्छिक संगठन	III
23.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, वाई॰ वी॰ आरोग्यमंडल	बड़ौदा	स्वैच्छिक संगठन	III
24.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, के॰ के॰ कल्याण केन्द्र, गांदी	बड़ौदा	स्वैच्छिक संगठन	III
25.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, डा॰ आई॰ टी॰ पटेल ट्रस्टरायपुरा	बड़ौदा	स्वैच्छिक संगठन	III
26.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एफजीएमएण्डआई आरसी वत्ता रोड	बड़ौदा	स्वैच्छिक संगठन	I
27.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बी॰ ए॰ जनरल अस्पताल	बड़ौदा	स्वैच्छिक संगठन	III
28.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एमएस ट्रस्ट, पैलेस रोड	बड़ौदा	स्वैच्छिक संगठन	III
29.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आर॰ सी॰ सर्विस केन्द्र	बड़ौदा	स्वैच्छिक संगठन	III
30.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मेडिकल केयर सेंटर ट्रस्ट	बड़ौदा	स्वैच्छिक संगठन	III
31.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, ए॰ बी॰ बी॰ मंडल	भावनगर	स्वैच्छिक संगठन	III
32.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, बेदवानेयरा	भावनगर	स्वैच्छिक संगठन	III
33.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एफ॰ पी॰ ए॰ आई, मुमकोटा	भावनगर	स्वैच्छिक संगठन	III

1	2	3	4	5
34.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, वाशिंगघाट	भावनगर	स्वैच्छिक संगठन	III
35.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एस॰ वी॰ प्रसुति गृह, राजपिपिला	भारूच	स्वैच्छिक संगठन	II
36.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, के॰ वी॰ आर॰ मंडल, वालसाद	वालसाद	स्वैच्छिक संगठन	III
37.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, महिला मंडल	जामनगर	स्वैच्छिक संगठन	III
38.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, टाटा केमिकल, मिथापुर	जामनगर	स्वैच्छिक संगठन	I
39.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, रोटेरी क्लब, जामनगर	जामनगर	स्वैच्छिक संगठन	III
40.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, जवाहररोड	जुनागध	स्वैच्छिक संगठन	III
41.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आईआरसीएस॰ रापदवांज	खेदा	स्वैच्छिक संगठन	III
42.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एसआरएस मंडल, आनन्द	खेदा	स्वैच्छिक संगठन	III
43.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एसएचजेएम अस्पताल नदियाद	खेदा	स्वैच्छिक संगठन	III
44.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आईएम कैम्बे	खेदा	स्वैच्छिक संगठन	III
45.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बी॰ एस॰ मंडल, कालोल	पंचमहल	स्वैच्छिक संगठन	III
46.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एआईडब्ल्यूसीगोधरा	पंचमहल	स्वैच्छिक संगठन	III
47.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एचएमए मंडल, हालोल	पंचमहल	स्वैच्छिक संगठन	I
48.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, जी॰ ए॰ वी॰, पेरीसाद, दाहोद	पंचमहल	स्वैच्छिक संगठन	III
49.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आई॰ आर॰ सी॰ एस, पदमानगर	राजकोट	स्वैच्छिक संगठन	III
50.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आई॰ आर॰ सी॰ एस, रामनाथपारा, राजकोट	राजकोट	स्वैच्छिक संगठन	III
51.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एआईडब्ल्यू॰ सी॰, सुवा	राजकोट	स्वैच्छिक संगठन	III
52.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एमएण्डसी॰, वेल्फेयर पुलिस लाइन	राजकोट	स्वैच्छिक संगठन	I
53.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आई॰ आर॰ सी॰ एस॰, लोहनापारा	राजकोट	स्वैच्छिक संगठन	III
54.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आई॰ आर॰ सी॰ एस॰, भोजपारा	राजकोट	स्वैच्छिक संगठन	III
55.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, एनआर गुरुकुल	राजकोट	स्वैच्छिक संगठन	III
56.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एस॰ एस॰ ए॰, मंडल, वत्रा बयाद	सबरकन्ठा	स्वैच्छिक संगठन	III
57.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, ए॰ आई॰ डब्ल्यू॰ सी॰ वेदगाह चकला	सूरत	स्वैच्छिक संगठन	III
58.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आई॰ एम॰ ए॰ ननपुरा	सूरत	स्वैच्छिक संगठन	III

1	2	3	4	5
59.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एस॰ जी॰ यू॰ शाह एम॰ सेन्टर	सुरेन्दरनगर	स्वैच्छिक संगठन	II
60.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आई॰ एम॰ ए॰, रेन्दर	सूरत	स्वैच्छिक संगठन	III
61.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, विरामगम म्यूनिसिपल्टी	विरागम	लोकलबाडी	II
62.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, धान्धूका म्यूनिसिपल्टी	धान्धूका	लोकलबाडी	I
63.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, देहगम नागरपंचायत	देहगम	लोकलबाडी	I
64.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, सावमती	अहमदावाद	लोकलबाडी	III
65.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, शाहपुर	अहमदाबाद	लोकलबाडी	III
66.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, कंकरिया	अहमदाबाद	लोकल बाडी	III
67.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, उस्मानपुरा	अहमदाबाद	लोकल बाडी	III
68.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, नरौदा	अहमदाबाद	लोकल बाडी	III
69.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, खोखरा	अहमदाबाद	लोकल बाडी	III
70.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, रखियाल	अहमदाबाद	लोकल बाडी	III
71.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, दानीलिमदा	अहमदाबाद	लोकल बाडी	III
72.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, जमालपुर	अहमदाबाद	लोकल बाडी	III
73.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, मंगलेश्वर	बरौदा	लोकल बाडी	III
74.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, भावनगर पालिका	भावनगर	लोकल बाडी	II
75.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अंकलेश्वर म्यूनिसिपलीटी	भारूच	लोकल बाडी	II
76.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, विल्लीमोरा नगरपालिका	वाल्साद	लोकल बाडी	II
77.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, जामनगर	जामनगर	लोकल बाडी	III
78.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पोरबन्दर म्यूनिसिपलीटी	जूनागढ़	लोकल बाडी	II
79.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, वेरवाल नगरपालिका	जूनागढ़	लोकल बाडी	III
80.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बोरसन्द नगरपालिका	खेड़ा	लोकल बाडी	II
81.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, भुजनगरपालिका	कुच भुज	लोकल बाडी	III
82.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मेहसाना म्यूनिसिपालटी	मेहसाना	लोकल बाडी	II
83.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अपलेट नगरपालिका	राजकोट	लोकल बाडी	II
84.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	राजोकोट	लोकल बाडी	III
85.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, टोटल नगरपंचायत	सबरकान्था	लोकल बाडी	III
86.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र,	सूरत	लोकल बाडी	III

1	2	3	4	5
87.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, डी॰ एम॰ के॰	सूरत	लोकल बाडी	।।।
88.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कादीवाला	सूरत	लोकल बाडी	।।।
89.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, लखपति	सूरत	लोकल बाडी	।।।
90.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, उमरवादा	सूरत	लोकल बाडी	।।।
91.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मस्ती	सूरत	लोकल बाडी	।।।
92.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बरक्षा	सूरत	लोकल बाडी	।।।
93.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, खेस्त्रापा	सूरत	लोकल बाडी	।।।
94.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आरएफडब्ल्यूटीसी॰ अहमदाबाद	अहमदाबाद	स्थानीय निकाय	
95.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आरएफडब्ल्यूटीसी॰ राजकोट,	राजकोट	स्थानीय निकाय	
96.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, भारत सरकार प्रसूति घर	सूरत	स्थानीय निकाय	
97.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आर॰ एच॰ टी॰ सी॰, बावला	अहमदाबाद	स्थानीय निकाय	
98.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पी॰ एच॰ सी॰ धोल्का	अहमदाबाद	स्थानीय निकाय	
99.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्पताल, सिहोर	भावनगर	स्थानीय निकाय	
100.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्पताल, ओखा	जामनगर	स्थानीय निकाय	
101.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्पताल, प्रभासपतन	जूनागढ़	स्थानीय निकाय	
102.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्पताल, बांटवा	जूनागढ़	स्थानीय निकाय	
103.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्पताल बाचो	जूनागढ़	स्थानीय निकाय	
104.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्पताल, पुलिस, ट्रस्ट कन्दला	कान्दला	स्थानीय निकाय	
105.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्पताल, वादनगर	मेहसाना	स्थानीय निकाय	
106.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्प्ताल थानागाध	सुरेन्दरनगर	स्थानीय निकाय	
107.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्प्ताल, खेदब्रहमा	साबरकन्ठा	स्थानीय निकाय	
108.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, के॰ के॰ एण्ड जेड॰, अस्पताल खम्बात	खेदा	स्थानीय निकाय	
109.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एम॰ सी॰ एच॰ केन्द्र, सानन्द	अहमदाबाद	स्थानीय निकाय	
110.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पी॰ एच॰ सी॰ बेगसराय	अम्रेली	स्थानीय निकाय	
111.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पी॰ एच॰ सी॰, रासोद	जूनागाध	स्थानीय निकाय	
112.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पी॰ एच॰ सी॰, प्रान्तिज	सुब्रकन्ठा	स्थानीय निकाय	
113.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सरकारी अस्पताल, बेलासिनोर	खेदा	स्थानीय निकाय	

1	2	3	4	5
	31.3.97 तक हरियाणा राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची :			
1.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अम्बाला केन्ट	अम्बाला	स्वैच्छिक संगठन	III
2.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अम्बाला सिटी	अम्बाला	स्वैच्छिक संगठन	II
3.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, यमुनानगर		स्वैच्छिक संगठन	III
4.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अम्बाला केन्ट, यमुनानगर		स्वैच्छिक संगठन	III
5.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, लाडवा, कुरूक्षेत्र		स्वैच्छिक संगठन	I
6.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, शाहबाद, कुरूक्षेत्र		स्वैच्छिक संगठन	II
7.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कर्नाल		स्वैच्छिक संगठन	III
8.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, पानीपत		स्वैच्छिक संगठन	III
9.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, झाहार	रोहतक	स्वैच्छिक संगठन	II
10.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कालनौर	रोहतक	स्वैच्छिक संगठन	I
11.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, रेवारी		स्वैच्छिक संगठन	III
12.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मोहिन्दरगढ़ नारनौल		स्वैच्छिक संगठन	I
13.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सोहना	गुडगांव	सरकार	I
14.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, फरीदाबाद	फरीदाबाद	सरकार	III
15.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, होडेल	फरीदाबाद	सरकार	I
16.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, तोहना	हिंसार	स्वैच्छिक संगठन	I
17.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सिरसा		स्वैच्छिक संगठन	
18.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द, अंबाला छावनी, पंचकुला		स्वैच्छिक संगठन	
19.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कालका, पंचकुला		स्वैच्छिक संगठन	
	31.3.97 तक कर्नाटक राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची			
1.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, भारत इलेक्ट॰ लिमिटेड	बेंगलौर	सार्वजनिक क्षेत्र	I
2.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आई॰टी॰आई॰, बेंगलौर	बेंगलौर	सार्वजनिक क्षेत्र	I
3.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सिधलाघाट,	कोलार	सरकारी	I
4.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मालूबागला	कोलोर	सरकारी	I
5.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मणिपाल	दक्षिणकनाडा	स्वैच्छिक संगठन	I
6.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एन॰ आर॰ पुरा	चिकमगलूर	सरकारी	I

1	2	3	4	5
7.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, होलनार्सिपुरा	हसन	सरकारी	I
8.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मालवाल्ली	मन्दया	सरकारी	I
9.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, तेरदाल	बिजापुर	सरकारी	I
10.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, तालिकोटे	बिजापुर	सरकारी	I
11.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बन्तवाल	दक्षिण कनाडा	स्वैच्छिक संगठन	I
12.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, हानेवारा	दक्षिण कनाडा	लोकल बाडी	I
13.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कुम्ता	दक्षिण कनाडा	लोकल बाडी	I
14.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र,	धारवाड़	सरकारी	I
15.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, गजेन्द्रगदा	धारवाड़	सरकारी	
16.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, नारगुन्द	धारवाड़	सरकारी	I
17.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, शहाद शाहबाद	गुलबर्गा	सरकारी	I
18.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अलान्द	गुलबर्गा	सरकारी	I
19.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, शोरेपुर	गुलबर्गा	सरकारी	I
20.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, हाम्पी	बेल्लारी	सरकारी	I
21.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, रामानगरम	बेंगलौर	सरकारी	II
22.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कोलागोल	मैंसूर	सरकारी	II
23.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, शहकेश्वरा	वेलगांव	सरकारी	II
24.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, कानूर	बेलगांव	सरकारी	II
25.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, राणेवेनपुर	धारवाड़	सरकारी	II
26.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, हिरियोर	चित्रदुर्गा	सरकारी	II
27.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मगादी रोड	बेंगलौर	सरकारी	III
28.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, शिराजनगर	बेंगलौर	सरकारी	III
29.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, सिघाह रोड	बेंगलौर	सरकारी	III
30.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, केन्टोनमेन्ट	बेंगलौर	सरकारी	III
31.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, घालाराम मार्के॰ गृह	बेंगलौर	लोकलबाडी	III
32.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, दसाप्पा मैट॰ गृह	बेंगलौर	लोकलबाडी	III
33.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, मनारथपेटमैट॰ गृह	बेंगलौर	लोकलबाडी	III
34.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, एन॰ आर॰ कालोनी मैट॰ गृह	बेंगलौर	लोकलबाडी	III

1	2	3	4	5
35.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, फो॰ ब्यूटी, मैट॰ गृह	बेंगलौर	लोकलबाडी	III
36.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, अल्सर मैट॰ गृह	बेंगलौर	लोकलबाडी	III
37.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, शान्तिनगर मैट॰ गृह	बेंगलौर	लोकलबाडी	III
38.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, बोस बैक मैटे॰ गृह	बेंगलौर	लोकलबाडी	III
39.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, राजाजी नगर मैट॰ गृह	बेंगलौर	लोकलबाडी	III
40.	शहरी परि॰ कल्याण केन्द्र, आजाद नगर, मैट॰ गृह	बेंगलौर	लोकलबाडी	III
41.	यू एफ डब्ल्यू सी, गौरीपायल मैट॰ होम	बेंगलौर	स्थानीय निकाय	III
42.	यू एफ डब्ल्यू सी, मजदी रोड मैट॰ होम	बेंगलौर	स्थानीय निकाय	III
43.	यू एफ डब्ल्यू सी, रामचन्द्रपुरम मैट॰ होम	बेंगलौर	स्थानीय निकाय	III
44.	यू एफ डब्ल्यू सी, अशोक नगर मैट॰ होम	बेंगलौर	स्थानीय निकाय	III
45.	यू एफ डब्ल्यू सी, आस्टिन नगर मैट॰ होम	बेंगलौर	स्थानीय निकाय	III
46.	यू एफ डब्ल्यू सी, शोषाद्रिपुरम मैट॰ होम	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
47.	यू एफ डब्ल्यू सी, कावेरी रोड मैट॰ होम	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
48.	यू एफ डब्ल्यू सी, विल्सन गार्डन मैट॰ होम	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
49.	यू एफ डब्ल्यू सी, वनांसनकरी मैट॰ होम	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
50.	यू एफ डब्ल्यू सी, सुब्रामणियम नगर मैट॰ होम	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
51.	यू एफ डब्ल्यू सी, इंडियन रेडक्रास	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
52.	यू एफ डब्ल्यू सी, पैलेस गुटनहल्ली	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
53.	यू एफ डब्ल्यू सी, श्रीरामपुरम	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
54.	यू एफ डब्ल्यू सी, शारदा सेवा संघ	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
55.	यू एफ डब्ल्यू सी, यसवंतपुर	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
56.	यू एफ डब्ल्यू सी, लायंस क्लब, गोविन्दपुरम, गुटनहल्ली	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
57.	यू एफ डब्ल्यू सी, ई एस आई अस्पताल, जीवनहल्ली, काक्स टाउन	बेंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
58.	यू एफ डब्ल्यू सी, हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	बेंगलौर	पब्लिक सैक्टर	III
59.	यू एफ डब्ल्यू सी, शिमोगा	बेंगलौर	सरकारी	III
60.	यू एफ डब्ल्यू सी, भद्रावती अस्पताल	बेंगलौर	सरकारी	III
61.	यू एफ डब्ल्यू सी, मैसूर कालोनी	मैसूर	स्थानीय निकाय	III
62.	यू एफ डब्ल्यू सी, एन आर मोहल्ला	मैसूर	स्थानीय निकाय	III

1	2	3	4	5
63.	यू एफ डब्ल्यू सी, नजाराबाद	मैसूर	स्थानीय निकाय	III
64.	यू एफ डब्ल्यू सी, लश्कर ए	मैसूर	स्थानीय निकाय	III
65.	यू एफ डब्ल्यू सी, लश्कर बी	मैसूर	स्थानीय निकाय	III
66.	यू एफ डब्ल्यू सी, मकाला कुट्टा	मैसूर	स्थानीय निकाय	III
67.	यू एफ डब्ल्यू सी, आल इंडिया वूमेन कांफ्रेंस	मैसूर	स्थानीय निकाय	III
68.	यू एफ डब्ल्यू सी, वैनलॉक अस्पताल	मंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
69.	यू एफ डब्ल्यू सी, कदरी	मंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
70.	यू एफ डब्ल्यू सी, लेडी हिल्ल	मंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
71.	यू एफ डब्ल्यू सी, अटवारा	मंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
72.	यू एफ डब्ल्यू सी, करकाला	मंगलौर	स्वै॰ संगठन	III
73.	यू एफ डब्ल्यू सी, गोकाक	बेंलगाम	स्वै॰ संगठन	III
74.	यू एफ डब्ल्यू सी, बेंलगाम	बेलगाम	सरकारी	III
75.	यू एफ डब्ल्यू सी, खास	बेलगाम	सरकारी	III
76.	यू एफ डब्ल्यू सी, एच एफ डब्ल्यू टी सी, हुबली	धारवाड़	सरकारी	III
77.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ॰ डब्ल्यू॰, हुबली	धारवाड़	स्थानीय निकाय	III
78.	यू एफ डब्ल्यू सी, धारवाड	धारवाड़	स्थानीय निकाय	III
79.	यू एफ डब्ल्यू सी, बैटगेटटी, गडाग	धारवाड़	स्वै॰ संगठन	III
80.	यू एफ डब्ल्यू सी, गडाग	धारवाड़	स्वै॰ संगठन	III
81.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ पी ए आई, हुबली	धारवाड़	स्वै॰ संगठन	III
82.	यू एफ डब्ल्यू सी, हुबली धारवाड़	धारवाड़	स्थानीय निकाय	III
83.	यू एफ डब्ल्यू सी, गुलबर्गा I	गुलबर्गा	सरकारी	III
84.	यू एफ डब्ल्यू सी, गुलबर्गा II	गुलबर्गा	सरकारी	III
85.	यू एफ डब्ल्यू सी, सी एफ सी, रायचूर	रायचूर	सरकारी	III
86.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ पी ए आई, बरेली	बेल्लारी	सरकारी	III
87.	यू एफ डब्ल्यू सी, तुमकर	तुमकर	सरकारी	III

31.03.97 की स्थिति के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची

1.	यू एफ डब्ल्यू सी, दुर्ग	दुर्ग	सरकारी	I
2.	यू एफ डब्ल्यू सी, उमारिया	रीवा	सरकारी	I

1	2	3	4	5
3.	यू एफ डब्ल्यू सी, शहडोल	शहडोल	सरकारी	I
4.	यू एफ डब्ल्यू सी, सोनावाड़	वेदवानी	सरकारी	I
5.	यू एफ डब्ल्यू सी, अलत	रतलाम	सरकारी	I
6.	यू एफ डब्ल्यू सी, कनकार	बस्तर	सरकारी	I
7.	यू एफ डब्ल्यू सी, भानपुर	मंदसौर	सरकारी	I
8.	यू एफ डब्ल्यू सी, अशोक नगर	गुना	सरकारी	I
9.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिहोरा	जबलपुर	सरकारी	I
10.	यू एफ डब्ल्यू सी, महीवपुर	उज्जैन	सरकारी	I
11.	यू एफ डब्ल्यू सी, खैरोद	उज्जैन	सरकारी	I
12.	यू एफ डब्ल्यू सी, बड़ा शिवानी	बालघाट	सरकारी	I
13.	यू एफ डब्ल्यू सी, तोतवास	वेवास	सरकारी	II
14.	यू एफ डब्ल्यू सी, वारासिवानी	बालघाट	सरकारी	II
15.	यू एफ डब्ल्यू सी, वोदवानी	वोदवानी	सरकारी	II
16.	यू एफ डब्ल्यू सी, जबलपुर	जबलपुर	सरकारी	II
17.	यू एफ डब्ल्यू सी, बीना	सागर	सरकारी	II
18.	यू एफ डब्ल्यू सी, बिलासपुर	बिलासपुर	सरकारी	II
19.	यू एफ डब्ल्यू सी, हरदा	होशंगाबाद	सरकारी	II
20.	यू एफ डब्ल्यू सी, हमीदिया अस्पताल, भोपाल	भोपाल	सरकारी	III
21.	यू एफ डब्ल्यू सी, अबदुल्लागंज मेडिकल कालेज	भोपाल	सरकारी	III
22.	यू एफ डब्ल्यू सी, खरवा, बिलासपुर	बिलासपुर	सरकारी	III
23.	यू एफ डब्ल्यू सी, लश्कर टाउन	ग्वालियर	सरकारी	III
24.	यू एफ डब्ल्यू सी, इंदौर	इंदौर	सरकारी	III
25.	यू एफ डब्ल्यू सी, एम टी एच कंपाउंड	इंदौर	सरकारी	III
26.	यू एफ डब्ल्यू सी, ट्रेनिंग सेंटर	इंदौर	सरकारी	III
27.	यू एफ डब्ल्यू सी, राज मोहल्ला	इंदौर	सरकारी	III
28.	यू एफ डब्ल्यू सी, जूनी	इंदौर	सरकारी	III
29.	यू एफ डब्ल्यू सी, हमदा नगर	इंदौर	सरकारी	III
30.	यू एफ डब्ल्यू सी, नीमच	इंदौर	सरकारी	III

1	2	3	4	5
31.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल हास्पिटल, नागाद	उज्जैन	सरकारी	III
32.	यू एफ डब्ल्यू सी, कंटोनमेंट एरिया	जबलपुर	सरकारी	III
33.	यू एफ डब्ल्यू सी, लेडी एलिजन हास्पिटल	जबलपुर	सरकारी	III
34.	यू एफ डब्ल्यू सी, हंदवारा काठी	जबलपुर	सरकारी	III
35.	यू एफ डब्ल्यू सी, घुटनी	जबलपुर	सरकारी	III
36.	यू एफ डब्ल्यू सी, स्मृति	रायपुर	सरकारी	III
37.	यू एफ डब्ल्यू सी, जनसेवा हास्पिटल, इटारसी	होशंगाबाद	सरकारी	III
38.	यू एफ डब्ल्यू सी, इंदौर	इंदौर	सरकारी	III
39.	यू एफ डब्ल्यू सी, सागर	सागर	सरकारी	III
40.	यू एफ डब्ल्यू सी, रीवा	रीवा	सरकारी	III
41.	यू एफ डब्ल्यू सी, इंदौर	इंदौर	सरकारी	III
42.	यू एफ डब्ल्यू सी, इंदौर	इंदौर	सरकारी	III
43.	यू एफ डब्ल्यू सी, इंदौर	इंदौर	सरकारी	III
44.	यू एफ डब्ल्यू सी, इंदौर	इंदौर	सरकारी	III
45.	यू एफ डब्ल्यू सी, मैटरनिटी होम, सागर	सागर	स्वै० सगठन	III
46.	यू एफ डब्ल्यू सी, प्रेसीडेंट फैमिली प्लानिंग	इंदौर	स्वै० सगठन	III
47.	यू एफ डब्ल्यू सी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन	इंदौर	स्वै० सगठन	III
48.	यू एफ डब्ल्यू सी, खांडवा	खांडवा	सरकारी	III
49.	यू एफ डब्ल्यू सी, के एन के हास्पिटल	भोपाल	सरकारी	III
50.	यू एफ डब्ल्यू सी, लेडी भोर सेंटर	भोपाल	सरकारी	III
51.	यू एफ डब्ल्यू सी, धामितरी	रायपुर	सरकारी	III
52.	यू एफ डब्ल्यू सी, भूदार	शहडोल	सरकारी	III
53.	यू एफ डब्ल्यू सी, धाली राजहारी	दुर्ग	सरकारी	III
54.	यू एफ डब्ल्यू सी, नागदा	उज्जैन	सरकारी	III
55.	यू एफ डब्ल्यू सी, चिकली कला	छिंदवाडा	सरकारी	III
56.	यू एफ डब्ल्यू सी, कोरबा	बिलासपुर	सरकारी	III
57.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ पी ए कंपाउंड	जबलपुर	स्वै० संगठन	III
58.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ पी ए बुधवाड़ा	भोपाल	स्वै० संगठन	III

1	2	3	4	5
59.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ पी ए, राइट टाउन	जबलपुर	स्वै॰ संगठन	III
60.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ पी ए आई आर्य भवन, कप्पुरोड	ग्वालियर	स्वै॰ संगठन	III
61.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ पी ए, राइट टाउन	जबलपुर	स्वै॰ संगठन	III
62.	यू एफ डब्ल्यू सी, धाना होली लश्कर	ग्वालियर	स्वै॰ संगठन	III
63.	यू एफ डब्ल्यू सी, माडल महल आई एम ए, जबलपुर	जबलपुर	स्वै॰ संगठन	III

31.3.97 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची

1.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ पी ए आई, मुम्बई	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
2.	यू एफ डब्ल्यू सी, डा॰ बल्लभभाई एन हास्पिटल	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
3.	यू एफ डब्ल्यू सी, बम्बई हास्पिटल	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
4.	यू एफ डब्ल्यू सी, नागपाड़ा नेबरहुड	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
5.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ॰ पी॰ एंड मैट	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
6.	यू एफ डब्ल्यू सी, हैल्थ प्रमोशन सोसायटी	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
7.	यू एफ डब्ल्यू सी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
8.	यू एफ डब्ल्यू सी, डा॰ एन ए पूरणदारे हास्पिटल	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
9.	यू एफ डब्ल्यू सी, सट्रीकरीनी	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
10.	यू एफ डब्ल्यू सी, करी रोड सेंटर	मुम्बई	स्थानीय निकाय	III
11.	यू एफ डब्ल्यू सी, नवाब टंक सेंटर	मुम्बई	स्थानीय निकाय	III
12.	यू एफ डब्ल्यू सी, आर एस निमकर मार्ग	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
13.	यू एफ डब्ल्यू सी, कुम्हारवाडा डिस्पेंसरी	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
14.	यू एफ डब्ल्यू सी, सायन हास्पिटल	मुम्बई	सरकारी	III
15.	यू एफ डब्ल्यू सी, एम ऐ पोटदार हास्पिटल	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
16.	यू एफ डब्ल्यू सी, ई एस आई एस हास्पिटल, परेल	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
17.	यू एफ डब्ल्यू सी, ई एस आई एस हास्पिटल, अंधेरी	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
18.	यू एफ डब्ल्यू सी, ई एस आई एस हास्पिटल, कांदिवली	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
19.	यू एफ डब्ल्यू सी, ई एस आई एस हास्पिटल, वर्ली	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
20.	यू एफ डब्ल्यू सी, ई एस आई एस हास्पिटल मुलुंड	मुम्बई	स्वै॰ संगठन	III
21.	यू एफ डब्ल्यू सी, महिला उत्कृष्ट मंडल	कल्याण	स्वै॰ संगठन	III
22.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपेल काउंसिल, वसई	वसई	स्था॰ निकाय	I

1	2	3	4	5
23.	यू एफ डब्ल्यू सी, ई एस आई एस हासिप्टल, थाणे	थाणे	सरकारी	III
24.	यू एफ डब्ल्यू सी, ई एस आई एस हासिप्टल, वाशी	वाशी	सरकारी	III
25.	यू एफ डब्ल्यू सी, मैटरनिटी होम, पनवेल	पनवेल	स्वै० संगठन	III
26.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल कांउसिल	मलवान	स्वै० संगठन	I
27.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काउंसिल	यिओला	स्था० संगठन	I
28.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काउंसिल	रावरे	स्था० निकाय	I
29.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काउंसिल	पारोला	स्था० निकाय	I
30.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काउंसिल	पचोरा	स्था० निकाय	I
31.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काउंसिल	यावाल	स्था० निकाय	I
32.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काउंसिल	इनरडॉल	स्था० निकाय	I
33.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काउंसिल	अमलनेर	स्था० निकाय	I
34.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काउंसिल	दरगान	स्था० निकाय	III
35.	यू एफ डब्ल्यू सी, ई एस आई एस हास्पिटल, चोपदा	चोपदा	सरकारी	III
36.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काउंसिल	ननदरबार	स्था० निकाय	III
37.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काउंसिल	शहादा	स्था० निकाय	I
38.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काउंसिल	श्रीरामपुर	स्था० निकाय	III
39.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काउंसिल	कॉपरगांव	स्था० निकाय	II
40.	यू एफ डब्ल्यू सी, सुतिका सेवा मंदिर	पुणे	स्वै० संगठन	III
41.	यू एफ डब्ल्यू सी, पुलिस वेलफेयर डिस्पेंसरी	पुणे	स्वै० संगठन	III
42.	यू एफ डब्ल्यू सी, राष्ट्रीय शिक्षण मंडल	पुणे	स्वै० संगठन	III
43.	यू एफ डब्ल्यू सी, सेठ ताराचंद रामनाथ हास्पिटल	पुणे	स्वै० संगठन	III
44.	यू एफ डब्ल्यू सी, ई एस आई एस हास्टिल, पुणे	पुणे	सरकारी	III
45.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काउंसिल	लोनावाला	स्था० निकायय	I
46.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल कांउसिल	वाई	स्था० निकाय	I
47.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काऊंसिल	सांगली	स्था० निकाय	III
48.	यू एफ डब्ल्यू सी, वरूणतीर्थ सेंटर, कोल्हापुर	कोल्हापुर	स्था० निकाय	III
49.	यू एफ डब्ल्यू सी, पांचगंगा सेंटर, कोल्हापुर	कोल्हापुर	स्था० निकाय	III
50.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काऊंसिल	वाडगांव	स्था० निकाय	I

1	2	3	4	5
51.	यू एफ डब्ल्यू सी, रोटरी क्लबबरसी	बरसी	स्वै॰ संगठन	III
52.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काऊंसिल	पांडरपुर	स्था॰ निकाय	II
53.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काऊंसिल	अकालकोट	स्था॰ निकाय	II
54.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काऊंसिल	बरसी	स्था॰ निकाय	II
55.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	पाथन	सरकारी	I
56.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	गंगापुर	सरकारी	I
57.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	किनवाल	सरकारी	I
58.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	धर्माबाद	सरकारी	I
59.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	गंगाखेड	सरकारी	I
60.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	जिंतूर	सरकारी	I
61.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	पूरणा	सरकारी	I
62.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	बासमत	सरकारी	I
63.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	अहमदपुर	सरकारी	I
64.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	निलंग	सरकारी	I
65.	यू एफ डब्ल्यू सी, सिविल डिस्पेंसरी	मांजलगांव	सरकारी	I
66.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काऊसिल	डिगरा	सरकारी	I
67.	यू एफ डब्ल्यू सी, मैटरनिटी होम, एम एस संघ	वर्धा	स्वै॰ संगठन	III
68.	यू एफ डब्ल्यू सी, मैटरनिटी होम, एम एस संघ	हिनगांगर	स्वै॰ संगठन	III
69.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काऊंसिल	अरवी	स्था॰ निकाय	II
70.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसिपल काऊंसिल	वाणी	सरकारी	II
71.	यू एफ डब्ल्यू सी, डी एम पटेल हास्पिटल	नागपुर	स्वै॰ संगठन	III
72.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काऊंसिल	कंपटी	स्था॰ निकाय	III
73.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काऊंसिल	देसाईगंज	स्था॰ निकाय	II
74.	यू एफ डब्ल्यू सी, म्युनिसीपल काऊंसिल	बेल्लारपुर	स्था॰ निकाय	II

31.3.97 की स्थिति के अनुसार मिजोरम राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची

1.	यू॰ एफ॰ डब्ल्यू सी, सिविल हास्पिटल सिहूहा	आइजॉल	सरकारी	III

31.3.97 की स्थिति के अनुसार मणिपुर राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची

1.	यू॰ एफ॰ डब्ल्यू सी, इम्फाल	इंफाल	सरकारी	III
2.	यू॰ एफ॰ डब्ल्यू सी, चूराचंद्रपुर		सरकारी	III

1	2	3	4	5
	31.3.97 की स्थिति के अनुसार मेघालय राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची			
1.	यू एफ डब्ल्यू सी, गनेश दास हास्पिटल	शिलांग	सरकारी	III
	31.3.97 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची			
1.	यू एफ डब्ल्यू सी, यूनिट IV डिस्पेंसरी	भुवनेश्वर	सरकारी	II
2.	यू एफ डब्ल्यू सी, यूनिट IX डिस्पेंसरी	भुवनेश्वर	सरकारी	II
3.	यू एफ डब्ल्यू सी, एस बी बी पटेल शिशु भवन	कटक	सरकारी	III
4.	यू एफ डब्ल्यू सी, एच एफ डब्ल्यू ट्रेनिंग सेंटर	कटक	सरकारी	III
5.	यू एफ डब्ल्यू सी, एच एफ डब्ल्यू ट्रेनिंग सेंटर	सभलपुर	सरकारी	III
6.	यू एफ डब्ल्यू सी, ब्रमीत्रापुर		सरकारी	III
7.	यू एफ डब्ल्यू सी, एन ए सी हास्पिटल	राउरकेला	स्था॰ निकाय	III
8.	यू एफ डब्ल्यू सी, स्वरगोदावर हास्पिटल	पुरी	स्वै॰ संगठन	III
9.	यू एफ डब्ल्यू सी, नेताजी सुभाष सेवा सदन	कटक	स्वै॰ संगठन	III
10.	यू एफ डब्ल्यू सी, एम सी डब्ल्यू सेंटर	बेहरामपुर	स्वै॰ संगठन	III
	31.3.97 की स्थिति के अनुसार पंजाब राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची			
1.	यू एफ डब्ल्यू सी, द्वारा सिविल सर्जन, अमृतसर	अमृतसर	सरकारी	III
2.	यू एफ डब्ल्यू सी, द्वारा सिविल सर्जन, अमृतसर	अमृतसर	सरकारी	III
3.	यू एफ डब्ल्यू सी, द्वारा सिविल सर्जन, अमृतसर	अमृतसर	सरकारी	III
4.	यू एफ डब्ल्यू सी, द्वारा सिविल सर्जन, अमृतसर	अमृतसर	सरकारी	III
5.	यू एफ डब्ल्यू सी, द्वारा सिविल सर्जन, लुधियाणा	लुधियाणा	सरकारी	III
6.	यू एफ डब्ल्यू सी, द्वारा सिविल सर्जन, लुधियाणा	लुधियाणा	सरकारी	III
7.	यू एफ डब्ल्यू सी, द्वारा सिविल सर्जन, जलंधर	जलंधर	सरकारी	III
8.	यू एफ डब्ल्यू सी, द्वारा सिविल सर्जन, जलंधर	जलंधर	सरकारी	III
9.	यू एफ डब्ल्यू सी, द्वारा सिविल सर्जन, लुधियाणा	लुधियाणा	सरकारी	III
10.	यू एफ डब्ल्यू सी, द्वारा सिविल सर्जन, जलंधर	जलंधर	सरकारी	III
11.	यू एफ डब्ल्यू सी, पटियाला	पटियाला	सरकारी	III
12.	यू एफ डब्ल्यू सी, कोटकापुरा	फरीदकोट	सरकारी	II
13.	यू एफ डब्ल्यू सी, फिरोजपुर कैंट	फिरोजपुर	सरकारी	II
14.	यू एफ डब्ल्यू सी, जगराव	लुधियाणा	सरकारी	II
15.	यू एफ डब्ल्यू सी, मलौट	फरीदकोट	सरकारी	II

1	2	3	4	5
16.	यू एफ डब्ल्यू सी, भिदरभाह	फरीदकोट	सरकारी	II
17.	यू एफ डब्ल्यू सी, बाजार शक्ति नगर	अमृतसर	स्वै० संगठन	III
18.	यू एफ डब्ल्यू सी, कुट्टा शेर सिंह	अमृतसर	स्वै० संगठन	II
19.	यू एफ डब्ल्यू सी, मेहना सिंह रोड	अमृतसर	स्वै० संगठन	II
20.	यू एफ डब्ल्यू सी, कोट बाबा दीप सिंह	अमृतसर	स्वै० संगठन	II
21.	यू एफ डब्ल्यू सी, एफ पी ए आई	लुधियाणा	स्वै० संगठन	III
22.	यू एफ डब्ल्यू सी, फील्ड गंज, लुधियाणा	लुधियाणा	स्वै० संगठन	III
23.	यू एफ डब्ल्यू सी, रैड क्रास सोसाइटी	लुधियाणा	स्वै० संगठन	II

31.3.97 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची

1.	जनरल, खैरथल	अलवर	सरकारी	I
2.	जनरल, राजखेरा	धोलीपुर	सरकारी	I
3.	जनरल, गंगासाहर	बीकानेर	सरकारी	I
4.	जनरल, लेघारी	बूंदी	सरकारी	I
5.	जनरल, सादारी	चितौड़गढ़	सरकारी	I
6.	जनरल, राज देलसर	चुरू	सरकारी	I
7.	जनरल, बिदासर	चुरू	सरकारी	I
8.	जनरल, सागरिया	गंगानगर	सरकारी	I
9.	जनरल, बांदीकुई	जयपुर	सरकारी	I
10.	जनरल, फुलरिया	जयपुर	सरकारी	I
11.	जनरल, घाशु	जयपुर	सरकारी	I
12.	एम सी एच, सी मुकंदगढ़	झुनझुनु	सरकारी	I
13.	सरकारी हास्पिटल, सूरजगढ़	झुनझुनु	सरकारी	I
14.	सरकारी हास्पिटल, पिलानी	झुनझुनु	सरकारी	I
15.	गवर्नमेंट हास्पिटल, उदजवरवती	झुनझुनु	सरकारी	I
16.	गवर्नमेंट हास्पिटल, बीसन	झुनझुनु	सरकारी	I
17.	जनरल हास्पिटल, मऊ टाउन	संवई माधोपुर	सरकारी	
18.	जनरल हास्पिटल, टोडाभीम	संवई माधोपुर	सरकारी	I
19.	सरकारी हास्पिटल, रामगढ़	सीकर	सरकारी	I

1	2	3	4	5
20.	सरकारी हास्पिटल, खांडेला	सीकर	सरकारी	I
21.	सरकारी हास्पिटल, श्रीमाधोपुर	सीकर	सरकारी	I
22.	सरकारी हास्पिटल, लक्ष्मणगढ़	सीकर	सरकारी	I
23.	सरकारी हास्पिटल, टोपा राय सिंह	टोंक	सरकारी	I
24.	सरकारी हास्पिटल, पिंडवारा	सिरोही	सरकारी	I
25.	सरकारी हास्पिटल, सदारी	पाली	सरकारी	I
26.	सरकारी हास्पिटल, नसारीबाद	अजमेर	सरकारी	II
27.	सरकारी हास्पिटल, सुज्जान गढ़	चुरू	सरकारी	II
28.	एम एंड डब्ल्यू सी, हास्पिटल, हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	सरकारी	II
29.	यू एफ डब्ल्यू सी, पाली	पाली	सरकारी	II
30.	यू एफ डब्ल्यू सी, बाडमेड	बाडमेर	सरकारी	II
31.	जनाना अजमेर	अजमेर	सरकारी	III
32.	मन्दाक अजमेर	अजमेर	सरकारी	III
33.	उत्तरी अजमेर	अजमेर	सरकारी	III
34.	जनाना अलवर	अलवर	सरकारी	III
35.	यू एफ डब्ल्यू सी बरकत नगर	जयपुर	सरकारी	III
36.	सरकारी एच सांगनेर	भीलवाड़ा	सरकारी	III
37.	सिटी जिला बीकानेर	बीकानेर	सरकारी	III
38.	सिटी जिला बीकानेर	बीकानेर	सरकारी	III
39.	जनाना गंगानगर	गंगानगर	सरकारी	III
40.	एमसीएच पुरानी बस्तर	जयपुर	सरकारी	III
41.	शहरी केन्द्र, एस एम एस अस्पताल	जयपुर	सरकारी	III
42.	एम सी एच गांधी नगर	जयपुर	सरकारी	III
43.	एम सी अस्पताल गांधीनगर	जयपुर	सरकारी	III
44.	सिटी जिला जोधपुर	जोधपुर	सरकारी	III
45.	माहा एम जोधपुर	जोधपुर	सरकारी	III
46.	यू एफ डब्ल्यू सी, सूरसागर	जोधपुर	सरकारी	III
47.	यू एफ डब्ल्यू सी, बांगड़	जोधपुर	सरकारी	III

1	2	3	4	5
48.	यू एफ डब्ल्यू सी, कोटा	कोटा	सरकारी	III
49.	एम सी एच एफ, कोटा	कोटा	सरकारी	III
50.	एमसी एच एफ कोटा	कोटा	सरकारी	III
51.	सिटी जिला कोटा	कोटा	सरकारी	III
52.	सिटी जिला भोपालपुरा		सरकारी	III
53.	सिटी जिला शक्तीनगर	जयपुर	सरकारी	III
54.	एम सी एच एफ बानीपंक	जयपुर	सरकारी	III
55.	एम एंड सी एफ मऊ टाउन	सवाई माधोपुर	सरकारी	III
56.	सरकारी एच चांदपोल	उदयपुर	सरकारी	III
57.	सरकारी एच रेजीडेंसी	जोधपुर	सरकारी	III
58.	यूएफडब्ल्यूसी, पाली	पाली	सरकारी	III
59.	यूएफ डब्ल्यूसी, आगरा रोड	जयपुर	स्वैच्छिक संगठन	III
60.	सेंट जॉन एंबुलेंस एसोसिएशन	जयपुर	स्वैच्छिक संगठन	III
61.	एम बी फतेह चंद मेटरनिटी होम	जयपुर	स्वैच्छिक संगठन	III

31.03.97 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची

1.	यूएफडब्ल्यूसी, आवडी	चेंगलपट्ट	सरकारी	I
2.	यूएफडब्ल्यूसी, थिरूथानी	चेंगलपट्ट	सरकारी	I
3.	यूएफडब्ल्यूसी, पोन्नेरी	चेंगलपट्ट	सरकारी	I
4.	यूएफडब्ल्यूसी, आरकोट	उत्तरी आरकोट	सरकारी	I
5.	यूएफडब्ल्यूसी, वलाजपेट	उत्तरी आरकोट	सरकारी	I
6.	यूएफडब्ल्यूसी. वनियांबाडी	उत्तरी आरकोट	सरकारी	III
7.	यूएफडब्ल्यूसी, अंबूर	उत्तरी आरकोट	सरकारी	III
8.	यूएफडब्ल्यूसी, पेरानबुधु	उत्तरी आरकोट	सरकारी	I
9.	यूएफडब्ल्यूसी, चेंगम	थिरूवन्नामलाई	सरकारी	I
10.	यूएफडब्ल्यूसी, थानापदी	थिरूवन्नामलाई	सरकारी	I
11.	यूएफडब्ल्यूसी, डेंडमकोट्टई	धर्मपुरी	सरकारी	I
12.	यूएफडब्ल्यूसी, पलाकोड	धर्मपुरी	सरकारी	II
13.	यूएफडब्ल्यूसी, पानरूति	दक्षिण आरकोट	सरकारी	II

1	2	3	4	5
14.	यूएफडब्ल्यूसी, परांगीपेट्टई	दक्षिण आरकोट	सरकारी	I
15.	यूएफडब्ल्यूसी, इलापडी	सेलम	सरकारी	II
16.	यूएफडब्ल्यूसी, रासीपुरम	सेलम	सरकारी	II
17.	यूएफडब्ल्यूसी, संदामंगलम	सेलम	सरकारी	I
18.	यूएफडब्ल्यूसी, वेलूर	सेलम	सरकारी	I
19.	यूएफडब्ल्यूसी, इरोड-I	पेरियार	स्थानीय निकाय	III
20.	यूएफडब्ल्यूसी, इरोड-II	पेरियार	स्थानीय निकाय	II
21.	यूएफडब्ल्यूसी, धर्मपुरम	पेरियार	स्थानीय निकाय	II
22.	यूएफडब्ल्यूसी, अंधीयूर	पेरियार	सरकारी	I
23.	यूएफडब्ल्यूसी, कंगकाम	पेरियार	सरकारी	I
24.	यूएफडब्ल्यूसी, कोठागिरी	नीलगिरी	सरकारी	III
25.	यूएफडब्ल्यूसी, थिरूपुर	कोयंबटूर	सरकारी	III
26.	यूएफडब्ल्यूसी, थिरूपुर	कोयंबटूर	स्थानीय निकाय	III
27.	यूएफडब्ल्यूसी, उदुमालीपेट	कोयंबटूर	स्थानीय निकाय	III
28.	यूएफडब्ल्यूसी, कोट्टूर	कोयंबटूर	सरकारी	I
29.	यूएफडब्ल्यूसी, वेट्टाकरनपुदुर	कोयंबटूर	सरकारी	I
30.	यूएफडब्ल्यूसी, कोडईकनाल	डिंडीगुल	सरकारी	I
31.	यूएफडब्ल्यूसी, अयकडी	डिंडीगुल	सरकारी	I
32.	यूएफडब्ल्यूसी, ओरियूर	तिरूचिरापल्ली	स्थानीय निकाय	III
33.	यूएफडब्ल्यूसी, हृदयपुरम	तिरूचिरापल्ली	स्थानीय निकाय	III
34.	यूएफडब्ल्यूसी, श्रीरंगम	तिरूचिरापल्ली	सरकारी	III
35.	यूएफडब्ल्यूसी, मनापराई	तिरूचिरापल्ली	सरकारी	II
36.	यूएफडब्ल्यूसी, थुरायूर	तिरूचिरापल्ली	सरकारी	I
37.	यूएफडब्ल्यूसी, कुलीथलाई	तिरूचिरापल्ली.	सरकारी	I
38.	यूएफडब्ल्यूसी, अदीरामपट्टनम	थंजावुर	सरकारी	I
39.	यूएफडब्ल्यूसी, पापानसाम	थंजावुर	सरकारी	I
40.	यूएफडब्ल्यूसी, थिरूविदाईमारूधर	थंजावुर	सरकारी	I
41.	यूएफडब्ल्यूसी, ओराथनाडु	थंजावुर	सरकारी	I

1	2	3	4	5
42.	यूएफडब्ल्यूसी, कुथानल्ली	नागपट्टीनम	सरकारी	I
43.	यूएफडब्ल्यूसी, कुत्रालम	नागपट्टीनम	सरकारी	I
44.	यूएफडब्ल्यूसी, वलायपट्टी	पुडुकोट्टई	सरकारी	I
45.	यूएफडब्ल्यूसी, कराईकुडी	पुडुकोट्टई	स्थानीय निकाय	III
46.	यूएफडब्ल्यूसी, देवकोट्टई	पुडुकोट्टई	सरकारी	II
47.	यूएफडब्ल्यूसी, इलियांगुडी	पुडुकोट्टई	सरकारी	I
48.	यूएफडब्ल्यूसी, मनमदुरई	पुडुकोट्टई	सरकारी	I
49.	यूएफडब्ल्यूसी, मदुरई	मदुरई	स्थानीय निकाय	III
50.	यूएफडब्ल्यूसी, बोडीनाकनुर	मदुरई	सरकारी	III
51.	यूएफडब्ल्यूसी, उद्यमपलायम	मदुरई	सरकारी	I
52.	यूएफडब्ल्यूसी, साथुर	कामराज	सरकारी	II
53.	यूएफडब्ल्यूसी, वतराप	कामराज	सरकारी	I
54.	यूएफडब्ल्यूसी, रामेश्वरम	रामनाथपुरम	सरकारी	I
55.	यूएफडब्ल्यूसी, किजाकारी	रामनाथपुरम	सरकारी	I
56.	यूएफडब्ल्यूसी, तूतीकोरन	चिदंबरनार	स्थानीय निकाय	III
57.	यूएफडब्ल्यूसी, कायलपटीनम	चिदंबरनार	सरकारी	I
58.	यूएफडब्ल्यूसी, श्रीवाकवुम	चिदंबरनार	सरकारी	I
59.	यूएफडब्ल्यूसी, शाहकुलम	चिदंबरनार	सरकारी	I
60.	यूएफडब्ल्यूसी, इटायपुरम	चिदंबरनार	सरकारी	I
61.	यूएफडब्ल्यूसी, मेलापलायम	तिरूनेलवेली	सरकारी	II
62.	यूएफडब्ल्यूसी, कडायनलूर	तिरूनेलवेली	सरकारी	III
63.	यूएफडब्ल्यूसी, विक्रमसिंहपुरम	तिरूनेलवेली	सरकारी	II
64.	यूएफडब्ल्यूसी, पुलियांगुडी	तिरूनेलवेली	सरकारी	II
65.	यूएफडब्ल्यूसी, चेरन महादेवी	तिरूनेलवेली	सरकारी	I

31.03.97 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्र की सूची

1.	यूएफडब्ल्यूसी, जिला अस्पताल	आगरा	सरकारी	III
2.	यूएफडब्ल्यूसी, टीवी डेमोंस्ट्रेशन सेंटर	मथुरा	सरकारी	III
3.	यूएफडब्ल्यूसी, गांधी पार्क	मथुरा	सरकारी	III
4.	यूएफडब्ल्यूसी, कृष्ण नगर	मथुरा	सरकारी	III
5.	यूएफडब्ल्यूसी, शाहगंज	इलाहाबाद	सरकारी	III

1	2	3	4	5
6.	यूएफडब्ल्यूसी, कोर्टगंज	इलाहाबाद	सरकारी	III
7.	यूएफडब्ल्यूसी, ईएसआई सिविल लाइन्स	इलाहाबाद	सरकारी	III
8.	यूएफडब्ल्यूसी, चिलबिलिया	प्रतापगढ़	सरकारी	III
9.	यूएफडब्ल्यूसी, सिविल लाइन्स	बरेली	सरकारी	III
10.	यूएफडब्ल्यूसी, इज्जत नगर	बरेली	सरकारी	III
11.	यूएफडब्ल्यूसी, सीवी गंज	बरेली	सरकारी	III
12.	यूएफडब्ल्यूसी, सुभाष नगर	बरेली	सरकारी	III
13.	यूएफडब्ल्यूसी, सहेश्वम	बदांयू	सरकारी	III
14.	यूएफडब्ल्यूसी, नागारी रोदली	बाराबंकी	सरकारी	III
15.	यूएफडब्ल्यूसी, बोगरीबाग	फैजाबाद	सरकारी	III
16.	यूएफडब्ल्यूसी, भोलबाला	देहरादून	सरकारी	III
17.	यूएफडब्ल्यूसी, कारोनेशन	देहरादून	सरकारी	III
18.	यूएफडब्ल्यूसी,	मऊ	सरकारी	III
19.	यूएफडब्ल्यूसी, फरूखाबाद उत्तर		सरकारी	III
20.	यूएफडब्ल्यूसी, फरूखाबाद दक्षिण		सरकारी	III
21.	यूएफडब्ल्यूसी, गोंडा		सरकारी	III
22.	यूएफडब्ल्यूसी, बलरामपुर		सरकारी	III
23.	यूएफडब्ल्यूसी, के॰ पी॰ एम॰ कानपुर	कानपुर	सरकारी	III
24.	यूएफडब्ल्यूसी, हरजेंद्र नगर	कानपुर	सरकारी	III
25.	यूएफडब्ल्यूसी, गीता नगर	कानपुर	सरकारी	III
26.	यूएफडब्ल्यूसी, ग्वालटोली	कानपुर	सरकारी	III
27.	यूएफडब्ल्यूसी, हामुनबाग	कानपुर	सरकारी	III
28.	यूएफडब्ल्यूसी, न्यू सिविल लाइन, लालबाग	लखनऊ	सरकारी	III
29.	यूएफडब्ल्यूसी, थित्तपुर स्टेशन रोड	लखनऊ	सरकारी	III
30.	यूएफडब्ल्यूसी, राजेन्द्र नगर	लखनऊ	सरकारी	III
31.	यूएफडब्ल्यूसी, सेवा सदन, ठाकुरगंज	लखनऊ	सरकारी	III
32.	यूएफडब्ल्यूसी, शहादतगंज	लखनऊ	सरकारी	III
33.	यूएफडब्ल्यूसी, एच आर क्रिष्ण देवी ट्रस्ट	चारबाग	सरकारी	III

1	2	3	4	5
34.	यूएफडब्ल्यूसी, जिला अस्पताल	राय बरेली	सरकारी	111
35.	यूएफडब्ल्यूसी, टेहरपुर	सीतापुर	सरकारी	111
36.	यूएफडब्ल्यूसी, केराबाद	सीतापुर	सरकारी	111
37.	यूएफडब्ल्यूसी, डेबाई	बुलंदशहर	सरकारी	111
38.	यूएफडब्ल्यूसी, मोदीनगर	गाजियाबाद	सरकारी	111
39.	यूएफडब्ल्यूसी, हापुड़	गाजियाबाद	सरकारी	111
40.	यूएफडब्ल्यूसी, सामबन्दी	सहारनपुर	सरकारी	111
41.	यूएफडब्ल्यूसी, गनगोह	सहारनपुर	सरकारी	111
42.	यूएफडब्ल्यूसी, मुजफ्फरनगर		सरकारी	111
43.	यूएफडब्ल्यूसी, टाडा रामपुर		सरकारी	111
44.	यूएफडब्ल्यूसी, मोहम्मदाबाद	गाजियाबाद	सरकारी	111
45.	यूएफडब्ल्यूसी, मिर्जापुर	मिर्जापुर	सरकारी	111
46.	यूएफडब्ल्यूसी, चुनार	मिर्जापुर	सरकारी	111
47.	यूएफडब्ल्यूसी, अमरोहा	मिर्जापुर	सरकारी	111
48.	यूएफडब्ल्यूसी, सेनुकुट	सोनभद्र	सरकारी	111
49.	यूएफडब्ल्यूसी, ओबरा	सोनभद्र	सरकारी	111
50.	यूएफडब्ल्यूसी, बेहपुर	वाराणसी	सरकारी	111
51.	यूएफडब्ल्यूसी, भारतीय रेडक्रास सोसायटी	लखनऊ	स्वैच्छिक संगठन	111
52.	यूएफडब्ल्यूसी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन	लखनऊ	स्वैच्छिक संगठन	111
53.	यूएफडब्ल्यूसी, आल इंडिया वूमेंस कांफ्रेंस	लखनऊ	स्वैच्छिक संगठन	111
54.	यूएफडब्ल्यूसी, चीफ खालसा अस्पताल	कानपुर	स्वैच्छिक संगठन	111
55.	यूएफडब्ल्यूसी, जाम हितकारी अस्पताल	कानपुर	स्वैच्छिक संगठन	111
56.	यूएफडब्ल्यूसी, ईश्वर शरण आश्रम	इलाहाबाद	स्वैच्छिक संगठन	111
57.	यूएफडब्ल्यूसी, इंडियन रेडक्रास सोसायटी	इलाहाबाद	स्वैच्छिक संगठन	111
58.	यूएफडब्ल्यूसी, इंडियन रेडक्रास सोसायटी	सहारनपुर	स्वैच्छिक संगठन	111
59.	यूएफडब्ल्यूसी, नरेन्द्र मोहन चिकित्सालय	गाजियाबाद	स्वैच्छिक संगठन	111
60.	यूएफडब्ल्यूसी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन	वाराणसी	स्वैच्छिक संगठन	111
61.	यूएफडब्ल्यूसी, जनता चिकित्सालय रेती चौक	गोरखपुर	स्वैच्छिक संगठन	111
62.	यूएफडब्ल्यूसी, शहीद मेमोरियल सोसायटी	लखनऊ	स्वैच्छिक संगठन	111
63.	यूएफडब्ल्यूसी, नगर पालिका	पिथौरागढ़	स्वैच्छिक संगठन	111

1	2	3	4	5
64.	यूएफडब्ल्यूसी, जाम छितकारी कृष्णनगर	कानपुर	स्वैच्छिक संगठन	III
65.	यूएफडब्ल्यूसी, आदमपुर	वाराणसी	स्वैच्छिक संगठन	III
66.	यूएफडब्ल्यूसी, जेहपुरा	वाराणसी	स्वैच्छिक संगठन	III
67.	यूएफडब्ल्यूसी, शिवपुर	वाराणसी	स्वैच्छिक संगठन	III
68.	यूएफडब्ल्यूसी, बेहिया	वाराणसी	स्वैच्छिक संगठन	III
69.	यूएफडब्ल्यूसी, देसा मेध	वाराणसी	स्वैच्छिक संगठन	III
70.	यूएफडब्ल्यूसी, सारनाथ	वाराणसी		III
71.	यूएफडब्ल्यूसी			
72.	यूएफडब्ल्यूसी			
73.	यूएफडब्ल्यूसी			
74.	यूएफडब्ल्यूसी			
75.	यूएफडब्ल्यूसी			
76.	यूएफडब्ल्यूसी			
77.	यूएफडब्ल्यूसी	ब्यौरे अनुपलब्ध		
78.	यूएफडब्ल्यूसी			
79.	यूएफडब्ल्यूसी			
80.	यूएफडब्ल्यूसी			
81.	यूएफडब्ल्यूसी			

31.3.97 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची

1.	यूएफडब्ल्यूसी, सेवक आफ सिलिगुडी, एसडी अस्पताल सिलिगुडी	दार्जिलिंग	
2.	यूएफडब्ल्यूसी, ट्रीटमेंट सेंटर, पी ओ अंबारी	दार्जिलिंग	
3.	यूएफडब्ल्यूसी, ट्रीटमेंट सेंटर, पी ओ अलीगढ़	दार्जिलिंग	
4.	यूएफडब्ल्यूसी, माखलीगंज	कूच बिहार	
5.	यूएफडब्ल्यूसी, तूफानगंज	कूच बिहार	ब्यौरे अनुपलब्ध
6.	यूएफडब्ल्यूसी, मेटरनिटी क्लीनिक, पी ओ देबग्राम	जलपाईगुड़ी	
7.	यूएफडब्ल्यूसी, सदर अस्पताल, पी ओ बालुरघाट	दीनापुर (डी)	
8.	यूएफडब्ल्यूसी, ए जी अस्पताल, पी ओ बालुरघाट	मुर्शिदाबाद	
9.	यूएफडब्ल्यूसी, न्यू सेंटर नबद्वीप	नाडिया	
10.	यूएफडब्ल्यूसी, नबद्वीप	नाडिया	
11.	यूएफडब्ल्यूसी, गांधी मेमोरियल अस्पताल कल्याणी	नाडिया	

1	2	3	4	5
12.	यूएफडब्ल्यूसी, सिबानन्द आरोग्य भवन, पी ओ स्वरूपगंज	नाडिया		
13.	यूएफडब्ल्यूसी, रघुनाथपुर स्टेट अस्पताल, पी ओ रघुनाथपुर	पुरूलिया		
14.	यूएफडब्ल्यूसी, न्यू अर्बन सेंटर राजबाजार	मिदनापुर		
15.	यूएफडब्ल्यूसी, सिविल यूनिट, खड़गपुर	मिदनापुर		
16.	यूएफडब्ल्यूसी, स्टेट अस्पताल, पी ओ दुर्गाचौक	मिदनापुर		
17.	यूएफडब्ल्यूसी, पी ओ नैहाटी	24 परगना (एन)		
18.	यूएफडब्ल्यूसी, बड़ानगर	24 परगना (एन)		
19.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, पी ओ ईचापुर	24 परगना (एन)		
20.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, पी ओ खारदाह	24 परगना (एन)		
21.	यूएफडब्ल्यूरी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, पी ओ अगारपारा	24 परगना (एन)		
22.	यूएफडब्ल्यूसी, आरोग्य निकेतन, पी ओ कंचनपारा	24 परगना (एन)		
23.	यूएफडब्ल्यूसी, म्युनिसिपल अस्पताल, पी ओ हालीशहर	24 परगना (एन)		
24.	यूएफडब्ल्यूसी, मेटरनिटी होम, पी ओ टीटागढ़	24 परगना (एन)		
25.	यूएफडब्ल्यूसी, म्युनिसिपल, दुम दुम	24 परगना (एन) कलकत्ता	ब्यौरे अनुपलब्ध	
26.	यूएफडब्ल्यूसी, मेटरनिटी होम, बिराती, दुम दुम	24 परगना (एन)		
27.	यूएफडब्ल्यूसी, श्री रामकृष्णा मोत्री मंगल प्रतिष्ठान 122, फीडर रोड	24 परगना (एन)		
28.	यूएफडब्ल्यूसी, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, 511 दुमदुम पार्क	कलकत्ता		
29.	यूएफडब्ल्यूसी, नार्थ दुम दुम म्युनिसिपल बिराती	24 परगना (एन)		
30.	यूएफडब्ल्यूसी, एम डी ए डिस्पेंसरी, लेक टाउन	कलकत्ता		
31.	यूएफडब्ल्यूसी, रेफरल यूनिट आफ केजी कार मेडिकल कालेज, बागुहाती	कलकत्ता		
32.	यूएफडब्ल्यूसी, क्रिश्चियन अस्पताल पी ओ श्यामनगर	24 परगना (एन)		
33.	यूएफडब्ल्यूसी, बागजोला रेफरल यूनिट	24 परगना (एन)		
34.	यूएफडब्ल्यूसी, दुलाली चिल्ड्रन अस्पताल, गाबरदंगा			
35.	यूएफडब्ल्यूसी, अर्तात्रान समिति नेताजी सुवायतन अस्पताल अगारपारा, नीलगिरी रोड	24 परगना (एन)		
36.	यूएफडब्ल्यूसी, दुम दुम म्युनिसपलिटी	कलकत्ता		
37.	यूएफडब्ल्यूसी, मेटरनिटी अस्पताल बारानगर, ए के मुखर्जी रोड	कलकत्ता		

1	2	3	4	5
38.	यूएफडब्ल्यूसी, आईआरसीएस, दत्ताबाद ब्रांच, 526 सरकारी, प्लेस (नार्थ)	कलकत्ता		
39.	यूएफडब्ल्यूसी, पी ओ चांपदानी	हुगली		
40.	यूएफडब्ल्यूसी, पी ओ बांसबेरिया	हुगली		
41.	यूएफडब्ल्यूसी, पी ओ केन्नेगर	हुगली		
42.	यूएफडब्ल्यूसी, रिलीफ कैंप अस्पताल, पी ओ भद्रकाली	हुगली		
43.	यूएफडब्ल्यूसी, आई आर सी एस, तमिलपारा	हुगली		
44.	यूएफडब्ल्यूसी, सेवा सदन, पी ओ रिशारा	हुगली		
45.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, पी ओ वैद्यवती	हुगली		
46.	यूएफडब्ल्यूसी, मनकुंदा सीएमडीए डिस्पेंसरी, पी ओ भद्रेश्वर	हुगली		
47.	यूएफडब्ल्यूसी, पी ओ रानी गंज	बर्दवान		
48.	यूएफडब्ल्यूसी, आई आर सी एस रानी गंज	बर्दवान		
49.	यूएफडब्ल्यूसी, रेफरल यूनिट आफ दुर्गापुर एस डी अस्पताल	बर्दवान		
50.	यूएफडब्ल्यूसी, मारवाड़ी रिलीफ सोसायटी, एनएसबी रोड़, रानीगंज	बर्दवान	ब्यौरे अनुपलब्ध	
51.	यूएफडब्ल्यूसी, बांकुरा	बांकुरा		
52.	यूएफडब्ल्यूसी, मेटरनीटि होम, पी ओ बुजे बुजे	24 परगना (एस)		
53.	यूएफडब्ल्यूसी, पी ओ जोयनगर मेजिलपुर	24 परगना (एस)		
54.	यूएफडब्ल्यूसी, 43, एन एस रोड	हावड़ा		
55.	यूएफडब्ल्यूसी, 22, धर्मतल्ला रोड, शिबपुर	हावड़ा		
56.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए, डिस्पेंसरी, पी ओ अंदुल मौरी	हावड़ा		
57.	यूएफडब्ल्यूसी, कम वेल बेबी क्लीनिक, पी ओ बालटीकरी	हावड़ा		
58.	यूएफडब्ल्यूसी, लक्ष्मी कमल अस्पताल, दुमजुर	हावड़ा		
59.	यूएफडब्ल्यूसी, ए जी अस्पताल, पी ओ बेलुर	हावड़ा		
60.	यूएफडब्ल्यूसी, ई एस आई अस्पताल उलुबेरिया	हावड़ा		
61.	यूएफडब्ल्यूसी, साउथ हावड़ा स्टेट जी अस्पताल पी ओ शिबपुर	हावड़ा		
62.	यूएफडब्ल्यूसी, केदारनाथ आरोग्य भवन, 90 जी टी रोड, पी बेली	हावड़ा		
63.	यूएफडब्ल्यूसी, न्यू अर्बन एफ डब्ल्यू सेंटर, गारिया, कलकत्ता	कलकत्ता		
64.	यूएफडब्ल्यूसी, बी सी, रोट चिल्ड्रन अस्पताल, नरकालडंगा कलकत्ता-11	कलकत्ता		

1	2	3	4	5
65.	यूएफडब्ल्यूसी, इंदिरा भवन	कलकत्ता		
66.	यूएफडब्ल्यूसी, गार्डन रीच	कलकत्ता		
67.	यूएफडब्ल्यूसी, संतोषपुर सीएमडीए, डिस्पेंसरी	कलकत्ता		
68.	यूएफडब्ल्यूसी, मेटरनीटी अस्पताल, बेहाला	कलकत्ता		
69.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, बारिशा	कलकत्ता		
70.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, कस्बा	कलकत्ता		
71.	यूएफडब्ल्यूसी, सिटी पॉलिक्लीनिक डी पी ओ साल्ट लेक	कलकत्ता		
72.	यूएफडब्ल्यूसी, स्टेट अस्पताल, बेजायगढ़	कलकत्ता		
73.	यूएफडब्ल्यूसी, मायो अस्पताल, स्ट्रेंड रोड़	कलकत्ता		
74.	यूएफडब्ल्यूसी, लोहिया मात्री सेवा सदन चितपुर रोड	कलकत्ता		
75.	यूएफडब्ल्यूसी, रामरिकदास हराललका अस्पताल, भवानीपुर	कलकत्ता		
76.	यूएफडब्ल्यूसी, बिरला सोशल वेलफेयर स्कीम 68 अल्टाडंगा मेन रोड	कलकत्ता		
77.	यूएफडब्ल्यूसी, बिरला सोशल वेलफेयर स्कीम, 78, सईद अमीर अली ए॰ वी॰।	कलकत्ता	ब्यौरे अनुपलब्ध	
78.	यूएफडब्ल्यूसी, मारवाड़ी रिलीफ सोसाईटी, 227 रबिन्द्र सारानी	कलकत्ता		
79.	यूएफडब्ल्यूसी, आई आर सी एस, गोकुल बेराल स्ट्रीट	कलकत्ता		
80.	यूएफडब्ल्यूसी, आईआरसीएस, आर के बोस रोड	कलकत्ता		
81.	यूएफडब्ल्यूसी, आईआरसीएस, सास्तीटाला	कलकत्ता		
82.	यूएफडब्ल्यूसी, आईआरसीएस, बेहियापुकार	कलकत्ता		
83.	यूएफडब्ल्यूसी, आईआरसीएस, डफ स्ट्रीट	कलकत्ता		
84.	यूएफडब्ल्यूसी, बंगाल सोशल सर्विस लीग, 16, राजा दिनेन्द्र स्ट्रीट	कलकत्ता		
85.	यूएफडब्ल्यूसी, पश्चिम बंग समाज सेवा समिति, 191, सी आर एवेन्यू	कलकत्ता		
86.	यूएफडब्ल्यूसी, बाघा जतिन कालोनी, सी एम डी ए डिस्पेंसरी, जादवपुर	कलकत्ता		
87.	यूएफडब्ल्यूसी, गरिया सीएमडीए डिस्पेंसरी गरिया	कलकत्ता		
88.	यूएफडब्ल्यूसी, रेफरल यूनिट ऑफ विद्यासागर अस्पताल, यूनिट, बेहाला	कलकत्ता		
89.	यूएफडब्ल्यूसी, स्टेट अस्पताल, गार्डन रीच	कलकत्ता		
90.	यूएफडब्ल्यूसी, एस जी अस्पताल, साल्ट लेक सिटी	कलकत्ता		

1	2	3	4	5
91.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, 2, कान्वेंट रोड	कलकत्ता		
92.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, गांगुली बेगान	कलकत्ता		
93.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीएडिस्पेंसरी, तलियापारा पंपिंग स्टेशन	कलकत्ता		
94.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, 60/ए, राजा सुबोध मलिक रोड	कलकत्ता		
95.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, सिब्ताला	कलकत्ता		
96.	यूएफडब्ल्यूसी, सीएमडीए डिस्पेंसरी, पिकनिक गार्डन	कलकत्ता		
97.	यूएफडब्ल्यूसी, गांधी पीस फाउंडेशन क्लिनिक III, एसपी मुखर्जी रोड	कलकत्ता		
98.	यूएफडब्ल्यूसी, मेटियाब्रक्स सेवा सदन, वाई-282/ए खाल्वारी रोड	कलकत्ता		
99.	यूएफडब्ल्यूसी, गांधी पीस फांउडेशन क्लिनिक	कलकत्ता		
100.	यूएफडब्ल्यूसी, जे एन राय शिशु सेवा समिति	कलकत्ता		
101.	यूएफडब्ल्यूसी, श्री बिशुधानंद अस्पताल	कलकत्ता		
102.	यूएफडब्ल्यूसी, यूएफडब्ल्यूसी, विवेकानंद सेवा समिति, पी-516/1 बेनामाली नास्कर रोड, बेहाला	कलकत्ता	ब्यौरे अनुपलब्ध	
103.	यूएफडब्ल्यूसी, पशिचम बंग समाज सेवा सेवा समिति सीआईटी बिल्डिंग, 35/2, बीटी रोड	कलकत्ता		
104.	यूएफडब्ल्यूसी, प्रेबान्जीत मेमोरियल कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, 4488 नबापल्ली न्यूभंग	कलकत्ता		
105.	यूएफडब्ल्यूसी, एसवीएस मारवाड़ी अस्पताल, 118 राजा राममोहन सारानी	कलकत्ता		
106.	यूएफडब्ल्यूसी, सरोज नलिनि दत्त मेमोरियल अस्पताल, 23/1 बेलीगंज स्टेशन रोड	कलकत्ता		
107.	यूएफडब्ल्यूसी, हारमोनी, 10, सूरन राय रोड	कलकत्ता		
108.	यूएफडब्ल्यूसी, मेरी स्टोप्स टोलीगंगा, 174/8, नेताजी एस० सी० बोस, रोड, नेताजी नगर	कलकत्ता		
109.	यूएफडब्ल्यूसी, मेरी स्टोप्स, 48, गरीहाट रोड	कलकत्ता		
110.	यूएफडब्ल्यूसी, प्रसाद, 1 अन्नाकाली देवी रोड	कलकत्ता		
111.	यूएफडब्ल्यूसी, स्टेट जनरल अस्पताल, सोनितपुर	नाडिया		

31.3.97 के अनुसार चण्डीगढ़ राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची

1.	यूएफडब्ल्यूसी, सेक्टर 28	चण्डीगढ़	सरकारी	III
2.	यूएफडब्ल्यूसी, सेक्टर 22	चण्डीगढ़	स्वैच्छिक संगठन	III
3.	यूएफडब्ल्यूसी, सेक्टर 20	चण्डीगढ़	स्वैच्छिक संगठन	II

1	2	3	4	5
	31.3.97 के अनुसार दिल्ली राज्य में शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों की सूची			
1.	यूएफडब्ल्यूसी, कम्युनिटी सेंटर, इंद्रलोक		सरकारी	
2.	यूएफडब्ल्यूसी, जी एच, राजपुर रोड़, नई दिल्ली		सरकारी	
3.	यूएफडब्ल्यूसी, ब्लाक संख्या 1, विकास पुरी		सरकारी	
4.	यूएफडब्ल्यूसी, एलआरएचएस, बाडा हिंदू राव		सरकारी	
5.	यूएफडब्ल्यूसी, एनआईएचएफडब्ल्यू, मुनिरका		स्वायत्त निकाय	
6.	यूएफडब्ल्यूसी, एनडीएमसी मेटरनिटी अस्पताल, लोधी रोड		स्वायत्त निकाय	
7.	यूएफडब्ल्यूसी, एनडीएमसी, पंचकुईयां रोड		स्वायत्त निकाय	
8.	यूएफडब्ल्यूसी, 251, एमसीडी कालोनी, आजादपुर		स्वायत्त निकाय	
9.	यूएफडब्ल्यूसी, 115, निमरी कालोनी, भारत नगर		स्वायत्त निकाय	
10.	चांदीवाला एम होम, रेलवे रोड, शाहदरा		स्वायत्त निकाय	
11.	एफडब्ल्यूसी, 3 रेगरपुरा, करोलबाग		स्वायत्त निकाय	
12.	एफडब्ल्यूसी, दक्षिण पुरी, मदनगिरी विलेज		स्वायत्त निकाय	
13.	एफडब्ल्यूसी, सी-45, फतेह नगर		स्वायत्त निकाय	
14.	एफडब्ल्यूसी, ब्लाक नं॰ 8, गीता कालोनी		स्वायत्त निकाय	ब्यौरे अनुपलब्ध
15.	एफडब्ल्यूसी, माचीवाला गली, जेजे कालोनी इंद्रपुरी		स्वायत्त निकाय	
16.	एफडब्ल्यूसी, 27, जवाहर नगर दिल्ली		स्वायत्त निकाय	
17.	एफडब्ल्यूसी, 2-मस्जिद रोड, जंगपुरा		स्वायत्त निकाय	
18.	एफडब्ल्यूसी, बी ब्लाक जहांगीरपुरी		स्वायत्त निकाय	
19.	एफडब्ल्यूसी, मेटरनिटी सेंटर खिचड़ीपुर		स्वायत्त निकाय	
20.	एफडब्ल्यूसी, के॰ एन॰ मेटरनिटी होम, विवेकानंद पुरी		स्वायत्त निकाय	
21.	एफडब्ल्यूसी, पीतम पुरा		स्वायत्त निकाय	
22.	एफडब्ल्यूसी, एमसीडी कालोनी, अस्पताल, लाजपत नगर		स्वायत्त निकाय	
23.	एफडब्ल्यूसी, 5178 लाहोरी गेट		स्वायत्त निकाय	
24.	एफडब्ल्यूसी, मेटरनिटी होम, त्री नगर		स्वायत्त निकाय	
25.	एफडब्ल्यूसी, मंदिर वाली गली, माडल बस्ती		स्वायत्त निकाय	
26.	एफडब्ल्यूसी, एमसीडी कालोनी अस्पताल, नई दिल्ली-15		स्वायत्त निकाय	
27.	एफडब्ल्यूसी, नागलोई दिल्ली-83		स्वायत्त निकाय	
28.	एफडब्ल्यूसी, बी क्वार्टर नंद नगरी, दिल्ली-93		स्वायत्त निकाय	
29.	एफडब्ल्यूसी, एमसीडी कालोनी अस्पताल, पटेल नगर		स्वायत्त निकाय	
30.	एफडब्ल्यूसी, डीडीए कम्युनिटी हाल, सीलम पुर		स्वायत्त निकाय	

1	2	3	4	5
31.	एफडब्ल्यूसी, नागिया मेटरनिटी होम, शक्ति नगर		स्वायत्त निकाय	
32.	एफडब्ल्यूसी, मुल्तानी मोहल्ला रानी बाग		स्वायत्त निकाय	
33.	एफडब्ल्यूसी, 925 रघुवीर नगर, टेगोर गार्डन		स्वायत्त निकाय	
34.	एफडब्ल्यूसी, 3870 चूड़ी वालां दिल्ली-6		स्वायत्त निकाय	
35.	एफडब्ल्यूसी, सी-1/35-36, सुल्तानपुरी		स्वायत्त निकाय	
36.	एफडब्ल्यूसी, मेटरनिटी होम ए ब्लाक, मंगोल पुरी		स्वायत्त निकाय	
37.	एफडब्ल्यूसी, नीयर पोस्ट आफिस, विजय नगर		स्वायत्त निकाय	
38.	एफडब्ल्यूसी, आंध्र वनीता मंडली आई पी एस्टेट		स्वैच्छिक संगठन	
39.	एफडब्ल्यूसी, रेड क्रॉस, एफडब्ल्यू एंड सीसी अस्पताल एन॰ शाहदरा		स्वैच्छिक संगठन	
40.	एफडब्ल्यूसी, रेड क्रॉस, एफडब्ल्यू सीसी अस्पताल एन॰ शाहदरा		स्वैच्छिक संगठन	
41.	एफपीएआई एफडब्ल्यू, रघुबीरपुर, दिल्ली-32		स्वैच्छिक संगठन	
42.	एफपीएआई एफडब्ल्यूसी, बी-1/2, राधेपुरी, दिल्ली-92		स्वैच्छिक संगठन	
43.	एफपीएआई एफडब्ल्यूसी, अरविंद अस्पताल, गोंडा, दिल्ली		स्वैच्छिक संगठन	ब्यौरे अनुपस्थित
44.	श्री गंगानगर अस्पताल, राजेन्द्र नगर		स्वैच्छिक संगठन	
45.	तीरथराम अस्पताल 1 राजपुर रोड		स्वैच्छिक संगठन	
46.	आर वी सेठ जस्सा राम अस्पताल, करोल बाग		स्वैच्छिक संगठन	
47.	आर॰ एल॰ बजाज अस्पताल, 1-सी/3, जीजीएस मार्ग		स्वैच्छिक संगठन	
48.	एस॰ एल॰ जैन सी॰ अस्पताल, अशोक विहार, फेस-3		स्वैच्छिक संगठन	
49.	परिवार सेवा संगठन, नांगलोई		स्वैच्छिक संगठन	
50.	परिवार सेवा संगठन, प्रताप पुर		स्वैच्छिक संगठन	
51.	मजीदिया अस्पताल, हमदर्द नगर		स्वैच्छिक संगठन	
52.	रेनबैक्सी लेबोरेटरीज, तिखंड विलेज		स्वैच्छिक संगठन	
53.	सेरवेंट्स आफ प्युपिल सोसायटी, दिल्ली		स्वैच्छिक संगठन	
54.	गुज्जर वाली गली, जौहरीपुरी		स्वैच्छिक संगठन	
55.	बी एंड सी ब्लाक जग्गीज, सीजीएचएस, निर्माण भवन		स्वैच्छिक संगठन	
56.				
57.				
58.				
59.				
60.	सभी 80 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों से संबंद्ध			
61.				

1	2	3	4	5
62.				
63.				
64.				
65.	(ब्यौरे अनुपलब्ध)			
66.				
67.				
68.				
69.				

31.3.97 की स्थिति के अनुसार गुजरात राज्य में स्वास्थ्य चौकियों की सूची

क्रम संख्या	स्वास्थ्य चौकी का नाम	स्थान	टाइप	एजेंसी
1	2	3	4	5
1.	स्वास्थ्य चौकी सुग्रामपुरी	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
2.	स्वास्थ्य चौकी सुलाबतपुरा-।	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
3.	स्वास्थ्य चौकी सुलाबत पुरा-।।	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
4.	स्वास्थ्य चौकी हरिपारा	सूरत	सी	स्थानीय निकाय
5.	स्वास्थ्य चौकी सैयदपुरा	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
6.	स्वास्थ्य चौकी राडर	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
7.	स्वास्थ्य चौकी लाल दरवाजा	सूरत	बी	स्थानीय निकाय
8.	स्वास्थ्य चौकी गितुआवाडु	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
9.	स्वास्थ्य चौकी नवागरी	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
10.	स्वास्थ्य चौकी अठवा उमरा	सूरत	सी	स्थानीय निकाय
11.	स्वास्थ्य चौकी खतोदरा	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
12.	स्वास्थ्य चौकी उमरवाडा	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
13.	स्वास्थ्य चौकी टी पी एस	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
14.	स्वास्थ्य चौकी अदाजन	सूरत	डी	स्थानीय निकाय
15.	स्वास्थ्य चौकी मंजरपुर	बड़ौदा	डी	स्थानीय निकाय
16.	स्वास्थ्य चौकी नवायार्ड	बड़ौदा	डी	स्थानीय निकाय
17.	स्वास्थ्य चौकी ओल्ड पुरा रोड	बड़ौदा	डी	स्थानीय निकाय
18.	स्वास्थ्य चौकी किसानवाडी	बड़ौदा	डी	स्थानीय निकाय
19.	स्वास्थ्य चौकी गाजनवाडी	बड़ौदा	डी	स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5
20.	स्वास्थ्य चौकी बुधारवाडी	बड़ौदा	सी	स्थानीय निकाय
21.	स्वास्थ्य चौकी मकरपुरा	बड़ौदा	सी	स्थानीय निकाय
22.				
23.		सूचना उपलब्ध नहीं		
24.				
25.				
26.				
27.		सूचना उपलब्ध नहीं		
28.				

31.3.97 की स्थिति के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य में स्वास्थ्य चौकियों की सूची

1.	स्वास्थ्य चौकी आनंद नगर	भोपाल	सी	सूचना उपलब्ध नहीं
2.	स्वास्थ्य चौकी गोबिंदपुरी	भोपाल	सी	
3.	स्वास्थ्य चौकी बारखेडी	भोपाल	सी	
4.	स्वास्थ्य चौकी नरौला सौंकरी	भोपाल	सी	
5.	स्वास्थ्य चौकी नरोला लौंकरी	भोपाल	सी	
6.	स्वास्थ्य चौकी पंचशील नगर	भोपाल	सी	
7.	स्वास्थ्य चौकी रूकुम बाई	भोपाल	सी	
8.	स्वास्थ्य चौकी टीला जमालपुर	भोपाल	सी	
9.	स्वास्थ्य चौकी अरबिंद नगर	बिलासपुर	सी	
10.	स्वास्थ्य चौकी गनेशपुर वार्ड	बिलासपुर	सी	
11.	स्वास्थ्य चौकी कांतीनगर	बिलासपुर	सी	
12.	स्वास्थ्य चौकी रामदास नगर		सी	
13.	स्वास्थ्य चौकी खुर्शी पुर	दुर्ग	डी	
14.	स्वास्थ्य चौकी खुर्शी पुर जोन II, III	दुर्ग	डी	
15.	स्वास्थ्य चौकी कोटलेका रामनगर	दुर्ग	डी	
16.	स्वास्थ्य चौकी रोबिंधा	दुर्ग	डी	
17.	स्वास्थ्य चौकी माधोबा	दुर्ग	डी	
18.	स्वास्थ्य चौकी लेबर कालोनी I	दुर्ग	डी	
19.	स्वास्थ्य चौकी लेबर कालोनी II	दुर्ग	डी	

1	2	3	4	5
20.	स्वास्थ्य चौकी मोहन नगर	दुर्ग	डी	
21.	स्वास्थ्य चौकी नवापारा	दुर्ग	डी	
22.	स्वास्थ्य चौकी मोरार	ग्वालियर	डी	
23.	स्वास्थ्य चौकी दोरगोयाली	ग्वालियर	डी	
24.	स्वास्थ्य चौकी जनक गंज	ग्वालियर	डी	
25.	स्वास्थ्य चौकी फलका बाजार	ग्वालियर	डी	
26.	स्वास्थ्य चौकी हिमंसिंग के पर्दे	ग्वालियर	डी	
27.	स्वास्थ्य चौकी चिकित्सा महाविद्यालय	ग्वालियर	डी	
28.	स्वास्थ्य चौकी घास मंडी	ग्वालियर	डी	
29.	स्वास्थ्य चौकी ग्वालियर वार्ड नं॰ 8-11	ग्वालियर	डी	
30.	स्वास्थ्य चौकी त्वाथीपुर	ग्वालियर	डी	
31.	स्वास्थ्य चौकी भांवर कुआं	इंदौर	डी	
32.	स्वास्थ्य चौकी ट्रेनिंग सेंटर	इंदौर	डी	
33.	स्वास्थ्य चौकी परिवार कल्याण एसो॰	इंदौर	डी	सूचना उपलब्ध नहीं
34.	स्वास्थ्य चौकी एम ओ जी लाइन	इंदौर	डी	
35.	स्वास्थ्य चौकी महावती राव चिकित्सालय	इंदौर	सी	
36.	स्वास्थ्य चौकी राज्य कर्मचारी बिनिया निजम	इंदौर	सी	
37.	स्वास्थ्य चौकी हुमकुम चांद औषधालय-35	इंदौर	सी	
38.	स्वास्थ्य चौकी यशवंतराय चिकित्सालय	इंदौर	सी	
39.	स्वास्थ्य चौकी हुमकुम चांद औषधालय	इंदौर	सी	
40.	स्वास्थ्य चौकी एम ए जी लाइन	इंदौर	सी	
41.	स्वास्थ्य चौकी राज्य कर्मचारी बीमा निगम	इंदौर	सी	
42.	स्वास्थ्य चौकी संजोगता गंज 54	इंदौर	सी	
43.	स्वास्थ्य चौकी ट्रेनिंग सेंटर 15	इंदौर	सी	
44.	स्वास्थ्य चौकी कटरी	जबलपुर	ए	
45.	स्वास्थ्य चौकी न्यू कटरी	जबलपुर	बी	
46.	स्वास्थ्य चौकी मदन मोहन चंबा	जबलपुर	ए	
47.	स्वास्थ्य चौकी वर्कट वार्ड, कटरी	जबलपुर	ए	
48.	स्वास्थ्य चौकी ओमटी	जबलपुर	बी	
49.	स्वास्थ्य चौकी पाचवीं बेला बाग	जबलपुर	बी	

1	2	3	4	5
50.	स्वास्थ्य चौकी कंटोनमेंट	जबलपुर	सी	
51.	स्वास्थ्य चौकी त्रिपुरी	जबलपुर	सी	
52.	स्वास्थ्य चौकी अंबेडकर	जबलपुर	सी	
53.	स्वास्थ्य चौकी ईस्ट बेला बाग	जबलपुर	सी	
54.	स्वास्थ्य चौकी माधवताल	जबलपुर	सी	
55.	स्वास्थ्य चौकी गडजा	जबलपुर	सी	
56.	स्वास्थ्य चौकी डा॰ शाम प्रसाद मुखर्जी	जबलपुर	सी	
57.	स्वास्थ्य चौकी बार काला फैक्टरी	जबलपुर	डी	
58.	स्वास्थ्य चौकी धामपुर	जबलपुर	डी	
59.	स्वास्थ्य चौकी नगर औषधालय	जबलपुर	डी	
60.	स्वास्थ्य चौकी रांधी	जबलपुर	डी	
61.	स्वास्थ्य चौकी अधारा तला	जबलपुर	डी	
62.	स्वास्थ्य चौकी हुक्करग्राम	जबलपुर	डी	
63.	स्वास्थ्य चौकी लालमाटी	जबलपुर	डी	
64.	स्वास्थ्य चौकी सिंधाद लाली वार्ड	खांडवा	ए	सूचना उपलब्ध नहीं
65.	स्वास्थ्य चौकी महात्मा गांधी वार्ड	खांडवा	वी	
66.	स्वास्थ्य चौकी बुधवारा डब्ल्यूएचएस	खांडवा	वी	
67.	स्वास्थ्य चौकी रामेश्वर वार्ड (39, 40)	खांडवा	बी	
68.	स्वास्थ्य चौकी भावनतेल वार्ड	खांडवा	बी	
69.	स्वास्थ्य चौकी ठाकुर रविंद्रनाथ वार्ड	खांडवा	वी	
70.	स्वास्थ्य चौकी ठाकुर रविंद्रनाथ वार्ड ।।	खांडवा	वी	
71.	स्वास्थ्य चौकी सरोजिनी नायडू वार्ड	खांडवा	बी	
72.	स्वास्थ्य चौकी डा॰ अम्बेडकर वार्ड		बी	
73.	स्वास्थ्य चौकी राम नगर पाडा	रायपुर	वी	
74.	स्वास्थ्य चौकी राम नगर पाडा अस्पताल	रायपुर	बी	
75.	स्वास्थ्य चौकी टिकरा पाडा	रायपुर	सी	
76.	स्वास्थ्य चौकी रविग्राम तालीबांध	रायपुर	डी	
77.	स्वास्थ्य चौकी कानीकिल	रायपुर	डी	
78.	स्वास्थ्य चौकी रामसागर पाडा	रायपुर	डी	
79.	स्वास्थ्य चौकी जवाहर वार्ड	रायपुर	ए	

1	2	3	4	5
80.	स्वास्थ्य चौकी मोमेनपुरा	रतलाम	डी	
81.	स्वास्थ्य चौकी त्वालवार्ड	रतलाम	डी	
82.	स्वास्थ्य चौकी अनंतपुर	रतलाम	बी	
83.	स्वास्थ्य चौकी नपानीस (1-3)	रतलाम	बी	
84.	स्वास्थ्य चौकी नाई तालाब	रतलाम	सी	ब्यौरे अनुपलब्ध
85.	स्वास्थ्य चौकी चांबीस, लांबा मार्ग	रतलाम	ए	
86.	स्वास्थ्य चौकी माधन नगर	रतलाम	डी	
87.	स्वास्थ्य चौकी प्रकाश नगर	रतलाम	डी	
88.	स्वास्थ्य चौकी			
89.	स्वास्थ्य चौकी			
90.	स्वास्थ्य चौकी ब्यौरे अनुपलब्ध			
91.	स्वास्थ्य चौकी			
92.	स्वास्थ्य चौकी			
93.	स्वास्थ्य चौकी			
94.	स्वास्थ्य चौकी			
95.	स्वास्थ्य चौकी			
96.	स्वास्थ्य चौकी			
97.	स्वास्थ्य चौकी			
98.	स्वास्थ्य चौकी			
99.	स्वास्थ्य चौकी			

31.03.97 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में स्वास्थ्य चौकियों की सूची

1.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन डिस्पेंसरी, कोलीवाड़ा	वोरली	डी	स्थानीय निकाय
2.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन डिस्पेंसरी, जिजामतनगर	वरली	डी	स्थानीय निकाय
3.	स्वास्थ्य चौकी, एम डी जय गुलाबई पेस्टनजी	दावर	डी	स्थानीय निकाय
4.	स्वास्थ्य चौकी, एम डी अम्बेवाडी		डी	स्थानीय निकाय
5.	स्वास्थ्य चौकी, म्युनिसिपल मेटरनिटी होम	प्रभादेवी	डी	स्थानीय निकाय
6.	स्वास्थ्य चौकी, म्युनिसिपल मेटरनिटी होम	नाउजौन	डी	स्थानीय निकाय
7.	स्वास्थ्य चौकी, म्युनिसिपल मेटरनिटी होम	महिम	डी	स्थानीय निकाय
8.	स्वास्थ्य चौकी, सेठ एफ डी खिलानी एम एम	अंधेरी वेस्ट	डी	स्थानीय निकाय
9.	स्वास्थ्य चौकी, एम डी कोल्डोनगर	अंधेरी	डी	स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5
10.	स्वास्थ्य चौकी, के बी भाबा अस्पताल	बांद्रा	डी	स्थानीय निकाय
11.	स्वास्थ्य चौकी, एम एम होम रे रोड	बाईकुल्ला	डी	स्थानीय निकाय
12.	स्वास्थ्य चौकी, गुरू नानक म्युन॰ डिस्पेंसरी	खार (डब्ल्यू)	डी	स्थानीय निकाय
13.	स्वास्थ्य चौकी, डा॰ वी॰ एन॰ शिरोडकर एम एम एच	विले पार्ले (डब्ल्यू)	डी	स्थानीय निकाय
14.	स्वास्थ्य चौकी, खेरवाड एम एच	बांद्रा	डी	स्थानीय निकाय
15.	स्वास्थ्य चौकी, विक्टोरिया रोड एच॰ होम	बाईकुल्ला	डी	स्थानीय निकाय
16.	स्वास्थ्य चौकी, एम एम अस्पताल	पैंजोरपोल	डी	स्थानीय निकाय
17.	स्वास्थ्य चौकी, एम एम अस्पताल	ज्योबावाडी	डी	स्थानीय निकाय
18.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी	तूलीवाडी	डी	स्थानीय निकाय
19.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी	राजवडकर, कोलाबा	डी	स्थानीय निकाय
20.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी	वाडला	डी	स्थानीय निकाय
21.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी	कुरला	डी	स्थानीय निकाय
22.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम, थन्नाबस्ती	कुरला	डी	स्थानीय निकाय
23.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम, राडी	कैम्प सियोन	डी	स्थानीय निकाय
24.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम-।	चैम्बुर	डी	स्थानीय निकाय
25.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम-।।	चैम्बुर	डी	स्थानीय निकाय
26.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम	डीमोर	डी	स्थानीय निकाय
27.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम	गुंडी	डी	स्थानीय निकाय
28.	स्वास्थ्य चौकी, सेंट मुक्ताबाई एम जी एच	घाटकोपर	डी	स्थानीय निकाय
29.	स्वास्थ्य चौकी, सेठ गांधी वोरा एम जी एच	घाटकोपर	डी	स्थानीय निकाय
30.	स्वास्थ्य चौकी, म्युनिसिपल डिस्पेंसरी	विक्रोली	डी	स्थानीय निकाय
31.	स्वास्थ्य चौकी, एम॰ जी॰ अस्पताल	मुलुंद (डब्ल्यु)	डी	स्थानीय निकाय
32.	स्वास्थ्य चौकी, एम॰ जी॰ अस्पताल	मुलुंद (ई)	डी	स्थानीय निकाय
33.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम	भांडुप	डी	स्थानीय निकाय
34.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम	विखोली	डी	स्थानीय निकाय
35.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम	भांडुप	डी	स्थानीय निकाय
36.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी, स्कुआटेरा	जोगेश्वर (ई)	डी	स्थानीय निकाय
37.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम, ओशीवारा	जोगेश्वर (ई)	डी	स्थानीय निकाय
38.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम,	गोरेगांव	डी	स्थानीय निकाय
39.	स्वास्थ्य चौकी, वी॰ एन॰ देसाई, एम जी अस्पताल	सांताकुज (डब्ल्यु)	डी	स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5
40.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी	सांताक्रुज	डी	स्थानीय निकाय
41.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ मेटरनिटी होम, चोक्सी	मलाद	डी	स्थानीय निकाय
42.	स्वास्थ्य चौकी, श्री एम॰ डब्ल्यू, देसाई एम सी एच	मलाद	डी	स्थानीय निकाय
43.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी होम	कांडीवली (ई)	डी	स्थानीय निकाय
44.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी	कांडीवली (डब्ल्यू)	डी	स्थानीय निकाय
45.	स्वास्थ्य चौकी, सेंटेनरी एम जी एच	कांडीवली (डब्ल्यू)	डी	स्थानीय निकाय
46.	स्वास्थ्य चौकी, सेंटेनरी एम जी एच	कांडीवली (ई)	डी	स्थानीय निकाय
47.	स्वास्थ्य चौकी, श्री हीरालाल भगवती, एम जी एच	बोरीवली (डब्ल्यू)	डी	स्थानीय निकाय
48.	स्वास्थ्य चौकी, श्रीमती बी॰ के॰ सी॰ म्युन॰ मेट॰ होम	बोरीवली (डब्ल्यू)	डी	स्थानीय निकाय
49.	स्वास्थ्य चौकी, म्युनिसिपल डिस्पेंसरी	दोहीसोर	डी	स्थानीय निकाय
50.	स्वास्थ्य चौकी, म्युनिसिपल डिस्पेंसरी, डी वार्ड	दोहीसोर	डी	स्थानीय निकाय
51.	स्वास्थ्य चौकी, मैटरनिटी होम	कामथीपुरा	डी	स्थानीय निकाय
52.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी महाराष्ट्र स्कूल		डी	स्थानीय निकाय
53.	स्वास्थ्य चौकी, कुमार खागुन एम एम एच	बाईकुल्ला	डी	स्थानीय निकाय
54.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्प॰ एच एस एस एम एम एच	इमामवाला	डी	ब्यौरे अनुपलब्ध स्थानीय निकाय
55.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी	साबू सिद्दिक रोड	डी	स्थानीय निकाय
56.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी,	पल्टन रोड	डी	स्थानीय निकाय
57.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी, बालकुम	थाने	डी	स्थानीय निकाय
58.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी, मुम्ब्रा	थाने	डी	स्थानीय निकाय
59.	स्वास्थ्य चौकी, म्युन॰ डिस्पेंसरी, काल्वा	थाने	डी	स्थानीय निकाय
60.	स्वास्थ्य चौकी माजीवाडा	थाने	डी	स्थानीय निकाय
61.	स्वास्थ्य चौकी नवपेडा	थाने	डी	स्थानीय निकाय
62.	स्वास्थ्य चौकी तम्भीनाका	थाने	डी	स्थानीय निकाय
63.	स्वास्थ्य चौकी किसाननगर	थाने	डी	स्थानीय निकाय
64.	स्वास्थ्य चौकी सिद्धार्थ नगर	थाने	डी	स्थानीय निकाय
65.	स्वास्थ्य चौकी सिविल अस्पताल	उल्हासनगर	डी	स्थानीय निकाय
66.	स्वास्थ्य चौकी कुटुम्ब नियोजन आदर्श केन्द्र	गांधी नगर	डी	स्वै॰ संगठन
67.	स्वास्थ्य चौकी विराप	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
68.	स्वास्थ्य चौकी तिसगांव	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
69.	स्वास्थ्य चौकी घरीवाली	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5
70.	स्वास्थ्य चौकी चिखलोली	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
71.	स्वास्थ्य चौकी कोल्सेवाडी	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
72.	स्वास्थ्य चौकी डा॰ अंसारी चौक	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
73.	स्वास्थ्य चौकी डोम्बीवली (एस)	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
74.	स्वास्थ्य चौकी डोम्बीवली (डी)	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
75.	स्वास्थ्य चौकी डोम्बीवली (एम)	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
76.	स्वास्थ्य चौकी डोम्बीवली (पी)	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
77.	स्वास्थ्य चौकी महात्मा फूल चौक	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
78.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर I, उल्हासनगर	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
79.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर II, उल्हासनगर	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
80.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर III, उल्हासनगर	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
81.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर IV, उल्हासनगर	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
82.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर V, उल्हासनगर	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
83.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर VI, उल्हासनगर	कल्याण	डी	स्थानीय निकाय
84.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 1, 2, 5-7 और 9-12	भिवांडी	डी	स्थानीय निकाय
85.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 21-23, 25-37 और 29-33	भिवांडी	डी	स्थानीय निकाय
86.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 35-38, और 40-45	भिवांडी	डी	स्थानीय निकाय
87.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 39, 53-60	भिवांडी	डी	स्थानीय निकाय
88.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 3-4, और 46-52	भिवांडी	डी	स्थानीय निकाय
89.	स्वास्थ्य चौकी नासिक रोड, गोसाविवाडी	नासिक	डी	स्थानीय निकाय
90.	स्वास्थ्य चौकी नासिक सिटी	नासिक	डी	स्थानीय निकाय
91.	स्वास्थ्य चौकी संत गडमे मह मेट॰ होम	नासिक	डी	स्थानीय निकाय
92.	स्वास्थ्य चौकी महात्मा फूलेनगर पेचवली	नासिक	डी	स्थानीय निकाय
93.	स्वास्थ्य चौकी सतपुर	नासिक	डी	स्थानीय निकाय
94.	स्वास्थ्य चौकी शहरी परिवार कल्याण बुरिया	नासिक	डी	स्थानीय निकाय
95.	स्वास्थ्य चौकी सिडको गांव	नासिक	डी	स्थानीय निकाय
96.	स्वास्थ्य चौकी सिविल अस्पताल	नासिक	डी	स्थानीय निकाय
97.	स्वास्थ्य चौकी इंडियन रेड क्रास सोसायटी	नासिक	डी	स्थानीय निकाय
98.	स्वास्थ्य चौकी संगमेश्वर वार्ड	मालेगांव	डी	स्थानीय निकाय
99.	स्वास्थ्य चौकी सम्वार	मालेगांव	डी	स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5
100.	स्वास्थ्य चौकी निमा वार्ड नं॰ 1	मालेगांव	डी	स्थानीय निकाय
101.	स्वास्थ्य चौकी निमा वार्ड नं॰ 2	मालेगांव	डी	स्थानीय निकाय
102.	स्वास्थ्य चौकी एल एम ए नवापुर वार्ड	मालेगांव	डी	स्थानीय निकाय
103.	स्वास्थ्य चौकी फातिमा मेट॰ होम, गुरूवर वार्ड	मालेगांव	डी	स्थानीय निकाय
104.	स्वास्थ्य चौकी शिवाजी नगर	जलगांव	सी	स्थानीय निकाय
105.	स्वास्थ्य चौकी नवीपेठ	जलगांव	डी	स्थानीय निकाय
106.	स्वास्थ्य चौकी इंडिया गैरेज	जलगांव	सी	स्थानीय निकाय
107.	स्वास्थ्य चौकी तम्बा पुरा	जलगांव	बी	ब्यौरे अनुपलब्ध स्थानीय निकाय
108.	स्वास्थ्य चौकी सुभाष चौक	जलगांव	डी	स्थानीय निकाय
109.	स्वास्थ्य चौकी जूनेगांव	जलगांव	बी	स्थानीय निकाय
110.	स्वास्थ्य चौकी गौथान	जलगांव	सी	स्थानीय निकाय
111.	स्वास्थ्य चौकी सिविल अस्पताल	जलगांव	सी	स्थानीय निकाय
112.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर I	भूसावल	बी	स्थानीय निकाय
113.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर II	भूसावल	डी	स्थानीय निकाय
114.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर III	भूसावल	डी	स्थानीय निकाय
115.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर IV	भूसावल	सी	स्थानीय निकाय
116.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर V	भूसावल	सी	स्थानीय निकाय
117.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 55-60	धूले	सी	स्थानीय निकाय
118.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 1-5	धूले	सी	स्थानीय निकाय
119.	स्वास्थ्य चौकी सिविल अस्पताल	धूले	सी	स्थानीय निकाय
120.	स्वास्थ्य चौकी जवाहर मेडिकल फाउंडेशन	धूले	डी	स्वैछिक संगठन
121.	स्वास्थ्य चौकी अभया युवा केन्द्र	धूले	डी	स्वैच्छिक संगठन
122.	स्वास्थ्य चौकी सिविल अस्पताल	अहमदपुर	डी	स्थानीय निकाय
123.	स्वास्थ्य चौकी नानी पेठ	अहमदपुर	डी	स्थानीय निकाय
124.	स्वास्थ्य चौकी बी डी, सी डी एंड मेटरनिटी होम	अहमदपुर	डी	स्थानीय निकाय
125.	स्वास्थ्य चौकी सोनावाले मेटरनिटी होम अस्पताल	पुणे	डी	स्थानीय निकाय
126.	स्वास्थ्य चौकी रेलवे स्टेशन के नजदीक	पुणे	डी	स्थानीय निकाय
127.	स्वास्थ्य चौकी येरावाडा केन्द्र	पुणे	डी	स्थानीय निकाय
128.	स्वास्थ्य चौकी वलवी मेमोरियल अस्पताल	पुणे	डी	स्थानीय निकाय
129.	स्वास्थ्य चौकी स्वास्थ्य कैम्प	पुणे	डी	स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5
130.	स्वास्थ्य चौकी बोपाडी	पुणे	डी	स्थानीय निकाय
131.	स्वास्थ्य चौकी कमला नेहरू अस्पताल	पुणे	डी	स्थानीय निकाय
132.	स्वास्थ्य चौकी महाराष्ट्र आरोग्या मंडल	पुणे	डी	स्वैच्छिक संगठन
133.	स्वास्थ्य चौकी के ई एम अस्पताल	पुणे	डी	स्वैच्छिक संगठन
134.	स्वास्थ्य चौकी एफ पी एसोसिएशन	पुणे	डी	स्वैच्छिक संगठन
135.	स्वास्थ्य चौकी महिला मंडल	पुणे	डी	स्वैच्छिक संगठन
136.	स्वास्थ्य चौकी अंजली अस्पताल	पुणे	डी	स्वैच्छिक संगठन
137.	स्वास्थ्य चौकी डा॰ संगमनेरकर अस्पताल	पुणे	डी	स्वैच्छिक संगठन
138.	स्वास्थ्य चौकी आनंद मेडिकल फाउंडेशन	पुणे	डी	स्वैच्छिक संगठन
139.	स्वास्थ्य चौकी सस्सून जनरल अस्पताल	पुणे	डी	सरकारी निकाय
140.	स्वास्थ्य चौकी भवानी पेठ	पुणे	डी	सरकारी निकाय
141.	स्वास्थ्य चौकी लोक मान्या मेडिकल फाउंडेशन	पुणे	डी	स्वैच्छिक संगठन
142.	स्वास्थ्य चौकी पिम्प्री वाधेरे	पिम्प्री चिंचवाड	डी	स्थानीय निकाय
143.	स्वास्थ्य चौकी भोसरी	पिम्प्री चिंचवाड	डी	स्थानीय निकाय
144.	स्वास्थ्य चौकी हाकूदी	पिम्प्री चिंचवाड	डी	स्थानीय निकाय
145.	स्वास्थ्य चौकी पिम्प्री कालोनी	पिम्प्री चिंचवाड	डी	स्थानीय निकाय
146.	स्वास्थ्य चौकी संगवी	पिम्प्री चिंचवाड	डी	स्थानीय निकाय
147.	स्वास्थ्य चौकी थेरागांव	पिम्प्री चिंचवाड	सी	स्थानीय निकाय
148.	स्वास्थ्य चौकी आर एच मेटरनिटी होम	सोलेपुर	डी	स्थानीय निकाय
149.	स्वास्थ्य चौकी जोडभावी पेठ	सोलेपुर	डी	स्थानीय निकाय
150.	स्वास्थ्य चौकी बोयस मेटरनिटी होम	सोलेपुर	डी	स्थानीय निकाय
151.	स्वास्थ्य चौकी भावना कृषि पेठ	सोलेपुर	डी	स्थानीय निकाय
152.	स्वास्थ्य चौकी लेडी डुफ्फेरिन अस्पताल	सोलेपुर	डी	स्थानीय निकाय
153.	स्वास्थ्य चौकी रम्वादी मेटरनिटी होम	सोलेपुर	डी	स्थानीय निकाय
154.	स्वास्थ्य चौकी सिविल अस्पताल	सोलेपुर	डी	सरकारी निकाय
155.	स्वास्थ्य चौकी एसोसिएशन फार सोशल हैल्थ	सोलेपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
156.	स्वास्थ्य चौकी एफ पी ए आई	सोलेपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
157.	स्वास्थ्य चौकी क्रिस्ट सेवा मंदिर	सोलेपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
158.	स्वास्थ्य चौकी एन एम वाडिया अस्पताल	सोलेपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
159.	स्वास्थ्य चौकी धनराजगिरीजी अस्पताल	सोलेपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन

1	2	3	4	5
160.	स्वास्थ्य चौकी राजराशि साहु मेडि॰ फाउंडेशन	सोलेपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
161.	स्वास्थ्य चौकी राजरामपुर	सोलेपुर	ए	स्वैच्छिक संगठन
162.	स्वास्थ्य चौकी कस्बा	बवादा	डी	स्वैच्छिक संगठन
163.	स्वास्थ्य चौकी सदर बाजार	कोल्हापुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
164.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 7	इचलकुरूनजी	डी	स्थानीय निकाय
165.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 2	इचलकुरूनजी	ए	स्थानीय निकाय
166.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 4 और 5	इचलकुरूनजी	ए	स्थानीय निकाय
167.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 6	इचलकुरूनजी	बी	स्थानीय निकाय
168.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 3	इचलकुरूनजी	बी	स्थानीय निकाय
169.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 1	इचलकुरूनजी	बी	स्थानीय निकाय
170.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 9 ए	इचलकुरूनजी	सी	स्थानीय संगठन
171.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 9 बी	इचलकुरूनजी	सी	स्थानीय निकाय
172.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 8	इचलकुरूनजी	सी	स्थानीय निकाय
173.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 10 ए	इचलकुरूनजी	सी	स्थानीय निकाय
174.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड न॰ 10 बी	इचलकुरूनजी	सी	स्थानीय निकाय
175.	स्वास्थ्य चौकी रजवाड़ा	संगली	ए	स्थानीय निकाय
176.	स्वास्थ्य चौकी रेलवे स्टेशन	संगली	ए	स्थानीय निकाय
177.	स्वास्थ्य चौकी सखरकारखाना	संगली	बी	स्थानीय निकाय
178.	स्वास्थ्य चौकी संगली वाडी	संगली	बी	स्थानीय निकाय
179.	स्वास्थ्य चौकी गणपति पेठ	संगली	सी	स्थानीय निकाय
180.	स्वास्थ्य चौकी शिवाजी नगर	संगली	सी	स्थानीय निकाय
181.	स्वास्थ्य चौकी नलबाग	संगली	सी	सरकारी निकाय
182.	स्वास्थ्य चौकी खान भाग	संगली	सी	सरकारी निकाय
183.	स्वास्थ्य चौकी गणेश नगर	संगली	सी	स्थानीय निकाय
184.	स्वास्थ्य चौकी कोल्हापुर रोड	संगली	सी	स्थानीय निकाय
185.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर 4	मिराज	डी	स्थानीय निकाय
186.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर ए	मिराज	डी	स्थानीय निकाय
187.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर 1	मिराज	ए	स्थानीय निकाय
188.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर बी	मिराज	बी	स्थानीय निकाय
189.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर डी	मिराज	बी	स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5
190.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर सी	मिराज	सी	स्थानीय निकाय
191.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर ई	मिराज	सी	स्थानीय निकाय
192.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर एफ	मिराज	सी	स्थानीय निकाय
193.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर जी	मिराज	सी	स्थानीय निकाय
194.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर चखलथाना	औरंगाबाद	डी	स्थानीय निकाय
195.	स्वास्थ्य चौकी हरसूल	औरंगाबाद	डी	स्थानीय निकाय
196.	स्वास्थ्य चौकी भनसिंघपुरा	औरंगाबाद	डी	स्थानीय निकाय
197.	स्वास्थ्य चौकी नक्षत्रावदी	औरंगाबाद	डी	स्थानीय निकाय
198.	स्वास्थ्य चौकी क्रांति चौक	औरंगाबाद	डी	स्थानीय निकाय
199.	स्वास्थ्य चौकी जिन्सी	औरंगाबाद	डी	स्थानीय निकाय
200.	स्वास्थ्य चौकी सिविल डिस्पेंसरी	औरंगाबाद	डी	स्थानीय निकाय
201.	स्वास्थ्य चौकी सदर बाजार	औरंगाबाद	डी	स्थानीय निकाय
202.	स्वास्थ्य चौकी कब्राबाद	औरंगाबाद	डी	स्थानीय निकाय
203.	स्वास्थ्य चौकी जाल्ना मिशन अस्पताल	जाल्ना	सी	स्थानीय निकाय
204.	स्वास्थ्य चौकी ओल्ड जाल्ना I	जाल्ना	सी	सरकारी निकाय
205.	स्वास्थ्य चौकी ओल्ड जाल्ना II	जाल्ना	सी	सरकारी निकाय
206.	स्वास्थ्य चौकी बैंक कालोनी	लादुर	ए	स्थानीय निकाय
207.	स्वास्थ्य चौकी सरस्वती कालोनी	लादुर	ए	सरकारी निकाय
208.	स्वास्थ्य चौकी स्पींनिग मि	लादुर	ए	सरकारी निकाय
209.	स्वास्थ्य चौकी वीर हनुमती वादी	लादुर	ए	सरकारी निकाय
210.	स्वास्थ्य चौकी इन्द्रा नगर	लादुर	ए	सरकारी निकाय
211.	स्वास्थ्य चौकी सिंगल केप॰	लादुर	बी	सरकारी निकाय
212.	स्वास्थ्य चौकी, मंथालानगर	लादुर	बी	सरकारी निकाय
213.	स्वास्थ्य चौकी सुभाष चौक	लादुर	बी	सरकारी निकाय
214.	स्वास्थ्य चौकी सुबगल्ली केप गल्ली	लादुर	बी	स्थानीय निकाय
215.	स्वास्थ्य चौकी मेघराज नगर	लादुर	सी	स्थानीय निकाय
216.	स्वास्थ्य चौकी बुद्ध नगर	लादुर	सी	स्थानीय निकाय
217.	स्वास्थ्य चौकी नंदगांव वास	लादुर	सी	स्थानीय निकाय
218.	स्वास्थ्य चौकी लिस्मानपुर	लादुर	सी	स्थानीय निकाय
219.	स्वास्थ्य चौकी वदरवादी	लादुर	सी	स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5
220.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर I	नांदेड	डी	स्थानीय निकाय
221.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर II	नांदेड़	डी	स्थानीय निकाय
222.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर III	नांदेड़	डी	सरकारी निकाय
223.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर IV	नांदेड़	डी	सरकारी निकाय
224.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ बी	परभनी	बी	स्थानीय निकाय
225.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 14 बी	परभनी	बी	स्थानीय निकाय
226.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 1	परभनी	सी	सरकारी निकाय
227.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 3, 4, 5	परभनी	सी	स्थानीय निकाय
228.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 2, 6, 7, 9	परभनी	सी	स्थानीय निकाय
229.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 8, 10, 12	परभनी	सी	स्थानीय निकाय
230.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 11	परभनी	सी	स्थानीय निकाय
231.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 14 ए	परभनी	सी	स्थानीय निकाय
232.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ भाजी भाजर	अमरावती	डी	स्थानीय निकाय
233.	स्वास्थ्य चौकी विलास नगर	अमरावती	डी	स्थानीय निकाय
234.	स्वास्थ्य चौकी बडनेरा	अमरावती	डी	स्थानीय निकाय
235.	स्वास्थ्य चौकी वनिता समाज	अमरावती	डी	स्वैच्छिक संगठन
236.	स्वास्थ्य चौकी यंग मुस्लिम एसोसियेशन	अमरावती	डी	स्वैच्छिक संगठन
237.	स्वास्थ्य चौकी संजीवनी अस्पताल	अमरावती	डी	स्वैच्छिक संगठन
238.	स्वास्थ्य चौकी जनरल अस्पताल	अमरावती	डी	सरकारी निकाय
239.	स्वास्थ्य चौकी महिला जिला अस्पताल	अमरावती	डी	सरकारी निकाय
240.	स्वास्थ्य चौकी श्रीमती के जी एम आर अस्पताल	अकोला	डी	स्थानीय निकाय
241.	स्वास्थ्य चौकी हरिहर पेठ	अकोला	डी	स्थानीय निकाय
242.	स्वास्थ्य चौकी देशभुक लैब	अकोला	डी	स्थानीय निकाय
243.	स्वास्थ्य चौकी आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी	अकोला	डी	सरकारी निकाय
244.	स्वास्थ्य चौकी ओल्ड ओक्टरोई नाका	अकोला	डी	सरकारी निकाय
245.	स्वास्थ्य चौकी मटरू सेवा संघ	अकोला	डी	स्वैच्छिक संगठन
246.	स्वास्थ्य चौकी इंदौरा	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
247.	स्वास्थ्य चौकी दया अस्पताल	नागपुर	डी	सरकारी निकाय
248.	स्वास्थ्य चौकी बिनाकी	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5
249.	स्वास्थ्य चौकी शास्त्री नगर	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
250.	स्वास्थ्य चौकी मोहिनपुरा	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
251.	स्वास्थ्य चौकी बुटी मुनि॰ डिस्पेंसरी	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
252.	स्वास्थ्य चौकी डा. कोटरिल डिस्पेंसरी	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
253.	स्वास्थ्य चौकी खामला डिस्पेंसरी	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
254.	स्वास्थ्य चौकी इंदौर डिस्पेंसरी	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
255.	स्वास्थ्य चौकी तकली डिस्पेंसरी खाडन	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
256.	स्वास्थ्य चौकी कोट्टन मार्किट	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
257.	स्वास्थ्य चौकी आशा मेटरनिटी होम राशीबाग	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
258.	स्वास्थ्य चौकी लकड़गंज	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
259.	स्वास्थ्य चौकी देवटाइल मेटरनिटी होम	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
260.	स्वास्थ्य चौकी बुधवारी डिस्पेंसरी	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
261.	स्वास्थ्य चौकी नेताजी डिस्पेंसरी	नागपुर	डी	स्थानीय निकाय
262.	स्वास्थ्य चौकी ई एस एल एस अस्पताल	नागपुर	डी	सरकारी निकाय
263.	स्वास्थ्य चौकी मेडिकल कालेज और अस्पताल	नागपुर	डी	सरकारी निकाय
264.	स्वास्थ्य चौकी मायो जनरल अस्पताल	नागपुर	डी	सरकारी निकाय
265.	स्वास्थ्य चौकी आयुर्वेदिक कालेज	नागपुर	डी	सरकारी निकाय
266.	स्वास्थ्य चौकी मटरू सेवा संघ सीताबुलदी	नागपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
267.	स्वास्थ्य चौकी नागरिक सहकारी	नागपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
268.	स्वास्थ्य चौकी जनता मेटरनिटी होम	नागपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
269.	स्वास्थ्य चौकी मटरू सेवा संघ महल	नागपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
270.	स्वास्थ्य चौकी दल्वी मेमोरियल अस्पताल	नागपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
271.	स्वास्थ्य चौकी दजीबन अस्पताल	नागपुर	डी	स्वैच्छिक संगठन
272.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 1-7, 39-45	गोंडिया	डी	सरकारी निकाय
273.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं॰ 27-38	गोंडिया	डी	सरकारी निकाय
274.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं. 8-9, 11, 17	गोंडिया	डी	सरकारी निकाय
275.	स्वास्थ्य चौकी गंगाबाई महिला अस्पताल	गोंडिया	डी	सरकारी निकाय
276.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं. 1-7, 17, 18, 52, 54	चंद्रपुर	डी	स्थानीय निकाय
277.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं. 34-42, 44-45	चंद्रपुर	डी	स्थानीय निकाय

1	2	3	4	5
278.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं. 11-16, 29-33	चंद्रपुर	डी	स्थानीय निकाय
279.	स्वास्थ्य चौकी वार्ड नं. 19-28	चंद्रपुर	डी	स्थानीय निकाय
280.	स्वास्थ्य चौकी सिविल अस्पताल	चंद्रपुर	डी	सरकारी निकाय
	31.03.97 की स्थिति के अनुसार चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य चौकियों की सूची			
1.	स्वास्थ्य चौकी बापू धाम	चंडीगढ़	सी	सरकारी
2.	स्वास्थ्य चौकी करसन कालोनी	चंडीगढ़	बी	सरकारी
3.	स्वास्थ्य चौकी ददुमजरा	चंडीगढ़	बी	सरकारी
4.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर 31, 32, 33 टेनेमेंटस	चंडीगढ़	बी	सरकारी
5.	स्वास्थ्य चौकी सैक्टर 37-38, टेनेमेंटस	चंडीगढ़	बी	सरकारी
6.	स्वास्थ्य चौकी अट्टावा	चंडीगढ़	ए	सरकारी
7.	स्वास्थ्य चौकी सिक्लीगढ़	चंडीगढ़	ए	सरकारी
8.	स्वास्थ्य चौकी लेबर कालोनी सैक्टर 25	चंडीगढ़	ए	सरकारी
9.	स्वास्थ्य चौकी राम दरबार	चंडीगढ़	ए	सरकारी
	31.03.97 की स्थिति के अनुसार उड़ीसा राज्य में स्वास्थ्य चौकियों की सूची			
1.	स्वास्थ्य चौकी कैपिटल अस्पताल	भुवनेश्वर	सी	सरकारी
2.	स्वास्थ्य चौकी सिटी अस्पताल	कटक	डी	सरकारी
3.	स्वास्थ्य चौकी सब डिवीजन अस्पताल, राउरकेला	सुन्दरगढ़	डी	सरकारी

31.03.98 की स्थिति के अनुसार बंध्यीकरण पलंग योजना के अधीन बंध्यीकरण पलंगों की सूची

क्र॰ सं॰	संस्था का नाम	पलंगों की संख्या
1	2	3
राज्य	*आंध्र प्रदेश*	
	स्वैच्छिक संगठन	
1.	सी एस आई कैम्पवाल अस्पताल कुड्डपा	75
2.	वाई एस राजरेड्डी अस्पताल, पेलेवा, वेंदला, कुड्डपा जिला	40
3.	क्रिश्चिन मेडिकल केन्द्र, पिथापुरम, ई॰ गोदावरी जिला	10
4.	महिला अस्पताल, अम्बाजी, ईस्ट गोदावरी जिला	10
5.	फ्री मेटरनिटी होम एंड एफ पी डिपो, राजामुंदरी, ई जी जिला	12
6.	जी डी एम अस्पताल, नरसापुर, वेस्ट गोदावरी जिला	24
7.	स्टार होप अस्पताल, अरीवीडु, डब्ल्युजी जिला	5
8.	सी बी एम बी अस्पताल, वुयुरू, कृष्णा जिला	8
9.	जी एम अस्पताल, नुआविद, कृष्णा जिला	5
10.	सल्वाटिन आर्मी अस्पताल, एवरटाईम अस्पताल, निड्डरोलु, गुंटूर जिला	6
11.	सी एस एल अस्पताल, नेगारे, चित्तूर जिला	25
12.	एम एल एल अस्पताल, मदापली, चित्तूर जिला	20
13.	एम जी एम अस्पताल, जडेहरला, जिला महबूबनगर	10
14.	जया नर्सिंग होम, वार्रंगल	10
15.	बी एस आर अस्पताल, अल्माजुर, जिला नैल्लोर	5
16.	सें॰ मेरी अस्पताल, खम्माम	3

1	2	3
17.	अमाकलरेड्डी अस्पताल, अलीयड्डा, जिला कुरनूल	2
18.	एफ पी ए आई, हैदराबाद	10
19.	लायन एफ डब्ल्यु पी केन्द्र, गयापट्टी नगरामी विजया नगर जिला	10
20.	विक्टोरिया अस्पताल, विशाखापटनम	20
21.	गवर्नमेंट जनरल अस्पताल, विशाखापटनम	20
	कुल योग	330
राज्य : असम		
1.	इंडियन रैड क्रास सोसायटी (स्वैच्छिक संगठन)	11
कुल		11
राज्य : बिहार		
	स्वैच्छिक संगठन	
1.	सवनथ डे एडवेंटिस्ट, रांची	20
2.	ए. एल. डब्ल्यु सी., जमशेदपुर	20
3.	सें॰ कोलम्बस अस्पताल, हजारीबाग	6
4.	डाईन्यूम अस्पताल, रसूल, चम्पारन	11
5.	एफ पी ए एल, गोमिला, गीरधीह	6
6.	मोहुल पहाड़ी क्रिश्चिन अस्पताल, एस॰ परगना	5
7.	नवजीवन अस्पताल, पलमऊ	3
8.	मैत्री सदन, झरिया	5
9.	एफ पी ए एल, समस्तीपुर	9
10.	एफ पी ए एल, कुरजी वीगा	2
11.	सी बी के परिवार कल्याण संस्था, रतनपुर	3
	कुल	90
राज्य : गुजरात		
	स्वैच्छिक संगठन	
1.	अशोक मिल लि॰, नरोदा रो, अहमदाबाद	22
2.	एफ॰ पी॰ ए॰ एल॰ लाल दरवाजा, अहमदाबाद	7
3.	श्रीमती सकोभा बी जी अस्पताल, धोलखा	17

1	2	3
4.	चम्पा विजय जनरल अस्पताल, एस एस सदन, अहमदाबाद	2
5.	प्रतिभा मेटरनिटी अस्पताल, एस एस सदन, अहमदाबाद	7
6.	श्री आर॰ एन वाला स्मारक ट्रस्ट, संचतित अस्पताल, कोडिनार	2
7.	डा॰ एल टी पटेल ट्रस्ट, कल्पना क्लिनिक, वडोदरा	21
8.	डा॰ एल टी पटेल ट्रस्ट, ऊमा क्लिनिक, वडोदरा	19
9.	श्रीमती महारानी शांतादेवी नर्सिंग होम, वडोदरा	10
10.	शाह के बी डी पब्लिक अस्पताल, दबहोई	4
11.	पुज्या योगिनी वसन्तदेवी नर्सिंग होम, वडोदरा	5
12.	श्री नरहरि आरोग्या केन्द्र अस्पताल, वडोदरा	1
13.	मेडिकल केयर सेन्टर, वडोदरा	5
14.	श्री विजय मेटरनिटी होम, राजपिप्ला	4
15.	सेवाश्रम अस्पताल, बरोच	6
16.	श्री कस्तूरबा मेटरनिटी अस्पताल, सेवा रूरल, थागडिया	4
17.	के एंड के पब्लिक क्लिनिकल ट्रस्ट हंसट	1
18.	कस्तूरबा वी आर मंडल, वल्साड	6
19.	मोहनलाल दयाल पी॰ गृह जनरल अस्पताल, क़िल्ला परदी	3
20.	नर्मदाबेन रावल अस्पताल, भावनगर	15
21.	सेठ एन एन एस अस्पताल एंड एस जी मेटरनिटी होम, रंतबेजा	4
22.	रीवाय जनरल अस्पताल, सरधाव, जिला गांधी नगर	2
23.	कम्बे जनरल अस्पताल, कम्बे, जिला खेडा	3
24.	एस एच जे महागुजरात अस्पताल, नाडियाड	5
25.	के एम जी जनरल अस्पताल, वलसिनार, जिला खेडा	3
26.	चाउतर आरोग्या मंडल अस्पताल, करमसाड, जिला खेडा	3
27.	त्रिभुवनदास फाउंडेशन आनंद	18
28.	सी जी पटेल अस्पताल, सोजित्रा, जिला खेडा	1

1	2	3
29.	श्रीमती एस सी सेठ डी एम एस॰ अस्पताल, गोजरिया जिला मेहसाना	6
30.	श्री सोमभाई जे॰ पटेल एस अस्पताल, पलीयाड	1
31.	जिला कॉपरेटिव बैंक जनरल अस्पताल, मेहसाना	2
32.	बी एम बी सर्वाजनिक अस्पताल, बेडा, जिला मेहसाना	1
33.	सरदार पटेल अस्पताल, विसनगर, जिला मेहसाना	1
34.	श्रीमती, सवितावेन अस्पताल, अम्बासन, जिला मेहसाना	1
35.	श्री जी पी पटेल एंड जे पटेल जनरल अस्पताल, भांडु	1
36.	भगिनी सेवा मंडल, कालोल, जिला पंचमहल	10
37.	श्री एच के पटेल एस॰ अस्पताल, जडर, जिला सबर कंथा	17
38.	तलोद आरोग्या मंडल, तलोद जिला एस॰ के॰	10
39.	डा॰ रसिकलाल शाह अस्पताल, मोडसा, जिला एस॰ के॰	16
40.	श्रीमती पी॰ गायकवाड जनरल अस्पताल, वतरक जिला एस॰ के॰	7
41.	एम सी देसाई जनरल अस्पताल, प्रांतिज, जिला एस॰ के॰	1
42.	काउंटेंस आफ डुफ्फेरिन डिस्पेंसरी, भगा तलाव, जिला सुरत	13
43.	सर्वाजनिक मेडिकल ट्रस्ट, रामपुरा, सुरत	3
44.	श्री सरदा स्मारक अस्पताल, बरवोली, जिला सुरत	10
45.	श्री सी के शाह मेडिकल केन्द्र, सुरेन्द्रनगर	15
46.	जोरवरनगर विकास मंडल, जोरवरनगर	1
47.	एफ पी ए एल, रैड क्रास भवन, भावनगर	4
48.	त्रिमुर्ति अस्पताल, बावला, जिला अहमदाबाद	1
	उप योग	321
	स्थानीय निकाय	
49.	विरंगम म्युनिस्पिल अस्पताल, विरंगम, जिला अहमदाबाद	4
50.	अहमदाबाद म्युनिस्पिल कारपोरेशन, शाहपुर अहमदाबाद	2
51.	परवती भाई म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, दरियापुर, अहमदाबाद	1
52.	कपाडीवाड म्युनिस्पिल मैटरनिटी होम, दरियापुर, अहमदाबाद	1
53.	संचालित ककारिया म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, अहमदाबाद	1
54.	गोमतीपुर म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, अहमदाबाद	1
55.	बरदोलपुर म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, अहमदाबाद	1
56.	साहरमती म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, अहमदाबाद	1
57.	खेखेरा म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, अहमदाबाद	5
58.	उस्मानपुर म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, अहमदाबाद	1
59.	दनी लिम्दा म्युनिसिपल मेटरनिटी होम, अहमदाबाद	1
60.	बरहामपुर म्युनिसिपल मेटरनिटी होम, अहमदाबाद	1
61.	अंकलेश्वर नगरपालिका, अंकलेश्वर, जिला बरोच	3
62.	बिल्लीमारा नगरपालिका, बिल्लीमारा, जिला वल्साड	5
63.	खमखट नगरपालिका, खमखट, जिला खेडा	4
64.	लखपती म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, सुरत	5
65.	वरचा म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, सुरत	3
66.	खेत्रपाल म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, सुरत	3
67.	वेरावल पटन म्युनिस्पिल मेटरनिटी होम, वेरावल, जिला जूनागढ़	3
68.	किरम्पुर म्युनिसिपल मेटरनिटी होम, अहमदाबाद	1
	उप योग	47
	महा योग	368

राज्य : हरियाणा

	स्वैच्छिक संगठन	
1.	सेवक सभा चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल, हिसार	46
2.	अपर्णा ट्रस्ट अस्पताल, मधुबन	5

1	2	3
3.	परिवार कल्याण एसोसिएशन आफ इंडिया, माडल टाउन, पानीपत	25
	कुल	76
राज्य : जम्मू और कश्मीर		
	स्वैच्छिक संगठन	
1.	जे॰ बी॰ एम॰ अस्पताल, अनन्तनाग	12
2.	खन्नस अस्पताल और नर्सिंग होम, श्रीनगर	2
	कुल	14
राज्य : कर्नाटक		
	स्वैच्छिक संगठन	
1.	एफ पी ए एल, बंगलौर	25
2.	एफ पी ए एल, गांधीनगर, बेल्लरी	9
3.	लायन्स क्लब आफ बंगलौर साउथ	6
4.	एफ पी ए एल, गुलबर्गा	10
5.	कर्नाटक हैल्थ इंस्टीट्यूट, घाट प्रभा, बेलगउम	15
6.	एफ पी ए एल, उडुप्पी	7
7.	एफ पी ए एल, शिमोग	10
8.	एफ पी एल, बेलगउम	30
9.	एफ पी ए एल, मैसूर	15
10.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, कुमता, उत्तर कनाड	10
11.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, बीदर	25
12.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, रायचूर	9
13.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, बीजापुर	11
14.	शर्मा सेवा समाज, बंगलौर	5
15.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, धारवाड़	15
16.	होल्ड्स्वर्थ मेमोरियल हास्पिटल, मैसूर	18
17.	जे॰ जी॰ कोआपरेटिव हास्पिटल, घाटप्रभा, बेलगांव	3
18.	हुबली कोआपरेटिव सोसाइटी हास्पिटल, हुबली	4
19.	सी॰ एस॰ आई॰ हास्पिटल, बंगलौर	5
20.	बैप्टिस्ट हास्पिटल, बंगलौर	6
	कुल	238

1	2	3
राज्य : केरल		
	स्वैच्छिक संगठन :	
1.	कारुनालय हास्पिटल, वान्दूर	5
2.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, परसाला	19
3.	क्रिश्चियन वेल्फेयर सेन्टर, मालापुरम	7
4.	सेवेन्थडे ऐडवेन्टीस हास्पिटल, आतोपालम	14
5.	छोटा निककाड़ा मेडिकल रिलिफ सोसाइटी	4
6.	विमला हास्प्टिल, कोटायम	5
7.	एल॰ एम॰ एस॰ ब्वायज़ ब्रिज हास्पिटल क्यूलियांन	9
8.	मार येरेलियस मेडिकल मिशन हास्पिटल, कोठामंगलम्	4
9.	विशप अब्राहम जुबुली मेमोरियल हास्पिटल, प्ररभार्ती संस्थान, क्यूलियन	7
10.	मार थ्योडोरियस मेडिकल मिशन अस्पताल, पारवती संस्थान, क्यूलोन	8
11.	एम आर यूनिट, कमलेश्वर, त्रिवेन्द्रम	4
12.	सिंगेरी श्री नारायणा मेडिकल मिशन, वाराहटा	4
13.	मार जी वर्गीज मेमोरियल अस्पताल, देवगिरी काझा कोटायम	5
14.	सी॰ एस॰ आई॰, मिशन अस्पताल, कृष्णानगर अलपे	5
15.	डी॰ मिशन अस्पताल, कोरचार्ड, त्रिचूर	5
16.	तिरुवला मेडिकल मिशन, तिरुवला	10
17.	राउनीमार्थोमा मेडिकल मिशन केन्द्र	1
18.	फेलोशिप मिशन अस्पताल, कुम्वान्द	2
19.	सन्तथामस मिशन अस्पताल, कोझारचेरी	1
20.	के॰ वी॰ एम॰ अस्पताल, शेरतले अल्पे	4
21.	सन्तजार्ज मेमोरियल अस्पताल, पारामाला मनेर	1
22.	डा॰ जार्ज मेमोरियल अस्पताल पल्लपुरम	3
23.	वी॰ के॰ अन्नामेमोरियल चेरिटेबुल अस्पताल, कवालप्पा शोरानूर	1
	कुल	128

1	2	3
राज्य : मध्य प्रदेश		
	स्वैच्छिक संगठन :	
1.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, जबलपुर	12
2.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, इंदौर	13
3.	क्रिश्चियन अस्पताल, सेओनी	3
4.	सेवा सदन अस्पताल, जगदीशपुर, जिला रायपुर	4
5.	ऐवनग्लिकल मिशन अस्पताल, तिल्डु, जिला-रायपुर	3
6.	अशोक प्रसुति मन्दिर	2
7.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, भोपाल	2
8.	परिवार कल्याण और मातृ शिशु संगठन, शहीद हरी सिंह बसती लोहिया बाजार लस्कर, ग्वालियर	6
	उप-योग	45
9.	सिविल अस्पताल खरगौन	10
	महायोग (राज्य)	55
राज्य : महाराष्ट्र		
	स्वैच्छिक संगठन :	
1.	बम्बई मदर एण्ड चिल्ड्रेन वेल्फेयर सोसाईटी, बम्बई	3
2.	कुटुम्ब सुधार केन्द्र, एफ॰ पी॰ ए॰ द्वारा संचालित बम्बई	7
3.	योजनाबद्ध पितृत्व केन्द्र, बम्बई	10
4.	स्वास्थ्य सुधार सोसायटी, बम्बई	25
5.	डा॰ बाबाभाई नानावती अस्पताल, बम्बई	4
6.	कुटुम्ब नियोजन आदर्श केन्द्र, एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰ द्वारा संचालित, बम्बई	20
7.	महिला उत्कर्ष मंडल कल्याण जिला-खेड़ा	3
8.	पानवेल मातृ एण्ड शिशु कल्याण लिंग, जिला-राजगढ़	5
9.	मातृ मन्दिर	2
10.	रवि जानकीबाई शाह मैट॰ होम, सावन्तउड़ी	3
11.	श्रीमती लुकाश अस्पताल, वेंगूरला	3
12.	मोहम्मद टिकलिया कालेज अस्पताल मालेगांव	1
13.	बाई बुद्धिबाई सान्तिदार मूलचन्द शाह मेमोरियल ट्रस्ट, धुले	22
14.	फेयर फ्रैंक जेम्स फ्रेन्डशिप मेमोरियल धुले अस्पताल, अहमदनगर,	10
15.	शैलुवेशन आर्मी बूथ अस्पताल, अहमदनगर	10
16.	काम्प॰ ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना, झांकी	7
17.	धनराज गिरिराज अस्पताल, सोलापुर	6
18.	वर्षी मातृत्व जनरल अस्पताल, सोलापुर	6
19.	वेल्फेयर सोसायटी वर्षि जिला-सोलापुर	5
20.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, सोलापुर	6
21.	श्रीमती लुकेज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केन्द्र नानज जिला-सोलापुर	2
22.	राजसीं शाह मेडिकल फाउन्डेशन, सोलापुर	7
23.	जगदलम्मा अस्पताल, वर्षि जिला सोलापुर	7
24.	शान्तिबाई शान्ति लाल फाडू चेरिटेबुल ट्रस्ट अकलूज	10
25.	सूतिका सेवा मन्दिर पूणे	5
26.	महाराष्ट्र आरोग्य मंडल (एम॰ ए॰ एम॰) हादसपरा पूणे	19
27.	कराजेपौल केन्द्र रन बाइ एम॰ ए॰ एम॰ पूणे	8
28.	ए॰ पी॰ रुगनालया, पूणे	3
29.	सेठ अमहलाल बापूभाई चेरिटेबुल डिस्प, मान्थर	7
30.	लोकमान्य मेडिकल फाउन्डेशन चिन्चवाड़, पूर्णे	5
31.	एम॰ टी॰ ई॰ संजीवन अस्पताल, पूणे	2
32.	डा॰ बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल ट्रस्ट, पूणे	2
33.	कालोनी नर्सिंग होम रन बाई डी॰ एस॰ मेडिकल फाउन्डेशन, पूणे	1
34.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, पूणे	9
35.	आशउड मेमोरियल अस्पताल, दाउन्ड, जिला-पूणे	4
36.	पुलिस वेल्फेयर डिस्पी, पूणे	2
37.	पूना मेडिकल फाउन्डेशन, रूबी हाल क्लिनिक, पूणे	3
38.	वालचन्दरनगर इन्डस्ट्री, अस्पताल, वालचन्दनगर, पूणे	8

1	2	3
39.	सेठ ताराचंद रामनाथ आयुर्वेदिक चार अस्पताल, पूणे	5
40.	कृष्णा अस्पताल एण्ड मेडिकल रिसर्च केन्द्र, कोराड	3
41.	वानलेस अस्पताल, मिराज	9
42.	संजयबानों मेमोरियल ट्रस्ट, वाटरगांव, सांगली	3
43.	एम॰ वानलेस अस्पताल, कोल्हापुर	2
44.	अकोला नर्सिंग होम रन बाई जनकल्याण संस्था, अकोला	2
45.	रिनोल्डस मेमोरियल अस्पताल, वासिम, जिला-अकोला	10
46.	वनिता समाज अमरावती	3
47.	जग चेरिटेवुल मेडिकल रिलीफ फाउन्डेशन, अमरावती	9
48.	मातृ सेवा संघ, महल प्रसूति गृह, नागपुर	7
49.	मूरे मेमोरियल अस्पताल, नागपुर	2
50.	नागरिक सहकारिक रुगनालय, नागपुर	1
51.	निम्मूनाभाई तिरपूणे अस्पताल, नागपुर	1
52.	जनता प्रसूति गृह अस्पताल, नागपुर	6
53.	मातृ सेवा संघ प्रसूति गृह वर्धा	3
54.	मातृ सेवा संघ हिंगानघाट जिला-वर्धा	2
55.	नौजीवन रुग्नालय, पचोद	4
56.	जलना मिशन अस्पताल, जालना	5
57.	प्रियदर्शनी महिला अस्पताल, नान्देड़	1
58.	सेवा धाम ट्रस्ट सादर्मीशीम मेठ, पूणे	2
59.	सिटी फूमिली वेल्फेयर ब्यूरो, सोलापुर	5
60.	अविनय यादव कल्याण केन्द्र, धूले	12
61.	नान्देड मेडिकल फाउंडेशन, नान्देड़	2
62.	यंग मूस्लिम सोसल एसोसिएशन, अमरावती	7
63.	एम॰ डी॰ आर॰ पी॰ साउजाज और मेडिकल कालेज, नासिक	4
64.	बम्बई मातृ और शिशु कल्याण सोसायटी खेड़	3
65.	परान्जपे मेडिकल फाउन्डेशन खोपोली	5
66.	डा॰ एम॰ एन॰ आगासाही धर्मार्थ रुग्नालय सतारा	2
67.	सेठ गोविन्द जी राव जी आर्युर्वेदिक महाविद्यालय, सोलापुर	1
68.	राष्ट्रीय एकीकृत मेडिकल एसोसिएशन मालेगांव (नासिक)	10
69.	परिवार नियोजन मेडिकल और सहायता ट्रस्ट, बम्बई	8
70.	विलजी एफ॰ पर्स मेमोरियल अस्पताल, वाई	7
	उप-योग	399
	स्थानीय निकाय	
72.	लेडी डफरिंग अस्पताल, रन बाई मून कार्पोरेशन, सोलापुर	20
73.	म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, पान्डापुर	10
74.	म्यूनिसिपल काउन्सिल, वर्षि, सोलापुर	4
75.	म्यूनिसिपल काउन्सिल, सांगली	15
76.	म्यूनिसिपल काउन्सिल, धूले	13
77.	के॰ई॰एम॰ म्यूनिसिपल अस्पताल, ईयाहारान्जी, जिला कोल्हापुर	15
78.	पूज्या कस्तूरबा अस्पताल, सतेरा	5
79.	एन॰ एम॰ वाडिया अस्पताल, मालेगांव	10
80.	म्यूनिसिपल अस्पताल, यौलू, नासिक	12
81.	नासिक म्यूनिसिपल कार्पोरेशन :	
	(क) जीजामाता प्रसूति गृह, नासिक	5
	(ख) बिक्टो अस्पताल, नासिक रोड	11
	(ग) मिको अस्पताल, सतपुरा	5
	(घ) इन्दिरा गांधी प्रसूत गृह, नासिक	2
	(च) उपनगर	5
	(छ) दासक	3
	(ज) नारवादी	3
82.	म्यूनिसिपल काउन्सिल ईरोदूदोई जलगांव	3
83.	म्यूनिसिपल काउन्सिल, श्रीरामपुर, जिला-अहमदनगर	17
84.	म्यूनिसिपल काउन्सिल आचलपुर, अमरावती	7
85.	म्यूनिसिपल कार्पोरेशन नागपुर	1

1	2	3
86.	पुणे म्यूनिसिपल कार्पोरेशन	
	(क) वालवी प्रसूति गृह, पुणे	4
	(ख) कमला नेहरू नर्सिंग होम, पुणे	9
	(ग) बापोदी प्रसूति गृह, पुणे	7
	(घ) यरावाबा अस्पताल, पुणे	5
	(च) स्वास्थ्य कैम्प॰ अस्पताल, पुणे	1
87.	म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ग्रेटर बम्बई	
	(I) बन्देरा भालिका अस्पताल	7
	(II) भारव नागपुर अस्पताल	7
	(III) पारवती जनरल अस्पताल	5
	(IV) सेन्टेनरी सामान्य अस्पताल गानवियार्दी	6
	(V) कान्दिवोला सामान्य अस्पताल	4
	(VI) कुरला भाबा अस्पताल	9
	(VII) मलाद सामान्य अस्पताल	8
	(VIII) मौलाना सामान्य अस्पताल (डब्ल्यू)	4
	(IX) राजवादी सामान्य अस्पताल	15
	(X) सान्ता गोजी सामान्य अस्पताल	10
	(XI) अकरूली रोड प्रसूत गृह	2
	(XII) अन्धेरी प्रसूति गृह	9
	(XIII) बन्दूप प्रसूति गृह	10
	(XIV) ब्रोरोवोली प्रसूति गृह	8
	(XV) चेम्बूर प्रसूति गृह	9
	(XVI) कैडोल रोड प्रसूति गृह	7
	(XVII) छेनोनार प्रसूति गृह	4
	(XVIII) गुड़गांव प्रसूति गृह	4
	(XIX) चानूबाथ प्रसूति गृह	3
	(XX) ईमामवादी प्रसूति गृह	1
	(XXI) खारीओवादी प्रसूति गृह	4
	(XXII) महीम प्रसूति गृह	8
	(XXIII) मलाद प्रसूति गृह	5

1	2	3
	(XXIV) मूलचन्द प्रसूति गृह	6
	(XXV) नैगांव प्रसूति गृह	4
	(XXVI) ओसीवारा प्रसूति गृह	4
	(XXVII) रायली कम्पोजिटी प्रसूति गृह	3
	(XXVIII) राय रोड प्रसूति गृह	1
	(XXIX) विक्टोरियो रोड प्रसूति गृह	4
	(XXX) विले पारले प्रसूति गृह	3
	(XXXI) विक्रोली प्रसूति गृह	2
	(XXXII) जानवादी मटेरनीटी (प्रसूति गृह)	1
88.	म्यूनिसिपल डिसपेंसरी, मालवान, जिला-सिन्धुदुर्ग	
89.	पचोरा म्यूनिसिपल, काउन्सिल, पचोरा, जिला-जलगांव	5
90.	धीवान्दी निजामपुर म्यूनिसिपल काउन्सिल, थाने	5
91.	पुम्परी चीनचवादा म्यूनिसिपल कार्पोरेशन, पम्प्री, पुणे	
	(क) जियामाता अस्पताल	7
	(ख) अकूदी अस्पताल	4
	(ग) तालेरा अस्पताल	2
92.	नान्देद म्यूनिसिपल काउन्सिल, नान्देद	6
	उप योग	4000
	महायोग (जिला)	799
	राज्य : मिजोरम	
	स्वैछिक संगठन	
1.	क्रिश्चियन अस्पताल, जोटलांग, लूंगलेई	4
2.	पी॰ सी॰ सिनोद अस्पताल, दर्तलांग, ऐजवाल	[illegible]
3.	ए॰ एम॰ एस॰ एच॰ ए॰ अस्पताल, कूलिकवान, आईजहाल	1
	कुल	7
	राज्य : पंजाब	
1.	ए॰ पी॰ जैन अस्पताल, राजपुरा (भारत सरकार प्रशिक्षण)	5
2.	रेड क्रास सोसायटी, होशियारपुर (स्वैच्छिक संगठन)	5
	कुल	10

1	2	3
राज्य : राजस्थान		
	(स्वैच्छिक संगठन)	
1.	अमर जैन रिलीफ सोसायटी, जयपुर	8
2.	बिरला सार्वजनिक अस्पताल, पिलानी	14
3.	शाहरार्था अस्पताल, बन्सूरा	6
4.	मंगलम अस्पताल और रिसर्च क्लिनिक, लोदरा	2
	कुल	30
राज्य : तमिलनाडु		
1.	सी॰ एस॰ आई॰ रेनी अस्पताल, सोलावर्मा, चिंगलेपुट जिला	19
2.	सी॰ एस॰ आई॰ अस्पताल, ईकादु, तिरूवालूर	25
3.	सर ईवान्सटेडफोर्ड अस्पताल, अम्बादूर	15
4.	कुप्पुस्वामी नाइडू मेमोरियल अस्पताल, कोयम्बदूर	2
5.	श्री रामना गाउन्डर मेडिकल ट्रस्ट, थूचालपुर	3
6.	श्री रामकृष्णा अस्पताल, सरोजनी स्ट्रीट, सीधापुदूर	3
7.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, दिन्दीगुल	40
8.	क्रिश्चियन फलोशिप अस्पताल, ओटाचारधाराम, दिन्दीगुल	5
9.	कम्यूनिटी स्वास्थ्य सेन्टर, अम्बीलिकाई	1
10.	एम॰ ए॰ केन्द्र, पलानी	12
11.	टी॰ सी॰ एन॰ आर॰ अस्पताल, रेलवे फीडर रोड राजपलायम	10
12.	सी॰ एस॰ आई॰ अस्पताल, नेयूर (कन्याकुमारी)	8
13.	सी॰ एस॰ आई॰ अस्पताल, मारथन्डाम	8
14.	सालवेश्न कैथेरीन बाउथ अस्पताल, पुथूर	3
15.	पंजाबी ऐसोसिएशन श्री रामकृष्णाज, मद्रास	8
16.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, 74 आरकोट रोड, वादापलानी	15
17.	वाल्यून्टरी स्वास्थ्य सर्विसेज, सी॰ पी॰ टी॰ रोड. मद्रास	10
18.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, मदूराई	93
19.	मदुराई शिवाक्षी नादर यूराविनूराउ अस्पताल, मदुराई	2
20.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰, कून्नूरनीलगिरी	25
21.	रूसा, कायनूर	35
22.	सी॰ एच॰ ए॰ डी॰ अस्पताल, वेग्याम	20
23.	सुद्दार मेमोरियल अस्पताल, रामपाल	25
24.	लूथेरू क्रिशियन स्वास्थ्य और मेडिकल केन्द्र, अम्बूर	4
25.	स्वदेशी मिशन अस्पताल, तिरूपाथूर	8
26.	सी॰ एस॰ आई॰ अस्पताल, धारापुरम	11
27.	एसटी॰ मारटीन अस्पताल, रामनन्द	36
28.	दिनेश मिशन अस्पताल, सन्दापूल, तिरूकोईलूर	6
29.	सी॰ एस॰ आई॰ अस्पताल, वोराईयूर	10
30.	दिनेश मिशन अस्पताल, सन्दापूल, तिरूकोयलूर	6
31.	मीनाक्षी मिशन अस्पताल, मदुराई	24
32.	वी॰ पी॰ मेमोरियल अस्पताल, कुलासेकराम (कन्याकुमारी) जिला	5
33.	सी॰ एस॰ आई॰ मेडिकल और लैप्रोसी केन्द्र, वान्दावासी (टीवी) साम्बूवारायार	20
34.	सी॰ एस॰ आई॰ रेनी अस्पताल, मद्रास	45
35.	सी॰ एस॰ आई॰ कल्यानी अस्पताल, मद्रास	23
	कुल	585
राज्य : उत्तर प्रदेश		
	स्वैच्छिक संगठन	
1.	वी॰ एस॰ मेहता अस्पताल, वाराणसी	4
2.	हिन्दू सेवा सदन, वाराणसी	4
3.	ग्रेटर फ्रीमैन अस्पताल, व्रीदवान, मथुरा	3
4.	नरेन्द्र मोहन अस्पताल, गाजियाबाद	20
5.	फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, लखनऊ	12
6.	सुशीला जयन्त राय अस्पताल, मेरठ	4
7.	फेमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इन्डिया, कानपुर	10
8.	जी॰ एम॰ मोदी अस्पताल, मोदीनगर	25
9.	जहानगिर मेमोरियल अस्पताल, इलाहाबाद	10

1	2	3
10.	मेरी स्टापेज क्लिनिक, आगरा	3
11.	जनता चिकित्सालय (स्वास्थ्य रक्षा समिति), गोरखपुर	2
	कुल :	97
राज्य : पश्चिम बंगाल		
1.	पी॰ एच॰ सी॰ हरीशचन्द्रपुर, मलदा (राज्य सरकार)	5
2.	दुम-दुम म्यूनिसिपाल्टी, कलकत्ता (लोकन बाडी)	5
	स्वैच्छिक संगठन :	
3.	दुलाई चिल्ड्रेन अस्पताल, हावड़ा	7
4.	आर॰ के॰ मैत्री प्रतीस्थान, आरीवोहा	5
5.	ए॰ टी॰ समिति, आगरपाड़ा	5
6.	विवेकानन्द सेवा समिति, मद्रास	3
7.	आर॰ एस॰ एस॰ हुगुली	15
8.	आई॰ आर॰ सी॰ एस॰ बरदवान	50
9.	आई॰ आर॰ सी॰ एस॰ कलान	8
10.	एम॰ आर॰ एस॰ रामगंज	5
11.	सी॰ सेवा निकेतन, सेरामपुर, बर्दवान	5
12.	बेली केदार नाथ आरोग्य भवन, हावड़ा	4
13.	एफ॰ पी॰ ए॰ आई॰ कलकत्ता	40
14.	मेरी स्टोपेज कलिनिक, कलकत्ता	27
15.	विवेकानन्द सेवा समिति, कलकत्ता	10
16.	आर॰ के॰ सारदा मिशन, कलकत्ता	2
17.	अरट्रान समिति, नीलगंज रोड़, आगरपाड़ा, 24 परगना- (एन)	4
18.	परिवार सेवा संस्थान, 174/8, एन॰ एस॰ सी॰ बोस रोड, कलकत्ता-40	13
19.	परिवार सेवा संस्था, 48 गरियाहाट रोड़, कलकत्ता	23
20.	ईण्डियन रेड क्रास सोसायटी, कलान सब डिविजनल ब्रांच, कलान, बर्दवान	8
	उप योग	234
	महायोग	244
राज्य : दिल्ली		
1.	एन॰ डी॰ एम॰ सी॰ (लोकल बाडी)	2
	स्वैच्छिक संगठन :	
2.	मंजिदिया अस्पताल, दिल्ली	1
3.	आर॰ बी॰ सेठ जेसा राम अस्पताल, नई दिल्ली	4
4.	परिवार सेवा संस्थान, नई दिल्ली	42
5.	तीरथ राम अस्पताल, दिल्ली	5
6.	सुरेन्दर लाल जैन अस्पताल, दिल्ली	7
7.	सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली	8
8.	मूल चन्द खैराती राम अस्पताल, नई दिल्ली	16
9.	एस॰ ई॰ सी॰ अस्पताल, नई दिल्ली	3
	उप-योग	86
	योग :	88

विवरण-IV

(लाख रुपये में)

योजना का नाम	निम्नलिखित वर्षों में आवंटित बजट		
	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र॰	46644.16	60762.43	67131.15
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र॰			
उप-केन्द्र	18949.50	18946.50	26000.00

1	2	3	4
ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	15961.50	16000	20000
जिला स्तरीय पी॰ पी॰ सी॰ एस॰	*1900*	*1900*	3000
उप जिला पी॰ पी॰ सी॰ एस॰	*3000*	*3000*	*4000*
शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	1500	1500	*2000*
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र	1800	1800	3000
बन्धीकरण पलंग योजना के अंतर्गत पलंग	100	200	200

* एम. एन. जी./बी. एम. एस. कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटन जिसमें से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जाते हैं और उनका रखरखाव किया जाता है।

विवरण-V

नौवीं योजना (1997-2002) और उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना हेतु वर्ष 1998-99:

क्रम॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उप-केन्द्र		प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	
		नौवीं योजना लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य (1998-99)	नौवीं योजना लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य (1998-99)	नौवीं योजना लक्ष्य	वार्षिक लक्ष्य (1998-99)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आन्ध्र प्रदेश	0	0	372	93	220	55
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	असम	0	0	107	27	76	19
4	बिहार	1026	257	428	107	511	128
5	गोवा	0	0	5	1	1	0
6	गुजरात	0	0	68	17	71	18
7	हरियाणा	183	46	16	4	39	10
8	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
9	जम्मू व कश्मीर	0	0	0	0	4	1
10	कर्नाटक	0	0	0	0	26	7
11	केरल	0	0	0	0	100	25
12	मध्य प्रदेश	184	46	206	52	307	77
13	महाराष्ट्र	808	202	61	15	135	34
14	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
15	मेघालय	87	22	0	0	6	2
16	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
17	नागालैण्ड	81	20	21	5	9	2
18	उड़ीसा	447	112	0	0	108	27

1	2	3	4	5	6	7	8
19	पंजाब	6	1	0	0	14	4
20	राजस्थान	0	0	0	0	51	13
21	सिक्किम	0	0	0	0	2	1
22	तमिलनाडु	0	0	0	0	237	59
23	त्रिपुरा	42	11	40	10	13	3
24	उत्तर प्रदेश	2184	546	0	0	621	155
25	पश्चिम बंगाल	2483	621	170	43	342	86
26	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
27	चण्डीगढ़	1	1	2	1	0	0
28	दादरा और नागर हवेली	6	2	1	0	2	1
29	दमण और दीव	0	0	0	0	0	0
30	दिल्ली	148	37	24	6	8	2
31	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0
32	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0
	अखिल भारत	7686	1922	1521	380	2903	726

मीथेन गैस का गवेषण

272. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला आधारित मीथेन गैस का गवेषण कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गवेषण के लिए किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन ने दुर्गापुर धसकन के अंतर्गत दामोदर घाटी कोयला फील्ड क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजना के रूप में कोल बेड मीथेन के लिए अन्वेषण आरंभ कर दिया है। तीन कूपो, - दो दुर्गापुर धसकन में और एक झरिया कोयला क्षेत्र के पूर्वतपुर ब्लाक में, का अनुसंधान एवं विकास कूपों के रूप में वेधन किया गया है।

(ग) झरिया, रानीगंज और सतपुड़ा क्षेत्रों की कोल बेड मीथेन संभाव्यता का आगे मूल्यांकन करने के लिए आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन द्वारा छः और अनुसंधान एवं विकास स्थल जारी किए गए हैं। अब तक भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी एवं मध्य भागों के गोंडवाना बेसिनों में 7 ब्लाकों की कोल बेड मीथेन अन्वेषण के लिए पहचान की गई है, जिससे लगभग 2390 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। ये ब्लाक रानीगंज, झरिया, बोकारो, सोहागपुर तथा सतपुड़ा कोयला क्षेत्रों में अवस्थित हैं।

निःशक्तता अधिनियम, 1955 संबंधी समिति

273. **श्री एन॰ डेनिस** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा निःशक्तता अधिनियम, 1955 के अधीन व्यक्तियों की स्थिति की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कितने व्यक्तियों को लाभ पहुंचाया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 को 7.2.1996 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में विकलांग व्यक्तियों के निवारणात्मक तथा पुनर्वास के प्रोत्साहनात्मक दोनों पहलुओं का प्रावधान है। इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा अन्य समुचित प्राधिकारियों का बहुक्षेत्रीय सहयोजनात्मक दृष्टिकोण अपेक्षित है। वे उनसे संबंधित अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करते रहे हैं।

विवरण

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी (अधिनियम, 1995 की धारा 3(1) तथा 9(1) के अंतर्गत सरकार ने क्रमशः केन्द्रीय समन्वय समिति तथा केन्द्रीय कार्यकारी समिति का गठन किया है। केन्द्रीय समन्वय समिति का कार्य विकलांगता मामलों पर राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करना तथा विकलांग व्यक्तियों के सामने आ रही समस्याओं के समाधान की दिशा में एक व्यापक नीति के सतत् विकास को सुसाध्य बनाना है। यह समिति विकलांग व्यक्तियों के सामने आ रहे मुद्दों के संबंधित एक राष्ट्रीय नीति का भी विकास कर सकती है। इस केन्द्रीय समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में कम से कम एकबार होगी। केन्द्रीय कार्यकारी समिति केन्द्रीय समन्वय समिति की एक कार्यकारी निकाय होगी और केन्द्रीय समन्वय समिति के निर्णयों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगी। केन्द्रीय कार्यकारी समिति की बैठक तीन महीने में कम से कम एक बार होगी।

[हिन्दी]

पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

274. श्री अन्ना साहिब एम॰ के॰ पाटिल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रिलायन्स पेट्रोलियम लिमिटेड से सात राज्यों में पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति किए जाने संबंधी प्रस्ताव पास हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड (आर पी एल) ने जामनगर से अहमदाबाद के रास्ते इन्दौर तक (चरण-1) उत्पाद पाइपलाइन बिछाने और भोपाल एवं नागपुर के रास्ते इंदौर से हैदराबाद तक विस्तार के लिए और अहमदाबाद स पटना एवं अहमदाबाद से हजीरा तक (चरण-2) की शाखा पाइपलाइनों के लिए अनुमति मांगी है। वर्तमान नीति के अनुसार उत्पाद पाइपलाइन विशिष्ट परियोजनाओं के लिए निगमित सहायक इकाइयों के माध्यम से मैसर्स पेट्रोनेट इंडिया लिमिटेड (पी आई एल) द्वारा बिछाई जाती है। यथा समय उचित निर्णय लेने के लिए रिलायंस के प्रस्ताव की समीक्षा पी आई एल द्वारा किए जाने की आवश्यकता है।

विशेष बल का गठन

275. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में हिंसा रोकने के लिए हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर एक विशेष बल गठित करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे बल का कब तक गठन किए जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

डीलर सेलेक्शन बोर्ड

276. श्री महेश्वर सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में डीलर सेलेक्शन बोर्ड का गठन कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और बोर्ड का कार्यकाल तथा इसकी संरचना क्या है;

(ग) यह कब से काम करना शुरु कर देगा; और

(घ) अन्य राज्यों में गठित किए जाने वाले ऐसे बोर्डों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी, हां। हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा चंडीगढ़ के लिए एक डीलर चयन बोर्ड का गठन दिनांक 14 अक्तूबर, 1998 को निम्नांकित संघटन से किया गया है:

न्यायमूर्ति (अवकाश प्राप्त) श्रीमती एच के सन्धु	-	अध्यक्ष
एक/संबंधित तेल कंपनी का एक अधिकारों जो मुख्य प्रबंधक से कम रैंक का न हो।	-	सदस्य
अन्य दूसरी तेल कंपनी का मुख्य प्रबंधक श्रेणी का एक अधिकारी	-	सदस्य

नीति के अनुसार दो सदस्यों के रूप में तेल कंपनियों के अधिकारियों का नामांकन, तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशक अथवा निदेशक (विपणन) द्वारा किसी स्थान विशेष पर साक्षात्कार आरंभ होने की नियत तारीख से 3 दिन से पहले नहीं किया जाएगा। अध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी अवधि के लिए की गई है। जो दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ग) उपर्युक्त डीलर चयन बोर्ड दिसम्बर, 1998 से कार्य करना आरंभ करेगा।

(घ) सभी राज्यों के लिए कुल मिलाकर 52 डीलर चयन बोर्ड गठित किए जाने की संभावना है। उपर्युक्त में से, 45 डीलर चयन बोर्ड पहले ही गठित कर दिए गए हैं।

[अनुवाद]

पाइपलाइनों के माध्यम से रसोई गैस

277. श्री दिलीप संघाणी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अहमदाबाद और गांधीनगर में पाइपलाइनों से रसोई गैस की आपूर्ति के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं;

(ग) इस योजना की अनुमानित लागत कितनी है और इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित है; और

(घ) इस सबंध में चालू वर्ष के दौरान क्या बजटीय प्रावधान किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

श्रम कानूनों में संशोधन

278. श्री नरेश पुगलीया :

श्री वी॰ वी॰ राघवन :

श्रीमती गीता मुखर्जी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्रम कानूनों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या श्रम कानूनों में प्रमुख परिवर्तन करने के लिए पहले अन्य संबंधित मंत्रालयों के दृष्टिकोण पर भी विचार किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जाटिया) : (क) से (घ) श्रम कानूनों की समीक्षा करना तथा उन्हें अद्यतन किया जाना एक निरंतर प्रक्रिया है तथा समीक्षा के परिणाम के आधार पर संशोधन/नया विधान बनाया जाता है। बहुत से विषयों को सम्मिलित करते हुए जिसमें संघ की स्वतंत्रता तथा श्रम संघों के अधिकार, कार्य की स्थितियां, न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, श्रम संबंधी प्रवासी कर्मकार, बालकों को रोजगार आदि, विभिन्न श्रम पहलुओं के निराकरण के लिए समय-समय पर अनेक श्रम कानून अधिनियमित किए गए हैं।

श्रम कानूनों के व्यापक पुनरीक्षण की सदैव आवश्यकता है जिससे आर्थिक तथा सामाजिक नीतियों में हो रहे सामान्य परिवर्तनों के साथ तथा कर्मकारों का और अधिक कल्याण करने के लिए भी श्रम कानूनों की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। श्रम कानूनों में कोई प्रमुख परिवर्तन करने से पूर्व संबंधित मंत्रालयों के विचारों पर विचार किया जाता है।

पेट्रोल बिक्री केन्द्र

279. श्री एच॰ जी॰ रामुलू :

श्री अनूप लाल यादव :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री जुआल उराम :

श्री राजवीर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करने कि:

(क) इस समय देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा दुकानों की राज्यवार संख्या कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आवंटित की गई पेट्रोल/डीजल की दुकानों और इनमें से अजा/अजजा को आवंटित की गई दुकानों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा और केरल राज्यों से अपने-अपने राज्यों में इस प्रकार की और अधिक दुकानें आबंटित करने संबंधी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है; और

(च) यदि हां, तो राज्यवार पेट्रोल और डीजल की कितनी दुकानें कहां-कहां पर आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) फिलहाल पूरे देश में डीजल/पेट्रोल के लिए 17001 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप प्रचालनरत है।

(ख) 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान पूरे देश में 529 खुदरा बिक्री केन्द्र डिलरशिपें आबंटित की गई। इनमें से 162 खुदरा बिक्री केन्द्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित थीं।

(ग) से (च) खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों की स्थापना के लिए कर्नाटक, बिहार और उड़ीसा व केरल सहित देश के सभी भागों के समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। उद्योग के व्यवहार्यता मानको को पूरा करने वाले साध्य स्थान विपणन योजना में शामिल किए जाते हैं। तदनुसार पिछली विपणन योजनाओं से लंबित स्थानों के अतिरिक्त कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा और केरल के लिए 1996-98 की विपणन योजना में क्रमशः 22, 39, 17 और 7 नई खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें शामिल की गई हैं। डीलर चयन बोर्ड के विज्ञापनों और नियुक्ति के साथ डीलरों के चयन की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई हैं।

विभिन्न रोगों का उन्मूलन

280. श्री गोरधन भाई जावदभाई जावीया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात राज्य में कुल कितने व्यक्ति कुष्ठ रोग, पोलियो, कैंसर और तपेदिक से पीड़ित हैं;

(ख) इन रोगों की रोकथाम और उपचार करने के लिए प्रत्येक राज्य को क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) इन रोगों का उपचार करने के लिए प्रत्येक राज्य में कितने अस्पताल स्थापित किए गए हैं; और

(घ) इन रोगों की रोकथाम और उपचार के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य को कुल कितनी सहायता प्रदान की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) गुजरात में कुष्ठ, पोलियो, कैंसर और क्षय रोग से ग्रस्त हुए रोगियों की कुल संख्या इस प्रकार है:-

	रोग	रोगियों की संख्या	की स्थिति के अनुसार
(I)	कुष्ठ	9419	इस समय
(II)	पोलियो	207	दिसम्बर, 1997
(III)	कैंसर	8350	लगभग नए रोगी हर वर्ष दर्ज किए जाते हैं।
(IV)	क्षय रोग	104635	(नए रोगी) 1997-98

(ख) (I) कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सभी राज्यों को जिला कुष्ठ सोसायटियों के माध्यम से मुफ्त बहु-औषधें प्रदान की जाती हैं।

(II) देश भर में सभी बच्चों को प्रजनक और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अधीन पोलियों सहित छह वैक्सीन निवार्य रोग वैक्सीनें प्रदान की जाती हैं।

(3) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन राज्यों को विभिन्न योजनाओं अर्थात् क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र, मेडिकल कालेजों में अर्बुद विज्ञान स्कंधों का विकास और जिला कैंसर नियंत्रण परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iv) राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सभी क्षय रोगियों का मुफ्त क्षय रोग-रोधी औषधें प्रदान की जाती हैं।

(ग) राज्यों में प्राथमिक स्वास्थ्य और प्रदानगी पद्धति के अधीन उपलब्ध सभी प्रकार के स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे संबंधी सुविधाओं को इन बीमारियों के उपचार के लिए काम में लगा दिया गया है।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्ष 1997-98 के दौरान प्रदान की गई सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1997-98 के दौरान कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम सी० एस० एस० एम० कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैंसर कार्यक्रम और राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को दी गई सहायता को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य	1997-98			
		कुष्ठ	सी० एस० एस० एम०	कैंसर	क्षय रोग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	308.83	1999.07	130.00	172.01
2.	अरुणाचल प्रदेश	20.42	201.15	—	1.45

1	2	3	4	5	6
3.	असम	63.00	1329.69	47.00	44.20
4.	बिहार	473.88	3085.61	100.00	258.76
5.	गोवा	1.93	55.48	—	1.80
6.	गुजरात	261.16	453.02	175.00	86.23
7.	हरियाणा	8.08	686.28	105.00	44.86
8.	हिमाचल प्रदेश	14.76	385.25	—	7.84
9.	जम्मू व कश्मीर	97.72	390.36	—	21.15
10.	कर्नाटक	129.15	1313.11	127.00	102.93
11.	केरल	87.50	1058.52	255.00	38.48
12.	मध्य प्रदेश	456.33	3031.20	77.00	174.33
13.	महाराष्ट्र	114.42	2083.52	—	171.76
14.	मणिपुर	8.27	208.02	—	0.28
15.	मेघालय	11.59	155.56	—	4.88
16.	मिजोरम	19.34	119.27	—	1.97
17.	नागालैंड	9.20	135.69	—	1.57
18.	उड़ीसा	418.94	1340.18	272.50	73.69
19.	पंजाब	33.96	837.95	—	54.41
20.	राजस्थान	52.00	1805.16	100.00	107.62
21.	सिक्किम	22.00	87.01	—	1.08
22.	तमिलनाडु	253.56	1789.23	82.50	138.22
23.	त्रिपुरा	21.50	160.49	—	7.57
24.	उत्तर प्रदेश	394.11	4287.40	50.00	349 3[illegible]
25.	पश्चिम बंगाल	340.85	2472.29	210.00	133.56
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	7.50	49.06	—	14.27
27.	चंडीगढ़	1.50	32.40	—	39.67
28.	दादरा व नगर हवेली	2.50	26.30	—	7.70
29.	दमण व दीव	5.50	38.64	—	5.51
30.	दिल्ली	1.50	345.71	320.00	56.69
31.	लक्षद्वीप 3.00	24.59	—	2.85	
32.	पांडिचेरी	14.00	75.80	—	3.31
	कुल	3658.00	31063.01	2051.00	2130.00

जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियां

281. **श्री रवि सीताराम नायक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में उग्रवादी गतिविधियों में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष के दौरान जम्मू और कश्मीर में माहवार इस प्रकार की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ग) क्या जम्मू और कश्मीर से हाल ही में भारी संख्या में व्यक्तियों द्वारा उत्प्रवास हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) गत छः माह के दौरान जम्मू और कश्मीर से कितने व्यक्तियों द्वारा उत्प्रवास हुआ; और

(च) इस तरह के उत्प्रवास को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्, वर्ष 1995 से जम्मू एवं कश्मीर में आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में कमी होती जा रही है, 1995 में यह संख्या 5939 थी जो 1996 में घटकर 5014, 1997 में 3420 और 1998 में अक्तूबर के मध्य तक 2537 हो गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) से (च) पिछले छह माह के दौरान जम्मू एवं कश्मीर से बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन की कोई सूचना नहीं है।

[हिन्दी]

फर्जी ट्रांसफर वाउचर

282. **श्री बैजनाथ रावत :**

श्री अमन कुमार नागरा :

श्री प्रदीप कुमार यादव :

श्री पुन्नूलाल मोहले :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड ने 1997-98 के दौरान नए वितरकों को 500 रसोई गैस कनेक्शन जारी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त वितरकों ने फर्जी नाम और पते दर्शाकर फर्जी पंजीकरण कराये हैं और बड़े पैमाने पर गैस सिलंडरों की बिक्री करके लाखों रुपये जुटाये गए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष भारतीय तेल निगम लिमिटेड द्वारा रसोई गैस कूपन, ट्रांसफर वाउचर, प्राथमिकता वाउचर के राज्यवार कितने फर्जी मामले पकड़े गए हैं, और

(घ) इस संबंध में ऐसे वितरकों के खिलाफ क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां। इस मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार नई चालू की गई डिस्ट्रीब्यूटरशिप द्वारा प्रथम वर्ष के अंदर जारी किए जाने के लिए 1000 एल पी जी कनैक्शन अधिकृत किए गए हैं जिनमें से 500 कनेक्शन चालू किए जाने के समय जारी किए जाने होते हैं और शेष 500 कनेक्शन चालू किए जाने के तीन महीने बाद जारी किए जाते हैं।

(ख) 1997-98 के नए कनेक्शन जारी करने के संबंध में, 1997-98 के दौरान नई चालू किए गए आई ओ सी के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के बारे में कदाचारों/अनियमितताओं का कोई प्रमाणित मामला सामने नहीं आया है।

(ग) 1995-96 से 1997-98 के दौरान आई ओ सी के एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पता चले नकली प्राथमिक कूपनों और नकली टर्मिनेशन वाऊचरों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों द्वारा नकली कागजात के जानबूझकर स्वीकार किए जाने के मामले में संबंधित डिस्ट्रीब्यूटरों के विरुद्ध विपणन अनुशासन विशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पकड़े गये जाली कूपन/पत्र			पकड़े गए जाली ट्रांस॰ वाउचर		
	1995-96	1996-97	1997-98	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5	6	7
उत्तर प्रदेश	0	592	518	24	289	93
चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
दिल्ली	0	0	0	11	71	6
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	0	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	0	0	0	38	32	26
उत्तर क्षेत्र योग	0	592	518	73	392	125
असम	0	0	0	0	3	130
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	1
मिजोरम	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	0	0	0	0	0	1
पश्चिम बंगाल	0	56	0	33	161	61
सिक्किम	0	0	0	0	0	0
अंडमान और निकोबार	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	20	18	12	112	347
पूर्वी क्षेत्र योग	0	76	18	45	276	540
गुजरात	10	0	4	0	33	8
मध्य प्रदेश	0	0	75	0	156	1340
महाराष्ट्र	0	0	9893	0	86	89
गोआ	0	0	0	0	0	0
पश्चिम क्षेत्र योग	10	0	9972	0	275	1437
आंध्र प्रदेश	0	0	0	38	450	62
कर्नाटक	5	2	2	231	334	445
केरल	2	0	0	584	480	1020
तमिलनाडु	1	2	2	276	148	243
दक्षिण क्षेत्र योग	8	4	4	1129	1412	1770
कुल योग	18	672	10512	1247	2355	3872

[अनुवाद]

स्वयं सेवी संगठनों को अनुदान

283. श्री विक्रम देव केशरी :

श्री चेतन चौहान :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1997 तथा 1998 के दौरान राज्यवार कितने स्वयंसेवी संगठनों ने अनेक कल्याण योजनाओं के लिए अनुदान हेतु आवेदन किया है;

(ख) अब तक कितने आवेदन-पत्रों को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) अभी कितने आवेदन-पत्र लंबित हैं; और

(घ) शेष आवेदन-पत्रों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) 1441

(ग) 1053

(घ) कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती क्योंकि लम्बित आवेदनों का निपटान राज्य सरकार की सिफारिशों तथा प्रक्रिया संबंधी विभिन्न औपचारिकताओं के पूरा होने सहित पूरी सूचना की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान, राज्यवार, विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए सहायता अनुदान हेतु स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं॰	राज्य का नाम	स्वैच्छिक संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	366
2.	अरुणाचल प्रदेश	22
3.	असम	26
4.	बिहार	134
5.	चंडीगढ़	3
6.	दिल्ली	92
7.	गोवा	7
8.	गुजरात	130
9.	हरियाणा	72
10.	हिमाचल प्रदेश	5
11.	जम्मू और कश्मीर	19
12.	कर्नाटक	139
13.	केरल	134
14.	मध्य प्रदेश	114
15.	महाराष्ट्र	153
16.	मणिपुर	81
17.	मेघालय	11
18.	मिजोरम	13
19.	नागालैंड	18
20.	उड़ीसा	188
21.	पांडिचेरी	3
22.	पंजाब	50
23.	राजस्थान	47
24.	तमिलनाडु	107
25.	त्रिपुरा	21
26.	उत्तर प्रदेश	392
27.	पश्चिम बंगाल	143
28.	दादरा और नगर हवेली	3
29.	सिक्किम	1
	कुल	2494

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में प्राथमिकताओं का पुनःनिर्धारण

284. श्री विजय कृष्ण हाण्डिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार असंचारी रोग तथा एड्स के फैलने पर प्रभावी रूप से नियंत्रण रखने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में प्राथमिकताओं को पुनः निर्धारित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इन रोगों की रोकथाम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलामलाई) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के संशोधन का कार्य शुरू कर दिया गया है और राज्य सरकारों, विशेषज्ञों और सभी संबंधितों के विचारों को ध्यान में रख कर ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा।

(घ) विभिन्न संचारी और गैस-संचारी रोगों को नियंत्रित करने के लिए सरकार मलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ, एड्स, दृष्टिविहीनता, कैंसर आदि के लिए राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। प्रजनक एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम महिलाओं और शिशुओं की विशेष स्वास्थ्य आवश्यकताओं पर केन्द्रित है।

चीनी मिलों को वित्तीय सहायता

285. डा॰ लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री तेजवीर सिंह :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष आज तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में निजी और सहकारिता दोनों क्षेत्रों में चीनी मिलों से चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान घाटा होने के कारण इन मिलों की दशा सुधारने के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) विगत तीन चीनी वर्षों (अक्तूबर सितम्बर) के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में निजी तथा सहकारी दोनों क्षेत्रों की मिलों से चीनी का कुल उत्पादन निम्नवत है:-

राज्य	मौसम		(मी॰ टन में)
	1995-96	1996-97	1997-98
मध्य प्रदेश	112965	79819	65008 (अनंतिम)
उत्तर प्रदेश	3721316	3475323	338916 (अनंतिम)

(ख) केन्द्र सरकार हानि उठा रही चीनी मिलों की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। तथापि, यह चीनी इकाईयों को गन्ना विकास तथा आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन कार्यों के लिए चीनी विकास निधि से ऋण सहायता मुहैया कराती है। विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में चीनी इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा गन्ना विकास के लिए चीनी विकास निधि से कोष के संवितरण की स्थिति निम्नवत है:-

(लाख रूपये मे)

वर्ष	गन्ना विकास		आधुनिकीकरण	
	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश	उत्तर प्रदेश	मध्य प्रदेश
1995-96	146.43	-	2670.70	
1996-97	128.09	-	2994.30	
1997-98	377.69	59.38	4273.60	-

उड़ीसा के तेल शोधक कारखाने

286. श्री तथागत सत्पथी :

श्री रंजीव बिस्वाल :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हरिदासपुर और पारादीप व उड़ीसा के कुछ अन्य स्थानों पर तेल शोधक कारखाने स्थापित करने में हुए अनावश्यक विलम्ब की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त प्रस्ताव काफी लम्बे अरसे से लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उक्त प्रस्ताव किन चरणों में हैं; और

(ङ) उक्त प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सरकार ने, 8270 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर, जिसमें 2484 करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा घटक (मई, 1998 के मूल्य) सम्मिलित है, कुवैत पैट्रोलियम कारपोरेशन (के पी सी) के साथ संयुक्त उद्यम से उड़ीसा के अंतर्गत पारादीप के निकट अभयचन्द्रपुर में 9 मिलिलियन मीटरिक टन प्रतिवर्ष क्षमता की रिफाइनरी स्थापित करने के इंडियन ऑयल कारपोरेशन के प्रस्ताव को पहले ही जुलाई, 1998 में अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना में इंडियन ऑयल कारपोरेशन का समाशेयर अंशदान 860 करोड़ रुपऐ होगा। इस परियोजना के 48 माह में पूरे होने का कार्यक्रम है।

सरकार ने उड़ीसा में 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की रिफाइनरी परियोजना स्थापित करने के लिए मैसर्स निप्पान डेनरो इस्पात लिमिटेड (अब इस्पात इन्डस्ट्रीज लिमिटेड) को तथा 2 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष क्षमता की ल्यूब रिफाइनरी परियोजना स्थापित करने के लिए मैसर्स अशोक लीलैण्ड को आशयपत्र भी दिए हैं।

[हिन्दी]

बाढ़ के कारण फैलने वाले रोग

287. श्री राम चन्द्र वीरप्पा :

श्री जगतवार सिंह द्रोण :

श्री समर चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में हाल ही में आई बाढ़ के बाद हैजा, अतिसार और अन्य बीमारियों के कारण अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में ऐसी बीमारियों के कारण कितने व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना मिली है; और

(ग) ऐसी बीमारियों को फैलने से रोकने के लिए क्या निवारक उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) 1998 में 19 राज्य बाढ़, भारी वर्षा, चक्रवात और भूस्खलनों से प्रभावित हुए जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है। मानव जीवन की हानि डूबने, ट्रोमा, हैजा आदि के कारण हुई। केन्द्रीय सरकार ने अपने दिनांक 29 अप्रैल 1998 के पत्र के तहत सभी राज्य सरकारों को जलवाहित रोगों से होने वाले स्वास्थ्य खतरों को कम करने के लिए एहतियाती उपाए उठाने की सलाह दी हैं। राज्य सरकारों ने प्रकोपों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाए किए हैं:-

- स्रोत और वितरण बिन्दुओं पर पीने के पानी का क्लोरोकरण और साफ पेय जल की आपूर्ति।
- औषधों के वितरण, ओ आर एस, हेलोजन गोलियां एंटीबायोटिक्स, मलेरिया रोधी स्प्रे आदि के विवरण द्वारा रोगहर और निवारक सेवाएं और
- स्वास्थ्य राहत गतिविधियों में फील्ड में चिकित्सीय टीमों की तैनाती, अस्थायी अस्पताल खोलना, स्वास्थ्य शिक्षा आदि शामिल हैं।

विवरण

1998 में आपदा प्रभाव

दक्षिण पश्चिम मानसून, मानसून पूर्व और उत्तर पूर्व मानसून के दौरान भारी वर्षा, भूस्खलन, बाढ़ चक्रवात, ओलावृष्टि, थंडर तूफान के कारण नुकसान

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आपदा का प्रकार और	आपदा होने की अवधि	कुल जिले	प्रभावित जिले	प्रभावित गांव	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	मानव जीवन की हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1. आन्ध्र प्रदेश	भारी वर्षा	20-29 सित॰ 98	23	14			51
	भारी वर्षा	3-17 अक्टू॰ 98		23	97	0.75	179
	चक्रवात	15 नव॰ 98		4	95	0.33	9
2. अरुणाचल प्रदेश	भारी वर्षा	23-24 मई 98	12	7	52	0.26	23
	भूस्खलन	9 जुलाई 98					
3. असम	भूस्खलन	3 जून 98	23	1			51
	बाढ़	10 जून 98		21	5292	46.98	105
	चक्रवात तूफान	9 अप्रैल 98		5			3
4. बिहार	बाढ़	9 जुलाई 98	55	28	8292	134.63	380
5. गुजरात	चक्रवात	9 जून 98	24	12	2938	46.80	1259
	भारी वर्षा	28 जून 98		12			24
	बाढ़	17 सित॰ 98		3		1.00	20

1	2	3	4	5	6	7	8
6. हरियाणा	वर्षा	15-18 अक्तु॰ 98	17	7	42		
7. हिमाचल प्रदेश	भारी वर्षा	जून-सित॰ 98	12				37
8. कर्नाटक	भारी वर्षा/ बाढ़	जून-सित॰ 98	30	27	10339	85.49	310
9. केरल	भारी वर्षा/ भूस्खलन	जून-सित॰ 98	14	14	2901	0.89	138
	भारी वर्षा	मार्च		14	1452		43
	भारी वर्षा	मई, 98		14	76	0.01	39
	वर्षा	28 अक्तु॰ 98		1			4
10. मध्य प्रदेश	बाढ़	12 सित॰ 98	45	8			
11. महाराष्ट्र	मेघगर्जन/ चक्रवात	1-7 जून 98	31	6			10
12. मेघालय	बाढ़	14, 27 जुलाई 98		1	123	0.85	3
13. उड़ीसा	बाढ़	सित॰ 98	30	8		12.71	1
	थंडर तूफान	24 मार्च 98		1	3	0.05	22
	चक्रवात	15 नव॰ 98		2			
14. पंजाब	बाढ़	9-10 जुलाई 98	17	13	90	0.06	24
15. राजस्थान	चक्रवात	9 जून 98	30	3			12
16. सिक्किम	भूस्खलन/ भारी वर्षा	30 मई 4 जून 98	4	4			10
17. त्रिपुरा	बाढ़	22 जुलाई 98		2			17
18. उत्तर प्रदेश	बाढ़	15 जुलाई 98	83	49	14982	121.93	989
	ओलावृष्टि वर्षा	11-13 और 17-19 अग॰ 98		6	378	0.72	339
		7 मई 98		1	236		5
19. पश्चिम बंगाल	भूस्खलन/ भारी वर्षा	7-8 जुलाई 98	18	1		0.40	14
	बाढ़/वर्षा	16 जुलाई 98		7		21.13	165
	थंडर तूफान	24 मार्च 98		1	18	0.30	48
	चक्रवात	8-9 अप्रैल 98		2	503	1.51	5

[अनुवाद]

दन्त चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए लंबित आवेदन

288. श्री पी॰ एस॰ गढ़वी :

श्री वी॰ एम॰ मेनसिंकाई :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में दन्त चिकित्सा में विभिन्न स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष 1997 से किन दन्त चिकित्सा महाविद्यालयों को अनुमति प्रदान की गई है;

(ख) उन महाविद्यालयों का ब्यौरा क्या है जिनके आवेदन स्वीकृति के लिए 1996-97 से लंबित हैं परंतु अब तक निपटाए नहीं गए हैं;

(ग) प्रत्येक मामले में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन महाविद्यालयों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) से (घ) विवरण-II संलग्न है।

विवरण-I

1997 में एस डी एम पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए जिन कालेजों को अनुमति प्रदान की गई है उनके नामों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम संख्या	दन्त चिकित्सा कालेज का नाम	अनुमति की तारीख	विशिष्टता का नाम
1.	क्षेत्रीय दन्त चिकित्सा कालेज, गुवाहाटी (असम)	5.01.1997	(i) पेरिओडीन टिक्स (ii) संरक्षी दन्तचिकित्सा
2.	बापूजी दन्त चिकित्सा कालेज दवेनगिरि (कर्नाटक)	7.01.1997	(i) मुखीय विकृति विज्ञान (ii) सामुदायिक दन्तचिकित्सा
3.	दन्त चिकित्सा विज्ञान कालेज, दवेनगिरि (कर्नाटक)	7.01.1997	(i) पेडोडोन्टिक्स (ii) ओरल एण्ड मैक्सील्लोफिसियल (iii) पेरियोडोन्टिक्स सर्जरी (iv) संरक्षी दन्त चिकित्सा (v) अर्थोडोन्टिक्स (vi) प्रास्थोडोन्टिक्स
4.	राजकीय दन्त चिकितसा कालेज, गोवा	11.02.1997	(i) प्रास्थोडोन्टिक्स (ii) अर्थोडोन्टिक्स
5.	क्ले सोसायटीज इंस्टीटयूट ऑफ डेंटल साइन्सेज बेलगाम (कर्नाटक)	17.09.1997	(i) सामुदायिक दन्त चिकित्सा (ii) मुखीय चिकित्सा तथा विकिरण विज्ञान
6.	येनपोया दन्त चिकित्सा कालेज, मंगलौर	2.12.1997	(i) मुखीय विकृतिविज्ञान (ii) अर्थोडोन्टिक्स (iii) ओरल सर्जरी (iv) संरक्षी दन्त चिकित्सा (v) पेरियो डोन्टिक्स (vi) अर्थोडोन्टिक्स

विवरण-II

जिन कालेजों में 1996-97 से एम डी एस पाठ्यक्रम प्रारंभ/एम डी एस पाठ्यक्रमों की सीटों में बढ़ोतरी करने संबंधी आवेदन पत्रों की क्लियरेंस की प्रतीक्षा की जा रही है उनके नाम और उसके कारण को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	कालेज का नाम	पूर्ण आवेदन पत्र की प्राप्ति की तारीख	विशिष्टता का नाम	विलम्ब होने कारण	शीघ्र क्लियरेन्स हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदम
1	2	3	4	5	6
1.	रागेज दन्त चिकित्सा कालेज, चेन्नई	24.2.97	प्रास्थोडोन्टिक्स	i) भारतीय दन्तचिकित्सा परिषद की अनुशंसा 12.12.97 को प्राप्त हुई जो विरोधात्मक पाई गई/ विरोधात्मक अनुशंसा के संबंध में भारतीय दन्तचिकित्सा परिषद से स्पष्टीकरण 28.4.98 को मांगा गया जो 20.11.98 को जाकर प्राप्त हुआ है और इस पर कार्रवाई की जा रही है।	

1	2	3	4	5	6
		24.2.97	पेडोडोन्टिक्स	ii) यह स्कीम भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद को 8.4.97 को भेजी गई। भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद की अनुशंसा की प्रतीक्षा की जा रही है।	भारती दन्तचिकित्सा परिषद की अनुशंसा शीघ्र अग्रेषित करने के लिए उसके पास अनुस्मारक भेजे गए हैं। पिछला अनुस्मारक 14.10.98 को भेजा गया है।
2.	येनेपोया दन्तचिकित्सा कालेज और अस्पताल, मंगलौर	7.1.97	i) ओरल मेडिसिन ii) पेडोडोन्टिक्स iii) कन्जरकेटिव डेनटिस्ट्री	भारतीय दन्तचिकित्सा परिषद की अनुशंसा की प्रतीक्षा 28.1.1997 से की जा रही है।	भारतीय चिकित्सा परिषद की अनुशंसा शीघ्र अग्रेषित करने के लिए उसके पास अनुस्मारक भेजे गए हैं। पिछला अनुस्मारक 14.10.98 को भेजा गया है।
3.	विनायक मिशन दन्त चिकित्सा कालेज, सेलम (तमिलनाडु)	4.4.97	i) ओरल सर्जरी ii) आर्थोडोन्टिया iii) परियोडोन्टिक्स iv) ओरल पैथोलॉजी v) प्रोस्थोडोन्टिक्स	भारतीय दन्तचिकित्सा परिषद की अनुशंसा की प्रतीक्षा 28.1.97 से की जा रही है।	-तदैव-
4.	एम आर ए दन्त चिकित्सा कालेज, बंगलौर	फरवरी 97	i) ओरल सर्जरी ii) कन्जरवेटिव डेन्टिस्ट	भारतीय दन्तचिकित्सा परिषद की अनुशंसा प्राप्त हो गई है। अनुशंसा की जांच-पड़ताल करते समय यह पाया गया कि कालेज ने केन्द्रीय सरकार से पूर्व अनुमोदन लिए बगैर दाखिला ले लिया था और इससे दन्तचिकित्सक अधिनियम (संशोधन) 1993 के उपबन्धों का उल्लंघन हो हो गया। आवेदक से पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।	इस मामले को निपटाने के प्रयोजन से आवेदक को अक्तूबर, 1998 में निजीरूप से उपस्थित होने को कहा गया है।
5.	केवीजी दन्तचिकित्सा कालेज, सुलिया (कर्नाटक)	4.2.97	पेरियोडोन्टिक्स	भारतीय दन्तचिकित्सा परिषद की अनुशंसा की प्रतीक्षा 27.2.1997 से की जा रही है।	भारतीय दन्तचिकित्सा परिषद की अनुशंसा शीघ्र ही अग्रेषित करने के लिए उसके पास अनुस्मारक भेजे गए हैं। पिछला अनुस्मारक 14.10.98 को भेजा गया है।
6.	राजस दन्तचिकित्सा कालेज, वेदकुलम (तमिलनाडु)	22.9.97	i) कंजरवेटिव डेन्स्ट्री ii) ओरल और मैक्सिलोफिसियल सर्जरी iii) प्रोस्थेटिक	भारतीय दन्तचिकित्सा परिषद की अनुशंसा की प्रतीक्षा 16.10.97 से की जा रही है।	भारतीय दन्तचिकित्सा परिषद की अनुशंसा शीघ्र अग्रेषित करने के लिए उसके पास अनुस्मारक भेजे गए हैं। पिछला अनुस्मारक 14.10.98 को भेजा गया है।

खाद्यान्नों की आपूर्ति

289. प्रो० चमन लाल गुप्ता : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तथा आज तक विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत खाद्यान्नों की आपूर्ति में प्रत्येक राज्य/संघराज्य क्षेत्र को कितनी हानि/लाभ हुआ;

(ख) क्या बी० पी० एल०/पी० डी० एस० के अंतर्गत आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों के दुरुपयोग किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई;

(घ) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में परिवहन के दौरान तथा भंडार में क्षतिग्रस्त हुए या गुम हो गए राशन की लागत तथा मात्रा क्या है;

(ङ) वे कौन-कौन से राज्य है जहां प्रतिवर्ष राशन की आपूर्ति की मांग बढ़ती जा रही है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(च) सीमापार विशेष रूप से जम्मू और कश्मीर में दुर्विनियोग तथा कथित रूप से खाद्यान्न की तस्करी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) विभिन्न योजनाओं के अधीन की गई खाद्यान्नों की आपूर्ति के प्रति प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा वहन हानि/लाभ के ब्यौरे केन्द्रीय सरकार नहीं रखती है।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन आपूर्ति किए गए खाद्यान्नों जिसमें गरीबी रेखा से नीचे की आबादी के लिए रखा गया कोटा भी शामिल है, के दुरुपयोग संबंधी शिकायतें जब कभी प्राप्त होती हैं तो उपयुक्त कार्रवाई हेतु उन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है क्योंकि उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र की होती है। खाद्यान्नों के दुरुपयोग की कोई प्रमुख शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे विशाल प्रचालन में 4.51 लाख से अधिक उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिये सारे देश में लगभग 16 करोड़ परिवारों को जिन्सों का वितरण किया जाता है। इसलिए यदा-कदा होने वाली कुछेक कमियों से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा भंडारण और दुलाई के दौरान क्षतिग्रस्त, गुम हुए राशन की लागत और मात्रा के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ङ) जनसंख्या में वृद्धि के साथ सामान्यतया सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राशन आपूर्ति की मांग में वृद्धि हुई है।

(च) खाद्यान्नों की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पार तथाकथित तस्करी को रोकने के लिए गृह मंत्रालय संबंधित राज्य प्राधिकारियों से परामर्श करते हुए आवश्यक कार्रवाई करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्नों के दुरुपयोग को रोकने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में सतर्कता समितियों के गठन की व्यवस्था की है।

[हिन्दी]

बिहार में अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती

290. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार द्वारा आतंकवाद तथा अपराधियों का मुकाबला करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने हेतु अर्द्धसैनिक बलों की कितनी कंपनियां मांगी गई हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वहां कितनी कंपनियां भेजी गई हैं;

(ग) बिहार में कानून और व्यवस्था की वर्तमान स्थिति क्या है तथा अपराधों के मामले में बिहार की क्या स्थिति है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा बिहार सरकार को कानून और व्यवस्था बहाल रखने हेतु निर्देश जारी किए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) बिहार सरकार ने राज्य में तैनाती के लिए केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 50 कम्पनियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

(ख) केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों को लोक व्यवस्था बनाये रखने में राज्य सरकारों की मदद करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। इन बलों की तैनाती का स्तर समग्र सुरक्षा परिदृश्य एवं केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन कारकों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार को भी केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल उपलब्ध कराये गये हैं। तथापि इन बलों का विवरण और अभी तैनाती स्तर को बताना जनहित में नहीं है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार बिहार में घटित कुल संज्ञेय अपराध वर्ष 1997 में 94576 और 1998 में (मई, 98 तक) 3421 थे। 1997 में 224 व्यक्ति नक्सलवादियों द्वारा मारे गये थे। 1997 के दौरान, रणवीर सेना 31 घटनाओं में संलिप्त पायी गयी जिनमें उसने पार्टी यूनिटों और विनोद मिश्र गुटों के 25 समर्थक मारे। इसके अतिरिक्त दिसम्बर, 1997 में जहानाबाद में 58 व्यक्ति मारे गए। बिहार में 54 में से 33 जिलों में एल डब्लू ई गुटों की उपस्थिति की जानकारी है। हाल में ही पी एम एल पी डब्लू जी गुटों ने जहानाबाद जिले में रणवीर सेना के 7 कार्यकर्ताओं की हत्या की।

(घ) हालांकि राज्य सरकार को ऐसे कोई निदेश नहीं दिये गये हैं परंतु कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए राज्य सरकार को अनेक परामर्शी भेजे गये हैं। इस संबंध में राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ कई बैठकें भी की गई हैं।

[अनुवाद]

खतरनाक उद्योग

291. श्री रामनारायण मीणा : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का श्रमिकों की जीवन रक्षा हेतु खतरनाक उद्योगों पर कारगर नियंत्रण है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) जी, हां। कारखाना अधिनियम, 1948 वर्ष 1987 में संशोधित किया गया था तथा "खतरनाक प्रक्रमों", से संबंधित प्रावधानों के संबंध में अध्याय-11/क अलग से जोड़ा गया था। इसमें कार्यस्थल मूल्यांकन समिति के गठन, अधिष्ठाता द्वारा सूचनाओं का अनिवार्य प्रकटन, खतरनाक प्रक्रम के संबंध में अधिष्ठाता की विनिर्दिष्ट जिम्मेवारी, जांच समिति को नियुक्त करने के संबंध में केन्द्रीय सरकार के अधिकार, आपात मानक, रासायनिक तथा जहरीले तत्वों से सम्पर्क की अनुमेय सीमा, सुरक्षा प्रबंध में कामगारों की भागीदारी तथा आसन्न खतरे के प्रति सचेत किए जाने के कामगारों के अधिकार आदि के संबंध में जानकारी दी गई है। अधिनियम के इन उपबंधों को राज्य सरकारों द्वारा उनके कारखाना निदेशालयों के जरिए प्रशासित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में एड्स के मामले

292. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर मानव विज्ञान अनुसंधान संस्थान, शिलांग के निष्कर्ष के अनुसार देश के कुल एड्स रोगियों की एक चौथाई संख्या पूर्वोत्तर क्षेत्र की है;

(ख) क्या चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस क्षेत्र में फैलती जा रही इस भयानक बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत में एच॰ आई॰ वी॰/एड्स के फैलने को रोकने और नियंत्रित करने के लिए इस समय देश भर में एक व्यापक कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। मुख्य कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- केन्द्रीय और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंध क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण।
- अत्यधिक जोखिम का आचरण करने वाले समूहों और आम लोगों के बीच एच॰ आई॰ वी॰/एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करना;
- यौन संचारित रोगों का नियंत्रण;

रक्त बैंकों का उपयुक्त लाइसेंसिंग करके रक्त निरापदता और रक्त के विवेकपूर्ण इस्तेमाल को बढ़ावा देना; और

- स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देना।
- निगरानी निदान के लिए क्षमता का सुदृढीकरण; और
- एच॰ आई॰ वी॰/एड्स रोगियों का नैदानिक उपचार।

- चूंकि इस क्षेत्र में अधिकतर संक्रमण इंजेक्शन द्वारा ली जाने वाली औषधों के प्रयोग के कारण होते हैं इसलिए अन्तःशिरा औषध उपयोगकर्ताओं को होने वाली हानि को कम से कम करने का कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें औषध उपयोगकर्ताओं के व्यवहार को बदलाने का प्रयास किया गया है। मणिपुर में संक्रमित व्यक्तियों जो घरेलू और समुदाय आधारित परिचर्या संबंधी कार्य करते है, के लिए रेफरल पद्धति वाली एक सतत परिचर्या परियोजना चल रहा है। इसमें औषध उपयोगकर्ताओं से उनकी पत्नियों/पतियों को होने वाले संचरण को रोकथाम के लिए कंडोमों को बढ़ावा देना भी शामिल है।

गन्ना उत्पादकों की बकाया राशि

293. श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान हेतु राज्य वार और मिल-वार कुल कितनी राशि बकाया है;

(ख) उक्त बकाया राशि कब से देय है;

(ग) सरकार द्वारा प्रत्येक राज्य में बकाया राशि का समय से भुगतान करने हेतु उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गन्ना नियंत्रण आदेश 1996, के अनुसार आपूर्ति के 15 दिन के पश्चात् गन्ना की कीमत पर 15 प्रतिशत ब्याज देय है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त आदेश का अनुसरण करते हुए अब तक ब्याज के रूप में कितनी राशि दी गई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) 31.8.1998 की स्थिति के अनुसार 1997-98 मौसम के लिए चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार गन्ना उत्पादकों की राज्यवार तथा मिलवार बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) केन्द्र सरकार द्वारा जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के अनुसार चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को तय किए गए

मूल्य का भुगतान उनके द्वारा गन्ने की डिलीवरी की तिथि से 14 दिनों के भीतर कर दिया जाना चाहिए। भुगतान में विलंब करने की स्थिति में 14 दिनों के बाद विलम्ब की अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज दिया जाना चाहिए। चीनी मिलों द्वारा 1997-98 मौसम के लिए प्रस्तुत गन्ना मूल्य के बकाये के विवरण में ब्याज के भुगतान के लिए कोई राशि नहीं दर्शायी गयी है।

चीनी मिलों द्वारा गन्ना मूल्य के बकाये का समय पर भुगतान सुनिश्चित कराने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है, जिनके पास ऐसे भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक शक्तियां तथा क्षेत्र में कार्य करने वाली एजेंसियां हैं। केन्द्र सरकार अपनी ओर से राज्य सरकारों को गन्ना मूल्य बकाये का भुगतान शीघ्र कराने के लिए समय-समय पर सलाह देती रहती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर केन्द्र सरकार फैक्ट्रियों द्वारा गन्ना मूल्य बकाये के निपटान के मामले में गन्ना उत्पादकों को मदद करने के उद्देश्य से पेराई के आरंभिक तथा बाद की अवधि के दौरान चीनी का उत्पादन अधिकतम करने के लिए उच्चतर खुली बिक्री कोटा के रूप में प्रोत्साहन, चीनी के बफर स्टॉक रखने तथा गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि आदि जैसे कई उपाय करती रहती है।

विवरण

31.1.98 की स्थिति के अनुसार 1997-98 मौसम के लिए गन्ना उत्पादकों के राज्यवार तथा मिलवार बकाया राशि दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख रु॰ में)

मौसम		चालू तिथि	समाप्त पखवाड़ा
1997-98		27.11.98	31.8.98

क्र॰ सं॰	प्लांट कोड	फैक्ट्री का नाम	शेष बकाया
1	2	3	4
पंजाब तथा निजी			
1.	00101	गुरदासपुर	1.38
2.	00102	जीरा	0.35
3.	34201	मुकेरियां	149.18
4.	35001	बाबा बाकला	0.00
उप योग निजी			150.91
पंजाब तथा सहकारी			
1.	00201	बटाला	0.00
2.	00301	फजिल्का	212.39
3.	00401	मोरिन्डा	0.00
4.	00501	भोगपुर	0.00
5.	00601	नवाशहर	263.50
6.	00701	पटियाला	0.00
7.	00801	बुदवाल	0.00
8.	31601	सेंरोन	14.48
9.	31901	नकोदर	6.90
10.	33201	जगारांव	0.00
11.	33301	बुढलाडा	0.00
12.	33501	अजनाला	0.00
13.	33701	फरीदकोट	0.00
14.	42001	दसुया	192.99
उप योग सहकारी			690.26
पंजाब तथा निजी			
1.	00901	धुरी	0.23
2.	01001	फगवाडा	0.00
3.	42201	पटरान	0.00
4.	42301	अमलोह	0.00
उप योग निजी			0.23
कुल पंजाब			841.40
हरियाणा तथा सहकारी			
1.	01101	रोहतक	7.52
2.	01201	पानीपत	1.44
3.	01301	करनाल	0.00
4.	01401	सोनीपत	3.50
5.	01501	शाहबाद	0.00
6.	01601	पलवल	0.00
7.	01701	जीन्द	0.00

1	2	3	4
8.	33801	कैथल	0.00
9.	33901	मेहम	31.85
10.	34101	भूना	134.16
उप योग सहकारी			178.47
हरियाण तथा निजी			
1.	01801	यमुनानगर	0.35
2.	37701	नारायणगढ़	0.00
3.	42202	बडसोन	0.00
उप योग निजी			0.35
कुल हरियाणा			178.82
राजस्थान तथा निजी			
1.	01901	श्री गंगानगर	366.11
उप-योग निजी			366.11
राजस्थान तथा सहकारी			*0.00*
1.	02001	*केशोरायपाटन*	0.00
उप योग सहकारी			-
राजस्थान तथा निजी			
1.	02101	भूपालसागर	0.00
उप योग निजी			-
कुल राजस्थान			366.11
पश्चिम उ॰ प्र॰ तथा निजी			
1.	02201	मोहियूवदीपुर	227.28
2.	02202	सुखोती टोंडा	0.00
3.	02203	मेरठ	408.35
4.	02204	बुलंदशहर	313.49
5.	02205	सहारनपुर	0.00
6.	02206	रोहानी कलां	258.97
7.	02207	डोईवाला	171.64
उप योग निजी			1379.73

1	2	3	4
पश्चिम तथा सहकारी			
1.	02301	बागपत	0.00
2.	02401	रमाला	334.27
3.	02501	अनूपशहर	0.00
4.	02601	सरसावा	182.11
5.	02701	ननौता	0.00
6.	02801	मोरना	0.00
उप योग सहकारी			516.38
पश्चिमी उ॰ प्र॰ तथा निजी			
1.	02901	दौराला	0.00
2.	02902	मवाना	0.00
3.	03001	देवबंद	0.00
4.	03101	इक्बालपुर	0.00
5.	03201	लक्सर	0.00
6.	03301	खतौली	1.21
7.	03401	मनसूरपुर	0.00
8.	03501	शामली	0.00
9.	03601	मोदीनगर	104.85
10.	03701	सिम्भावली	0.00
11.	35201	तितावी	0.00
12.	35301	अगौता	0.00
13.	47701	टोडापुर	0.00
14.	48701	उना	0.00
उप योग निजी			106.06
कुल पश्चिमी उ॰ प्र॰			2002 17
मध्य उ॰ प्र॰ तथा निजी			
1.	02208	बिजनौर	523.23
2.	02209	अमरोहा	134.43

1	2	3	4
3.	02210	रामपुर	0.00
4.	02211	बरेली	0.00
5.	02212	माहोली	168.18
6.	02213	हरदोई	182.86
7.	03801	छाता	199.76
8.	03901	चांदपुर	0.00
9.	04001	किछी	0.08
10.	04101	एक्सपरीमॅन्टल	0.00
उप योग निजी			1208.54
मध्य उ० प्र० तथा सहकारी			
1.	04201	गजरौला	0.00
2.	04301	बिलासपुर	27.35
3.	04401	बाजपुर	0.00
4.	04501	नदेही	0.00
5.	04601	सीतारगंज	0.00
6.	04701	गदरपुर	0.08
7.	04801	हरदुआगंज	234.08
8.	04901	बिसालपुर	451.12
9.	05001	मझोला	294.82
10.	05101	पूरनपुर	518.03
11.	05201	कायमगंज	0.00
12.	05301	बदायूं	203.50
13.	05401	तिलहर	0.00
14.	05501	बेलरायां	0.00
15.	05601	सम्पूर्ण नगर	0.00
16.	05701	सेमीखेड़ा	0.00
17.	31701	पोवायां	562.10
18.	32901	नजीबाबाद	213.98
उप योग सरकारी			2505.06

1	2	3	4
मध्य उ० प्र० तथा निजी			
1.	05801	धामपुर	853.58
2.	05803	असमोली	0.00
3.	05901	सेवहारा	0.00
4.	06001	राजा का सहासपुर	258.64
5.	06101	काशीपुर	0.24
6.	06102	पीलीभीत	0.61
7.	06201	रोजा	0.00
8.	06301	गोला	0.00
9.	06401	ऐरा	0.00
10.	06501	पलियाकलां	522.98
11.	06601	बहेड़ी	797.65
12.	06701	नियोली	95.64
13.	06801	हरगांव	0.00
14.	31801	घाटमपुर	206.39
15.	34501	धनौरा	396.79
16.	36101	विनस	0.00
17.	47501	जेके शुगर	0.00
18.	47801	बुंदकी	0.00
19.	48501	रूपापुर	0.00
उपं योग निजी			3132.52
कुल मध्य उ० प्र०			6846.12
पूर्वी उ० प्र० तथा निजी			
1.	02214	बाराबांकी	220.53
2.	02215	बुरवल	168.56
3.	02216	जरवल	342.70
4.	02217	पिपराइच	118.95
5.	02218	घुघली	232.89

1	2	3	4
6.	02219	सिंस्वाबाजार	28.16
7.	02220	खड्डा	54.12
8.	02221	लक्ष्मीगंज	85.99
9.	02222	रामाकोला (कोरप)	24.64
10.	02223	भटनी	146.51
11.	00224	छितौनी	260.88
12.	02225	मुन्डेरवा	89.30
13.	06901	नन्दगंज	222.18
14.	06902	दरियापुर	82.99
उप योग निजी			2078.40
पूर्वी उ० प्र० तथा सहकारी			
1.	07001	नानपारा	188.28
2.	07101	काशी	277.00
3.	07201	रसरा	0.00
4.	07301	सेथियां	0.00
5.	07401	घासी	352.23
6.	07501	सुलतानपुर	0.00
7.	07601	महमूदाबाद	0.00
उप योग सहकारी			817.51
पूर्वी उ० प्र० तथा निजी			
1.	03002	रामकोला	0.00
2.	03702	थिलवारिया	228.66
3.	05802	रोजागांव	0.00
4.	07701	आनन्दनगर	0.00
5.	07702	खलीलाबाद	0.00
6.	07801	सरदारनगर	0.00
7.	07901	कैप्टनगंज	0.00
8.	08001	पडरौना	249.23
9.	08002	कठकुंईया	381.18
10.	08003	गोरीबाजार	0.00
11.	08101	सेवराही	0.00
12.	08201	बैतालपुर	235.64
13.	08301	देवरिया	133.00
14.	08401	प्रतापपुर	0.00
15.	08501	वाल्टरगंज	0.00
16.	08502	बस्ती	0.00
17.	08601	बिस्वान	0.00
18.	08701	रतना	315.06
19.	08801	के० एम० शुगर	0.00
20.	08901	बलरामपुर	189.17
21.	09001	तुलसीपुर	0.00
22.	09101	नवाबगंज	320.55
23.	09201	बभनान	0.00
24.	41901	रामगढ़	140.21
25.	47601	ओसवाल ओवरसीज	0.00
26.	48001	मैजापुर	0.00
उप योग निजी			2192.70
कुल पूर्वी उ० प्र०			5088.61
मध्य प्रदेश तथा सहकारी			
1.	09301	मोरेना	3.00
2.	09401	बरलाई	0.00
3.	09501	नवलनगर	69.14
उप योग निजी			72.14
मध्य प्रदेश तथा निजी			
1.	09601	डबरा	0.00
2.	09701	दलौदा	0.00
3.	09801	मेहीदपुर	0.00

1	2	3	4
4.	09901	सिहोरे	331.41
5.	10001	जावरा	0.00
6.	37201	खलबूजूरग	0.00
उप योग निजी			331.41
कुल मध्य प्रदेश			403.55
दक्षिण गुजरात तथा सहकारी			
1.	10101	बारदोली	0.00
2.	10201	माढ़ी	0.00
3.	10301	चालथन	0.00
4.	10401	सायन	0.00
5.	10501	महुवा	44.31
6.	10601	पनियारी	234.20
7.	10701	गणदेवी	0.00
8.	10801	मरोली	0.00
9.	10901	वलसाड	0.00
10.	11101	कामरेज	0.00
11.	32101	वटरिया	0.00
12.	35701	अमोड	0.00
13.	40901	धारीखेडा	0.00
14.	41101	कोसाम्बा	0.00
कुल दक्षिण गुजरात			278.51
सौराष्ट्र तथा सहकारी			
1.	11001	कोडीनार	28.95
2.	11201	ऊना	17.89
3.	11301	तलाला	0.00
4.	11401	तलाजा	0.00
5.	11501	पलाज	0.00
6.	11601	धोराजी	0.00
कुल सौराष्ट्र			46.84

1	2	3	4
दक्षिण महाराष्ट्र तथा सहकारी			
1.	14801	श्रीराम	0.00
2.	14901	कृष्णा	0.00
3.	15001	भुंज	5.10
4.	15101	मराली	0.00
5.	15201	सहयाद्री	0.00
6.	15301	शेन्द्रे	0.00
7.	15401	सांगली	0.00
8.	15501	वाल्वा	0.00
9.	15601	विश्वास	0.00
10.	15701	हुतात्मा	183.55
11.	15801	अटपाडी	145.46
12.	15901	नागेवाडी	0.00
13.	16001	महांकाली	0.00
14.	16101	वारना	0.00
15.	16201	आईचलकरंजी	0.00
16.	16301	कुम्भीकेसरी	0.00
17.	16401	बिदरी	0.00
18.	16501	भोगावती	2.02
19.	16601	शिरोल	0.00
20.	16701	दौलत	0.00
21.	16801	गाधींगलज	0.00
22.	16901	कागल	0.00
23.	17001	असरूले	0.00
24.	17201	उपरी	0.00
25.	33601	तसगांव	0.00
26.	35901	जेयर	0.00
27.	38101	सुकाले	0.00

1	2	3	4
28.	38401	अजरा	62.67
29.	39401	तिपेहाली	0.00
उप योग सहकारी			724.15
दक्षिण महाराष्ट्र तथा निजी			
1.	17901	फाल्टन	0.00
2.	18001	कोल्हापुर	0.00
उप योग निजी			
कुल दक्षिण महाराष्ट्र			398.80
उत्तर महाराष्ट्र तथा सहकारी			
1.	18101	गंगापुर	0.00
2.	18201	सिल्लोड	0.00
3.	18301	कन्नड़	0.00
4.	18401	परसोवा	0.00
5.	18501	पैथन	0.00
6.	18601	टेरना	111.36
7.	18701	नालदुर्ग	121.87
8.	18801	कालम्बर	0.00
9.	18901	शंकर नगर	0.00
10.	19001	पंजाराखान	0.00
11.	19101	सतपुड़ा	0.00
12.	19201	जीजामाता	0.00
13.	19301	पुसाद	0.00
14.	19401	डोन्गारकाडा	0.00
15.	19501	पथरी	107.55
16.	19601	बास्मथनगर	0.00
17.	19701	अम्बाजोगाई	161.20
18.	19801	गेवराय	0.00
19.	19901	कडा	0.00

1	2	3	4
20.	20001	गजानन	0.00
21.	20101	कासोदा	0.00
22.	20201	फैजपुर	160.39
23.	20301	भोरेस	0.00
24.	20401	संजय	0.00
25.	20501	शिरपुर	0.00
26.	20601	समर्थ	23 90
27.	20701	जालना	0.00
28.	20801	नालेगांव	0.00
29.	20901	मंजारा	0.00
30.	21001	किल्लारी	0.00
31.	21101	धमनगांव	0.00
32.	21201	मोदा	0.00
33.	21301	जामानी	0.00
34.	32001	वें गंगा	0.00
35.	32201	बालाजी	0.00
36.	32301	गोलेगांव	0.00
37.	35101	फुलआंबरी	0.00
38.	35601	मजालगांव	0.00
39.	35801	बोदेगांव	0.00
40.	36201	मांगरूल	0.00
41.	36501	चोपडा	0.00
42.	38301	सिधखेडा	0.00
43.	40101	मुडखेड	0.00
कुल उत्तर महाराष्ट्र			686.27
मध्य महाराष्ट्र तथा सहकारी			
1.	11701	गिरना	0.00
2.	11801	निफड	0.00

1	2	3	4
3.	11901	कर्मवीर	0.00
4.	12001	मेटेरवाडी	0.00
5.	12101	पालसे	17.15
6.	12201	विठेवाडी	172.46
7.	12301	संजीवनी	0.00
8.	12401	कोपेरगांव	0.00
9.	12501	गणेशनगर	0.00
10.	12601	अशोकनगर	0.00
11.	12701	परवारानगर	0.00
12.	12801	राहरी	0.00
13.	12901	श्रीगौंडा	0.00
14.	13001	संगमनेर	0.00
15.	13101	भेन्डे	0.00
16.	13201	विरद्धेश्वर	134.89
17.	13301	जगदम्बा	0.00
18.	13401	सोनाय	0.00
19.	13501	पारनेर	0.00
20.	13601	नीरा	0.00
21.	13701	मालेगांव	0.00
22.	13801	भवानीनगर	0.00
23.	13901	थेयूर	0.00
24.	14001	पांतस	0.00
25.	14101	जून्नार	0.00
26.	14201	अकलुज	0.00
27.	14301	सदाशिवनगर	0.00
28.	14401	कुमाठे	0.00
29.	14501	गुरसाले	0.00
30.	14601	विराग	144.70
31.	14701	भीमा	0.00
32.	33101	इन्दापुर	0.00
33.	34001	राजगढ़	0.00
34.	35301	अमस्ती	0.00
35.	35501	संत धामजी	62.11
उप योग सहकारी			1217.58
मध्य महाराष्ट्र तथा निजी			
1.	17101	रावलगांव	0.00
2.	17301	चांगदेव	0.00
3.	17401	बेलापुर	0.00
4.	17701	मालीनगर	0.00
5.	17801	पांडुरंग	0.00
उप योग निजी			-
कुल मध्य महाराष्ट्र			531.31
उत्तर बिहार तथा निजी			
1.	21401	गारौल	0.00
2.	21402	रयाम	0.00
3.	21403	लोहाट	0.00
4.	21404	साकरी	0.00
5.	21405	समस्तीपुर	0.00
6.	21406	बनमंखी	0.00
7.	21407	लोरिया	0.00
8.	21408	सुगौली	0.00
9.	21409	मोतीपुर	0.00
10.	21410	मीरगंज	0.00
11.	21411	सिवान	0.00
12.	21412	नया सावन	0.00
उत्तरी बिहार तथा निजी			
1.	08004	मरहोरा	0.00
2.	21501	हसनपुर	0.00

1	2	3	4
3.	21601	बरगाह	0.00
4.	21701	हरीनगर	37.81
5.	21801	नरकडीयागंज	0.00
6.	21901	मझोलिया	0.00
7.	22001	धनपतिया	132.85
8.	22002	बारांक्की	0.00
9.	22101	मोतीहारी	257.95
10.	22201	सासामुसा	145.24
11.	22301	गोपालगंज	9.97
12.	22401	सिधवालिसा	29.47
13.	22501	रीगा	0.00
14.	22601	पचरुकी	0.00
उप योग निजी			613.29
कुल योग उत्तरी बिहार			613.29
दक्षिणी बिहार तथा निजी			
1.	21413	भीता	0.00
2.	21414	वरीसलीगंज	0.00
3.	21415	गरूर	0.00
योग दक्षिणी बिहार			-
असम तथा निजी			
1.	22701	चारगोला	0.00
उप योग निजी			-
असम तथा सहकारी			
1.	22801	बारुआबामनगांव	0.00
2.	22901	नाग्रांव	0.00
उप योग सहकारी			-
कुल योग असम			-
आन्ध्र प्रदेश तथा निजी			
1.	23601	शकर नगर	0.00
2.	23602	जहीराबाद	0.00

1	2	3	4
3.	23603	मीरयालगुडा	0.00
4.	23604	हिन्दपुर	0.00
5.	23605	मेटॉपाली	0.00
6.	23606	सीतहानगरम	0.00
7.	23607	बोबली	0.00
8.	23608	मेडक	0.00
9.	23609	लशुयापाटिया	0.00
10.	42601	नींदरा	848.63
उप योग निजी			848.63
आन्ध्र प्रदेश तथा सहकारी			
1.	23701	निजामाबाद	0.00
2.	23801	अमडलावालसा	0.00
3.	23901	चोदावारम	0.00
4.	24001	अनापाली	0.00
5.	24101	इथीकोपका	0.00
6.	24201	तनदेवा	0.00
7.	24301	विजयारामा	0.00
8.	24401	पालाकोल	0.00
9.	24501	भीमाडोली	0.00
10.	24601	हनुमान	0.00
11.	24701	पालधर	74.33
12.	24801	कुडपाह	0.00
13.	24901	नंनदायल	0.00
14.	25001	नागार्जुन	0.00
15.	25101	तेनली	0.00
16.	25201	कोवर	[illegible]
17.	25301	चितूर	0.00
18.	25401	तिरूपती	76.08
उप योग सहकारी			150.41

1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश तथा निजी			
1.	25501	घागलु	0.00
2.	25601	तनखू	0.00
3.	25602	टाडवी	0.00
4.	25701	किरलामपुडी	0.00
5.	25801	समालकोट	0.00
6.	25901	चिलुरू	0.00
7.	26001	वयूर	0.33
8.	26101	लक्ष्मीपुरम	1.52
9.	34301	कोलुर	0.00
10.	34401	नयडूपैटा	105.46
11.	34901	कमरितान	0.00
12.	44601	एनसीएस गायत्री	0.00
उप योग निजी			107.31
कुल योग आन्ध्र प्रदेश			1106.35
कर्नाटक तथा निजी			
1.	26201	मांडीया	3.73
2.	26301	गंगावती	0.00
3.	26401	बदावती	0.00
उप योग निजी			3.73
कर्नाटक तथा सहकारी			
1.	26501	पांडवपुरम	0.00
2.	26601	निपानी	0.00
3.	26701	संकेशवर	0.00
4.	26801	मालाप्रभा	0.00
5.	26901	चिकोदी	122.75
6.	27001	रायबाग	0.00
7.	27101	गोकक	0.00
8.	27201	काम्पली	0.00
9.	27301	गोरीबीदनूर	14.75
10.	27401	बिदर	0.00
11.	27501	वनीविलासा	74.12
12.	27601	भादरा	2.93
13.	27701	के० आर नगर	0.00
14.	27801	होवरी	0.00
15.	27901	हेमवती	0.00
16.	28001	ब्राहम्वार	0.00
17.	32501	अलन्द	0.12
18.	35401	बीजापुर	0.00
योग सहकारी			214.67
कर्नाटक तथा निजी			
1.	17200	समीरवाडी	0.00
2.	28101	घमुण्डेशवरी	549.28
3.	28201	मुनीराबाद	0.00
4.	28301	शिमोगा	0.00
5.	28401	उगारखुर्द	0.00
6.	28501	हॉसपेट	0.00
7.	28601	सिरीगुपा	107.64
8.	28701	देवनगिरी	0.24
9.	28801	कोलीगल	0.00
10.	30902	वास	282.68
उप योग निजी			939.84
योग कर्नाटक			1158.24
तमिलनाडु तथा निजी			
1.	28901	तंजावुर	0.00
2.	28902	पेरमवालूर	0.00
3.	28903	मदूरा	94.45
उप योग निजी			94.45

1	2	3	4
तमिलनाडु तथा सहकारी			
1.	29001	मयालाडुतारी	199.99
2.	29101	अमबूर	172.37
3.	29201	वेलूर	0.00
4.	29301	तिरीपतूर	482.29
5.	29401	कालाकुरची	744.35
6.	29501	उलाडुक्टे	890.33
7.	29601	मदुरानटकम	0.00
8.	29701	तिरतानी	0.00
9.	29801	सलम	377.24
10.	29901	धरमापुरी	0.00
11.	30001	अमरावती	516.20
12.	30101	अलगनुर	0.00
13.	33001	सेतीयाथोप	0.00
14.	33401	चीयार	0.00
15.	35001	आलापुरम	890.29
उप योग सहकारी			4273.06
तमिलनाडु तथा निजी			
1.	25802	पुगलूर	221.58
2.	28602	लालगुडी	24.97
3.	30201	तिरएरोन	0.00
4.	30202	तिरमकोंडी	0.00
5.	30301	कवेरी	138.07
6.	30401	नेलकोप्पम	226.47
7.	30501	वेलुपुरम	0.00
8.	30601	अरूणा	0.00
9.	30701	पोणी	316.26
10.	30801	शक्ति	0.00

1	2	3	4
11.	30802	शिवगंगा	0.00
12.	30901	बानरी-अमन	252.99
13.	32601	धारनी	252.82
14.	32603	पोलूर	626.42
15.	32801	राजश्री	0.00
16.	43501	पालीया आश्रम	0.00
उप योग निजी			2059.58
कुल योग तमिलनाडु			6427.09
केरल तथा सहकारी			
1.	31201	मेनास	0.00
2.	31301	चितूर	0.00
कुल सहकारी			-
केरल तथा निजी			
1.	31401	तिरूवला	0.00
उप योग निजी			-
कुल केरल			
उड़ीसा तथा सहकारी			
1.	23001	असका	0.44
2.	23101	बरगहा	0.00
3.	32401	नयागढ	0.00
4.	32701	बडाम्बा	0.00
उप योग सहकारी			0.44
उड़ीसा तथा निजी			
1.	23201	रायागढ	0.00
2.	30702	देवगांव	0.00
3.	30803	ढेनकनल	0.00
4.	36401	धरमगढ़	0.00
उप योग निजी			-
कुल उड़ीसा			0.44

1	2	3	4
पश्चिमी बंगाल तथा निजी			
1.	23301	अहमदपुर	0.00
उप योग निजी			-
पश्चिमी बंगाल तथा निजी			
1.	23401	पालसी	0.00
उप योग निजी			-
कुल योग पश्चिमी बंगाल			-
नागालैंड तथा निजी			
1.	23501	दीमापुर	0.00
उप योग निजी			-
कुल योग नागालैंड			-
पांडिचेरी तथा सहकारी			
1.	31001	पांडीचेरी	0.00
उप योग सहकारी			-
पांडिचेरी तथा निजी			
1.	31101	न्यू होरीजन	0.24
उप योग निजी			0.24
कुल योग पांडिचेरी			0.24
गोवा तथा सहकारी			
1.	31501	तिसका	0.00
समस्त भारत कुल योग			26974.16

उर्वरक का आयात

294. श्री रामपाल सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बल्गारिया अथवा किसी अन्य देश से उर्वरकों का आयात करने का है;

(ख) क्या ये देश उर्वरक क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु भी इच्छुक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) से (घ) आर्थिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहकारिता पर बल्गारिया - भारत संयुक्त आयोग की दिनांक 23-25 सितम्बर, 1998 को सोफिया, बुल्गारिया में सम्पन्न हुए 12 वें सत्र में भारतीय शिष्ट मण्डल ने बुल्गारिया से रासायनिक उर्वरकों की आपूर्ति प्राप्त करने तथा संयुक्त उधमों को स्थापित करने में अपनी रुचि प्रकट की। दोनों पक्षों ने बुल्गारिया के उर्वरक निर्माताओं और सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय व्यापार कंपनियों अर्थात् एम एम टी सी लि॰, राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) तथा प्रोजेक्ट इक्वीपमेंट कार्पोरेशन (पी ई सी) के बीच संबंध कायम करने पर सहमति व्यक्त की है।

2. बुल्गारिया के अलावा, ओमान और ईरान वे दो देश हैं जो भारतीय उर्वरक कंपनियों/सहकारी समितियों के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रस्तावों की पैरवी कर रहे हैं। ये विचार-विमर्श के विभिन्न चरणों में हैं।

3. उर्वरकों में, यूरिया एकमात्र उर्वरक है जिसका आयात सरकारी खाते में किया जाता है। ये आयात नामित सरणीबद्ध एजेंसियों के माध्यम से किए जाते हैं जो टेन्डरों के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित करते हैं। इससे पूर्व, यूरिया के आयात सी आई एस देशों अरब खाड़ी के देशों, लीबिया, ईरान, रोमानिया, इन्डोनेशिया तथा बंगलादेश आदि से किए गए हैं। अन्य अनियंत्रित उर्वरकों अर्थात डी ए पी और एम ओ पी के आयात क्रमशः सितम्बर, 92 और जून, 93 से असरणीबद्ध कर दिए गए हैं। इन्हें निजी व्यापार खाते में किया जाता है।

कैंसर के मरीज

295. श्री आदित्यनाथ :

डा॰ अशोक पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होने तथा कैंसर के संबंध में जागरूकता लाने के बावजूद कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार इस घातक बीमारी पर प्रभावशाली ढंग से नियंत्रण करने के लिए कोई विशेष योजना शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद्

के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अधीन जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री से उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कैंसर की समग्र घटना दर में थोड़ी सी वृद्धि हुई है।

(ख) यह वृद्धि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि और जीवन शैली में आए परिवर्तनों के कारण हुई है।

(ग) और (घ) भारत सरकार निम्नलिखित मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ कर रही है:-

1. क्षेत्रीय कैंसर केन्द्र।

2. मेडिकल कालेजों में अर्बुद विज्ञान स्कंधों का विकास।

3. कोबाल्ट - 60 टेलीथिरेपी यूनिट की संस्थापना।

4. जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम।

5. राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार जागरूकता और कैंसर का शुरू से पता लगाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता।

रसोई गैस एजेन्सियों को आबंटन

296. श्री अनूप लाल यादव :

श्री के॰ सी॰ कोड्य्या :

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

श्री प्रभुदयाल कठेरिया :

श्री जुआल उराम :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1995, 1996 और 1997 के दौरान प्रतिवर्ष राज्यवार कितनी रसोई गैस एजेन्सियां आवंटित की गईं;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/जनजातियों को राज्यवार कितनी एजेन्सियां आवंटित की गईं;

(ग) इन एजेंसियों के आबंटन हेतु राज्यवार कितने आवेदन अभी लम्बित पड़े हैं,

(घ) इन्हें स्वीकृति देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या 1998-99 के दौरान बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा और केरल में ऐसी कितनी एजेन्सियां आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है और इस हेतु प्रस्तावित स्थान कौन से हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

खेतिहर मजदूर

297. श्री वी॰ वी॰ राघवन : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के खेतिहर मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कोई केन्द्रीय विधान बनाने का प्रस्ताव छोड़ दिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) खेतिहर श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए एक केन्द्रीय विधान अधिनियमित किए जाने संबंधी प्रस्ताव पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श किया जा रहा है।

क्षयरोग-रोधी दवा के योग को अनुमति

298. श्रीमती निशा चौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियम 1945 के अंतर्गत राजपत्र अधिसूचना जारी करके क्षयरोग रोधी दवाओं के कतिपय योग की अनुमति नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नियम का उल्लंघन करते हुए कतिपय अपने लोगों को अनुमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) इस कारण और नियमों का उल्लंघन करने के कारण दवा निर्माताओं को कितना लाभ हुआ है; और

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) संस्तुत दैनिक खुराक के अनुसार अनुमत्य रिफैम्पसीन और आई एन एच के साथ पिरेजिनेमाइड का संयोजन नीचे दिया गया है:-

	औषध	न्यूनतम	अधिकतम
(i)	रिफैम्पसीन	450 मि॰ ग्रा॰	600 मि॰ ग्रा॰
(ii)	आईएनएच	300 मि॰ ग्रा॰	400 मि॰ ग्रा॰
(iii)	पिरेजिनेमाइड	1000 मि॰ ग्रा॰	1500 मि॰ ग्रा॰

आईएनएच के साथ इथाम्बुटल की निर्धारित संयोजन की निम्नलिखित खुराक भी अनुमत्य है:-

आई एन एच	इथाम्बुटल
200 मि॰ ग्रा	600 मि॰ ग्रा॰
300 मि॰ ग्रा॰	800 मि॰ ग्रा॰

(ग) से (च) सरकार ने चार क्षयरोग रोधी औषधों की निर्धारित खुराक में संयोजनों पर अपनी अनापत्ति दे दी है बशर्ते कि ये संबंधित अधिसूचना के अंतर्गत किए गए उल्लेख के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम खुराक में दैनिक आवश्यकता के अंतर्गत हों और उसका लाइसेंस राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा तब प्रदान किया जाता है जब वह जीव उपलब्धता मानदंडों के अनुरूप हो।

बहरहाल, राज्य सरकारों को सूचित किया गया है कि चार क्षयरोग रोधी औषधों की निश्चित खुराक में संयोजनों के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में अनुबद्ध की गई न्यूनतम और अधिकतम खुराक की आवश्यकता के मद्देनजर सरकार ऐसे संयोजनों की समीक्षा करते हुए उन्हें कारगर बना रही है।

युद्धोत्तेजक व्यक्तियों की सूची से नेताओं का नाम हटाया जाना

299. **श्री श्रीराम चौहान :**

श्री मोहन सिंह :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में युद्धोत्तेजक व्यक्तियों की सूची से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम हटाने का निदेश दिया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त निर्णय के संदर्भ में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) आजादी के पश्चात भी नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का नाम युद्धोत्तेजक व्यक्तियों की सूची में शामिल रहने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्;

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

भारत में वृद्धों की संख्या

300. **डॉ॰ सुगुण कुमारी चलामेला :**

श्री चाडा सुरेश रेड्डी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि की हाल की रिपोर्ट के अनुसार देशों में किशोर और वृद्धों की संख्या कितनी है;

(ख) बेरोजगारी कम करने के लिए नवयुवकों को नौकरी देने के लिए सरकार ने अधिक नौकरियां सृजित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सहायता और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

राष्ट्रीय रक्त-आधान परिषद

301. **श्री आर॰ एस॰ गवई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय रक्त-आधान परिषद को और कार्यान्वयन प्राधिकार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रक्त-आधान के जरिए कितने लोगों को एड्स हुआ है;

(घ) प्रारूप राष्ट्रीय रक्त नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद, जिसकी स्थापना माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप हुई है, रक्ताधान सेवाओं के कार्यकरण का निरीक्षण तथा उसका समन्वय करेगी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन इस कार्यक्रम में एक सहायक के रूप में कार्य करेगा।

(ग) 31 अक्तूबर, 1998 के अनुसार 6609 एड्स के पूर्ण मामलों में से 538 (8.14%) रक्ताधान द्वारा हुए।

(घ) और (ङ) प्रारूप राष्ट्रीय रक्त नीति का उद्देश्य आर्थिक या सामाजिक स्तरों का ध्यान न करते हुए सभी के लिए निरापद तथा गुणवत्ता वाले रक्त तथा घटकों की आसानी से सुलभता तथा पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी पद्धति विकसित करने की योजना बनाना है। इस नीति का लक्ष्य एक व्यापक और सम्पूर्ण प्रबंधन एप्रोच द्वारा रक्ताधान सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना होगा। प्रारूप राष्ट्रीय रक्त नीति निरापद रक्त तथा रक्त उत्पाद प्रदान करने के लिए निम्नलिखित नीति पर केन्दित है:-

(I) राष्ट्रीय रक्ताधान सेवाओं को स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति का एक अभिन्न अंग बनाकर उसे मजबूत करना।

(II) सभी रक्त केन्द्रों को रक्त की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना।

(III) रक्त और रक्त उत्पादों की निरापदता सुनिश्चित करना।

(IV) घटक उत्पादन के लिए सुविधाओं का विकास करना।

(V) प्लाज्मा प्रभाजन के लिए सुविधाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण।

(VI) रक्त और रक्त उत्पादों की गुणवत्ता नियंत्रण को मजबूत करना।

(VII) रक्त की आपूर्ति में निरापदता प्रभावकारिता को सुधारने हेतु रक्ताधान सेवा ऑपरेशनों पर अनुसंधान करना।

(VIII) कारगर प्रबंधन का विकास और सुदृढ़ीकरण, रक्ताधान सेवाओं की मॉनिटरिंग और मूल्यांकन।

जीवन रक्षक औषधियों का आयात

302. श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1996-97 के दौरान कुल कितने मूल्य की जीवन रक्षक औषधियों का आयात किया गया;

(ख) किन देशों से इन औषधियों का आयात किया गया और

(ग) सरकार द्वारा देश में ही इन औषधिंयों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) से (ग) कुछेक को छोड़कर, सभी प्रपुंज औषधें, ओ॰ जी॰ एल॰ के अंतर्गत हैं और आयात नीति के अनुसार स्वतंत्र रूप से इनका आयात किया जा सकता है। वर्ष 1996-97 के दौरान 1310 करोड़ रुपए मूल्य के प्रपुंज औषधों और 225 करोड़ रुपए मूल्य के तैयार औषधों का देश में आयात किया गया था। देश में औषधों और भेषजों का आयात जर्मनी, बेल्जियम, यू॰ एस॰ ए॰, यू॰ के॰, चीन, स्विटजरलैंड, हांगकांग, इटली, फ्रांस, जापान, स्वीडन, आस्ट्रेलिया, हंगरी आदि देशों से किए जा रहे हैं। देश में उत्पादन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रपुंज औषधों और सूत्रणों के लिए औद्योगिक लाइसेंस देने के मामले भारत के औषध महानियंत्रक द्वारा निपटा दिए गए हैं और कुछ मामलों को छोड़कर उनके मामलों को सभी मध्यवर्तियों को समाप्त कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रपुंज औषध और उनकी मध्यवर्तियां मूल अवस्था से तैयार किए जाने की स्थिति में 51% से अधिक विदेशी निवेश पर विचार किया जाएगा।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश

303. श्रीमती सूर्यकांता पाटील : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उर्वरक क्षेत्र में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों में आधारभूत सुविधाओं के सृजन के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश करने का प्रस्ताव. है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार को प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उर्वरक क्षेत्र में सरकार द्वारा इन स्रोतों के दोहन तथा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी की स्थापना के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) से (ग) उर्वरक क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को सृजन करने के लिए बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों से ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं। जहां तक नई उर्वरक परियोजनाओं का संबंध है, सरकार द्वारा 24.7.91 को जारी औद्योगिक नीति विषयक संकल्प के अनुसार सामान्यतः उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उपलब्ध सूचना के अुनसार, देश में प्रमुख उर्वरक संयंत्रों में निवेश के संबंध में निम्नलिखित विदेशी कंपनियां विचार कर रही हैः-

1. पहाड़पुर फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि॰, हल्दिया, प॰ बंगाल में यूनोकोल भारत लि॰ (यूनिकोल, यू एस ए की पूर्णतः स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)।

2. साऊथ इंडिया फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स इंडस्ट्रीज लि॰, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश में हल्दर टोप्सो ए एस (एच टी ए एस) डेनमार्क।

3. ओसवाल एशिया फर्टिलाइजर्स लि॰, संगरूर, पंजाब में क्वंटम इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, यू एस ए और कृप्प-ऊधे, जर्मनी।

ऐसे निवेश इस देश में विदेशी निवेश के लिए निर्धारित प्रक्रिया द्वारा प्रशासित किए जाते हैं और प्रौद्योगिकी की पसंद उद्यमी द्वारा की जाती है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों में असंतोष

304. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक तांत्रिक द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक को कर्मचारियों और अधिकारियों की भर्ती, तैनाती और उनके स्थानान्तरण के मामले में दखल देने और सलाह मशविरा देने के मामले को लेकर केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों में बड़े पैमाने पर असंतोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार के अर्द्धसैनिक बल में ऐसी सलाह और दखल देने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के स्टाफ और अधिकारियों की भर्ती तैनाती और स्थानांतरण से संबंधित मामलों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में ऐसी कोई स्थिति होने के बारे में सरकार को जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

आंध्र प्रदेश में बाल श्रमिक

305. श्रीमती लक्ष्मी पनबाक : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार बाल श्रमिकों की सूची में सबसे ऊपर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यक्रम बनाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व बैंक समेकित बाल विकास सेवा में आन्ध्र प्रदेश सरकार की सहायता कर रहा है;

(घ) राज्य में बाल श्रम कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) जी,हां महोदय।

(घ) जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रम का उन्मूलन करने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत इस अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध कतिपय व्यवसायों/प्रक्रियाओं में बच्चों का नियोजन प्रतिषिद्ध है। कानूनी उपायों के अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय बाल श्रम परियाजनाओं की योजना के माध्यम से जोखिमकारी व्यवसायों में कार्यरत बाल श्रमिकों को कार्य से हटाने व पुनर्वासित करने के लिए कदम उठाए हैं। उक्त योजना के अंतर्गत, विशेष स्कूलों की स्थापना की गयी है जिनमें अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, पोषणाहार, स्वास्थ्य देख-रेख, वजीफा आदि का प्रावधान है। जोखिमकारी व्यवसायों में कार्य करने वाले 43,550 बच्चों को दायरे में लाने के लिए अभी तक 20 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

नए जिलों का सृजन

306. श्री दादा बाबूराव परांजपे : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार को यह जानकारी है कि राज्य सरकार द्वारा मध्य-प्रदेश में कई जिलों के सृजन से लोगों में रोष व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का इस मामले में हस्तक्षेप करने का विचार है ताकि उक्त जिलों का सृजन उचित रूप से हो सके; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) अपने राज्य क्षेत्र में नए जिलों के सृजन के मामले में निर्णय लेना अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य है। इस प्रक्रिया में केन्द्र सरकार शामिल नहीं होती है।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि

307. श्री जी॰ गंगा रेड्डी :

श्री एम॰ राजैया :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या हिमाचल प्रदेश, (चम्बा), जम्मू और कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में आसूचना विफलता और आतंकवादी गतिविधियों को रोक पाने में सफल न होने के क्या कारण हैं; और

(घ) आतंकवाद से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद संबंधी घटनाओं की संख्या में कमी आई है। इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में आतंकवाद संबंधी केवल एक मुख्य घटना हुई। पूर्वोत्तर में, जबकि नागालैंड और मणिपुर में आतंकवाद संबंधी घटनाओं में कमी आई है असम और त्रिपुरा, इन दोनो राज्यों में सिविलियनों, जोकि आसान निशाने है, के विरुद्ध आतंकवादी कार्रवाई बढ़ने के कारण, घटनाओं में वृद्धि हुई है।

[हिन्दी]

पामोलीन का आयात

308. श्री ए॰ एफ॰ गुलाम उस्मानी :

श्री मगन्ती बाबू :

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

श्री सुब्रत मुखर्जी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1998 से अक्तूबर, 1998 तक कुल कितना पामोलीन और सोयाबीन तेल आयात किया गया;

(ख) इन तेलों के ब्रांड आयात में कुल कितना खर्च आया;

(ग) क्या काफी मात्रा में पामोलीन और अन्य ब्रांडों को आयात करने के बावजूद ये बाजार में उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पामोलीन और सोयाबीन तेलों की इस समय कितनी मांग है और खाद्य तेलों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है; और

(च) सरसों के बीजों में सत्यानाशी के बीज मिलाने के संबंध में महिला दक्षता समिति द्वारा आयोजित चर्चा के तथ्य क्या हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) अगस्त से अक्तूबर, 1998 के दौरान, आज तक आयातकों से प्राप्त की गई सूचना के आधार पर देश में लगभग 3.63 लाख टन आर॰ बी॰ डी॰ पामोलीन और 1.36 लाख टन सोयाबीन तेल का आयात हुआ था, इसमें से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये सरकारी खाते पर 283.19 करोड़ रुपये की कुल लागत बीमा भाड़ा (सी॰ आई॰ एफ॰) मूल्य का 97,408 लाख टन आर॰ बी॰ डी॰ पामोलीन तेल का आयात राज्य व्यापार निगम द्वारा किया गया था।

(ग) और (घ) बाजार में आयातित खाद्य तेलों की प्रर्याप्त उपलब्धता है।

(ङ) तेल वर्ष 1998-99 (नवम्बर-अक्तूबर) के लिए तेल की मांग 82 लाख टन के लगभग प्रक्षेपित की गई है। घरेलू स्त्रोतों से होने वाली आपूर्ति में हुई कमी को खाद्य तेलों का आयात करके पूरा किया जायेगा जिसे सरकार द्वारा पहले ही उदार बनाया गया है।

(च) महिला दक्षता समिति द्वारा आयोजित चर्चा मुख्यतया कीमतों में हुई सामान्य वृद्धि के बारे में थी और इस चर्चा में उन संभावित संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में भी प्रश्न उठाए गए थे जिन्होंने सरसों (मस्टर्ड-सीड) में आर्जीमोन'' की मिलावट की थी।

[अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा के संबंध में विशेषज्ञों की राय

309. श्री लक्ष्मण सिंह :

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता** मामले मंत्री यह बताने की कृपा करने कि:

(क) क्या खाद्य सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस ओर इशारा किया है कि प्याज, आलू और नमक की अत्यधिक कमी का कारण वास्तविक कमी की बजाय बाजार में की गई चालबाजी थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने विशेषज्ञों की राय की किस हद तक जांच की; और

(ग) सरकार द्वारा इन मदों की बाजार की चालबाजी को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) आलू और प्याज की कमी का मुख्य कारण जलवायु संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से 1997-98 के दौरान इन वस्तुओं का उत्पादन कम होना है। देश में नमक की कोई कमी नहीं थी।

(ग) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित करने और उन्हें स्थिर बनाए रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि करने के कुछ दीर्घकालिक उपायों के अतिरिक्त, दालों और प्याज जैसी कम आपूर्ति वाली वस्तओं के आयात को शून्य प्रतिशत आयात शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है तथा खाद्य तेलों के आयात पर आयात शुल्क 25 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि इन सभी वस्तुओं की समग्र उपलब्धता में वृद्धि की जा सके। प्याज, दालों और खाद्य तेलों के निर्यात पर रोक लगा दी गई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भी चावल, गेंहू, पामोलीन और मिट्टी के तेल जैसी कुछ आवश्यक वस्तुओं की बाजार मूल्यों से कम मूल्यों पर आपूर्ति की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर-बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी जमाखोरों, चोर-बाजारियों और अनुसूचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त अन्य व्यक्तियो के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है। कम आपूर्ति वाली अवधि के दौरान इन वस्तुओं की आपूर्ति की राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों की बाजार दखल कार्रवाई की स्कीम भी सरकार द्वारा अनुमोदित कर दी गई है। सरकार शीतागारों और खाद्य प्रंसस्करण उद्योगों के तहत अधिक भण्डारण क्षमता विकसित करने पर बल दे रही है ताकि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं व सब्जियों को सुरक्षित रखा जा सके।

[हिन्दी]

मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा सम्पत्ति की सार्वजनिक घोषणा करना

310. श्री चिन्ता मोहन :

डॉ॰ सुशील इन्दौरा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों द्वारा अपने स्वामित्व में परिसम्पत्तियों और सम्पत्तियों की सार्वजनिक घोषणा कराने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने सभी मंत्रियों से यह जानकारी प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि हां, तो उन मंत्रियों के नाम क्या हैं जिन्होंने अब तक यह जानकारी प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) शेष मंत्रियों द्वारा यह जानकारी प्रस्तुत न किए जाने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) मंत्रिमंडल की कुछ समय पहले हुई एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मंत्रि-परिषद के सदस्यों को अपने परिवार के सदस्यों समेत अपनी-अपनी परिसम्पत्तियों और देन-दारियों को प्रधानमंत्री को घोषित कर देनी चाहिए ताकि उन्हें सार्वजनिक किया जा सके। सभी मंत्रियों की परिसम्पतियों और देन-दारियों के ब्यौरे प्राप्त हो गये हैं।

[अनुवाद]

बालकों के लिए "नेशनल फोन इमरजेंसी" प्रोग्राम

311. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

श्री एस॰ एस॰ ओवेसी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के बड़े नगरों में जरूरतमंद बालकों को विशेष संरक्षण देने के लिए चौबीसों घंटे निशुल्क "नेशनल फोन इमरजेंसी" सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सेवा को शुरू करने के पीछे मुख्य विचार क्या है;

(ग) सरकार ने इस फोन सेवा के लिए अभी तक कितने नगरों का चयन किया है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी फोन सेवा प्रणाली देश के प्रत्येक शहर में शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार इन्हें कब तक खोल देगी; और

(च) इस सेवा पर प्रतिवर्ष सरकार को कितनी राशि व्यय करनी होगी ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (च) जी, हां। पहचान किए गए शहरों में विशेष सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों के लिए चौबीस घंटे की आपात फोन सेवा शुरू की जा रही है। इस सेवा को शुरू करने के पीछे मुख्य विचार कष्ट में रहने वाले बच्चों को राहत तथा सहायता प्रदान करना है। प्रथम चरण में यह सेवा 9 शहरों में प्रदान की जाएगी तथा बाद में इसका विस्तार बेसहारा बच्चों, उपेक्षित तथा बाल अपराध संकेन्द्रित अन्य शहरों तक किया जाएगा। तथापि, देश के प्रत्येक जिलों में ऐसी फोन सेवा शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। चालू वित्त वर्ष के लिए इस सेवा हेतु 50 लाख रुपये की धनराशि अनन्तिम रूप से निर्धारित की गई है।

आयातित यूरिया पर हैंडलिंग प्रभार

312. डा॰ राम कृष्ण कुसमरिया :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री प्रभु दयाल कठेरिया :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश खाद की पृथक-पृथक प्रतिवर्ष कितनी आवश्यकता है;

(ख) देश में इन खादों का प्रतिवर्ष कितना उत्पादन हो रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयातित यूरिया के हैंडलिंग के लिए ठेकदारों को प्रति टन कितनी राशि दी गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में उत्पादित तथा उपयोग किये गये उर्वरक पोषकों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं:-

(लाख टन में)

उर्वरक पोषक	1995-96		1996-97		1997-98	
	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत	उत्पादन	खपत
नाइट्रोजन	87.77	98.23	85.99	103.01	100.86	109.00
फास्फेट	25.58	28.98	25.56	29.77	29.75	39.15
पोटाश		11.56	-	10.30		13.73
योग (एन+पी+के)	113.35	138.77	111.55	143.08	130.61	161.88

(ग) जैसा कि बजट अनुमानों में दर्शाया गया है, अन्तर्देशीय परिवहन सहित, हैंडलिंग प्रभार नीचे दिए गए हैं-

वर्ष	हैंडलिंग प्रभार (रु० प्रति मी० टन)
1995-96	1090
1996-97	1190
1997-98	1170

असम में बिगड़ती कानून और व्यवस्था की स्थिति

313. **श्री नृपेन गोस्वामी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति निरंतर बिगड़ती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार असम राज्य के समाज विरोधी तत्वों और विध्वंसकारी गतिविधियों में लिप्त लोगों के नाम रजिस्टर में दर्ज करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) विद्रोही ग्रुपों की हिंसक गतिविधियों के कारण अमस में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब रही।

(ग) और (घ) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। असामाजिक और विघटनकारी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों का रजिस्टर रखना राज्य पुलिस की जिम्मेवारी है। केन्द्र सरकार का ऐसा कोई रजिस्टर रखने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

आवश्यक वस्तुओं का आयात

314. **श्री सी॰ डी॰ गामीत** : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किन-किन देशों से सब्जियों, दालों, खाद्य तेलों, मसालों और फलों का आयात किया गया और आयात की गई इन वस्तुओं की मात्रा कितनी-कितनी है;

(ख) उन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और दिल्ली तथा अन्य शहरों में इन्हें किस दर पर बेचा जा रहा है; और

(ग) इन आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए सरकार द्वारा क्या तरीका अपनाया गया है ?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) विशेष रूप से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए सब्जियों, दालों, खाद्य तेलों, मसालों और फलों का आयात नहीं किया गया। तथापि, दिल्ली में वितरण के लिए सरकारी खाते पर दुबई और किर्गीस्तान से नेफेड के माध्यम से 687 मी॰ टन प्याज का आयात किया गया।

(ख) और (ग) नेफेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 687 मी॰ टन प्याज के आयात के लिए कुल 1.61 करोड़ रु॰ के समतुल्य विदेशी मुद्रा का व्यय किया गया। आयातित प्याज का दिल्ली में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुरुप 10.00 रु. प्रति कि॰ ग्रा॰ की राज्य सहायता प्राप्त दर पर सार्वजनिक वितरण के कार्य में लगी एर्जेसियों के माध्यम से वितरण किया गया।

[अनुवाद]

आयुर्वेदिक उत्पादों और सेवाओं की चोरी

315. **श्री पी॰ सी॰ थामस** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 अक्तूबर, 1998 के "द पायनियर" में "वेस्टर्न थीव्स मेक ए किलिंग ऑन आयुर्वेद" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या अन्य देशों द्वारा भारतीय जड़ी-बूटियों के दोहन से भारत को कई बिलियन डालर विदेशी मुद्रा का नुकसान हो रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) जी हां, राष्ट्रमण्डल सचिवालय यू० के० द्वारा सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि ई० सी० देशों और सामान्यतः पश्चिम में हर्बल औषधों की विशाल और पनपती हुई मार्किट है। मैसर्स एम० सी० एलपाईन, थोरप और वैरियर लिमिटेड द्वारा राष्ट्रमण्डल सचिवालय के लिए तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में लगभग 9 बिलियन पाउंड की मार्किट है। उपभोक्ताओं में आयुर्वेदिक फिलोस्की और उत्पादों की बढ़ती मांग है परंतु प्रत्येक ई० सी० देश में अपनी प्रभावकारिता का दावा करने वाली औषधीय मदों के रूप में आयुर्वेदिक उत्पादों की बिक्री पर सख्त प्रतिबन्ध है। खाद्य अनुपूरक जिसका संबंधित उत्पाद के लेबल पर भी किसी विशेष बीमारी के लिए प्रभावी होने के रूप में विज्ञापन नहीं दिया जा सकता से भिन्न आयुर्वेदिक औषधों के यूरोप में विपणन को ई० सी० कानून लगभग पूरी तरह असम्भव बनाते हैं। प्रमाणित औषधों को बेचा जा सकता है यदि कठोर विधान को हटा दिया जाता है या उसमें छूट दे दी जाती है। आयुर्वेद के क्षेत्र में बौद्धिक अधिकारों के संरक्षण का मामला विचाराधीन है।

संविधान की समीक्षा

316. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार संविधान की समीक्षा करने का है;

(ख) क्या इस प्रयोजन से एक पैनेल गठित किया गया है; और

(ग) संविधान की किन मूलभूत संरचनाओं में संशोधन किया जाना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) गत 50 वर्षों के अनुभव के आधार पर भारत के संविधान की पुनरीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशें करने हेतु शासन के लिए राष्ट्रीय कार्यसूची में एक आयोग के गठन का प्रावधान है। सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

317. **श्री चेतन चौहान** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में एच० आई० वी० से ग्रस्त कितने लोगों की पहचान की गई है;

(ख) उत्तर प्रदेश के कितने अस्पतालों में एड्स परीक्षण की सुविधा उपलब्ध है;

(ग) क्या उत्तर प्रदेश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम केन्द्र सरकार की सहायता से लागू किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान दी गई सहायत का ब्यौरा क्या है; और

(ङ०) इस बीमारी के उन्मूलन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पता लगाए गए एच आई वी (पाजिटिव) रोगियों की संख्या निम्न प्रकार से है:-

1995	-	161
1996	-	157
1997	-	238

(ख) उत्तर प्रदेश में एड्स जांच सुविधाओं वाले अस्पतालों (स्वैच्छिक रक्त जांच केन्द्रों) की संख्या 5 है।

(ग) और (घ) जी, हां। यह शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम है। उपर्युक्त अवधि के दौरान दी गई सहायता का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

1995-96	-	शून्य
1996-97	-	450 लाख
1997-98	-	495 लाख

(ङ) भारत में एच आई वी/एड्स के प्रसार को रोकने तथा नियंत्रित करने के लिए देशभर में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में वर्तमान में एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्य कार्यनीति में शामिल है:-

(i) केन्द्र तथा राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करना।

(ii) एच आई वी/एड्स के विषय में उच्च्य खतरे का आचरण करने वाले समूहों और जन साधारण में जागरूकता पैदा करना।

(iii) यौन संचारित रोगों का नियंत्रण।

(iv) रक्त बैंकों को उचित लाइसेंस देकर, स्वैच्छिक रक्तादान को लागू करके तथा बढ़ावा देकर रक्त निरापदता और रक्त के युक्तिसंगत प्रयोग को बढ़ावा देना।

(v) निगरानी और निदान की क्षमता को मजबूत करना, और

(vi) एच आई वी/एड्स के मामलों के नैदानिक प्रबंधन में प्रशिक्षण देना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय रक्त नीति की समीक्षा

318. डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्त आधान के कारण एड्स मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से ऐसे रक्तदाताओं के रक्त की जांच के लिए एक समान मानदंड निर्धारित करने का है जिन्हें पीलिया, मलेरिया और मधुमेह का आस्थगित इतिहास है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय रक्त नीति की समीक्षा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम/नियमों में एच आई वी, हैपाटाइटिस बी, सरफेस एंटीजन (एच वी ए जी), सिफलिस और मलेरिया जैसे रक्त संचारी रोगों के लिए रक्त की अनिवार्य जांच की व्यवस्था है।

(ङ) और (च) प्रारूप राष्ट्रीय रक्त नीति की सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों, रक्त बैंकों और स्वैच्छिक रक्त बैंकों/संघों, प्रसिद्ध डाक्टरों आदि को उनके विचार और सुझावों के लिए व्यापक रूप से परिचालित किया गया है। इन एजेंसियों से प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर नीति को अन्तिम रूप दिया जाएगा।

[हिन्दी]

डी॰ डी॰ टी॰ की आपूर्ति

319. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मलेरिया निरोधी कीटनाशी डी डी टी की आपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान को भेजी गई 1998-99 हेतु डी डी टी की अनुमानित मात्रा कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने पर्याप्त मात्रा में डी डी टी का आबंटन कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) केन्द्र सरकार डी डी टी की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति कब तक सुनिश्चित कर देगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) डी डी टी के प्रयोग और विशेषज्ञों के तकनीकी मूल्यांकन को अनिवार्य बनाने के लिए केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समूह के निर्णय के आधार पर राजस्थान सरकार को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1998-99 के लिए डी डी टी 50% डब्ल्यू डी पी की 1750 एम टी की मात्रा आबंटित की गई है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) राज्य सरकार द्वारा 1240 एम टी डी डी टी पहले ही उठा ली गई और बाकी 510 एम टी भेजने के लिए तैयार है।

[अनुवाद]

तेल क्षेत्र का विकास

320. श्री के॰ सी॰ कोंडय्या : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिलहनों और वनस्पति तेल क्षेत्र के विकास के लिए तेल बोर्ड गठित करने का घरेलू तेल उद्योग का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वनस्पति तेलों में मिलावट की घटना जिसके कारण पूरे देश में खाद्य तेलों की कमी हो गई थी, को ध्यान में रखते हुए सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) तेल निस्तारण और प्रसंस्करण उद्योग और तिलहनों की खेती सहित तेल और वसा इकॉनमी के विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर समन्वय और विकास के लिये सरकार को भारतीय वनस्पति उत्पादक एसोसिएशन से प्रस्ताव/ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

(ग) प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

कच्चे तेल का उत्पादन

321. **श्री फांसिस्को सारदीना :**

श्री नरेन्द्र बुढानिया :

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रत्येक तेल उत्पादक राज्य के लिए कच्चे तेल के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम उक्त अवधि के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) नौंवी पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(छ) लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) ओ एन जी सी ने वर्ष 1997-98 के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन के अपने समझौता ज्ञापन लक्ष्य प्राप्त कर लिए थे। तथापि, 1995-96 और 1996-97 के दौरान निम्नलिखित कारणों की वजह से इसका उत्पादन थोड़ा कम था:

(1) रिजर्वायर की कठिनाइयों के कारण बंबई हाई नीलम और गांधार के क्षेत्रों से प्रत्याशित उत्पादन में कमी।

(2) तेल क्षेत्रों का स्वामित्व असमान चरण में प्रवेश करना।

(3) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में प्रचालन की परिस्थितियों में कठिनाइयां।

(4) गुजरात और असम में राज्य विद्युत बोर्ड से दोषपूर्ण विद्युत आपूर्ति।

(5) जून, 1996 में देश के पश्चिमी भाग में भीषण चक्रवाती तूफान।

(घ) और (ङ) लक्ष्यों की तुलना में कच्चे तेल के उत्पादन में कुछ कमी का अनुमान है।

(च) नौंवी योजना के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 180 एम एम टी होने का अनुमान है।

(छ) नौवीं योजना के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए उपाय निम्नानुसार है:-

(1) विशेष रूप से न निकाले गए/उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए तेल क्षेत्रों की बेहतर समझ हेतु त्रिआयामी सर्वेक्षण।

(2) भंडारों के इष्टतम दोहन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।

(3) बंबई हाई और नीलम तेल क्षेत्रों के लिए सुधारात्मक उपाय।

(4) ई आर डी, क्षैतिज और नालिका छिद्र वेधन, स्केल रिमूवल ट्रीटमेंट कार्यों और कूपों की लम्बी ड्रिफ्ट साइड ट्रेकिंग जैसे विशिष्ट प्रौद्योगिकियां अपनाना।

(5) तेल /गैस विकास की नई योजनाओं को लागू करना।

(6) उत्पादक क्षेत्रों से निकासी की प्रतिशतता में सुधार करना।

(7) उच्च आर/पी वाले क्षेत्रों के आर/पी अनुपात में कमी करना।

(8) उत्पादक क्षेत्रों का उत्तम रिजर्वायर प्रबंधन।

(9) इनफिन वेधन द्वारा पुराने क्षेत्रों से उत्पादन का इष्टतमीकरण।

विवरण

कच्चे तेल के राज्यवार लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन

कंपनी/राज्य	1995-96		1996-97		1997-98	
	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन	लक्ष्य	वास्तविक उत्पादन
1	2	3	4	5	6	7
क. ओ आई एल असम/ अरुणाचल प्रदेश	2.950	2.882	3.020	2.870	3.050	3.094

1	2	3	4	5	6	7
ख. ओ एन जी सी						
बम्बई हाई अपतट	23.987	22.665	22.000	20.181	18.160	19.863
गुजरात	6.150	6.362	6.600	6.159	6.880	5.951
असम	2.700	2.190	2.200	1.964	2.458	2.046
आंध्र प्रदेश/ तमिलनाडु	0.479	0.418	0.292	0.381	0.235	0.390
योग	33.316	31.635	31.092	28.685	27.733	28.250
ग. कं॰ सं॰ उ॰ क॰/निजी		0.650	2.2	1.345	3.234	2.514
कुल योग (क+ख+ग)	36.266	35.167	36.312	32.900	34.017	33.858

ओ आई एल : आयल इंडिया लिमिटेड

ओ एन जी सी आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लि॰

जे वी सी : संयुक्त उद्यम कंपनियां

[हिन्दी]

कैंसर की औषधियों का आयात और उत्पादन

322. श्रीमती शीला गौतम :

श्री शिवराज सिंह चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कैंसर के इलाज के लिए अनेक प्रकार की औषधियों का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इन औषधियों का स्वदेशी उत्पादन करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं अथवा किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) कैंसर के उपचार हेतु कुछ औषधें देश में आयात की जाती हैं। ऐसी औषधों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

देश में आयात की गई औषधों के नाम :

1. बेयेलकोल क्लोराइड टेब॰
2. बेसुलफेन टेब॰
3. 5-फ्लोरीउरेसिल इंज॰
4. सिस्पलेटिन इंज॰
5. कार्बोप्लेटिन इंज॰
6. ब्लेयोमाइसिन इंज॰
7. सिटेराबाइन इंज॰
8. क्लोरांबुसिल टेब॰
9. डकार्बेजाइन इंज॰
10. डोक्सोरूबुसिन इंज॰
11. डाउनोरूबिकेन इंज॰ (सेरू बिडाइन इंज॰)
12. लेउकोवोरिन इंज॰
13. साइक्लोफोस्फामाइड इंज॰
14. डाउनोरूबिसिन इंज॰
15. इटोपोसाइड इंज॰
16. इंटरफेरोन अल्फा-2-ए इंज॰
17. मेथोट्रेक्सेट इंज॰
18. मेल्फालेन टेब॰
19. माइटोमाइसिन-सी इंज॰
20. जेठेडीज इंज॰

21. विनब्लास्टाइन इंज॰

22. विक्रीस्टाइन इंज॰

23. इपुरूबिसिन इंज॰

[अनुवाद]

वनस्पति/खाद्य तेल का विपणन

323. श्री सोमजीभाई डामोर :

श्री मोहन सिंह :

प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनस्पति और खाद्य तेलों के उत्पादन तथा विपणन पर नियंत्रण रखने के लिए कोई सरकारी तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और जुलाई, 1993 से 1998 के दौरान कंपनियों में मिलावट को रोकने के लिए अफसरों द्वारा कितने निरीक्षण किए गए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने नमूने इकट्ठे किए गए हैं और कितने नमूनों में मिलावट पाई गई और कितनी कम्पनियों पर अभियोग चलाया गया; और

(घ) दोषी कम्पनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई अथवा की जा रही है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 और नियमावली 1955 के उपबन्धों को क्रियान्वित करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य (स्वास्थ्य) प्राधिकारियों द्वारा वनस्पति सहित खाद्य तेलों और वसा की गुणवता पर निगरानी रखी जाती है। 1993 से 1995 के वर्षों के दौरान खाद्य तेलों और वसा के परीक्षण किए गए और अपमिश्रित पाये गए नमूनों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	परीक्षित	खाद्य अपमिश्रित
1993	17.900	1104
1994	17.218	1192
1995	16.835	1256

जनवरी, 98 में 9.11.98 तक लिये गये वनस्पति सहित सरसों के तेल के नमूनों की और आर्जीमोन तेल के साथ अपमिश्रित पाये गये नमूनों की संख्या निम्नानुसार है:-

	जनवरी, 1998 से लिये गये सरसों के तेल के नमूने	आर्जीमोन तेल के साथ अपमिश्रित पाये गये नमूने
कुल,	17580	584

खाद्य तेल और वसा का विपणन करने वाली कुछ कंपनियां जिनके विरुद्ध कार्रवाई की गई वे धारा, कनोडिया, कोहिनूर, स्कूटर, हाथी, परिवार, जंबों, ऐलीफेन्ट, रथ, पनघट और सोना नामक ब्रांड के अधीन खाद्य तेल और वसा का विपणन कर रही हैं।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई है।

फैक्ट में विनिवेश

324. श्री एन॰ के॰ प्रेमचन्द्रन :

श्री जी॰ एम॰ बनातवाला :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार "फैक्ट" को कैपिटल सब्सिडी के रूप में 200 करोड़ रुपए प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या "फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड" (फैक्ट) के संबंध में विनिवेश का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से "फैक्ट" में विनिवेश प्रस्ताव को रोकने तथा संगठन को आगे और मजबूत करने के लिए सकारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा किए गए अनुरोधों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार उक्त विनिवेश प्रस्ताव को रोकने के हेतु दिए गए सुझावों पर अनुकूल रूप से विचार करेगी; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) से (छ) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) को कोई पूंजी राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

केरल सरकार ने अनुरोध किया है कि फैक्ट में इसके सामाजिक दायित्वों, रोजगार सम्भावना और सार्वजनिक प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए विनिवेश का प्रयास रोकने के उपाय किए जाएं।

विनिवेश आयोग ने सिफारिश की है कि भारत सरकार का साम्य का 51% प्रबंधन नियंत्रण के साथ अनुकूल भागीदारी को हस्तांतरित किया जाए। विनिवेश आयोग की सिफारिशों पर अन्तरमंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है।

गुजरात में परिवार कल्याण केन्द्र

325. **श्री चन्द्रेश पटेल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गुजरात में कितने ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या यह वहां के लोगों की आवश्यकता को पूरा करने हेतु पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) गुजरात में 251 ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र हैं।

(ख) से (घ) ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्रों को राज्य की प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या पद्धति के साथ एकीकृत कर दिया गया। 1991 की जनसंख्या के अनुसार मौजूदा मानदंडों के आधार पर राज्य के लिए 68 ओर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की आवश्यकता है। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना का कार्य राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

[हिन्दी]

मिट्टी के तेल/हल्के डीजल तेल का आबंटन

326. **श्री अशोक प्रधान** :

श्रीमती कमल रानी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिल्ली और उत्तर प्रदेश में स्थल-वार अब तक कितने एस के ओ/एल डी ओ डीलर है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों को कितना मिट्टी का तेल/हल्का डीजल तेल आबंटित किया गया;

(ग) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को हाल ही में इनकी कम मात्रा आबंटित करने के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री :(श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

बीड़ी श्रमिकों का कल्याण

327. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** :

श्री भर्तृहरि मेहताब :

श्री बीर सिंह महतो :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीड़ी उद्योग से एकत्र की गई राशि बीड़ी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी कार्यो पर खर्च नही की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उनसे एकत्र की गई तथा बीड़ी श्रमिकों के कल्याण पर खर्च की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसी एकत्र की गई धनराशि को श्रमिकों के कल्याणकारी कार्यों के लिए खर्च करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) जी नहीं।

(ख) निर्मित बीड़ियों पर एकत्रित उपकर और बीड़ी कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा दर्शानेवाला विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने बीड़ी श्रमिक कल्याण निधि अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी कामगारों के लिए प्रारूपित स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन तथा आवास के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए इलाहाबाद, बंगलौर, भीलवाड़ा, भुवनेश्वर, कलकत्ता, हैदराबाद, जबलपुर, करमा और नागपुर में कल्याण आयुक्तों के कार्यालय स्थापित किए गए हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति तथा उन पर किए गए व्यय की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

विवरण

निर्मित बीड़ियों पर एकत्रित उपकर और बीड़ी कामगारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी कार्यकलापों पर खर्च की गयी धनराशि का ब्यौरा

(रु० हजारों में)

क्रम. संख्या	क्षेत्र	शामिल किए गए राज्य	* 1997-98 के दौरान एकत्रित उपकर	* 1997-98 के दौरान बीड़ी कामगारों के लिए विभिन्न योजनाओं पर किया गया व्यय
1.	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश	1,04,03	1,51,67
2.	बंगलौर	कर्नाटक, केरल	4,19,08	4,74,77
3.	भीलवाड़ा	राजस्थान, गुजरात, हरियाणा	20,16	1,41,46
4.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	33,74	1,84,05
5.	कलकत्ता	प० बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय	3,63,86	2,83,84
6.	हैदराबाद	तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश	6,87,10	7,10,02
7.	जबलपुर	मध्य प्रदेश	2,98,91	2,55,27
8.	करमा	बिहार	1,19,77	1,48,48
9.	नागपुर	महाराष्ट्र, गोवा	95,46	2,61,51
	कुल		21,42,11	26,11,08

* क्षेत्र-वार सूचना रखी जाती है।

1997-98 में व्यय की अधिक धनराशि पिछले वर्षों में संचित आरक्षित निधियों में से व्यय की गयी।

[हिन्दी]

चावल मिलों के लिए निर्धारित वसूली

328. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार चावल मिलों के लिए कितनी वसूली निर्धारित है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में चावल वसूली की निर्धारित सीमा अन्य राज्यों से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) सी० एफ० टी० आर० आई० मैसूर, पी० पी० आर० सी०, तंजावुर और आई० आई० टी०, खड्गपुर द्वारा किए गए ट्रायल मिलिंग प्रयोगों की जांच के लिए भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने पूरे देश के लिए खरीफ विपणन मौसम 1995-96 और इसके बाद से "रा" और सेला चावल के लिए क्रमशः 67% और 68% का एक समान-आउट--टर्न अनुपात निर्धारित किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

बंगलादेशियों द्वारा घुसपैठ

329. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर में बिगड़ती हुई कानून और व्यवस्था की स्थिति बंगलादेशी घुसपैठियों के कारण हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आईएसआई एजेंसी इन बंगलादेशियों के अपने शिविर में प्रशिक्षण देकर घुसपैठ करा रही है; और

(घ) यदि हां, तो कश्मीर में बंगलादेशियों की घुसपैठ रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जी नहीं, श्रीमान्। जम्मू और कश्मीर सरकार से उपलब्ध सूचना के अनुसार, जम्मू और कश्मीर में बंगलादेशी उग्रवादियों की घुसपैठ के कोई प्रमाण नहीं है।

रासायनिक उर्वरकों की खपत

330. श्री बीर सिंह महतो : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या उर्वरकों की खपत पर राजसहायता को वापस लेने अथवा उसे कम किए जाने के कारण प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उर्वरकों के मूल्यों को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) से (ग) यूरिया का सांविधिक रूप से निर्धारित मूल्य, स्थानीय शुल्कों को छोड़कर, सारे देश में एक समान है और इसमें 21 फरवरी, 1997 से कोई संशोधन नहीं किया गया है। नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों पर से और कोई रियासत चालू वित्त वर्ष में न तो वापस ली गई है और न ही इसमें कमी की गई है। नियंत्रणमुक्त फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की योजना यह सुनिश्चित करने हेतु चलाई जाती है कि किसानों को ये उर्वरक उपमुक्त मूल्यों पर उपलब्ध रहे हैं। उपलब्ध सांख्यिकी उर्वरक पोषकों की समग्र खपत में कोई कमी नहीं दर्शाती है।

सीसा रहित पेट्रोल

331. श्री के॰ येरननायडू : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सीसा रहित पेट्रोल के लाभ और हानियों के संबंध में अंतराष्ट्रीय विशेषज्ञों के विचार मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पेट्रोल से बैन्जीन प्रैन जैसी जहरीली गैसों के निकलने के कारण कैंसर के मामलों के बढ़ने की संभावना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसी संभावनाओं से बचने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जनसंख्या वृद्धि

332. श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री विजय कृष्ण हाण्डिक :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का जनसंख्या वृद्धि रोकने के लिए कोई कानूनी प्रावधान लागू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है, और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) देश में पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर जन्म नियंत्रण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कानूनी अधिनियमनों के जरिए इसे अनिवार्य बनाने का कोई विचार नहीं है।

(घ) जन्मदर और मृत्युदर के बीच अंतर के रूप में पिछले तीन वर्षों के दौरान जनसंख्या की स्वाभाविक वृद्धि दर वर्षवार नीचे दी जाती है:-

वर्ष	वृद्धि दर (प्रतिशत)
1995	1.93
1996	1.85
1997	1.83 (आंकड़े अनंतिम हैं)

हिन्दी परामर्शदात्री समिति

333. श्री प्रभुदयाल कठेरिया : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन मंत्रालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने 1997-98 के दौरान अपनी-अपनी परामर्शदात्री समितियों की एक या दो से अधिक बैठकें नहीं की हैं; और

(ख) सभी मंत्रालयों को हिन्दी परामर्शदात्री समितियों की बैठक नियमित रूप से सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) ये हिन्दी सलाहकार समितियां निम्नलिखित हैं:-

1. स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय
2. रक्षा मंत्रालय (रक्षा विभाग)
3. कृषि और सहकारिता विभाग
4. शिक्षा विभाग
5. संसदीय कार्य मंत्रालय
6. नागर विमानन मंत्रालय
7. विधि और न्याय मंत्रालय
8. रेल मंत्रालय
9. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग
10. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय

(ख) सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए व्यावहारिक उपाय सुझाने तथा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने हेतु मंत्रालयों/विभागों के मंत्रियों की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं। ये समितियां उच्चाधिकार प्राप्त समितियां हैं तथा इनकी बैठकें संबंधित मंत्री अपनी सुविधानुसार कराते हैं। तथापि, उनके द्वारा ये बैठकें नियमित रूप से करवाने के लिए राजभाषा विभाग समय-समय पर उच्च स्तर पर संबंधित मंत्रालयों विभागों से अनुरोध करता है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र के लिए यूनीसेफ

334. **श्री संदीपान थोरात** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) यूनीसेफ द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों और गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य निष्पादन समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यूनीसेफ द्वारा भारत में फ्लूरोसिस के फैलने पर नियंत्रण पाने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाया गया है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) स्वास्थ्य और कल्याण क्षेत्र में चालू वर्ष के लिए यूनीसेफ द्वारा क्या कार्य योजना शुरू की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूनिसेफ द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम (क) शिशु जीवन रक्षा और सुरक्षित मातृत्व; (ख) शिशु पर्यावरण-जल, सफाई और स्वास्थ्य; (ग) शिशु विकास और पोषण; (घ) प्राथमिक शिक्षा और (ङ०) विशेष सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चे के क्षेत्र में हैं। वर्तमान वर्ष के दौरान यूनिसेफ प्रजनक और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम को भी सहायता दे रहा है। इन कार्यक्रमों के लिए यूनिसेफ की प्रायोजकता राष्ट्रीय स्तर पर है और इन कार्यक्रमों की आवधिक समीक्षा मंत्रालय/विभागों और राज्यों के परामर्श से यूनिसेफ द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग) यूनिसेफ के पास भारत में फ्लूरोशिस के नियंत्रण के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है, तथापि राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के एक-एक जिले में एक प्रायोगिक अंतराक्षेपण शुरू किया गया है जिसमें यूनिसेफ सहायता में जल गुणवत्ता जांच और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए क्षमता निर्माण, डिफ्लूरोडिशन यूनिट पर सहायक अनुसंधान और विकास तथा सामुदायिक शिक्षा शामिल है।

(घ) अन्य बातों के अलावा वर्तमान वर्ष में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण क्षेत्र में यूनिसेफ कार्यवाही योजना में प्रशिक्षण के लिए सहायता, सुरक्षित मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य उपाय, टीकाकरण और मानिटरिंग व मूल्यांकन शालिम हैं।

उत्प्रवासी कामगारों के लिए कल्याण निधि

335. **प्रो॰ अजित कुमार मेहता** :

श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्प्रवासी कामगारों के लाभ के लिए कल्याण कोष बनाने हेतु एक केन्द्रीय श्रमशक्ति निर्यात संवर्द्धन परिषद के गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इसके कब तक स्थापित और चालू हो जाने की संभावना है ?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ग) संवर्धनात्मक तथा सलाहकारी सेवाएं प्रदान करने तथा उत्प्रवासी कामगारों के लिए कल्याण निधि के गठन हेतु एक केन्द्रीय जनशक्ति निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है। चूंकि इस मामले में अंतर्मत्रालयीन परामर्श की जरूरत है, जो पहले से चल रहा है इसलिए प्रस्तावित परिषद् की, स्थापना तथा प्रस्तावित कल्याण निधि के गठन के लिए स्पष्ट समय बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

प्राकृतिक गैस की खोज

336. प्रो॰ रीता वर्मा : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बोकारो जिले में पर्वतपुर नामक स्थान पर प्राकृतिक गैस के होने की संभावना का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां से गैस को निकालने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) ओ एन जी सी द्वारा बिहार के परबतपुर क्षेत्र में एक अनुसंधान और विकास परियोजना के रूप में कोल बेड मिथेन का अन्वेषण आरंभ किया गया है।

(ख) बिहार में झरिया कोयला क्षेत्र के परबतपुर ब्लाक में स्थित झरिया-1 नामक अनुसंधान और विकास कूप का 670 मीटर की गहराई तक वेधन किया गया। आरंभिक परीक्षण के दौरान बाराकर संरचना के भीतर कोयले की पर्त से 9-6 घन मीटर/दिन की दर पर जल के साथ 2400 घनमीटर/दिन की दर पर मिथेन गैस निकली।

(ग) इस क्षेत्र में वाराकर संरचना की विभिन्न कोयला पर्तों की कोल बेड मिथेन संभाव्यता का और अधिक मूल्यांकन करने के लिए झरिया कोयला क्षेत्र के परबतपुर क्षेत्र में तीन अनुसंधान और विकास स्थल जारी किए गए हैं। झरिया कोयला क्षेत्र के दक्षिणी भाग में लगभग 69 वर्ग कि॰ मी॰ माप वाले एक ब्लाक की कोल बेड मिथेन के अन्वेषण के लिए पहचान की गई है।

[अनुवाद]

मधुमेह के रोगी

337. श्री के॰ पी॰ मोहन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत में वर्ष 2025 ई॰ तक मधुमेह के 57.2 मिलियन से अधिक रोगी हो जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो मधुमेह के रोगियों की संख्या में वृद्धि को रोकने हेतु चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा क्या निवारात्मक उपाय सुझाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) मधुमेह के रोगियों के बारे में कोई विशिष्ट विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध नहीं है तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक भारत में मधुमह से पीड़ित लोगों की संख्या 57 मिलियन होगी।

(ख) चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा निम्नलिखित निवारक उपाय सुझाए गये हैं;

1. जागरूकता एवं रोग का शुरू से ही पता लगाना
2. जीवन शैली में बदलाव
3. मोटापा, रक्तदाब जैसे जोखिम वाले कारकों में कमी करना
4. मधुमेह के इतिहास वाले परिवार की जांच।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा तेल की खोज

338. श्री नरेन्द्र बुडानिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल भंडारों की खोज में लगी सरकारी कंपनियों को तेल के कई कुंओं का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार कितने कुंओं की स्थान-वार पहचान की गई है; और

(ग) इस समय प्रत्येक कुएं से कितनी मात्रा में तेल निकाला गया है तथा अभी कितने तेल का भंडार शेष है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) जी हां। ओ एन जी सी और ओ आई एल ने असम, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्यों और पश्चिमी व पूर्वी अपतट में आठवीं योजनाविधि के दौरान 49 नई तेल सरचनाओं/तेल खोजों का पता लगाया है और पहले से ही खोजे गए क्षेत्रों में कई नए पूलों की पहचान की है।

कुछ नई तेल खोजों की संभाव्यता का मूल्यांकन करने के लिए उनका अभी भी निर्धारण और रूपरेखांकन किया जा रहा है। 28 स्थानों से उत्पादन आरंभ हो चुका है और इस अवधि के दौरान इनका संचयी उत्पादन लगभग 0.90 एम एम टी रहा है। नए स्थानों से शेष लगभग 11 एम एम टी होने का अनुमान है।

[अनुवाद]

एक समान कार्य चिकित्सा और दंत चिकित्सा शिक्षा संबंधी समिति

339. श्री बी॰ एम॰ मेनसिंकाई : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में राज्य-वार चिकित्सा और दंत चिकित्सा में एकरूपता और समन्वय के संबंध में अस्सी के दशक के उत्तरार्ध में एक समिति गठित की थी;

(ख) क्या इसके सुझावों में से एक सुझाव यह था कि प्रत्येक राज्य में अलग विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिएं;

(ग) यदि हां, तो उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अभी तक इस सिफारिश को लागू नहीं किया है; और

(घ) इस संबंध में शेष राज्यों ने अब तक कितनी प्रगति हासिल की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) अब तक निम्नलिखित राज्य सरकारों ने संबंधित राज्यों में अपने स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है जो राज्य के सभी चिकित्सा तथा दन्त कालेजों को सम्बद्ध कर रहे हैं।

1.	तमिलनाडु	- तमिलनाडु डा॰ एम॰ जी॰ आर॰ स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
2.	आंध्र प्रदेश	- एन॰ टी॰ आर॰ स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
3.	कर्नाटक	- राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

(घ) शेष राज्यों में से महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने भी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना की है लेकिन विवरण उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त पंजाब सरकार ने सूचित किया है कि फरीद कोट में बाबा फरीद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय खोला गया है।

कालीन उद्योग में बंधुआ मजदूर

340. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार कालीन उद्योग में बंधुआ बाल मजदूरों को काम पर लगाने की प्रथा का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस प्रथा को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्नारायण जटिया) : (क) से (ग) बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत पूरे देश में बंधुआ श्रम प्रथा को प्रतिषिद्ध कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा दिल्ली जैसे राज्यों में विगत में बंधुआ बाल श्रम के कुछ मामले प्रकाश मे आए हैं। उन उद्योगों के नाम का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता जिनमे बंधुआ श्रमिकों के रूप में बच्चे कार्य कर रहे थे।

राज्य सरकारें, जो इस अधिनियम के लिए कार्यान्वयन प्राधिकारी हैं उन्हें समय-समय पर सलाह दी गयी है कि वे इस पर सतत् नजर रखें और जब कभी भी उनके क्षेत्र में किसी उद्योग में ऐसी प्रथा ध्यान में लायी जाती है तो वे इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई करें।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में इलाज

341. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और राजधानी के अन्य अस्पतालों में रोगियों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राजधानी के बड़े अस्पतालों, विशेषरूप से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों को इलाज कराने के लिए काफी लम्बे समय तक इंतजार करना पड़ता है और साथ ही अस्पताल प्रबंधकों के कटु व्यवहार का भी सामना करना पड़ता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अस्पतालों की क्षमता बढाने और प्रबंधकों के व्यवहार को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने 1977 में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली, सफदरजंग अस्पताल और डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में वहां आने रोगियों की आवश्यकताओं का आकलन करने के लिए एक सर्वेक्षण कराया था। सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में औसतन कार्य दिवस में औसत रुप से 15000-16000 रोगी/परिचर और आगन्तुक आते हैं और सफदरजंग अस्पताल और डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल में यह संख्या क्रमशः 15000-16000 और 9000-10000 है।

(ग) और (घ) सरकार आम लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के चार्टर के आधार पर एक माडल सिटिजन्स चार्टर तैयार किया गया है और उसे सभी राज्यों/क्षेत्रों के स्वास्थ्य सचिवों को भेजकर उनसे यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने

प्रशासनिक नियंत्रण वाले अस्पतालों के लिए सिटीजन चार्टर तैयार करें। चार्टर में एक ऐसी रुपरेखा तैयार की गई है जो हमारे नागरिकों को निम्नलिखित के बारे में जानकारी देती है-

(क) अस्पताल में क्या सेवाएं उपलब्ध हैं (ख) सेवाएं प्रदान न करने अथवा निम्न स्तर की सेवाएं प्रदान करने संबंधी शिकायतें किस प्रकार दूर की जाएंगी और (ग) सेवाओं की गुणवत्ता जिसके वे पात्र हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में बाह्य रोगी विभाग के कार्यकरण में सुधार लाने तथा स्क्रीनिंग बाह्य रोगी विभाग/क्लिनिक आरंभ करके बाह्य रोगी विभाग में भीड़भाड़ कम करने का भी प्रस्ताव है। सफदरजंग अस्पताल के लिए व्यय वित्त समिति ने नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 16.44 करोड़ की अनुमानित लागत से बाह्य रोगी विभाग चरण-।।। का निर्माण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्ताव में बाह्य रोगी विभाग चरण-।।। (बाएं और दाहिने विंग) के निर्माण का प्रस्ताव है जिससे बाह्य रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए एक ही छत के नीचे अधिकांश बाह्य रोगी विभागों को लाया जा सके।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के रिक्त पद

342. श्री राजनारायण पासी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न विभागों और उपक्रमों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न वर्गों के लिए पद भी रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त विभागों और उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को दी गई पदोन्नति के अलावा विभिन्न वर्गों में नए कर्मचारी भी नियुक्त किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो नई नियुक्तियों और पदोन्नतियों का वर्ग-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति नियमानुसार की गई थी; और

(च) यदि नहीं, तो विभिन्न वर्गों के रिक्त पदों को भरने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को नियमानुसार पदोन्नति देने हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली

343. डॉ॰ रवि मल्लू : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में पिछले कुछ महीनों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली असफल हो चुकी है और आम आदमी को इस प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली वस्तुएं नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राजधानी में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सही ढंग से लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू है। विशिष्ट लाइसेंस-धारकों/प्राधिकृत व्यक्तियों के विरुद्ध समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है। कार्ड-धारकों को देय खाद्यान्नों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यकों को मियादी ऋण स्वीकृत करने पर प्रतिबन्ध

344. श्री रिज़वान जहीर खां : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के द्वारा अल्पसंख्यकों को स्वीकृत होने वाले मियादी ऋण पर पाबंदी लगा दी गई है या लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उत्तर प्रदेश में ''माइनॉरीटीज फाइनेंसियल एसिस्टेन्स कार्पोरेशन'' को केन्द्र सरकार द्वारा बजट आबंटन जारी नहीं किए जाने का क्या कारण है;

(घ) क्या मार्च, 1998 में जिन लोगों के ऋण स्वीकृत किए गए थे उन्हें उसका अब तक भुगतान कर दिया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) जिन लोगों के ऋण मार्च, 1998 तक स्वीकृत किए जा चुके हैं उन्हें वे ऋण सरकार द्वारा कब तक जारी कर दिए जाएंगे; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1994-95 की अवधि के दौरान, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन॰ एम॰ डी॰ एफ॰ सी॰) द्वारा आवधिक ऋण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम (यू॰ पी॰ एम॰ एफ॰ डी॰ सी॰) को लगभग 44 करोड़ रुपए की धनराशि ऋण के रूप में वितरित की गई है। जिसमें एन एम डी एफ सी ने परियोजना लागत का 85% वहन किया है। तथापि, निधियों की खराब उपयोगिता और बकाया के समय पर भुगतान न करने के कारण सितम्बर, 1997 से उत्तर प्रदेश में निधियों के आगे वितरण को अस्थाई रूप से रोक देना पड़ा था।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) एन॰ एम॰ डी॰ एफ॰ सी॰ द्वारा उत्तर प्रदेश एम॰ एफ॰ डी॰ सी॰ को निर्मुक्त राशि का पूर्णतः उपयोग नहीं किया गया है क्योंकि एन॰ एम॰ डी॰ एफ॰ सी॰ को बकाया का भुगतान नहीं किया गया है।

(च) सरकार द्वारा ऐसा कोई समय निश्चित नहीं किया गया है।

(छ) जैसा कि उपरोक्त (ग) में बताया गया है।

[अनुवाद]

राज्यों में मैला ढोने वाले

345. श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया :

श्री मोइनुल हसन :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मैला ढोने वालों को इस काम से मुक्ति दिलाने और उनका पुनर्वास करने के लिए बनी राष्ट्रीय योजना (एन॰ एस॰ एल॰ आर॰ एस॰) का क्रियान्वयन बहुत ही धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार इसके क्या कारण हैं;

(ग) राज्यों में पता लगाए गए मैला ढोने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी है और अभी कितने मैला ढोने वालों का पुनर्वास किया जाना बाकी है; और

(घ) पता लगाए गए मैला ढोने वालों का पुनर्वास एक समय-सीमा के भीतर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्यों में पहचान किए गए सफाई कर्मचारियों की कुल संख्या 5,77,228 है तथा इस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 266723 सफाई कर्मचारियों को अभी पुनर्वासित किया जाना है।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना इस निगम के ऋण देने के दिशा निर्देशों के अनुसार परियोजना को शुरू करने के लिए सफाई कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु की है। मार्च, 1992 से सफाई कर्मचारियों की मुक्ति और पुनर्वास की एक राष्ट्रीय योजना प्रचालन में है। सरकार ने एक सांविधिक राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन किया है। शहरी कार्य तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा सफाई कर्मचारियों की मुक्ति के लिए वर्तमान शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों में परिवर्तिन द्वारा तथा जहां शौचालय विद्यमान नहीं है वहां नए जलवाहित शौचालयों के निर्माण द्वारा एक कम लागत की सफाई योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बिहार में चीनी मिलें

346. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इस समय बिहार में चीनी निगम के अंतर्गत कितनी मिलें बंद पड़ी हैं;

(ख) उनके बन्द पड़े होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसी बन्द पड़ी मिलों के संबंध में "सुगर टेक्नोलोजी मिशन" से रिपोर्ट प्राप्त की है;

(घ) यदि हां, तो क्या बंद पड़ी मिलों को पुनः चालू करने के लिए सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन मिलों को कब तक पुनः चालू किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं ?

खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) बिहार राज्य चीनी निगम लिमिटेड के अंतर्गत वर्तमान में 15 चीनी मिलें बंद पड़ी हैं।

(ख) मिलों के बंद रहने के विभिन्न कारण हैं जैसे-गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, मिलों के अलाभकर आकार, संयंत्र तथा मशीनों की बुरी स्थिति तथा पुराना होना, तकनीकी तथा प्रबंध अक्षमता, अत्यधिक गन्ना कीमत, बिक्री वसूली का आनुपातिक न होना तथा अन्य विभिन्न कारण।

(ग) से (च) शर्करा तकनीकी मिशन (एस० टी० एम०) ने बिहार राज्य चीनी निगम के मोतीपुर इकाई की पुनर्स्थापना तथा अधिकतम लाभ के अनुकूल बनाने के लिए एवं गौरोल को पुनः आरंभ करने के लिए परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली है। चूंकि, ये इकाईयां बिहार राज्य में चीनी निगम लिमिटेड, बिहार के उपक्रम हैं इसलिए इन इकाइयों के पुनः प्रारंभ करने के संबंध में आवश्यक कार्रवाई राज्य सरकार निगम द्वारा की जानी अपेक्षित है।

[अनुवाद]

भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले/ किराए पर लिए गए गोदाम

347. **श्री सुब्रत मुखर्जी :**

श्री भर्तृहरि मेहताब :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में क्षमतावार तथा राज्यवार अलग-अलग भारतीय खाद्य निगम के स्वामित्व वाले/किराए पर लिए गए कितने गोदाम हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन की दर तथा देश में जनसख्या की दर की तुलना में किस दर से खाद्यान्न को संरक्षित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम तथा अन्य एजेन्सियों के गोदामों की क्षमता में वृद्धि की दर क्या रही है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) 30.9.98 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के अपने और इसके द्वारा किराये पर लिए गए गोदामों की राज्यवार और क्षमतावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) गोदामों का निर्माण एक सतत गतिविधि है। निर्माण कार्यक्रम राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं ओर निधि की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए भारतीय खाद्य निगम और विभिन्न राज्यों की अन्य एजेन्सियों द्वारा तैयार किया जाता है। पिछले तीन वर्षों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा भंडारण क्षमता में की गई वृद्धि निम्नानुसार हैः

क्र० सं०	वर्ष	भंडारण क्षमता में वृद्धि (लाख टन में)
1.	1995-96	1.18
2.	199-97	0.09
3.	1997 98	0.11

विवरण

30.9.98 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध गोदामों (अपने ओर किराये के) की क्षमता सहित (अपनी और किराये की) राज्य-वार संख्या

(लाख टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गोदामों की संख्या		ढकी हुई क्षमता	
		अपनी	किराये की	अपनी	किराये की
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	4	-	0.17	
2.	आंध्र प्रदेश	35	77	11.82	4.47
3.	असम	18	23	1.87	0.88
4.	बिहार	19	34	4.33	1.39
5.	गोवा	1		0.15	-
6.	गुजरात	14	15	4.91	2.45
7.	हरियाणा	37	47	7.71	3.63
8.	हिमाचल प्रदेश	4	13	0.11	0.16
9.	जम्मू और कश्मीर	11	3	0.77	0.24
10.	कर्नाटक	15	41	2.76	1.87

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	20	4	5.24	0.12
12.	मध्य प्रदेश	41	105	8.31	5.44
13.	महाराष्ट्र	17	22	11.77	2.93
14.	मणिपुर	2	1	0.12	0.01
15.	मेघालय	2	3	0.10	0.07
16.	मिजोरम	4	2	0.18	0.05
17.	नागालैंड	4	2	0.08	0.13
18.	उड़ीसा	22	25	2.54	2.03
19.	पंजाब	108	198	21.04	25.21
20.	राजस्थान	35	40	7.07	2.51
21.	सिक्किम	1	3	0.07	0.09
22.	तमिलनाडु	16	13	5.87	2.44
23.	त्रिपुरा	2	5	0.18	0.17
24.	उत्तर प्रदेश	54	179	15.02	12.27
25.	पश्चिम बंगाल	26	26	8.62	2.95
26.	चण्डीगढ़	4	4	0.40	0.21
27.	दिल्ली	7	1	3.22	0.05
28	पांडिचेरी	3	1	0.41	0.12
	जोड़	526	887	124.84	71.89

प्रतिभूति जमाखातों से अर्जित आय

348. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य-वार रसोई गैस के कितने उपभोक्ता हैं;

(ख) इंडियन आयल और भारत पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के प्रतिभूति जमाखातों से कितनी आय अर्जित की गई है;

(ग) प्रतिभूति के रूप में जमा राशि से ब्याज के रूप में होने वाली आय क्या है; और

(घ) कंपनियों द्वारा इस धनराशि को किस तरह उपयोग में लाया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1.10.1998 की स्थिति के अनुसार देश में एल पी जी कनेक्शनों की संख्या लगभग 340 लाख थी। ग्राहकों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) 1.10.98 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिभूति जमा के तौर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के पास जमा कराई गई धनराशि 3472.43 करोड़ रुपए थी।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

ग्राहकों का राज्यार ब्यौरा

राज्य	(आंकड़े लाख में)
1	2
आन्ध्र प्रदेश	27.07
अरुणाचल प्रदेश	0.47
असम	4.90
बिहार	9.88
दिल्ली	20.43
गोवा	2.03
गुजरात	25.37
हरियाणा	10.45
हिमाचल प्रदेश	5.81
जम्मू और कश्मीर	5.03
कर्नाटक	17.89
केरल	13.07
मध्य प्रदेश	17.02
महाराष्ट्र	54.52
मणिपुर	0.86
मेघालय	0.47
मिजोरम	0.76
नागालैंड	0.42
उड़ीसा	4.39
पंजाब	14.04
राजस्थान	13.44
सिक्किम	0.29
तमिलनाडु	26.84
त्रिपुरा	0.59
उत्तर प्रदेश	43.28
पश्चिम बंगाल	18.16
संघ राज्य क्षेत्र	
अंडमान और निकोबार	0.11
चंडीगढ़	1.64
दादरा और नागर हवेली	0.06
दमन और दीव	0.12
लक्षद्वीप	0.01
पांडिचेरी	0.63
अखिल भारत	340.09

राजस्थान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार

349. कर्नल सोनाराम चौधरी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिमी राजस्थान में अल्पसंख्यकों तथा समाज के कमजोर वर्गों, विशेषरूप से महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर उच्च जाति के लोगों द्वारा अत्याचार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सरकार को पश्चिमी राजस्थान समेत देश के विभिन्न भागों में अल्पसंख्यकों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों पर किए गए अत्याचार की कुछ घटनाओं की जानकारी है। यद्यपि, "पुलिस और लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं तथा इन अपराधों की रोकथाम के लिए ऐसे निवारात्मक और दण्डात्मक उपाय करना सरकार के लिए अनिवार्य है, फिर भी, केन्द्र सरकार ऐसे विषयों पर अपनी ओर से न केवल सलाह उपलब्ध करवा रही है, बल्कि कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन और पुलिस ढांचे को बेहतर बनाने में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों में भी उनको मदद उपलब्ध करवा रही है।

पेट्रोल पंपों/रसोई गैस एजेन्सियों को पुनः चालू करना

350. श्री अजय चक्रवर्ती : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की नई नीति ने कमीशन प्रक्रिया के अंतर्गत 1970 के बाद के खुदरा विक्री केन्द्रों को पुनः चालू करने, निलंम्बन और निरस्तीकरण करने के निर्णय का अधिकार तेल निगम को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली के उन पेट्रोल पंपों, मिट्टी के तेल तथा रसोई गैस एजेन्सियों का ब्यौरा क्या है जो 1991 से निलंबित/बंद कर दी गई थीं तथा बाद में पुनः चालू की गई;

(ग) 1965 की बजाय 1970 को आधार वर्ष चुनने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या तेल निगम इन डीलरों द्वारा कदाचार की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए निगरानी कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष गंगवार) : (क) और (ग) मामला सरकार के परीक्षण एवं विचाराधीन है।

(ख) पंजाब में दो एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तथा एक खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिप और दिल्ली में एक एलपी जी डीलरशिप जो 1991 से निलंबित/समाप्त कर दी गई थी, पुनः आरंभ कर दी गई हैं।

(घ) से (ङ) खुदरा बिक्री केन्द्रों एवं एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों पर कदाचारों का पता लगाने /इन्हें रोकने के लिए मानकों के अनुसार तेल कंपनी के अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं। विगत में कदाचारी में संलिप्त डिस्ट्रीब्यूटरों पर विशेष निगरानी रखी जाती है।

मुम्बई के अपराधों में अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का शामिल होना

351. **श्री टी॰ आर॰ बालू :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या मुम्बई में होने वाले अपराधों में अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार मुम्बई में अपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए राज्य सरकार की सहायता हेतु केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सी तैनात करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) मुम्बई समेत देश के विभिन्न भागों में संगठित गिरोहों के मौजूद होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों के साथ उनके संबंध होने की सरकार को जानकारी है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान करती है तथा उनकी पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है।

[हिन्दी]

नशे की लत

352. **श्री रामपाल उपाध्याय :**

श्री मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में नशे की लत वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और देश में नशामुक्ति केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) और (ख) विभिन्न अध्ययनों तथा रिपोर्टों से यह पता चलता है कि समाज के कुछ संवेदनशील भागों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की घटनाओं में वृद्धि हो रही है। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बेसहारा बच्चे, परिवहन कामगार गन्दी बस्ती के निवासी वाणिज्यिक यौनकामगार, सीमावर्ती क्षेत्रों के लोग तथा देश के अफीम की उपज करने वाले क्षेत्रों के लोग आदि शामिल हैं। संगी साथियों का दबाव, उत्सुकता, औद्योगीकरण/शहरीकरण, वर्तमान परिवार पद्धति की कमजोरी कुछ ऐसे स्पष्ठ कारण हैं।

(ग) नशीली दवा दुरुपयोग को एक मनो-सामाजिक-चिकित्सीय समस्या मानते हुए यह मंत्रालय मध्य-निषेध ओर नशीली दवा दुरुपयोग निवारण की एक योजना कार्यान्वित कर रहा है जो नशीली दवाओं के दुष्प्रभाव, नशेड़ियों के उपचार तथा पुनर्वास के बारे में चेतना निर्माण के लिए समुदाय आधारित पुनर्वास दृष्टिकोण है। इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों को नशामुक्ति-सह-पुनर्वास केन्द्रों की परामर्श और जागरूकता केन्द्र निवारक शिक्षा केन्द्रों, की स्थापना/अनुरक्षण, कार्य स्थल निवारक कार्यक्रम तथा शिविरों के आयोजन के लिए अनुमोदित व्यय का 90% तक की सीमा तक सहायता अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत राज्यवार नशामुक्ति केन्द्रों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

स्वयंसेवी संगठनों को सहायता देने के अतिरिक्त यह मंत्रालय फिल्म, इस्तहार होर्डिंग, कियोस्क सहित मुद्रण, तथा इलेक्ट्रानिक तैयार माध्यमों से गहन जागरूकता कार्यक्रम का कार्यान्वयन करता रहा है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान-नशीली दवा दुरुपयोग निवारण और निषेध की योजना के अंतर्गत नशामुक्ति-सह-पुनर्वास केन्द्रों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	नशामुक्ति-सह-पुनर्वास केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	असम	1
3.	बिहार	9
4.	गोवा	1
5.	गुजरात	5
6.	हरियाणा	12
7.	जम्मू और कश्मीर	2
8.	कर्नाटक	5
9.	केरल	14
10.	मध्य प्रदेश	5
11.	महाराष्ट्र	8
12.	मणिपुर	11
13.	मिजोरम	5
14.	मेघालय	2
15.	नागालैंड	3
16.	उड़ीसा	7
17.	पंजाब	6
18.	राजस्थान	6
19.	तमिलनाडु	8
20.	सिक्किम	-
21.	त्रिपुरा	-
22.	उत्तर प्रदेश	12
23.	पश्चिमी बंगाल	8
1	2	3
	संघ राज्य क्षेत्र	
1.	चंडीगढ़	1
2.	दिल्ली	9
3.	पांडिचेरी	1
	कुल	146

द्विभाषी कंप्यूटर की खरीद

353. **श्री राम टहल चौधरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी कार्यालयों में द्विभाषा कम्पयूटर का खरीदना अनिवार्य है; और

(ख) यदि हां, तो द्विभाषी कम्पयूटर उपलब्ध रहने के बावजूद सभी कार्य अंग्रेजी में करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) सरकारी कार्यालयों द्वारा खरीदे जा रहे कंम्पयूटरों में द्विभाषी कार्य क्षमता का होना अनिवार्य है।

(ख) द्विभाषी साफ्टवेयर विशेषकर शब्द संसाधक, उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हैं तथा कार्यालयों कार्य में कंप्यूटरों पर राजभाषा का प्रगामी प्रयोग बढ़ रहा है।

जाली पासपोर्ट

354. **श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :**

श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाली पासपोर्ट जारी करने के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस कांड में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) विदेश मंत्रालय ने सूचित किया है कि जाली-पासपोर्ट जारी करने के मामले उनकी जानकारी में नहीं आए हैं। तथापि, वर्ष 1997 के दौरान पासपोर्टों में जालसाजी करने के 1903 मामलों का भारतीय आप्रवास

अधिकारियों द्वारा पता लगाया था। इन मामलों में संलिप्त व्यक्तियों को आगे कार्रवाई हेतु स्थानीय पुलिस के हवाले कर दिया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार, "पुलिस" राज्य का विषय होने के कारण अपराध का पंजीकरण करना और जांच पड़ताल करना, पता लगाना तथा इसकी रोकथाम करना, मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारियां हैं।

[अनुवाद]

अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचार

355. डॉ॰ सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी॰ बी॰ आई॰ ने कोडियांकुलम पुलिस द्वारा अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचारों के संबंध में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चीनी का खुली बिक्री के लिए कोटा

356. श्री पी. शंकरन : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी की खुली बिक्री के लिए कोटा बढ़ा दिया है तथा चीनी पर आयात-शुल्क भी बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आगामी त्यौहारों के मौसम के दौरान विशेष रूप से खुले बाजार में चीनी का मूल्य बढ़ाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो खुले बाजार में बढ़ते हुए चीनी के मूल्य में कमी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव): (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान अप्रैल से दिसम्बर तक जारी चीनी का माह-वार खुली बिक्री कोटा निम्नानुसार है

(लाख टन में)

माह	1997-98	1998-99
1	2	3
अप्रैल	7.10	7.50
मई	8.00	7.75
जून	8.00	7.75
जुलाई	7.50	7.79
अगस्त	7.50	7.50
सितम्बर	7.50	9.00
अक्तूबर	9.20	8.42
नवम्बर	8.20	7.50
दिसम्बर	7.32	7.50
कुल	70.32	70.71

उपरोक्त आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 1998-99 के दौरान खुली बिक्री चीनी कोटे में पिछले वर्ष की तुलना में बढोत्तरी हुई है। कोटे में वृद्धि, जनसंख्या/मांग में वृद्धि होने के कारण आवश्यक हो गई है। केन्द्र सरकार ने दिनांक 28 अप्रैल, 1998 से आयतित चीनी पर 5 प्रतिशत साधारण सीमा शुल्क तथा 850/- रुपये प्रति मी. टन प्रतिशुल्क लगा दिया है।

(ग) और (घ) वर्तमान वर्ष 1998-99 (नवम्बर, 1998 तक) तथा पिछले वर्ष 1997-98 में एस-30 श्रेणी की चीनी का खुदरा मूल्य 4 मुख्य बाजारों, नामतः दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता तथा चेन्नई में 15-17 रुपये प्रति किलोग्राम के बीच था। अतः मूल्य स्थायी रहा है।

[हिन्दी]

मध्यम वर्ग के लिए सरकारी अस्पताल तथा औषधालय

357. श्री जोगेन्द्र कवाडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली, मुम्बई तथा अन्य महानगरों में जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए इन नगरों में गरीब तथा मध्यम वर्ग के लोगों के लिए योजनाबद्ध ढंग से स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी अस्पताल तथा औषधालय स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन शहरों में रहने वाले गरीबों और मध्यमवर्गीय परिवारों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की खस्ता हालत से निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) "स्वास्थ्य" संविधान के अंतर्गत राज्य का विषय है इसलिए राज्य सरकारें अपनी प्राथमिकताओं तथा

संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अपने राज्य में अस्पताल तथा औषधालय खोलने के लिए अपने कार्यक्रम तैयार करती हैं। राज्यों में अस्पताल तथा औषधालय खोलने संबंधी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की कोई योजना नहीं है। तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अपने नियंत्रण में दिल्ली में निम्नलिखित अस्पताल हैं:-

1. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
2. सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली
3. डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली
4. लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पताल, नई दिल्ली

केन्द्र सरकार के अस्पतालों में निर्धन और दीनहीन रोगियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। भारत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ऐसे रोगियों, जो किसी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जिससे जान को भारी खतरा है, को उच्च विशेषज्ञता वाले अस्पताल/संस्थान अथवा किसी सरकारी/प्राइवेट अस्पताल में चिकित्सा उपचार प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय रोग सहायता प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय रोग सहायता निधि की स्थापना की गई है। सभी राज्यों/संघ राज्यों को सलाह दी गई है कि वे अपने-अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रोग सहायता निधि की स्थापना करें।

[अनुवाद]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए स्कूल और छात्रावास

358. **श्री भर्तृहरि मेहताब** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों को आवासीय स्कूलों और छात्रावासों में दिए जा रहे प्रवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान इस मद पर राज्य सरकारों द्वारा कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या इन छात्रावासों का रखरखाव सरकार द्वारा किया जाता है;

(घ) क्या लेखा परीक्षा की जांच सरकारी एजेंसी द्वारा की जा रही है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना सभी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

टेम्पर प्रूफ सील सिलेंडर

359. **कुमारी किम गंगटे** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मणिपुर में रसोई गैस सिलेंडरों की सील तोड़े जाने के मामले सर्वत्र व्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) 1997-98 और अप्रैल-अक्तूबर, 1998 के दौरान मणिपुर में एल पी जी सिलेण्डरों की सील के साथ छेड़-छाड़ करने के संबंध में वितरकों द्वारा कदाचार/अनियमितताओं के कोई प्रमाणित मामले इंडियन आयल कार्पोरेशन के समक्ष नहीं आए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उच्चाधिकार प्राप्त समितियां

360. **श्री विजय कुमार "विजय"** : क्या **श्रम** मंत्री उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के बारे में 12.6.1998 के तारांकित प्रश्न संख्या 84 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए श्रम कानूनों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए कोई उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार श्रम कानूनों के कार्यकरण का अध्ययन करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय को गठित करने पर विचार कर रही है। इससे संबंधी ब्यौरे भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से तैयार किये जा रहे हैं।

निर्माण कार्य करने संबंधी परमिट जारी करना

361. **डॉ. जयन्त रंगपी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 सितम्बर, 1998 के असम ट्रिब्यून में "वर्क परमिट्ल फार इल्लिगल माइग्रेन्ट्स डिपोर्टेशन इश्यू ए क्लोज्ड चैप्टर आडवाणी" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) 14 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति का, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत, रूप से पंजीकरण किया जाना है। ऐसे व्यक्तियों के नाम उनके पिता/माता के कार्ड में शामिल किये जाने हैं। गैर-नागरिकों को पृथक रंगीन कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है। बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्रों की मदद से अवैध आप्रवासन और घुसपैठ रोकने के लिए व्यक्तियों की पहचान करना और आपराधियों एवं तोड़-फोड़ करने वालों का पता लगाना आसान हो जायेगा। इन कार्डों का प्रयोग पासपोर्ट, ड्राइविंग लाईसेंस, राशनकार्ड, स्वास्थ्य की देखभाल, शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश, सार्वजनिक/निजी क्षेत्रों में रोजगार, जीवन एवं सामान्य बीमा और भू-अभिलेखों के अनुरक्षण एवं शहरी सम्पत्ति धृति के प्रयोजनार्थ भी किया जायेगा।

आन्ध्र प्रदेश में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अध्ययन के लिए विश्व बैंक

362. डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने आन्ध्र प्रदेश के गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अध्ययन के लिए एक दल भेजने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस संबंध में विश्व बैंक को प्रभावित करने के लिए संतोषप्रद ढंग से कार्य किया है; और

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा इस कार्य के लिए दिए गए ऋण का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली और अन्य महानगरों में प्रदूषण के कारण दमा

363. श्री मोतीलाल वोरा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली तथा अन्य महानगरों की 95 प्रतिशत जनसंख्या प्रदूषण के कारण दमा जैसे श्वांस संबंधी रोगों से ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन व शिविरों के मध्यम से जनता को प्रदूषण उपायों के बारे में शिक्षा देना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री : (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वायु प्रदूषण स्वयं में अस्थमा का कारण हो सकता है। तथापि, पराग, घर की धूल और कुछ खाद्य पदार्थों जैसे एलर्जनों से अस्थमा के दौरे पड़ सकते हैं। बल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टिट्यूट द्वारा दिल्ली के चुने हुए स्कूलों में यादृच्छिक रूप से किए गए नमूना सर्वेक्षण में अन्य बातों के साथ-साथ यह पाया गया कि अस्थमा की व्याप्तता दर 12 प्रतिशत है।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा प्रदूषण में कमी लाने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. सरकार ने प्रदूषण को दूर करने के लिए एक व्यापक नीति विवरण तैयार किया है जिसमें विकास नियोजन के पर्यावरणिक और आर्थिक पहलुओं एकीकरण करने, प्रदूषण दूर करने के निवारक पहलुओं पर बल देने और औद्योगिक प्रदूषण कम करने के लिए प्रोद्योगिकी निवेशों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है।

2. उद्योगों की स्थापना और प्रचालन के लिए पर्यावरणिक दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

3. प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर लगाने तथा घने बसे क्षेत्रों से उद्योगों को स्थानान्तरित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण/मानीटरिंग के लिए उद्योगों को सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट दी जाती है।

4. लघु औद्योगिक इकाइयों की सामूहिक रुप से कामन एफलेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है।

5. लघु और मझोले उद्योगों में प्रदूषण की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने लघु उद्योगों के क्षेत्र में 15 वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्किल स्थापित किए हैं।

6. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत उद्योगों की 79 श्रेणियों के लिए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं। इसके अतिरिक्त आस-पास की वायु और जल गुणवत्ता मानकों को भी अधिसूचित किया गया है।

7. खतरनाक उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत आने

वाले बड़े गैर मझोले स्तर की इकाइयों में निर्धारित मानकों का कार्यान्वयन देखने के लिए उनकी निरंतर मानीटरिंग की जा रही है।

8. चार महानगरों दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में जून 1974 से लो लीड पेट्रोल आरंभ किया गया था। बाद में 1.4.1995 से उक्त 4 शहरों में अनलीडेड पेट्रोल आरंभ किया है।

9. सरकार अनलीडेड पेट्रोल और वाहनों में केटेलेटिक कनवर्डर लगाने के लिए तथा कलीनर डीजल वाहनों के लिए चलवार ढंग से कम सल्फर डीजल प्रारंभ करने हेतु एक बड़ी कार्य योजना कार्यान्वित कर रही है। पेट्रोल और डीजल के लिए ईंधन गुणवत्ता मानक अधिसूचित किए गए हैं।

10. स्वास्थ्य शिक्षा

[अनुवाद]

सुपर बाजार में बिक्री/लाभ

364. डॉ॰ विजय सोनकर शास्त्री : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुपर बाजार में विगत वर्षों से बिक्री और लाभ धीरे-धीरे लेकिन अनवरत रुप से कम हो रहा है जबकि उसके बंधे खर्चों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बिक्री और वस्तु-सूची एक दूसरे की अनुपात में नहीं है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा वस्तु-सूची में वृद्धि करने के लिए उत्तरदायी पाए गये अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) मार्च, 1997 से अक्तूबर, 1998 के बीच बिक्री/लाभ और वस्तु सूचियों का माहवार ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय भंडार के मुकाबले बिक्री और लाभ की तुलनात्मक स्थिति क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान के लेखा-विवरणों के अनुसार सुपर बाजार की बिक्री और उस हुए लाभ का ब्यौरा निम्नवत है:-

(लाख रू॰ में)

वर्ष		बिक्री	सकल लाभ	निवल लाभ/हानि
1995-96	(ले॰ प॰)	13654.73	1157.94	(+) 27.61
1996-97	(ले॰ प॰)	13847.85	1157.58	(-) 67.65
1997-98	(अ)	12846.75	1050.63	( ) 303.82

(ले॰ प॰) - लेखा परीक्षित (अ॰) - अनन्तिम

केन्द्रीय भंडार से प्राप्त सूचना के अनुसार उनके लाभ का ब्यौरा निम्नवत है:-

(लाख रू. में)

वर्ष	सकल लाभ	निवल लाभ
1996-97	714.81	305.12
1997-98	925.99	407.41

सुपर बाजार ने अपनी बिक्री में वृद्धि करने और अपने ऊपरी खर्चों में कमी लाने के लिए अनेक उपाय किए हैं। इस दिशा में किए गए कुछ उपायों में जहां कहीं अपेक्षित हो, वहां लाभ-मार्जिन का कम करना, ऋण बिक्री में फंसी हुई राशि की वसूली करना और अन्य प्रशासनिक उपाय शामिल हैं।

(ग) और (घ) मार्च, 97 व अक्तूबर, 98 तक सुपर बाजार की माहवार बिक्री और माल-सूची विवरण तथा केन्द्रीय भण्डार की माहवार बिक्री का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। केन्द्रीय भंडार की माहवार माल सूची विवरण उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

(रु॰ लाख में)

महीना	1997-98				1998 99	
	बिक्री		माल सूची		बिक्री	माल सूची
	केन्द्रीय भंडार	सुपर बाजार	सुपर बाजार	केन्द्रीय भंडार	सुपर बाजार	सुपर बाजार
1	2	3	4	5	6	7
मार्च	3825.44	1922.99	812.30	3570.01	1391.42	726.40
अप्रैल	749.20	944.29	968.32	746.05	888.14	880.40
मई	988.43	1062.31	1055.39	927.56	978.25	981.18

1	2	3	4	5	6	7
जून	1035.27	903.53	1071.07	1096.20	901.00	1036.89
जुलाई	1100.61	1003.67	1037.44	1448.56	899.30	1006.34
अगस्त	1145.59	1071.18	1002.26	1262.83	1033.40	953.00
सितम्बर	1142.43	669.42	844.56	1343.96	1075.11	928.97
अक्तूबर	988.04	949.93	1076.43	1111.81	999.17	961.84
नवम्बर	1186.75	988.48	1086.61			
दिसम्बर	1254.44	1013.30	917.13			
जनवरी	1336.60	1085.04	914.42			
फरवरी	1221.24	1086.29	923.32			

अंतर-राज्यीय परिषद

365. **श्री मदन पाटील** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार अन्तर-राज्यीय परिषद को पुनर्गठन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) अन्तर-राज्यीय परिषद का हाल ही में पुनर्गठन किया गया है। अन्तर-राज्यीय परिषद आदेश, 1990 की धारा 2(घ) की शर्तों के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित मंत्रियों को अंतरराज्यीय परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया हैः-

(i)	श्री एल॰ के॰ आडवाणी	गृह मंत्री
(ii)	श्री एस॰ एस॰ बरनाला	रसायन और उर्वरक मंत्री
(iii)	श्री जार्ज फर्नांडीस	रक्षा मंत्री
(iv)	श्री राम कृष्ण हेगड़े	वाणिज्य मंत्री
(v)	श्री यशवन्त सिन्हा	वित्त मंत्री
(vi)	श्री एम. थम्बी दुराई	विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री

प्रधान मंत्री ने यह भी अनुमोदन किया है कि केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित मंत्री स्थायी रूप से इस परिषद में आमंत्रित किए जाएंगेः-

(i)	डा॰ मुरली मनोहर जोशी	मानव संसाधन विकास मंत्री
(ii)	श्री नवीन पटनायक	इस्पात व खान मंत्री

गैर-आदिवासियों के कब्जे में भूमि

366. **श्री कृष्ण लाल शर्मा** : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश के आदिवासियों की भूमि पर धीरे-धीरे गैर-आदिवासी कब्जा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां ऐसी गतिविधियां चल रही हैं; और

(घ) इस प्रक्रिया को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (घ) संगत सूचना एकत्र की जा रही है।

आत्महत्याएं

367. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस वर्ष राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार आत्महत्या के कितने मामले सामने आए;

(ख) इन आत्महत्याओं के क्या कारण हैं;

(ग) चालू वर्ष के दौरान राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रावार हत्या की कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(घ) हत्या के कितने मामलों को सुलझा लिया गया है तथा कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद

368. श्री सुरेश वरपुडकर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद वर्ष 1996 और 1997 के बिजली के बकाया बिलों को भारी दरों अर्थात् 3% ब्याज की दर के साथ उपभोक्ताओं के पास भेज रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बकाया बिलों की वसूली आसान किश्तों में करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा उपभोक्ताओं को बिजली के बिल अनुमोदित दरों के अनुसार भेजे जाते हैं। तथापि, जब समय पर भुगतान नहीं किया जाता है तो, आगामी बिलों में अनुमोदित दर के अनुसार, 3% प्रतिमाह की दर से अधिभार लगाया जाता है।

(ग) से (ङ) उपभोक्ताओं द्वारा प्रभार का भुगतान किश्तों में करने हेतु यदि कोई अनुरोध किया जाता है तो उसकी अनुमति दी जाती है लेकिन अस्थिगित भुगतान की राशि पर 3% प्रतिमाह की दर से अधिभार लगाया जाता है।

केरल में कैंसर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

369. श्री ए॰ सी॰ जोस : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को 1997-98 के दौरान एरनाकुलम में एक कैंसर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए केरल सरकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) उक्त केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी हां। एर्नाकुलम, केरल में ओ॰ ई॰ सी॰ एफ॰ की सहायता से एक कैंसर संस्थान और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए वर्ष 1997 में केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव में कुल 51 करोड़ रुपए की लागत से चिकित्सा उपस्कर इत्यादि खरीदने के अलावा एक बाह्य रोगी विभाग ब्लाक, एक पॉलीक्लिनिक और एक उपचर्या संस्थान का निर्माण शामिल है।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव को नहीं माना गया क्योंकि एर्नाकुलम में रोग का शीघ्र पता लगाने एवं उपचार की पर्याप्त सुविधाएं पहले से ही मौजूद हैं।

औद्योगिक विवाद अधिनियम

370. श्री एस॰ एस॰ ओवेसी :

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कारखानों को पूर्व अनुमति के लिए बिना बन्द करने की अनुमति देने हेतु औद्योगिक विवाद अधिनियम में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो पूर्व प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) उद्योगों को बन्द करने के लिए निर्धारित मानवण्ड क्या है;

(घ) क्या उक्त अधिनियम को संशोधित करते समय कर्मकारों के हितों को ध्यान में रखा गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम में विभिन्न संशोधनों को सामाजिक भागीदारी तथा आर्थिक सुधारों से सामजंस्य की अपेक्षाओं के आधार पर प्रस्तावित किया जाता है। सभी संबंधित कारकों पर विचार करने के बाद औद्योगिक विवाद अधिनियम में किसी संशोधन को करने के लिए एक सतर्क नीति अपनाई जाती है।

इस समय, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25(ण) के अंतर्गत, कोई नियोक्ता यदि किसी ऐसे औद्योगिक प्रतिष्ठान को बन्द करने का इच्छुक है जिसमें पूर्ववर्त्ती 12 माह के दौरान किसी कार्यदिवस को औसतन कम से कम 100 कर्मकार नियोजित थे, तो वह उस तिथि से कम से कम 90 दिन पहले, प्रतिष्ठान का अभीप्सित बन्द होना प्रभावी किया जाना है, इसके लिए पूर्व अनुमति के लिए विहित रीति से समुचित सरकार को आवेदन करेगा और उसमें उस उपक्रम की अभिप्सित बन्द से संबंधित कारणों को स्पष्टतः बताएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति विहित रीति से कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भी साथ ही साथ उपलब्ध कराई जाएगी।

केरल में अस्पताल परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

371. श्री टी॰ गोविन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार केरल में अस्पताल परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋण/वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) आबंटन की शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार से राज्य में मेडिकल कालेजों और अस्पतालों के विस्तार और विकास के लिए वित्तीय सहायता मंजूर करने के लिए कोई संशोधित अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने उस पर क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने केरल में अस्पताल परियोजनाओं के लिए कोई ऋण/वित्तीय सहायता रिलीज नहीं की है। तथापि, आर. सी. सी. त्रिवेन्द्रम तथा मेडिकल कालेज, कोजैको को अनुदान दिया गया है;

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) कुल 51 करोड़ रुपए की लागत से एर्नाकुलम में कैंसर संस्थान तथा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने के लिए केरल सरकार की परियोजना को तीन चरणों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। इससे बाह्य रोगी विभाग ब्लाक, उपकरण आदि की खरीद शामिल थी। इस प्रस्ताव को नहीं माना गया, क्योंकि जिला अस्पताल एर्नाकुलम के कैंसर वार्ड में पर्याप्त सुविधाएं तथा कोवाल्ट थिरेपी यूनिट (50 पलंग सहित) पहले से ही मौजूद थीं।

विदेशी सहायता के साथ केरल में स्वास्थ्य परिचर्या के सेकेन्डरी सिस्टम का दर्जा बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। तथापि, केन्द्र सरकार इस समय कम स्वास्थ्य सुविधाओं वाली तथा पिछड़ेपन के अन्य मापदंडों वाले राज्यों को प्राथमिकता दे रही है।

विवरण

1995-96

आर॰सी॰सी॰ त्रिवेन्द्रम	50.00 लाख रु॰

1996-97

आर॰सी॰सी॰ त्रिवेन्द्रम	50.00 लाख रु॰

1997-98

1.	आर॰सी॰सी॰ त्रिवेन्द्रम	75.00 लाख रु॰
2.	मेडिकल कालेज, कोजीकोडे, केरल	150.00 लाख रु॰

नोट (i) आर. सी. सी. त्रिवेन्द्रम को दिया जाने वाला सहायता अनुदान अनुसंधान कार्यों के लिए उपकरण खरीदने के लिए है।

(ii) मेडिकल कालेज कोजीकोडे को दिया जाने वाला सहायतानुदान अर्बुदविज्ञान खंड के विकास के लिए है।

बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की दर

372. श्री जी॰ एम॰ बनातवाला : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की दर अन्य छात्रों की औसत दर से काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कारणों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा विशेषकर प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों द्वारा बीच में ही पढ़ाई छोड़ देने की दर में कमी लाने हेतु कौन-कौन सी सुविधाएं एवं प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सुविधाओं एवं प्रोत्साहन में पर्याप्त वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद

373. श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू क्षेत्र के राजौरी, पुंछ, उधमपुर और डोडा जिलों के अंदरूनी क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने और आतंकवाद से निपटने के लिए तीन चरणीय एक नई प्रणाली लागू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसने अपने लक्ष्य की किस हद तक प्राप्ति की है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जम्मू व कश्मीर में सीमा पार से प्रायोजित उग्रवाद की समस्या से निपटने

की दृष्टि से राज्य और केन्द्र सरकार ने संयुक्त रूप से एक बहुआयायी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, भीतरी प्रदेश में आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्फल करना एवं सुरक्षा बलों की अतिरिक्त चौकियों की स्थापना करना तथा ग्राम रक्षा समितियों को गठन करना और आसूचना तन्त्र को सक्रिय बनाना शामिल हैं। सम्पूर्ण प्रयासों का समग्र रूप से समन्वय श्रीनगर एवं जम्मू में स्थापित राज्य सरकार के यूनिफिड मुख्यालय के द्वारा किया जाता है।

(ग) जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, वहीं से सहायता प्राप्त और उसी के द्वारा प्रेरित है और इससे निपटने के लिए सतत् एवं सुव्यवस्थित प्रयास आवश्यक है।

बंग्लादेश के साथ लगने वाली सीमा का क्षेत्र

374. **श्री मोइनुल हसन :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बंग्लादेश के साथ लगने वाला कुल कितना सीमा क्षेत्र है; और

(ख) सीमा पर कितने पुलिस के सिपाही/सुरक्षा कार्मिक तैनात हैं तथा सीमा क्षेत्रों में प्रति किलोमीटर कितने सुरक्षा कार्मिक तैनात हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) भारत-बंग्लादेश सीमा लगभग 4096.70 कि॰मी॰ लम्बी है। इस समय सीमा सुरक्षा बल की 37 बटालियने सीमा पर तैनात हैं। सीमा के साथ-साथ सुरक्षा कार्मिकों की औसत तैनाती 3.38 व्यक्ति प्रति किलोमीटर बनती है।

असंगठित क्षेत्रों में कर्मकार

375. **श्री रूपचंद मुर्मू :**

श्री समर चौधरी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में असंगठित तथा लघु उद्योग क्षेत्र एवं विभिन्न कार्यालयों में कर्मकारों/कर्मचारियों की राज्यवार कितनी संख्या है;

(ख) इनमें से कितने लोगों को उनके नियोक्ताओं से औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र मिले हुए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश कर्मचारियों को औपचारिक नियुक्ति पत्र नहीं दिया जाता है तथा वे अनेक अन्यायों के शिकार हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रणाली की निगरानी रखने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) वर्ष 1993-94 में राष्ट्रीय प्रतिदर्शा सर्वेक्षण संगठन द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में कुल नियोजन 335 मिलियन था। 335 मिलियन में से लगभग 27.4 मिलियन संगठित क्षेत्र में थे (सभी सार्वजनिक क्षेत्र प्रतिष्ठान और 10 या अधिक कर्मकार नियोजित करने वाले निजी क्षेत्र के गैर-कृषिय प्रतिष्ठान) और शेष लगभग 308 मिलियन असंगठित क्षेत्र में थे। इन आंकड़ों में लघु उद्योगों के लगभग 14 मिलियन कर्मकार शामिल हैं। 1993-94 के सर्वेक्षण में पाया गया राज्य-वार कार्य प्रतिभागिता दर (नियोजित जनसंख्या का प्रतिशत) संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इस संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) और (घ) कर्मकारों की कामकाजी दशाओं को सुधारने के लिए विद्यमान कानूनों में अनेक प्रावधान हैं।

विवरण

सामान्य प्रधान स्तर के अनुसार राज्यवार कार्य प्रतिभागिता दर (नियोजित जनसंख्या का प्रतिशत)

क्रम सं॰	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	54.1	35.5
2.	अरुणाचल प्रदेश	45.2	32.4
3.	असम	30.8	31.0
4.	बिहार	32.6	26.1
5.	गोवा	36.5	34.0
6.	गुजरात	41.5	32.3
7.	हरियाणा	26.2	31.2
8.	हिमाचल प्रदेश	43.4	32.9
9.	जम्मू और कश्मीर	30.0	29.1
10.	कर्नाटक	45.6	34.1
11.	केरल	32.5	34.2
12.	मध्य प्रदेश	43.5	30.3
13.	महाराष्ट्र	47.1	33.8
14.	मणिपुर	33.5	29.2
15.	मेघालय	55.0	34.3
16.	मिजोरम	41.6	37.0
17.	नागालैंड	27.7	25.7

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	38.2	32.0
19.	पंजाब	30.3	31.8
20.	राजस्थान	41.8	30.7
21.	सिक्किम	37.9	37.6
22.	तमिलनाडु	49.5	38.4
23.	त्रिपुरा	31.8	30.4
24.	उत्तर प्रदेश	32.8	28.6
25.	पश्चिम बंगाल	31.6	33.8
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	35.8	34.9
27.	चंडीगढ़	36.2	41.5
28.	दादरा और नगर हवेली	38.2	39.9
29.	दमण और दीव	39.3	30.6
30.	दिल्ली	39.8	34.4
31.	लक्षद्वीप	27.0	26.2
32.	पांडिचेरी	38.6	31.8
	कुल	39.0	32.7

संदर्भ :- 1993-94 से संबंधित रा. प्र. सर्वे० सं० की रिपोर्ट नं. 409.

अनाथों के लिए कार्ययोजना

376. श्री तारिक अनवर : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न राज्यों में विद्रोह संबंधी हिंसक घटनाओं में अनाथ हुए बच्चों के लिए कोई व्यवहारिक कार्य योजना तैयार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का इस परियोजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी।

पुलिस पदक

377. श्री रामेश्वर पाटीदार : क्या **गृह** मंत्री पुलिस पदक के बारे में 28 जुलाई, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6020 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न की अपेक्षित सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जाएगी और सभा पटल पर रख दी जाएगी ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) पुलिस कर्मिकों को पदक, संविधियों और उनके तहत बनाए गए नियमों/विनियमों के अनुसार इस बात का ध्यान रखे बिना प्रदान किए जाते हैं कि पुलिस कार्मिक किस सेवा से संबंधित है। उपलब्ध सूचना के अनुसार आजादी से अब तक लगभग 23931 पुलिस कर्मिकों (2691 आई पी एस एवं 21240 गैर आई पी एस सहित) को पदक प्रदान किये गये हैं।

एलपीजी रिकवरी प्लांट

378. डॉ. बल्लभभाई कथीरिया : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में गांधी नगर में "एलपीजी रिकवरी प्लांट" स्थापित करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त संयंत्र की स्थापना में विलंब के क्या कारण है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किन कदमों को उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना

379. श्री अभय सिंह एस० भोसले :

श्री विठ्ठल तुपे :

श्री अशोक नामदेवराव मोहोल :

श्री माधवराव पाटील :

श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय पर बहुत विवाद है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने के बाद इसे वर्तमान सुविधाएं देने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो चीनी उद्योग के विकास के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री : (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) चीनी उद्योग को लाइसेन्स मुक्त करने के लिए चीनी मिलों को वर्तमान सुविधाएं जारी रखने संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

विनियंत्रित उत्पादों के मूल्यों में संशोधन

380. डॉ॰ प्रभा ठाकुर :

डॉ॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल शोधक उपक्रमों ने विनियंत्रित उत्पादों के मूल्यों में संशोधन की घोषणा की है;

(ख) क्या सरकारी मूल्य तंत्र के चरणबद्ध रूप से समाप्त होने के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम क्षेत्र के विनियंत्रित क्षेत्र में मूल्य में कमी की गई है;

(ग) यदि हां, तो इस मूल्य विनियंत्रण के बाद नेफ्था और अन्य उत्पादों का मूल्य कितना है; और

(घ) पेट्रोलियम पदार्थों के विनियंत्रण से उपभोक्ताओं को कितना लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जी हां। तेल कंपनियों द्वारा नियंत्रणमुक्त पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य अन्य बाजार परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। तेल कम्पनियों द्वारा नियंत्रणमुक्त के बाद 1.4.1998 से नफ्था और कुछ अन्य उत्पादों के भंडारण स्थल तक के मूल्य (शुल्क आदि को छोड़कर) निम्नानुसार है:

		1.4.98 से	1.8.98 से	1.10.98 से	17.11.98 से
नाफ्था	रुपए/एमटी	7072	6820	6820	7475
एलएसएचएस	रुपए/एमटी	5071	5010	5410	5970
एफ ओ	रुपए/कि॰ली॰	4801	4670	5050	5570
एल डी ओ	रुपए/कि॰ली॰	7201	7200	7200	7200

संविधान को नए सिरे से तैयार किया जाना

381. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संविधान को नए सिरे से तैयार किए जाने के लिए कोई राजनीतिक आह्वान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) गत 50 वर्षों के अनुभव के आधार पर भारत के संविधान की पुनरीक्षा करने और उपयुक्त सिफारिशों करने हेतु शासन के लिए राष्ट्रीय कार्य सूची में एक आयोग के गठन का प्रावधान है। सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता

382. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सबके लिए अच्छी और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों को दृढ़ संकल्प करने का आह्वान किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोई ठोस विश्व स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस प्रयोजनार्थ भारत को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कुल कितनी धनराशि

उपलब्ध करायी गई है/उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है और किन-किन योजनाओं को आरंभ किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) प्रजनन स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सरकारों के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन सहयोगी कार्यक्रम क्रियाकलापों के पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है जिसकी उसके द्वारा वित्तीय और तकनीकी दोनों प्रकार से सहायता प्रदान की जा रही है। वर्ष 1998 और 1999 के द्विवार्षिक सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत परिवार कल्याण विभाग को प्रशिक्षण, सुविधाएं बढ़ाने और प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए क्षमता निर्माण हेतु 2.3 मिलियन अमरीकी डालर का आवंटन किया गया है। ये निधियां नाजुक अन्तरों को दूर करने तथा महिलाओं और बच्चों में मृत्यु एवं रूग्णता स्तरों में कमी लाने के लिए इस समय चल रहे प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की सम्पूरित करने के लिए है।

जन्म दर नियंत्रण कार्यक्रमों हेतु चीनी शिष्टमंडल

383. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के एक शिष्टमंडल ने देश के जन्म दर नियंत्रण कार्यक्रमों को सफल बनाने हेतु भारत का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या चीन का इसके जन्म मृत्युदर नियंत्रण के संबंध में सराहनीय रिकार्ड है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई ठोस कदम उठाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (घ) जनसंख्या पर काहिरा सम्मेलन के पश्चात भारत में हाल ही में की गई नीति संबंधी पहलों का अध्ययन करने के लिए चीन के राज्य परिवार नियोजना आयोग एक प्रतिनिधिमंडल ने मार्च 1998 में भारत का दौरा किया। इस दौरे का आयोजन फोर्ड फाउंडेशन ने किया।

(ग) यू॰ एन॰ एफ॰ पी॰ ए॰ दस्तावेज "द स्टेट आफ वर्ल्ड पापूलेशन 1998" के अनुसार चीन ने 1995-2000 की अवधि के लिए कुल प्रजनता दर 1.78 और औसत (वार्षिक) जनसंख्या वृद्धि दर 0.9 प्रतिशत रखी है।

(घ) अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या और विकास सम्मेलन, काहिरा, 1994 में पारित की गई सिफारिशों के अनरुप भारत सरकार ने नौंवी योजनावधि (1997-2002) के लिए विशाल प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम तैयार किया है और औपचारिक रुप से इसे अक्तूबर 1997 में शुरू किया। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम परिवार नियोजन की आवश्यकता को पूरा करने के और महिलाओं तथा बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करने में योगदान करेगा।

[हिन्दी]

तेल की खोज के लिए भारत-रूस संयुक्त उद्यम

384. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और रूस तेल खोज परियोजनाओं की संभावनाओं का संयुक्त अध्ययन करने पर सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दोनों देश पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए संयुक्त उद्यम लगाने पर विचार कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन समझौतों की विशेषताए क्या हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ख) जी, हां। अक्तूबर, 1998 में मास्को में आयोजित तेल और गैस उद्योग के सहयोग पर भारत-रूस कार्य दल की 5वीं बैठक में दोनों पक्षों ने रूस, भारत और तृतीय देशों में हाइड्रोकार्बनों के संयुक्त अन्वेषण की संभावनाओं का अध्ययन करने और उपयुक्त अवसरों के लिए तकनीकी स्तर पर ब्यौरा तैयार करने के लिए सहमति प्रकट की।

(ग) और (घ) संयुक्त उद्यमों की स्थापना करने के संबंध में निर्णय प्रचालन और अन्य तकनीकी-वाणिज्यिक अपेक्षाओं के क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए मामला दर मामला आधार पर किया जाएगा।

[अनुवाद]

भारतीय तेल निगम की परियोजनाएं

385. डॉ॰ असीम बाला : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने नौंवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 25,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की कोई महत्वकांक्षी योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उत्पादों के विविधीकरण और विपणन के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेल की खोज और उत्पादन के लिए भारतीय तेल निगम द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने की योजना है;

(ङ) क्या तेल की खोज के लिए विदेशी बोलीदाता आमंत्रित किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियाजनाओं के पूरा होने के बाद कितनी मात्रा में कच्चा तेल प्राप्त होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ख) जी, हां। इंडियन आयल

कॉर्पोरेशन ने नौवीं योजना अवधि के दौरान रिफाइनरी, पाइपलाइन **और विपणन** क्षेत्रों में परियोजनाओं में लगभग 125000 करोड़ रूपए निवेश करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। बारह परियोजनाएं **9वीं योजना के प्रथम** वर्ष अर्थात 1997-98 में पूरी कर ली गई हैं तथा 51 परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ग) गुजरात रिफाइनरी में मिथाइल टर्शरी बुटी ईथर (एम टी बी ई), पानीपत रिफाइनरी में प्रोपीलीन और गुजरात रिफाइनरी में बुटीन-I के उत्पादन के लिए सुविधाएं स्थापित करके आई ओ सी व्यापार विविधीकरण के प्रयास कर रही है। उपर्युक्त परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन है। उपर्युक्त के अलावा निम्नलिखित परियोजनाएं विचारविमर्श/आयोजना के विभिन्न चरणों पर हैं:-

- पानीपत में पैराजाइलीन/प्यूरीफाइड टेरे प्थालिक एसिड (पी टी ए)
- पानीपत में एक्रीलोनाइट्राइल (सी ए एन)
- डी-मिथाइल ईथर (डी एम ई)

(घ) से (च) हाल में आई ओ सी ने उत्तर पूर्वी भारत तथा भारत के अन्य भागों में स्थित ब्लाकों के अन्वेषण के लिए अन्वेषण एवं उत्पादन हेतु नौवी योजना में 50 करोड़ रूपये नियत किए हैं। नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के अंतर्गत अन्वेषण ब्लाक अभी बोली के लिए प्रस्तावित नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

हिन्दी अधिकारियों को पदोन्नति

386. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हिन्दी अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के अवसर नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सरकारी अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की तरह उनके लिए भी पदोन्नति के अवसर खोलने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र के हर संगठन का एक अपना विधिक अस्तित्व है तथा अपनी प्रबंधन शक्तियों के आधार पर वे हिन्दी पदों की भर्ती/पदोन्नति के लिए स्वायत है, तथापि यह पूर्णतः सही नहीं है कि इस क्षेत्र में पदोन्नति के अवसर नहीं हैं फिर भी, मंत्रालयों व विभागों से आग्रह किया गया है कि उनके कार्य क्षेत्र के संगठन इस दिशा में सजग व सक्रिय रहें।

[अनुवाद]

उर्वरकों का अभाव

387. श्री अर्जुन सेठी : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998 के दौरान देश में म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एम ओ पी) की कमी रही थी; और

(ख) यदि नहीं, तो वर्ष 1996-97 और 1997-98 की तुलना में खरीफ रबी फसल के दौरान राज्यों को जारी की गई एम ओ पी का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) म्यूरिटी आफ पोटाश (एम ओ पी) का पूर्णतः आयात किया जाता है। इसका आयात भारत सरकार की रियायत योजना के मानदण्डों के भीतर हो रही मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा शासित होते हैं। इस योजना के अंतर्गत एम ओ पी की रियायत दर को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण खरीफ 1998 के दौरान आयात प्रभावित हुआ था। जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश राज्यों में उपलब्धता की समस्या उठ खड़ी हुई थी। तथापि, रबी 1998-99 के दौरान कोई कमी नहीं है क्योंकि इस मौसम के दौरान आयात 15 लाख मी॰ टन से भी अधिक होने का अनुमान है।

(ख) यह एम ओ पी नियंत्रणमुक्त उर्वरक है और राज्यों को इसका आवंटन नहीं किया जाता है जैसा कि यूरिया के मामले में है। 1996-97 और 1997-98 दोनों के खरीफ और रबी मौसमों के दौरान एम ओ पी की बिक्री और उपलब्धता संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

विवरण

1996-97, 1997-98 और 1998-99 (31.10.1998 तक) के दौरान एम॰ ओ॰ पी॰ की उपलब्धता और बिक्री

("000" मी॰ टन अंकों में)

क्रम सं॰	राज्य	खरीफ 1996		खरीफ 1997		खरीफ 1998		रबी 1996-97		रबी 1997-98		रबी 1998-99	
		उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता	बिक्री	उपलब्धता (31.10.98 तक)	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	102.99	58.40	88.69	74.86	44.30	43.14	64.17	57.78	81.03	70.13	13.58	11.20
2.	कर्नाटक	98.34	73.28	137.07	130.66	56.10	53.85	57.46	42.92	88.46	81.80	18.18	17.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	केरल	79.03	53.24	87.97	75.81	21.52	21.50	58.29	38.32	66.52	61.63	5.03	1.66
4.	तमिलनाडु	141.54	89.46	211.08	182.21	105.07	99.39	129.56	104.21	178.60	168.58	48.34	47.04
5.	अंडमान एण्ड निकोबार	0.02	0.02	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00				
6.	लक्षद्वीप	0.65	0.63	-	-	0.00	0.00	1.25	1.09				
7.	पाण्डिचेरी	-	-	3.54	2.96	2.99	2.98			3.35	2.83	0.30	0.25
8.	गुजरात	42.57	21.64	37.09	33.01	43.55	37.31	37.51	29.97	64.60	49.79	10.04	9.67
9.	मध्य प्रदेश	50.00	26.60	47.28	38.88	20.25	20.14	25.16	8.72	15.48	12.44	6.54	6.06
10.	महाराष्ट्र	113.23	55.19	123.21	116.95	67.11	66.39	80.87	49.10	94.06	93.24	6.61	6.03
11.	राजस्थान	4.99	3.26	4.68	3.14	3.14	2.92	4.18	2.97	2.33	2.31	0.28	0.25
12.	दादरा एण्ड नागर	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
13.	गोवा	0.48	0.48	0.61	0.61	0.70	0.65	0.06	0.06	0.09	0.09	0.82	0.30
14.	दमन एण्ड दीव	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
15.	हरियाणा	6.84	3.61	5.44	4.34	0.94	0.94	4.72	2.37	1.27	1.27	2.53	0.33
16.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00			0.00	0.00	2.25	2.25	2.26	2.26	0.00	0.00
17.	जम्मू एण्ड कश्मीर	0.08	0.08	0.96	0.96	0.51	0.51	0.35	0.35	0.77	0.77	0.00	0.00
18.	पंजाब	23.28	15.05	32.11	21.67	14.88	7.72	10.23	9.30	10.74	10.70	15.70	12.50
19.	उत्तर प्रदेश	81.17	49.89	71.76	53.47	39.72	25.86	36.55	30.24	53.23	53.07	32.38	27.53
20.	चण्डीगढ़	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00				
21.	दिल्ली	0.00	0.00	0.37	0.37	0.49	0.49	0.05	0.05	0.13	0.13		
22.	बिहार	52.81	27.30	46.49	26.54	16.03	7.95	45.08	40.79	60.66	60.47	25.63	18.20
23.	उडीसा	41.46	24.05	36.32	34.19	22.23	22.03	29.47	18.04	28.10	21.73	4.72	2.33
24.	पं. बंगाल	144.43	80.01	109.77	71.23	44.16	34.73	102.93	90.96	146.08	144.71	26.06	22.46
25.	असम	22.55	8.72	20.50	18.33	3.46	3.42	24.87	21.76	7.45	7.42	4.73	0.02
26.	मणिपुर	0.14	0.14	0.80	0.80	0.34	0.34	0.00	0.00	0.03	0.03	-	-
27.	मेघालय	0.08	0.08	0.09	0.09	0.20	0.20	0.18	0.18	0.05	0.05	-	-
28.	नागालैंड	0.01	0.01	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
29.	सिक्किम	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30. त्रिपुरा	0.21	0.10	-	-	0.15	0.15	0.00	0.00	2.33	2.31	-	-
31. अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	-	-	0.22	0.22	0.00	0.00	-	-	-	-
32. मिजोरम	0.00	0.00	-		0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
33. टी॰ बोर्ड (एनई)	0.00	0.00	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
योग (राज्य)	1006.90	591.24	1066.05	891.30	508.06	452.83	715.19	551.23	907.62	847.76	221.47	182.84
कंप निर्माता	323.38	223.46	206.80	187.75	235.42	214.65	286.63	260.50	344.05	306.18	94.48	44.83
कुल योग	1330.28	814.70	1272.85	1079.05	743.48	667.48	1001.82	811.73	1251.67	1153.94	315.95	227.67

गैर सरकारी संगठनों द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

388. **श्री तथागत सत्पथी :**

श्री रूप चन्द मुर्मू :

श्री समर चौधरी :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करने कि:

(क) विभिन्न राज्यों में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यवार प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ग) क्या सरकार की स्वयसेवी संगठनों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग करने के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्यों में कोई परियोजना कार्यान्वित नहीं कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

नक्सलवादी/उग्रवादी गतिविधियों में जनजीवन की क्षति

389. **श्री बलराम सिंह यादव :**

श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधव राव सिंधिया :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 के दौरान राज्यवार अब तक नक्सलवादियों/उग्रवादियों की हिंसा से कितने जनजीवन की क्षति हुई है तथा वर्ष 1996 तथा 1997 में इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या थे;

(ख) इस तरह की हिंसा में राज्यवार हुई इस क्षति में कितने-कितने उग्रवादियों, नागरिकों तथा सुरक्षा कार्मिकों की मौत हुई; और

(ग) केन्द्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा इस आतंक को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाएं गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) वांछित सूचना का एक विवरण संलग्न हैं।

(ग) केन्द्रीय गृह मंत्री ने, वामपंथी उग्रवादियों की गतिविधियों को रोकने के लिए इन राज्यों द्वारा की जा रही कार्रवाई की संवीक्षा करने के लिए दिनांक 15.6.98 को हैदराबाद में आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की। इस बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये:

(i) संबंधित राज्य सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम जैसे विद्यमान कानूनों की सहायता लेना जारी रखेंगी। साथ ही साथ, राज्य सरकारें वामपंथी उग्रवादियों की समस्या से निपटने के लिए कानून बनाने के लिए प्रश्न पर विचार कर सकेंगी;

(ii) विकास कार्यों और साथ ही साथ सुरक्षापायों को तेज करने के लिए राज्य सरकारों को एक विस्तृत कार्रवाई योजना तैयार राज्य सरकारों करनी होगी;

(iii) कार्रवाई योजना की प्रगति की संवीक्षा करने तथा राज्य सरकारों के प्रयासों को समन्वित करने के लिए हैदराबाद में एक समन्वय केन्द्र स्थापित किया जायेगा। समिति के अध्यक्ष केन्द्रीय गृह सचिव होंगे तथा चारों राज्यों के मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक इसके सदस्य होंगे।

गृह मंत्रालय के दिनांक 26.6.98 को समन्वय केन्द्र स्थापित किया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे बैठक में लिये गये निर्णयों पर तत्काल कार्रवाई करें। राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्रवाई की समय-समय पर समीक्षा की जा रही है। उपरोक्त निर्णयों के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की संवीक्षा करने के लिए समन्वय केन्द्र ने दिनांक 19.7.98 और 12.10.98 को अपनी बैठकें आयोजित की हैं।

विवरण

उग्रवादी हिंसा में मारे गये व्यक्तियों की संख्या का विवरण

	1996 (31 अक्टूबर तक)			1997 (31 अक्टूबर तक)			1998 (31 अक्टूबर तक)		
	नागरिक	पुलिस कार्मिक	उग्रवादी	नागरिक	पुलिस कार्मिक	उग्रवादी	नागरिक	पुलिस कार्मिक	उग्रवादी
आन्ध्र प्रदेश	112	28	113	158	46	122	149	33	202
बिहार	251	19	38	271	13	9	148	16	17
मध्य प्रदेश	16	1	5	14	–	2	20	26	9
महाराष्ट्र	7	.	1	4	5	1	7	5	1
उड़ीसा	–	–	–	–	–	–	–	4	13
अन्य	–	–	–	1	–		1		
कुल	386	48	157	448	64	134	325	84	242

[हिन्दी]

यूरिया उत्पादन की लागत

390. श्री अरविंद कांबले : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सहकारी, सरकारी और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में एकक-वार यूरिया उत्पादन की लागत कितनी है;

(ख) यूरिया के उत्पादन पर कितना कर लगाया गया है;

(ग) इसमें लाभ की गुंजाइश कितनी है;

(घ) उससे कितना लाभ अर्जित किया जा रहा है; और

(ङ) यूरिया की कीमतें कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) यूरिया उत्पादन की लागत संयंत्र की स्थिति और पुरानेपन, प्रयुक्त फीड स्टाक, क्षमता उपयोग के स्तर, विशिष्ट खपत और इनपुट्स की लागत जैसे तथ्यों पर निर्भर करते हुए अलग-अलग एकक और यहां तक कि अलग-अलग महीने से भिन्न-भिन्न होती है। आज की तारीख में यूरिया इकाई के लिए भारित औसत प्रतिधारण मूल्य 6718/- रुपए प्रति टन है।

(ख) यूरिया पर स्थानीय करों और उपकरों का प्रभाव अलग-अलग राज्य में भिन्न-भिन्न है तथा यह बिक्री मूल्य के शून्य से 7% से अधिक तक है।

(ग) और (घ) यूरिया पर लागू प्रतिधारण-मूल्य-राजसहायता स्कीम के तहत प्रतिधारण मूल्य में क्षमता उपयोग के नियामक स्तर पर शुद्ध पूंजी पर 12% कर पश्चात लाभ शामिल है। लाभ की गणना प्रचलित कार्पोरेट कर दर को हिसाब में लगाते हुए की जाती है।

(ङ) यूरिया का सांविधिक रूप से निर्धारित बिक्री मूल्य सम्पूर्ण देश में एक समान है और वर्तमान में स्थानीय करों को छोड़कर यह 3660/- रूपए प्रति टन निर्धारित है। उपर्युक्त मूल्य में 21.2.97 से कोई संशोधन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

असम में विद्रोही ग्रुप

391. श्रीमती रानी नरह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम में विद्रोही ग्रुप बड़े-बड़े संस्थापनों और सुरक्षा बलों पर बड़े हमले करने की फिराक में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) विद्रोही ग्रुपों द्वारा तेल अधिष्ठानों रेलवे, राजमार्गों, पुलों और सुरक्षा बलों सहित कतिपय सरकारी महत्वपूर्ण संस्थानों, को लक्ष्य बनाने के संबंध में रिपोर्ट मिली है।

(ग) केन्द्र सरकार स्थिति का निकट से प्रबोधन कर रही है।

राज्य सरकार, तेल उद्योग और रेलवे को सुग्राही बनाया गया है तथा उन्हें अत्यधिक चौकस रहने और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं।

जम्मू कश्मीर के शरणार्थी

392. श्री मधुकर सरपोतदार :

श्री अनंत गंगाराम गीते :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के शरणार्थियों द्वारा उनके पुनर्वास हेतु घाटी में सुरक्षित क्षेत्र बनाए जाने की मांग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) जम्मू-कश्मीर राज्य में शरणार्थियों तथा उनके शिविरों की इस समय क्या स्थिति है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) कश्मीरी आप्रवासी विभिन्न ऐसोसिएशनों के तत्वावधान में अनेक मांगे करते रहे हैं जिनमें उनके पुनर्वास के लिए घाटी में एक सुरक्षा क्षेत्र का निर्धारण करना भी शामिल है। राज्य सरकार पूरे मामले की जांच कर रही है और उसने आप्रवासियों के पुनर्वास के मामले की संपूर्ण रूप से जांच करने तथा उनके पुनःस्थापन हेतु प्रस्ताव करने के लिए मंत्रियों की एक उप समिति नियुक्त की है।

(ग) घाटी में अपने घरों को छोड़कर गये अधिकांश कश्मीरी आप्रवासी जम्मू-कश्मीर में या राज्य से बाहर देश के अन्य भागों में रह रहे हैं। इनमें से अधिकतर जम्मू एवं दिल्ली में रह रहे हैं। आशा की जाती है कि उनकी वापसी के लिए अनुकूल परिस्थितियां होते ही वे अपने मूल निवास स्थानों को वापिस हो जायेंगे, अतः घाटी से बाहर उनके स्थायी पुनर्वास के बारे में विचार नहीं किया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों कि घाटी से बाहर रहते हुए उनकी परेशानियों को तय किया जाता है, और उन उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है और जरूरतमंद परिवारों को पर्याप्त भरण-पोषण राशि एवं सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। जम्मू में आप्रवासी शिविरों में आवास और अन्य सुविधायें मुहैय्या मुफ्त करायी जा रही हैं।

[हिन्दी]

विकलांगों के लिए आरक्षण

393. श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :

श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभागों में विकलांगों के आरक्षण कोटे को भर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभाग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विकलांगों के लिए राज्य-वार आरक्षण कोटा कब तक भर लिया जाएगा?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आधुनिक और परंम्परागत चिकित्सा पद्धति के बीच समन्वय कार्यक्रम

394. श्री पंकज चौधरी :

श्री अमर पाल सिंह :

डॉ॰ अशोक पटेल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक और परम्परागत चिकित्सा पद्धति के बीच उचित समन्वय हेतु कोई कार्यक्रम तैयार करने के लिए सरकार के विचाराधीन कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की सम्भावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) आधुनिक तथा भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास निम्नलिखित ढंग से किया गया है:-

(1) परिवार कल्याण विभाग के प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में आयुर्वेद का एक घटक शामिल किया गया है।

(2) राममनोहर लोहिया अस्पताल जो केन्द्र सरकार का अस्पताल है और जो आमतौर पर आधुनिक चिकित्सा पद्धति की सेवाएं प्रदान कर रहा है, में यूनानी चिकित्सा पद्धति में स्पेशियल्टी क्लीनिक की स्थापना की गई है।

(3) इसी प्रकार सफदरजंग अस्पताल जो पुनः केन्द्र सरकार का अस्पताल है तथा आधुनिक चिकित्सा में उपचार प्रदान कर रहा है, में भी आयुर्वेद तथा यूनानी के स्पेशियल्टी क्लीनिकों की स्थापना की गई है।

(4) यह भी प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी को भी शामिल कर लिया जाए।

(5) केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध और होमियोपैथी के औषधालय/यूनिटें पहले से ही चल रही हैं।

[अनुवाद]

एड्स के मामले

395. श्री चिन्मयानंद स्वामी :

श्री नावेन्दला भास्कर राव :

श्री अजय कुमार एस॰ सरनायक :

श्री रामचन्द्र मलिक :

श्री रामपाल उपाध्याय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रत्येक सौ में से एक व्यक्ति एच॰ आई॰ वी॰ से ग्रस्त है; जिसका मतलब है कि देश में एड्स गंभीरता से फैल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि एच॰ आई॰ वी॰ के प्रसार को नियंत्रित न किया गया तो इसके परिणाम स्वरुप सन 2000 तक अफ्रीका जैसी स्थिति हो सकती है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार देश में एड्स के कितने मामले सामने आए और कितने मामलों में इससे मौतें हुई;

(घ) देश में एड्स की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस बीमारी की रोकथाम में सरकार सफल रही है;

(च) यदि हां, तो कितने प्रतिशत सफलता मिली है; और

(छ) यदि नहीं तो इस बीमारी को रोकने हेतु सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) एन॰ ए॰ आई॰ डी॰ एस॰/डब्ल्यू॰ एच॰ ओ॰ ने जून 1998 में विश्व में एच॰ आई॰ वी॰/एड्स रोग पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह सूचित किया गया है कि भारत में लगभग 4 मिलियन एच॰ आई॰ वी॰ संक्रमित व्यक्ति है। संक्रमण में पिछले वर्षों में वृद्धि हुई है।

(ग) वर्ष 1995, 1996 और 1997 में एड्स रोगियों की सूचित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 31.12.97 तक सूचित मौतों की कुल संख्या 1039 है। राज्यवार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) भारत में एच॰ आई॰ वी॰/एड्स को फैलने से रोकने और उसके नियंत्रण के लिए इस समय देश भर में एक व्यापक कार्यक्रम केन्द्रीय सहायता प्राप्त कार्यक्रम के रूप में चलाया जा रहा है। इसकी प्रमुख कार्यनीति में निम्नलिखित शामिल हैं;

(i) केन्द्र और राज्य स्तर पर कार्यक्रम प्रबंधन क्षमताओं को सुदृढ़ करना

(ii) एच॰ आई॰ वी॰/एड्स के बारे में उच्च जोखिम आचरण वाले समूहों और आम जनता में जागरूकता पैदा करना।

(iii) यौन संचारित रोग नियंत्रण

(iv) रक्त बैंकों के लिए उपयुक्त लाइसेंसिंग और स्वैच्छिक रक्त-दान को प्रोत्साहित करके रक्त निरापदता और रक्त के युक्तिसंगत उपयोग को बढ़ावा देना।

(v) एच॰ आई॰ वी॰/एड्स रोगियों की निगरानी, निदान और नैदानिक उपचार के लिए क्षमता को सुदृढ़ करना।

(ङ) से (छ) जी, हां। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने पांच राज्यों, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में एक अध्ययन किया था। यह पाया गया कि 15-49 आयु वर्ग में जागरुकता का स्तर बढ़कर शहरी क्षेत्रों में 68-94 प्रतिशत और ग्रामीण क्षेत्रों में 20-72 प्रतिशत हो गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

भारत में प्रतिवर्ष एड्स रोगी

क्र॰ सं॰	राज्य	1995	1996	1997
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	760	520	930
2.	तमिलनाडु	37	199	521
3.	मणिपुर	31	55	147
4.	गुजरात	6	104	6
5.	पांडिचेरी	94	24	8
6.	दिल्ली	25	27	90
7.	केरल	-	26	3

1	2	3	4	5
8.	पंजाब/चंडीगढ़	53	-	-
9.	मध्य प्रदेश	39	6	68
10.	कर्नाटक	25	12	55
11.	उत्तर प्रदेश	-	48	53
12.	पश्चिम बंगाल	12	11	7
13.	आन्ध्र प्रदेश	4	19	15
14.	गोवा	-	-	-
15.	असम	8	-	2
16.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-
17.	नागालैंड	4	-	6
18.	राजस्थान	2	-	51
19.	उड़ीसा	-	-	-
20.	जम्मू एवं कश्मीर	-	-	
21.	बिहार	-		
22.	दमण व दीप	1		-
23.	हरियाणा			
24.	दादरा एवं नगर हवेली	-	-	
25.	अरुणाचल प्रदेश	-		

विवरण-II

एच० आई० वी०/एड्स के कारण मौतें

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1993	1994	1995	1996	1997
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	1	-	4	4	-
2. असम	1	-	6	-	
3. अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-
4. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-
5. बिहार	30	-	-	-	
6. चंडीगढ़	-	-	30	40	-
7. पंजाब	-	-	-		-
8. दिल्ली	23	12	46	8	5
9. दमन एवं दीव					
10. दादरा एवं नगर हवेली		-			-
11. गोवा	8	1			3
12. गुजरात	3		4	-	-
13. हरियाणा	3		4		
14. हिमाचल प्रदेश	-	1	4	-	1
15. जम्मू एवं कश्मीर	1	-	-	-	-
16. कर्नाटक	9	2			29
17. केरल	40		10		13
18. लक्षद्वीप					-
19. मध्य प्रदेश	14	-		21	4
20. महाराष्ट्र	37	35	32	31	110
21. मणिपुर	6	13	7	39	71
22. मिजोरम	-				
23. मेघालय	-				-
24. नागालैंड	-	1	2	4	7
25. उड़ीसा	-	1	1		2
26. पांडिचेरी	6		40		18
27. राजस्थान	-			1	
28. सिक्किम					
29. तमिलनाडु	10	23	60	40	
30. त्रिपुरा					
31. उत्तर प्रदेश	6	—	4	—	24
32. पश्चिम बंगाल	12	2	13	—	—
कुल	210	91	263	188	287

कुल : 1039

रोजगार केन्द्रों में कम्प्यूटरीकरण

396. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत :**

श्री डी॰ एस॰ आहिरे :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान समय में राज्यवार कुल कितने कम्प्यूटरीकृत रोजगार केन्द्र हैं;

(ख) क्या और ज्यादा रोजगार केन्द्र खोलने तथा उन्हें कम्प्यूटरीकृत करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक सभी रोजगार केन्द्र कम्प्यूटरीकृत हो जाएंगे तथा इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है।

(ख) और (ग) संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकार जिनके प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत रोजगार कार्यालय चलते हैं; के द्वारा नये रोजगार कार्यालयों को स्थापित कर उन्हें कम्प्यूटरीकृत करने का निर्णय लिया जाना है। इस संबंध में सभी रोजगार कार्यालयों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए लगने वाला समय राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा लिये गये निर्णयों तथा संसाधन नियतन पर आधारित होगा। केन्द्र सरकार इस मामले में राज्य/संघ शासित प्रदेश सरकारों द्वारा की गई पहल का केवल समर्थन करेगी।

चीनी का उत्पादन/खपत

397. **श्री अन्नासाहिब एम॰ के॰ पाटील :**

श्री नादेन्दला भास्कर राव :

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा सितम्बर, 1998 तक चीनी की राज्यवार उत्पादन और खपत कितनी थी;

(ख) क्या यह उत्पादन मांग को पूरा करने हेतु पर्याप्त है; और

(ग) चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त किए जाने के पश्चात से राज्यवार कितनी चीनी मिले स्थापित की गई हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव) : (क) उत्पादन : गत तीन चीनी मौसमों (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान चीनी का उत्पादन निम्नवत है:-

वर्ष	मात्रा (लाख टनों में)
1995-96	164.29
1996-97	129.05
1997-98	128.27 (अनंतिम)

राज्यवार उत्पादन के आंकड़े संलग्न विवरण-I में दर्शाए गए हैं।

खपत : खपत के लिए उपलब्धता घरेलू उत्पादन तथा आयात दोनों से है। यह परिमाणित करना संभव नहीं है कि आयतित चीनी की खपत कितनी हुई है क्योंकि आयातित चीनी को रिलीज व्यवस्था नहीं है। विगत तीन चीनी मौसमों के दौरान देशी चीनी की निम्नलिखित मात्रा रिलीज की गई है तथा यह समझा जाता है कि रिलीज की गई पूरी मात्रा की खपत हो गयी है:

वर्ष	मात्रा (लाख टनों में)
1995-96	131.72 (अनंतिम)
1996-97	137.92 (अनंतिम)
1997-98	136.96 (अनंतिम)

जबकि राज्यवार लेवी कोटा नियत होता है तथा इसकी खपत केवल उस राज्य के द्वारा ही की जानी होती है, लेकिन एक राज्य में स्थित फैक्ट्रियों के लिए जारी खुली बिक्री कोटे की खपत अन्य राज्यों द्वारा की जा सकती है क्योंकि चीनी की खुली बिक्री के संचलन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः खुली बिक्री चीनी की राज्यवार खपत दर्शाना संभव नहीं है। तथापि, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के लिए जारी राज्यवार लेवी चीनी का मासिक कोटा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) चीनी के उत्पादन में कमी-वेशी के कारण तथा मूल्यों को एक संतुलित स्तर पर रखने के लिए मार्च, 1994 से चीनी के आयात को खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन रख दिया गया है। घरेलू उत्पादन तथा आयात से जो चीनी उपलब्ध होती है वह मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ग) चीनी उद्योग को लाइसेंस मुक्त किए जाने की अधिसूचना 11 सितम्बर, 1998 को जारी कर दी गई है। अभी तक, चीनी को लाइसेंस मुक्त करने के पश्चात किसी चीनी फैक्ट्री को स्थापित किए जाने की सूचना नहीं मिली है।

विवरण-I

चीनी का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा लाख टन में)

क्र॰ सं॰	राज्य	चीनी मौसम 1995-96	चीनी मौसम 1996-97	चीनी मौसम 1997-98 (अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	पंजाब	6.32	6.31	3.07
2.	हरियाणा	4.54	4.90	3.81

1	2	3	4	5
3.	राजस्थान	0.31	0.23	0.23
4.	उत्तर प्रदेश	43.60	40.84	39.04
5.	मध्य प्रदेश	1.29	0.87	0.71
6.	गुजरात	11.26	9.67	8.84
7.	महाराष्ट्र	53.76	34.46	38.55
8.	बिहार	3.79	3.62	3.08
9.	असम	0.07	0.05	0.03
10.	उड़ीसा	0.82	0.78	0.57
11.	प० बंगाल	0.08	0.05	0.03
12.	नागालैंड	0.01	-	
13.	आंध्र प्रदेश	8.66	7.72	7.76
14.	कर्नाटक	12.67	8.70	9.70
15.	तमिलनाडु	16.22	10.50	12.32
16.	पांडिचेरी	0.57	0.33	0.37
17.	केरल	0.13	0.05	0.06
18.	गोवा	0.19	0.15	0.10
	समस्त भारत	164.29	129.05	128.27

विवरण-I

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यवार चीनी कोटा दर्शाने वाला विवरण

क्र० सं०	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र	1.12.1987 से 31.12.95 तक मासिक सामान्य कोटा	जनवरी, 96 (जारी) से संशोधित मासिक कोटा
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	25281	28267
2.	अंडेमान निकोबार	247	282
3.	अरुणाचल प्रदेश	314	366
4.	असम	9617	9524
5.	बिहार	33459	36707
6.	चंडीगढ़	372	391
7.	दादरा एवं नागर हवेली	51	60
8.	दिल्ली	9921*	11973
9.	गोवा	500	508
10.	दमन	24	26
11.	दिव	15	17
12.	गुजरात	16194	17557
13.	हरियाणा	6386	6996
14.	हिमाचल प्रदेश	2019	2197
15.	जम्मू व कश्मीर	3136 **	3567
16.	कर्नाटक	17769	19117
17.	केरल	11953	12368
18.	लक्ष्यद्वीप	71	81
19.	मध्य प्रदेश	25031	28127
20.	महाराष्ट्र	29938	33550
21.	मणीपुर	694	782
22.	मेघालय	662	752
23.	मिजोरम	261	293
24.	नागालैंड	426	542
25.	उड़ीसा	12393	13456
26.	पांडिचेरी	305	360
27.	करायकाल	73	86
28.	माहे	15	18
29.	यनम	7	8
30.	पंजाब	7945	8619
31.	राजस्थान	16914	18704
32.	सिक्किम	165	174
33.	तमिलनाडु	22547	23741

1	2	3	4
34.	त्रिपुरा	1001	1173
35.	उत्तर प्रदेश	52926	59122
36.	प॰ बंगाल	25888	28934
37.	भूटान	300	315
	कुल योग	334820	368706

* जुलाई, 1993 से

* * फरवरी, 1994 से

कुल मिलाकर 5 प्रतिशत की तदर्थ वृद्धि की अनुमति अगस्त, 1991 से मार्च, 1994 तक दी गई। इसे अप्रैल, 1994 में वापिस लिया गया तथा सितम्बर, 1995 में पुनः चालू कर दी गई जो 31.12.1995 तक जारी रही।

10 प्रतिशत तदर्थ वृद्धि के अतिरिक्त भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिसम्बर 1996-मई 1997 मासों के लिए मासिक लेवी कोटे की अनुमति दी गई थी।

मासिक लेवी कोटे के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार लगभग 1 लाख टन त्यौहार कोटे के रूप में भी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को हर कलैंडर वर्ष के दौरान वितरित करती है। केवल वर्ष 1996 में इसे वितरित नहीं किया जा सका क्योंकि इस वर्ष यह कोटा दुगना था।

[हिन्दी]

कार्यदल

398. श्री आनंद रत्न मौर्य :

डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पत्थर की खानों में काम कर रहे श्रमिकों के कल्याण हेतु कोई दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य दल राज्यों में राज्य-वार कब से कार्य करना आरंभ करेगा ?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) जी, हां। कृतक बल का ब्यौरा देने वाले, भारत सरकार के दिनांक 27.8.98 के आदेश संख्या एस-31016/1/98-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू) की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) कृतक बल की पहली बैठक 27.11.98 को आयोजित की गई।

विवरण

सं॰-एस-31016/1/98-डब्ल्यू सी (एम डब्ल्यू)
भारत सरकार,
श्रम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27.8.98

आदेश

बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ व अन्यों के मामले में दायर 1982 की याचिका सं. 2135 के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निदेशों के संदर्भ में केन्द्रीय सरकार एक कृतक बल गठित करती है। इस कृतक बल के निम्नलिखित सदस्य होंगेः-

(1) श्रमायुक्त, हरियाणा

(2) निदेशक, खान सुरक्षा, गाजियाबाद

(3) निदेशक, खान और भू-विज्ञान, हरियाणा

(4) मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा

(5) उपायुक्त, फरीदाबाद

(6) सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय), फरीदाबाद

(7) श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय), फरीदाबाद

इस कृतक बल का अध्यादेश यह होगाः-

i. कर्मकारों की कामकाजी और रहन-सहन की दशाओं के बारे में तथ्यों की जांच के लिए पत्थर खदानों और क्रशरों का आवधिक दौरा करना और निरीक्षण करना, समय पर मजदूरी के भुगतान, न्यूनतम मजदूरी के भुगतान, स्वास्थ्य, चिकित्सा देख-रेख सुरक्षा, पेय जल, प्राथमिक उपचार और सभी अन्य सांविधिक सुविधाओं और प्रसाधनों आदि की व्यवस्था के बारे में अपने को संतुष्ट करना।

ii. सांविधिक उपबंधों और न्यायालय के निदेशों का यदि अनुपालन न हुआ हो तो उनका समय पर, सही और संतोषप्रद अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए खदानों और क्रशरों के मालिकों को कार्य स्थल पर ही निदेश जारी करना।

iii. सांविधिक उपबधों और सर्वोच्च न्यायालय के निदेशों के खदान मालिकों ओर क्रशर मालिकों द्वारा अनुपालन की स्थिति से केन्द्रीय और राज्य सरकारों को अवगत करवाना और संदेहों को दूर करने, नियमों के प्रावधानों या विशिष्ट निदेशों की व्याख्या यदि कोई हो, के बारे में निदेश प्राप्त करना।

ह॰/
(दिनेश मोहन)
श्रम और रोजगार सलाहकार

प्रतिलिपिः

1. पंजीयक, सर्वो·· ·····, भारत, नई दिल्ली;
2. कृतक बल के संबंधित अधिकारी।
3. संलग्न मानक सूची के अनुसार।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां

399. श्री के॰ एस॰ राव :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को जम्मू और कश्मीर के संवेदनशील क्षेत्रों में आतंकवादी षडयंत्र के खतरे के मामले में कोई खास सफलता प्राप्त नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों, जम्मू और कश्मीर पुलिस और आसूचना ब्यूरों के बीच समन्वय को सरल बनाने का है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राज्य में आतंकवाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जम्मू कश्मीर में उग्रवाद पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित, सहायता प्राप्त और अवप्रेरित हैं जिससे निपटने के लिए सतत् एवं सुव्यवस्थित प्रयास की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) सुरक्षा बलों, आसूचना एजेंन्सियों और राज्य पुलिस के मध्य सुरक्षा उपायों के समन्वय के लिए यूनीफाईट हैडक्वाटर्स नामक एक प्रणाली है। हाल ही में अनुमोवित कार्रवाई योजना के भाग के रूप में यूनिफाईड हैडक्वाटर्स की क्षमता तथा अन्य समन्वयात्मक उपायों में सुधार लाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

(ङ) सरकार ने एक बहुआयामी नीति अपनायी है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ सीमा प्रबन्धन को मजबूत करना, भीतरी प्रदेश में आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्फल करना, अधिसूचना तंत्र को सुचारु बनाना, भीतरी क्षेत्र में ग्रामीण रक्षा समितियों एवं सुरक्षा बल चौकियों की स्थापना करना, विकास कार्यक्रमों को तेज करना और जनतांत्रिक प्रक्रिया को गहन करना शामिल हैं।

आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियों पर रोक

400. श्री नरेश पुगलीया :

श्री प्रमथेस मुखर्जी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अधिसूचना एजेन्सियां देशभर में आई॰ एस॰ आई॰ की गतिविधियों को नियंत्रित करने में विफल रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) जी, नहीं, श्रीमान्। उसके विपरीत, भारत में पाक आई॰ एस॰ आई॰ के नेटवर्क की गतिविधियों और हमारी चिंता के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के बारे में संगत सूचनाएं बहुत मूल्यवान सिद्ध हुई हैं और उपयुक्त उपचारात्मक कदम उठाने के लिए उस पर अमल किया गया है।

ई॰ एस॰ आई॰ अस्पतालों तथा औषधालयों का उन्नयन

401. श्री एच॰ जी॰ रामुलु : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ई॰ एस॰ आई॰ अस्पतालों और औषधालयों के उन्नयन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन्नयन के लिए प्रस्तावित ई॰ एस॰ आई॰ अस्पतालों तथा औषधालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) कर्नाटक में ऐसे अस्पतालों/औषधालयों के लिए निर्धारित अनुमानित राशि कितनी है;

(घ) क्या ई॰ एस॰ आई॰ अस्पातालों और औषधालयों को वर्ष 1998-99 के दौरान नए उपस्कर उपलब्ध कराए जाएगे;

(ङ) इस प्रयोजन से वर्ष 1998-99 के दौरान राज्यों को जारी की जाने वाली निधियों का राज्य-वार/केन्द्र शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) कर्नाटक में इस मद पर कितनी राशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है?

श्रम मंत्री (डॉ॰ सत्यनारायण जटिया) : (क), (ख), (ग) और (च) क॰ रा॰ बी॰ योजना के अंतर्गत चिकित्सा की देख-रेख के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन का है, इसमें दिल्ली और नौएडा शामिल नहीं हैं जो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा सीधे प्रशासित होते हैं। क॰ रा॰ बी॰ अस्पतालों और औषधालयों में स्टाफ और उन्हें सज्जित करने के लिए मानक/मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं। चिकित्सा की देख-रेख पर होने वाले व्यय का 7वां/8वां भाग भी निगम द्वारा उठाया जाता है। हाल ही में क॰ रा॰ बी॰ अस्पतालों/औषधालओं के कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई थी और क॰ रा॰ बी॰ चिकित्सा सुविधाओं में सुधार के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई थी तथा

उसे क॰ रा॰ वी॰ निगम के परामर्श में कार्यान्वित कराने के लिए सभी राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। कर्नाटक सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कर्नाटक में सात क॰ रा॰ बी॰ अस्पतालों के लिए 97.60 लाख रुपये के उपकरण उपलब्ध कराए जाने का एक प्रस्ताव है। निगम द्वारा कर्नाटक के 126 औषधालयों के लिए मूल उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 17.64 लाख रुपये मंजूर किए जा चुके हैं।

(घ) जी, हां।

(ङ) कार्य योजना के अनुरूप उपकरणों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वास्तविक आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाएगीं।

ब्लड बैंक

402. श्री गोरधन भाई जावभाई जाबीया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, राज्यवार इस समय कितने स्वीकृत ब्लड बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या स्वीकृत ब्लड बैंकों को एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायता दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन ब्लड बैंकों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ग) देश में चल रहे लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों की राज्यवार संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। वर्तमान में चलाए जा रहे राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के रक्त बैंक को नगद तथा सामग्री रूप में सहायता देकर आधुनिक बनाया गया है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी रक्त बैंकों तथा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे अनेक रक्त बैंकों का दर्जा बढ़ाने तथा उन्हें न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्यों को सहायता की एक केन्द्रीय योजना शुरू की है। इस सहायता में रक्त बैंक के उपकरण तथा उपभोज्यों, रसायनों तथा अभिकर्मकों की खरीद के लिए आकस्मिक अनुदान शामिल है। सातवीं तथा आठवीं योजनाओं के दौरान 815 रक्त बैंकों को चरण-वार ढंग से आधुनिक बनाया गया है।

(घ) रक्त बैंकों के बुनियादी उपकरणों, उपभोज्यों, रसायनों अभिकर्मकों तथा परीक्षण किटों आदि की खरीद के लिए आकस्मिक अनुदानों के रूप में वर्ष 1995-96 1996-97 तथा 1997-98 के लिए क्रमशः 28.42 करोड़ रुपये, 38.67 करोड़ रुपये तथा 59.43 करोड़ रुपये की सहायता रक्त बैंक कार्यक्रम के लिए प्रदान की गई है।

विवरण

24.4.98 को सी॰ एल॰ ए॰ ए॰ उप महानियंत्रक (I) द्वारा अनुमोदित तथा अस्वीकृत रक्त बैंकों के आवेदनों की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं॰	राज्य का नाम	अनुमोदन हेतु सी॰ एल॰ ए॰ ए॰ द्वारा राज्यों से प्राप्त आवदेनों की संख्या					सी॰ एल॰ ए॰ ए॰ द्वारा अनुमोदित आवेदनों (लाइसेंसों) की सं॰					दोषपूर्ण पाए गए तथा परिशोधन हेतु राज्यों को भेजे गए आवदेनों की संख्या					जांच करने पर सी॰ एल॰ ए॰ ए॰ द्वारा अस्वीकृत आवदेनों की संख्या				
		जी॰	वी	पीएच	पीसी	कुल	जी	वी	पीएच	पीसी	कुल	जी	वी	पीएच	पीसी	कुल	जी	वी	पीएच	पीसी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	आन्ध्र प्रदेश	58	6	13	24	101	54	6	13	17	90			-	2	2	4		-	5	9
2.	अंड. एवं निको॰ द्वीप समूह	2	-		-	2	2	-		-	2	-		-	-	-		-	-		-
3.	अरुणाचल प्रदेश	2	1	-	-	3	1	1	-	-	2	-	-	-		-	1	-	-	-	1
4.	असम	13	2	4	3	22	12	2	4	3	21	-	-	-	-	-	1	-		-	1
5.	बिहार	20	2	4	7	33	19	1	4	5	29	-	-	-	-	-	1	1		2	4
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	3	-	-	-	3	3	-	-		3		-	-	-	-		-	-	-	-

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
7. दिल्ली	15	1	11	7	34	15	1	11	7	34		-	-			-				
8. गोवा	3	-	1	2	6	3	-	1	2	6		-	-	-	-	-	-		-	
9. गुजरात	29	21	21	54	125	19	21	15	40	95	-	-	-	-	-	10		6	14	30
10. हरियाणा	17	2	3	3	25	17	2	3	2	24	-	-	-	-	-	-	-		1	1
11. हिमाचल प्रदेश	12	-	-	-	12	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12. जम्मू एवं कश्मीर	8	-	-	-	8	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13. कर्नाटक	25	8	26	24	83	25	8	25	19	77	-	-	-	1	1	-	-	1	4	5
14. केरल	30	1	59	6	96	27	1	58	5	91	-	-	-	-	-	3	-	1	1	5
15. मध्य प्रदेश	37	4	10	25	76	33	4	9	12	58	-	-		-	-	4	-	1	13	18
16. महाराष्ट्र	69	36	40	83	228	57	31	36	72	196	-	-	-		-	12	5	4	11	32
17. मेघालय	2	-	1	-	3	2	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18. मणिपुर	3	-	-	-	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19. मिजोरम	3	-	2	-	5	3	-	2	-	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20. नागालैंड	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21. उड़ीसा	7	41	2	-	50	7	38	2		47	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3
22. पांडिचेरी	5	-	1	-	6	5	-	1		6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23. पंजाब	23	3	15	1	42	18	3	14	1	36	—	—	—	—	—	5	-	1	-	6
24. राजस्थान	43	1	1	1	46	43	1	1	1	46	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25. सिक्किम	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26. तमिलनाडु	72	7	27	48	154	66	7	27	46	146	2	—	—	—	2	4	—	—	2	6
27. त्रिपुरा	5	—	—	—	5	5	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28. उत्तर प्रदेश	76	1	11	24	112	76	1	11	16	104	—	—	—	5	5	—	—	—	3	3
29. पश्चिम बंगाल	69	3	7	13	92	66	2	7	6	81	—	—	—	—		3	1		7	11
कुल योग	653	140	259	325	1377	603	130	245	254	1232	2			8	10	48	10	14	63	135

	जी	वी	पीएच	पीसी	कल
अनुमोदन हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	653	140	259	327	1377
सी एल ए ए द्वारा अनुमोदित आवेदनों की संख्या	603	130	245	254	1232
सी एल ए ए द्वारा अस्वीकृत आवेदनों की संख्या	48	10	14	63	135
दोषपूर्ण पाए गए तथा परिशोधन हेतु राज्यों को भेजे गए आवेदनों की संख्या	2	-	-	8	10

जी–सरकारी

वी–स्वैच्छिक

पीएच–प्राईवेट अस्पताल

पीसी–प्राईवेट

डॉ॰ राम मनोहर लाहिया अस्पताल में उपलब्ध विशेषज्ञ

403. श्री भेरू लाल मीणा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली स्थित राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रत्येक विभाग में कुछ वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान बजट में निर्धारित धनराशि का उपयोग कर लिया गया है अथवा उक्त अवधि के दौरान कोई बचत की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या कार्डियोलोजी और कार्डियोथोरासिक सर्जरी विभाग के लिए उपकरणों के साथ-साथ कर्मचारियों के भी आधुनिकीकरण संबंधी कोई योजना थी;

(च) यदि हां, तो क्या कार्डियाथारासिक सेन्टर के उन्नयन की कथित योजना के अन्तर्गत खरीदे और लगाये गए उपकरण हार्ट लंग, मशीन और कार्डियाथोरासिक सर्जरी के सभी संबंधित उपकरणों के अभाव में बेकार पड़े हैं; और

(छ) यदि हां, तो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने और कार्डियाथोरासिक सेन्टर के उन्नयन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, हां। नेफरोलोजी सुपर स्पेशियल्टी विभाग जिसकी देखभाल इस समय एक अर्हता प्राप्त डाक्टर द्वारा की जा रही है, को छोड़कर डॉ॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के प्रत्येक विभाग में विशेषज्ञ उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान डॉ॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बजट के आवंटन में कोई बड़ी बचत नहीं हुई। पिछले तीन वर्षों के लिए बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक व्यय का विवरण संलग्न विवरण पर है।

(ङ) जी, हां। अस्पताल में हृदय विज्ञान विभाग की स्थापना 1982 में हुई थी। मई, 1993 में एक कैथ प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी और यह अगस्त, 1993 में चालू हो गई थी। डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल तथा सफदरजंग अस्पताल में हृदय विज्ञान तथा कार्डिया-थोरेकिक सर्जरी विभाग का दर्जा बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक वरिष्ठ कार्डियो-थोरेकिक सर्जन ने 27.11.98 को अस्पताल में अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

(च) और (छ) जी, नहीं। कैथ प्रयोगशाला में चलाई गई क्रियाविधियों के दौरान वैकल्पिक सुविधाओं के रूप में कुछेक उपकरण खरीदे गए हैं।

विवरण

अन्तिम तीन वर्ष के लिए डा॰ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली का व्यय विवरण

वित्तीय वर्ष		ब. अनु.	संशो. अनु.	वा. व्यय	बचत	अभ्युक्तियां
1995-96	योजना गैर योजना	6.05	6.20(ए)	5.11(बी)*	1.09	(क) इसमें जर्मन एंड कम्पोनेंट के 1.13 करोड़ रुपए शामिल हैं जिनका उपयोग वेतन एवं लेखाधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा विभिन्न उपकरण खरीदने के लिए किया जाएगा।
1996-97	योजना	7.06	7.06	6.63	0.43(ग)	(ख) इसमें जर्मन एंड इक्विपमेंट के कारण वेतन एवं लेखा अधिकारी द्वारा किया गया खर्च शामिल नहीं है।
	गैर-योजना	25.20	25.20	24.68	0.52(ग)	
1997-98	योजना	8.11	9.46	9.36	0.10	(ग) रिक्त पदों के न भरने तथा बिलों के प्राप्त न होने के कारण बचत हुई है।
	गैर योजना	23.35	27.53	27.48	0.05	

नोट : वास्तविक व्यय में वेतन एवं लेखा अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, वेतन एवं लेखा अधिकारी, शहरी विकास मंत्रालय के सुपुर्द रखी गई निधियां शामिल हैं।

संशोधित अनुमान से अधिक अतिरिक्त व्यय अन्तिम अनुमान अवस्था में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निधियों की मंजूरी के अनुसार उपगत किया गया है।

आई॰ सी॰ एम॰ आर॰ द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली कल्याणकारी योजनाएं

404. श्री रवि सीताराम नायक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई सी एम आर) द्वारा देश में परिवार कल्याण तथा आदिवासियों से संबंधित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन योजनाओं पर राज्य-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या सरकार द्वारा इन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करने की दिशा में कोई कदम उठाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनैक्शन

405. श्री बैजनाथ रावत :

श्री आर॰ एस॰ गवई :

श्री अजय मुखोपाध्याय :

श्री रामचन्द्र मलिक :

श्री रामटहल चौधरी :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1998-99 के लिए रसोई गैस कनैक्शन के लिए निर्धारित लक्ष्य में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस समय राज्य-वार रसोई गैस कनैक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने उपभोक्ता हैं;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्राथमिकता के आधार पर राज्य-वार कितने नए कनैक्शन जारी किए गए; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची में सभी उपभोक्ताओं को शीघ्र रसोई गैस कनैक्शन उपलब्ध कराने हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) सरकार ने वर्ष 1997-98 के लिए 40 लाख के लक्ष्य के प्रति सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों के माध्यम से वर्ष 1998-99 के लिए 25 लाख नए कनैक्शन तथा 25 लाख दोहरे सिलेंडर कनैक्शन जारी करने के विषय में अनुमोदन दे दिया है। मुंबई एवं विजाग आयात सुविधाओं का प्रचालन न होने तथा, जून, जुलाई, अगस्त, 1998 के आस पास चक्रवात के कारण कांडला में एल पी जी आयात सुविधायें भंग हो जाने के कारण इस संबंध में अपेक्षाकृत कम नामांकन की योजना तैयार की गई है। अब उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से और अधिक आयातों की व्यवस्था करके इस लक्ष्य को लगभग 35 लाख तक बढ़ाने की योजना है।

(ग) 1 अक्तूबर, 1998 को देश में सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों के वितरकों के पास पंजीकृत प्रतीक्षासूची में लोगों की संख्या लगभग 137.5 लाख थी।

(घ) वर्ष 1997-98 के लिए 40 लाख के प्रति गत दो वर्षों के दौरान देश में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनियों द्वारा जारी किए गए एल पी जी कनैक्शनों/दोहरे सिलेंडर कनैक्शनों की संख्या, जिसमें संसद सदस्यों के कोटे, ताज ट्रेपैजियम, तत्काल योजना, पर्वतीय क्षेत्र इत्यादि के प्रति वरीयतायें सम्मिलित हैं; के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

वर्ष	जारी किए गए कनैक्शन (लाख)	जारी किए गए दोहरे सिलेंडर कनैक्शन (लाख)
1996-97	23.4	22.41
1997-98	41.4	38.06

(ङ) प्रतीक्षा सूची के प्रति नए कनैक्शन जारी करना अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद उपलब्धता, विद्यमान वितरकों के पास उपलब्ध बकाया, हाल ही में आरंभ हुए वितरकों, अव्यहार्य वितरकों इत्यादि के लिए न्यूनतम वहनीय आवंटन पर निर्भर करता है। आयातों तथा स्वदेशी उत्पादन के माध्यम से एल पी जी की अपेक्षाकृत अधिक उपलब्धता से भविष्य में और अधिक कनैक्शन जारी करने की योजना है तथा वर्ष 2000-2001 तक समस्त प्रतीक्षा सूची निपटा लेने की आशा की जाती है।

मंत्रालय कर्मियों द्वारा हवाई यात्रा

406. श्री अमन कुमार नागरा :

श्री प्रदीप कुमार यादव :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान मंत्री के निजी स्टाफ द्वारा कितनी हवाई यात्राएं की गईं तथा उन देशों एवं राज्यों का नाम क्या है जिनका उन्होंने दौरा किया;

(ख) इन यात्राओं के क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक यात्रा पर वर्ष-वार कितनी राशि व्यय की गई;

(घ) क्या खर्चा मंत्रालय या कोई और कंपनी द्वारा वहन किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ङ) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

विवरण

1996-98 के दौरान मंत्री/राज्य मंत्री, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के वैयक्तिक कर्मचारियों द्वारा की गई वायुयान यात्राओं पर किया गया व्यय दर्शाने वाला विवरण।

वर्ष	वायुयान यात्राओं की संख्या	राज्य/देश जिसका दौरा किया	यात्रा के कारण	व्यय की गई धनराशि (रुपये)	व्यय किसके द्वारा वहन किया गया
1	2	3	4	5	6
1996-97	2	कर्नाटक	सरकारी दौरे पर मंत्री/राज्य मंत्री के साथ जाने के लिए	16,011	मंत्रालय
	12	तमिलनाडु	-तदैव-	1,35,866	-तदैव-
	2	महाराष्ट्र	-तदैव-	15,448	-तदैव-
	1	बिहार	-तदैव-	6,870	-तदैव-
		योग		1,74,195	
	2	गुजरात	-तदैव-	15,390	आई ओ सी
1997-98					
घरेलू	2	कर्नाटक	-तदैव-	21,080	मंत्रालय
	21	तमिलनाडु	-तदैव-	2,55,124	-तदैव-
	4	आन्ध्र प्रदेश	-तदैव-	31,843	-तदैव-
	4	महाराष्ट्र	-तदैव-	28, 985	-तदैव-
	1	पश्चिम बंगाल	-तदैव-	10,713	-तदैव-
	1	उत्तर प्रदेश	-तदैव-	3,522	-तदैव-
		योग		3,51,267	
	1	पश्चिम बंगावल	-तदैव-	12,115	आई ओ सी
	1	तमिलनाडु	तंजावूर, तमिलनाडु में एलपीजी भरण संयंत्र का शिलान्यास	13,910	एच पी सी एल

1	2	3	4	5	6
अंतर्राष्ट्रीय	1	चीन/हांगकांग	15वीं विश्व पेट्रोलियम कांग्रेस में भाग लेने और निवेश बैकर्स और अनिवासी भारतीयों के समूहों के साथ चर्चा करने के लिए	65,427	मंत्रालय
	1	फ्रांस	सरकारी दौरे पर राज्य मंत्री के साथ जाने के लिए	71,240	मंत्रालय
		योग		1,36,667	

[अनुवाद]

उर्वरक नीति

407. **डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**

श्री रामपाल सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई उर्वरक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति की घोषणा कब तक किए जाने की सम्भावना है;

(घ) क्या सरकार का यूरिया के वर्तमान प्रतिधारण मूल्य में अनेक परिवर्तन करने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस नीति से यूरिया की राजसहायता में 350 करोड़ रुपए होने संभावना है; और

(च) इस नीति में किए जाने वाले संभावित प्रमुख परिवर्तन क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० ए० के० पटेल) : (क) से (च) उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति (एच पी सी) ने नई उर्वरक नीति के संबंध में सिफारिश की है। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में उद्योग के साथ अन्तरमंत्रालीय परामर्श और बातचीत की गई है। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात नई उर्वरक नीति की घोषणा की जायेगी।

कुशल और अकुशल उत्प्रवासी

408. **श्री पी० एस० गढ़वी :**

प्रो० अजित कुमार मेहता :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रौटेक्टोरेट आफ एमिगरेंट्स देश भर में श्रमिकों को विदेश भेजने हेतु उनकी भर्ती करने के लिए उत्तरदायी हैं;

(ख) क्या बड़ी संख्या में कुशल/अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों को प्रति वर्ष मिडल-ईस्ट (मध्य-पूर्व) भेजा जाता है;

(ग) क्या सरकार ने देश में सभी पंजीकृत एजेंटों की एक डायरेक्टरी जारी करने पर बल दिया है;

(घ) यदि हां, तो उसे प्रकाशित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) शोषण के विरुद्ध इन श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए श्रम अतिश नियुक्त करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं ?

श्रम मंत्री (डॉ० सत्यनारायण जटिया) : (क) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत संविदात्मक नियोजन के लिए विदेश में भारतीय कर्मकारों की भर्ती पंजीकृत भर्ती एजेन्टों/परमिट धारकों द्वारा की जाती है न कि सरकार द्वारा/उत्प्रवास संरक्षियों के कार्यालयों को केवल उन्हीं कर्मकारों के लिए उत्प्रवास अनुमति प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है जिनके पासपोर्टों पर "उत्प्रवास जांच अपेक्षित" पृष्ठांकित होता है और जो कार्य के लिए बाहर जाना चाहते हैं।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उन कामगारों की संख्या, जो उत्प्रवास संरक्षियों के कार्यालयों से अनुमति प्राप्त करने के बाद कार्य के लिए विदेश गए हैं बहुत ही कम अर्थात 4.00 लाख प्रतिवर्ष रही है।

(ग) और (घ) पंजीकृत भर्ती एजेन्टों की निदेशिका पहले से ही उपलब्ध है और यह एक ऐसा प्रकाशन है जो मूल्य पर उपलब्ध है और जिसे समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। निदेशिका का अद्यतन संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है।

(ड॰) संबंधित भारतीय मिशनों में कार्यरत विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के माध्यम से विदेश में भारतीय कर्मकारों के कल्याण और हितों की रक्षा की जाती है। हमारे मिशन उन कर्मकारों को हर संभव सहायता प्रदान करते हैं जिन्हें विदेशी नियोजकों के साथ अपने नियोजन के दौरान किसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए, अभी तक किसी ऐसे देश की पहचान नहीं की गयी है जिसमें विशेष रूप से इस प्रयोजनार्थ श्रम मंत्रालय के अधिकारी तैनात हों। तथापि, भारतीय कर्मकारों की बहुलता वाले देशों में श्रम अटैची तैनात किए जाने की आवश्यकता पर विदेश मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी

409. प्रो॰ चमन लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में विगत तीन वर्षों के दौरान अक्तूबर 1998 तक सीमा पार से पाक सैनिकों द्वारा गोलाबारी के कारण कितने असैनिक तथा सैनिक मारे गए तथा घायल हुए;

(ख) क्या सीमापार से गोलाबारी के कारण खेती नहीं हो रही है;

(ग) यदि हां, तो कितने गांव प्रभावित हुए हैं; तथा पंडितों को सुरक्षा और सहायता पहुंचाने के लिए क्या कदम उठाएं गए हैं;

(घ) क्या सीमावर्ती गांवों के अनेक परिवारों को जबरन अन्यत्र भागना पड़ा है; और

(ङ) इस तरह के प्रवास को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ जम्मू के कुछ क्षेत्रों में सीमा पार से गोलाबारी के कारण कोई खेती नहीं हो सकी है।

(ग) से (ङ) जम्मू जिले की बिश्नाह, साम्बा और रंजीत सिंह पुरा तहसीलों और कठुआ जिले की हीरानगर तहसील में 2955 परिवार प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने प्रभावित व्यक्तियों हेतु एक माह के लिए 5 कि॰ ग्रा॰ प्रति व्यक्ति की दर से मुफ्त राशन उपलब्ध कराया है और हानि की मात्रा के आकलन के बाद इसमें वृद्धि करने की व्यवस्था की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह घोषणा भी की है कि मृत्यु के मामले में मृतक के निकटतम संबंधी को 1.00 लाख रु॰, स्थायी रूप से विकलांगता के मामले में 75,000/- रु॰ और गंभीर रूप से घायल होने के मामले में 5,000/- रु॰ तथा मामूली रूप से घायल व्यक्तियों को 500/-रु॰ से 1,000/- रु॰ तक का भुगतान किया जायेगा।

सीमा पार से हुई गोलाबारी के कारण कुछ ग्रामीण अस्थायी तौर पर तहसील मुख्यालयों में चले गये जिनमें से अधिकांश अब अपने-अपने गांवों को वापिस हो गए हैं।

सीमा-वर्ती क्षेत्रों में किसानों को उनके कृषि संबंधी कार्यकलापों के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायी जा रही है और ग्रामीणों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए हीरानगर तहसील के लौंडी गांव में एक सुरक्षा बंध का निर्माण किया जा रहा है।

[हिन्दी]

उर्वरक की मांग और उत्पादन

410. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह :

श्री सुशील कुमार शिंदे :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फास्फेट तथा पोटाश युक्त उर्वरकों पर राज सहायता में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर होने वाले अतिरिक्त वार्षिक व्यय तथा चालू वर्ष में बजटीय घाटे में कितनी वृद्धि होगी;

(ग) आगामी रबी की फसल के मद्देनजर इन उर्वरकों की समुचित तथा समय पर आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस वर्ष रबी फसल की खेती हेतु राज्य-वार कितनी मांग है तथा इसकी कितनी आपूर्ति की गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰) पटेल) : (क) कृषि तथा सहकारिता विभाग की रियायत स्कीम के तहत वर्ष 1998-99 के लिए फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरकों पर रियायत की अंतिम दरों की घोषणा नहीं की गई है। इसी बीच, निर्माताओं/आयातकर्ताओं को रबी 1997-98 में प्रचलित रियायत रशि के 90% की दर से भुगतान कर दिया गया था रबी 1998-99 के लिए रियायत की दरों में, औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर निर्णय लम्बित रहने तक तदर्थ आधार पर वृद्धि की गई है।

(ख) रियायत की अन्तिम दरों की अनुपस्थिति में अतिरिक्त वार्षिक व्यय और बजट घाटे में वृद्धि के अनुमान बताना कठिन है।

(ग) फास्फेटिक तथा पोटासिक उर्वरक नियंत्रणमुक्त है और उनकी उपलब्धता रियायत स्कीम के मानदण्डों के भीतर प्रचलित मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा प्रशासित होती है। रबी 1998-99 के दौरान सरकार ने डी ए पी और एम ओ पी वैसल्स के बन्दरगाहों पर लंगर डालने तथा बन्दरगाहों और संयंत्रों दोनों में रेल द्वारा प्राथमिकता पर उनकी निकासी को प्राथमिकता देकर सहायता प्रदान की है।

(घ) यूरिया की भांति भारत सरकार द्वारा नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की मांग का आकलन नहीं किया जाता। तथापि, चालू रबी मौसम के लिए राज्यों द्वारा डाई-अमोनियम फास्फेट (डी ए पी) और म्यूरिएट आफ पोट (एम ओ पी) की पूर्वानुमानित मांग तथा 1 अक्तूबर, 1998 से 15 नवम्बर, 1998 तक राज्य-वार उपलब्धता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1998-99 के दौरान अमोनियम फास्फेट (डी ए पी) तथा फास्फेट की (15.11.98) तक मांग और उपलब्धता

आंकडे "000" मी॰ टन

क्र स॰	राज्य का नाम	डी ए पी		एम ओ पी	
		रबी 98 के दौरान कुल आवश्यकता	15.11.98 को उपलब्धता	रबी 1998-99 के दौरान कुल आवश्यकता	15.11.98 को उपलब्धता
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	300.00	78.00 (54.00)	75.00	31.42 (21.00)
2.	कर्नाटक	75.00	29.00 (15.00)	85.00	29.32 (21.00)
3.	तमिलनाडु	110.00	65.00 (40.00)	175.00	74.37 (70.00)
4.	गुजरात	260.00	125.00 (95.00)	51.00	17.36 (15.00)
5.	मध्यप्रदेश	330.00	104.00 (207.00)	23.00	12.31 (14.50)
6.	महाराष्ट्र	150.00	43.00 (45.00)	100.00	10.20 (30.00)
7.	राजस्थान	200.00	89.00 (115.00)	4.00	0.93 (1.00)
8.	हरियाणा	270.00	130.00 (165.00)	3.00	2.53 (0.60)
9.	पंजाब	370.00	300.00 (200.00)	12.00	18.42 (5.50)
10.	उत्तर प्रदेश	600.00	353.00 (270.00)	90.00	53.35 (41.00)
11.	बिहार	180.00	110.00 (80.00)	70.00	30.30 (40.00)
12.	उड़ीसा	20.00	14.00 (3.00)	22.00	8.72 (3.40)
13.	प॰ बंगाल	200.00	89.00 (60.00)	160.00	28.89 (32.50)
14.	आसाम+ एनई राज्य	30.22	4.00 (19.00)	42.43	4.73 (19.50)
15.	अन्य छोटे राज्य	40.96	11.00 (12.00)	75.73	11.06 (23.00)
	योग	3136.18	1544.00 (1376.00)	988.16	333.91 (338.00)

कोष्ठक में दर्शाए गए आंकडे राज्यों द्वारा पूर्ण अनुमानित आवश्यकता दर्शाते हैं।

[अनुवाद]

आतंकवादियों द्वारा एन॰ सी॰ आर॰ का प्रयोग

411. **श्री बाला साहेब विखे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 अक्तूबर, 1998 के "द टाइम्स आफ इंडिया" में "मिलिटेन्ट्स यूजिंग एन॰ सी॰ आर॰ टू लाइ लो बीटवीन स्ट्राइक्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आतंकवाद विरोधी अभियानों में संलग्न बल संदिग्ध लोगों को मुश्किल से ही पीछा कर पाते हैं और आतंकवादी सीमा सुरक्षा चौकियों को आसानी से पार कर जाते हैं क्योंकि सीमा चौकी पर नाममात्र की चौकसी होती है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस, जम्मू और कश्मीर पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, हरियाणा पुलिस हिमाचल प्रदेश पुलिस और राजस्थान पुलिस के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद में मिलिटैन्ट गिरफ्तार किये थे जो कि दिल्ली में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त थे। पकड़े गये मिलिटैन्टों से की गई पूछताछ से पता चला है कि उनके नोएडा, पिलखुआ, गाजियाबाद (उ॰ प्र॰) और गुड़गांव में ठिकाने थे।

(ग) दिल्ली पुलिस संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करने का हर संभव प्रयास करती है परंतु कभी-कभी यह होता है कि विशिष्ट सूचना/आसूचना के उपलब्ध न होने के कारण, संदिग्ध व्यक्ति दिल्ली में चोरी से घुस जाने में सफल हो जाते हैं।

(घ) आसूचना का आदान-प्रदान करने, कार्रवाई योजनाओं पर विचार करने और चौतरफा समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने के

लिए इन राज्यों के मध्य सावधिक रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। ऐसी बैठकें व्यापक आधार पर समन्वय समिति (बी॰ बी॰ सी॰ सी॰) नोडल ग्रुपों और अंतर्राज्यीय समन्वय समिति की होती है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 14.10.98 को दिल्ली, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की थी। अंतर राज्य अपराधियों के विरुद्ध समन्वित आपरेशनों के लिए आतंकवादी और अपराधी गिरोहों द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं को पहचानने और उनसे निपटने के लिए कार्य योजना तैयार और कार्यान्वित करने, आसूचना और रणनीति का व्यापक समन्वय करने, अपराधियों द्वारा अपनाई गई रणनीतियों का कारगरता के साथ मुकाबला करने के लिए पुराने कानूनों का संशोधन करने और राज्य पुलिस बलों आदि को सुदृढ़ करने के लिए बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, एक विशेष कार्य बल का गठित करने की सिफारिश भी की गई।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम

412. **श्री आदित्य नाथ** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत किए गए कार्य का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कार्यक्रम के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि के आबंटित किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) और (ख) जी हां। भारत के महापंजीयक द्वारा नमूना पंजीकरण प्रणाली के वर्ष 1996 के अनुमानों के अनुसार असम, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को छोड़कर आठवीं पंचवर्षीय योजना में अशोधित जन्म-दर 26 का लक्ष्य सभी राज्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। नमूना पंजीयन प्रणाली 96 के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए शिशु मृत्यु-दर 70 का लक्ष्य असम (74), बिहार (71), मध्य प्रदेश (97), उड़ीसा (95), राजस्थान (85) और उत्तर प्रदेश (85) छोड़कर सभी राज्यों द्वारा प्राप्त किया गया था।

(ग) योजना आयोग द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 9वीं योजना परिव्यय अंतरिम रूप से 11016.78 करोड़ रुपये रखा गया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों का आबंटन राज्यवार नहीं किया गया है। अतः इन संसाधनों का उपयोग प्रत्येक राज्य में चल रहे कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है।

[अनुवाद]

उर्वरक संयंत्र स्थापित किया जाना

413. **श्री रंजीब बिस्वाल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले उर्वरक संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक संयंत्र की क्षमता कितनी है तथा इनमें कौन-कौन से उर्वरकों का उत्पादन किया जाएगा;

(ग) इन संयंत्रों को स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) इन संयंत्रों में किस वर्ष/तारीख तक वाणिज्यिक उत्पादन होने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) से (घ) देश के विभिन्न राज्यों में सरकारी/निजी क्षेत्र में स्थापित की जा रही प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

कार्यान्वयनाधीन प्रमुख उर्वरक परियोजना के ब्यौरे

क्र सं॰	कम्पनी/सहकारी समिति की परियोजना का नाम और स्थान	परिकल्पित उत्पादन	उत्पादन क्षमता (लाख एनटीपीए)		शून्य तारीख	प्रारम्भण की अनुमानित मूल तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3			4	5	6
(क)	*कार्यान्वयनाधीन परियोजना*						
01.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि॰, गडेपन (चरण-II) राजस्थान की विस्तार परियोजना	1256.00	यूरिया	7.75	25.12.96	31.12.99	31.12.99 को प्रारम्भ की संभावना

1	2		3		4	5	6
02.	डुकनस एण्डस्ट्रीज लि॰ पन्की, कानपुर (उ॰ प्र॰) (पर्याप्त विस्तार)	636.38	यूरिया	1.69	1.6.97	मई 2003	अमोनिया संयंत्र की सभी स्कीमें कार्यान्वयन के अग्रिम स्तर पर है। यूरिया संयंत्र के चरण-। के अंर्तगत, यूरिया रियक्टर, स्ट्रीम सी के लिए आर्डर, वैगन लोडर रखे गये हैं। हाइड्रोलाइजर यूनिट के लिए प्रस्ताव की जांच की जा रही है। सभी तीन चरणों के पूर्ण होने के पश्चात् क्षमता का विस्तार होगा।
03.	ओसवाल कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰ (नई) पारादीप (उड़ीसा)	1830.00	डीएपी एनपीके* एनपी*	15.00 3.20 1.00	सित॰. 97	सित॰, 99	सितम्बर 1999 तक आरम्भण की संरचना
04.	ज्यूरी इण्डस्ट्रीज लि॰ (पर्याप्त विस्तार) गोवा	30.44	एनपीके	1.50 अतिरिक्त	22.1.97	22.06.98	नवम्बर 1998 में आरंभ की संभावना
05.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लि॰ (जीएफसीएल) काकीनाडा (आ॰ प्र॰) (पर्याप्त विस्तार)	99.13	डीएपी	2.8	5.1.98	31.12.2001	कार्यान्वयन प्रारंभ
06.	गुजरात स्थित काण्डला में इफको की (चरण-।।) विस्तार परियोजना	212.20	एनपीके डीएपी	3.70 2.27	22.1.97	22.10.99	वास्तविक वित्तीय प्रगति
07.	हिन्दी लीवर केमिकल्स, हल्दिया प॰ बंगाल (नयी)	98.31	डीएपी एनपीके	3.00 1.00	23.2.98	अप्रैल, 1999	सिविल कार्य अग्रिम स्तर पर है। उपकरणों का स्थल पर पहुंचना आरंभ हो गया है।

डीएपी डाई-अमोनियम फास्फेट

एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम

एनपी नाइट्रोजन एण्ड फास्फोरस

पत्रकारों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

414. श्री सुशील कुमार शिंदे :

श्री माधवराव सिंधिया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्रकार और लेखक स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लिए पात्र हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन के सैनिकों को मान्यता मिले; और

(घ) वृद्ध पत्रकार स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या कितनी है जो गरीबी से बेहाल हैं?

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) पत्रकारों और लेखकों सहित वे सभी व्यक्ति जो स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत निर्धारित पात्रता मापदण्डों को पूरा करते हैं, उक्त योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं।

(घ) ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

नाबालिकों को रोजगार पर लगाना

415. श्री माधवराव सिंधिया : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने 14 वर्ष से कम बच्चों को रोजगार पर लगाने से रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने हेतु अनेक कदमों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार द्वारा की गई सिफारिशों के मद्देनजर बालक नियोजन अधिनियम (प्रतिबंध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 में उपयुक्त संशोधन करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

पूजा स्थलों पर आई॰ एस॰ आई॰ के हमलों का खतरा

416. श्री श्रीराम चौहान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वारका और सोमनाथ मंदिर सहित 12 पूजा स्थलों को इन्टर सर्विसेज इन्टेलीजेंस (आई॰ एस॰ आई॰) समर्थित विखण्डनकारी गिरोहों के हमले का खतरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को इस संबंध में कोई परिपत्र जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) आई॰ एस॰ आई॰ समर्थित विघटनकारी गिरोहों से द्वारका और सोमनाथ मंदिर सहित 12 तीर्थ स्थानों को खतरे के बारे में कोई विशिष्ट सूचना नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

गैर-अधिसूचित जनजाति आयोग

417. श्री आर॰ एस॰ गवई : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश भर में गैर-अधिसूचित जातियों और जनजातियों की कठिनाइयों का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय जांच आयोग स्थापित करने हेतु सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर निर्भर करते हुए अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या अन्य पिछड़ी जातियों के रूप में घोषित किया गया है। तदनुसार, ये समूह इन श्रेणियों को उपलब्ध लाभों को प्राप्त कर रहे हैं।

[हिन्दी]

उर्वरक उत्पादन में वृद्धि

418. श्रीमती सूर्याकांता पाटील : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी उर्वरक उत्पादन करने वाली इकाइयों को देश में उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु पिछले वर्षों के दौरान विभिन्न प्रोत्साहन दिए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) देश में वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 के दौरान उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितना निवेश किया गया?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) और (ख) देश में उर्वरकों के उत्पादन बढ़ाने के लिए उर्वरक परियोजनाओं/उर्वरक उत्पादक एककों को निम्नलिखित प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं:-

(I) सामान्यतः उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है।

(II) नए संयंत्र स्थापित करने/विद्यमान एककों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत मालों का निशुःल्क आयात।

(III) उर्वरक परियोजनाओं के पूंजीगत माल के स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं को संभावित निर्यात लाभ बशर्ते कि

ऐसी आपूर्तियां अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बोली प्रक्रिया के अंतर्गत की गई हों।

(IV) उर्वरक कच्चे माल और मध्यवर्तियों का निःशुल्क आयात।

(V) इस समय यूरिया पर लागत प्रतिधारण मूल्य सह राजसहायता योजना के अंतर्गत उद्यमियों को निवेश पर उचित लाभ।

(IV) पौध पोषकों के संतुलित प्रयोग को बढ़ाने के लिए अनियंत्रित उर्वरकों पर सरकार द्वारा विशेष रियायत प्रदान की जाती है। यह योजना कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है।

(ग) वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 (अप्रैल से अक्तूबर) के दौरान देश में उत्पादित उर्वरकों की कुल मात्रा के संबंध में सूचना संलग्न विवरण-। में दी गई है।

(घ) उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन क्षेत्र के उपक्रमों तथा सहकारी समितियों के वर्षवार योजना का व्यय संलग्न विवरण-।। में दिया गया है।

विवरण-।

1996-97 से 1998-99 तक उत्पादवार उर्वरक उत्पादन

उत्पाद का नाम	उत्पादन ("000 मी॰ टन) 1996-97	1997-98	1998-99 (अप्रैल-अक्तूबर)
1	2	3	4
यूरिया	15620.4	18595.7	10943.8
ए/एस	681.4	543.7	320.7
सीएएन	421.06	441.3	253.6
ए/सी	120.2	110.4	31.8
डीएपी	2758.9	3691.2	2322.8
एसएसपी	3080.3	3139.1	1653.0
20:20:0	1010.5	1008.0	534.8
15:15:15	351.5	331.7	209.5
20.7:20.7	249.0	246.8	128.8
17:17:17	436.1	430.9	317.4
10:26:26	200.5	301.2	124.2
12:32:16	337.0	362.3	63.7
14:35:14	109.7	142.9	67.0
19:19:19	142.8	156.2	43.8
28:28:0	232.5	147.7	73.7
16:20:0	169.9	200.2	107.5
23:23:0	162.5	179.3	81.8
14:28:14	184.0	10.3	26.2

विवरण-।।

उर्वरक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र/सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वार्षिक योजना व्यय

(रु॰ करोड़ों में)

क्र. सं॰	कम्पनी का नाम	1996-97	1997-98	1998-99 (बजट अनुमान अनंतिम)
1	2	3	4	5
1.	एफसीआई	39.00	55.00	48.00
2.	एफएसीटी	196.65	178.64	198.81
3.	एचएफसी	9.00	41.00	75.00
4.	एनएफएल	381.90	125.68	72.25
5.	आरसीएफ	118.08	163.67	355.45
6.	पीडीआईएल	1.10	2.00	2.00
7.	पीपीएल	36.31	49.50	10.00
8.	पीपीसीएल	4.00	6.00	1.50
9.	एमएफएल	313.28	66.28	62.55
10.	कृभको	33.83	33.56	967.15
11.	इफको	1020.81	628.34	441.91

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिकारियों के विरुद्ध सी॰ बी॰ आई॰ जांच

419. श्री सतनाम सिंह कैंथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सी॰ बी॰ आई॰ ने केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे

कि महानिदेशक, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के विरुद्ध अपने कर्मचारियों और सरकारी टेलीफोन का दुरुपयोग करने के मामले में कोई जांच की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों और उनके विरुद्ध की गई जांच के परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रारंभिक जांच के आधार पर, अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

जीवन रक्षक औषधियों की कमी

420. **श्री राजो सिंह** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषरूप से बिहार में जीवन रक्षक औषधियों की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये औषधियां बिहार में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों में भी उपलब्ध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में स्थिति का जायजा ले लिया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में रोगियों के लिए इन औषधियों की उपलब्धता और पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज्हिलमलाई) : (क) से (च) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डेरी और कृषि उत्पादों में हानिकारक पदार्थ

421. **श्री अमर पाल सिंह** :

श्री रामचन्द्र बैंदा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में डेरी और कृषि उत्पादों में कीटनाशकों और ऐसे अन्य हानिकारक पदार्थों के स्तर की निगरानी के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एज्हिलमलाई) : (क) से (ग) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के उपबंधों के अंतर्गत डेरी और कृषि उत्पादों सहित भिन्न-भिन्न खाद्य वस्तुओं के लिए भिन्न-भिन्न कृमिनाशकों और कीटनाशकों की अधिकतम सह्य सीमाएं निर्धारित की गई हैं। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 और नियम, 1953 के उपबंधों को कार्यान्वयन करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों को खाद्य वस्तुओं में कृमिनाशकों/कीटनाशकों के स्तर पर सख्त निगरानी रखने के लिए समय-समय पर परामर्श दिया गया है।

[हिन्दी]

सरसों के तेल में मिलावट

422. **श्री ए॰ एफ॰ गुलाम उस्मानी** :

श्री के॰ पी॰ नायडू :

श्री एम॰ राजैया :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में सरसों के तेल में मिलावट की साजिश आई॰ एस॰ आई॰) पाकिस्तान के मस्तिष्क की उपज है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और जांच का क्या नतीजा रहा है; और

(ग) भविष्य में ऐसी गतिविधियों का सामना करने के लिए क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) दिल्ली पुलिस और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक की गई जांच से दिल्ली में सरसों के तेल में मिलावट के मामलों में पाकिस्तान की आई॰ एस॰ आई॰ का संलिप्त होना प्रकट नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ

423. **श्री लक्ष्मण सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तानी घुसपैठिए जम्मू और कश्मीर सीमा से भारत में निरंतर घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में65हिन्दू परिवारों की बड़े पैमाने पर हत्या में भाड़े के विदेशी सैनिक शामिल थे; और

(ग) यदि हां, तो घुसपैठ और तस्करी रोकने तथा जम्मू और कश्मीर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी, हां, श्रीमान्।

(ग) स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सुसमन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित हैं:-सीमा प्रबंधन को सुदृढ करना, अन्दरूनी भागों में उग्रवादियों के खिलाफ प्रतिकारक कार्रवाई करके उनकी योजनाओं को निष्फल करना, सुरक्षा बलों की चौकियों स्थापित करना, ग्रामीण रक्षा समितियां गठित करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, उन्नत/आधुनिक हथियारों और संचार प्रणाली, प्रशिक्षण के साथ पुलिस का आधुनिकीकरण और उन्नयन/उग्रवादी विरोधी अभियानों को चलाने के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार को पर्याप्त धन उपलब्ध कराया गया है। जम्मू सैक्टर में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बाड़/तेल रोशनी की व्यवस्था का कार्य जून, 1995 में शुरू किया गया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से अकारण और लगातार गोलाबारी किए जाने के कारण इस कार्य को स्थगित करना पड़ा था ताकि सिविलियनों को नाहक हताहत होने से बचाया जा सके।

[हिन्दी]

डीजल पर उपकर

424. श्री चिन्ता मोहन :

प्रो॰ प्रेम सिंह चन्दूमाजरा :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डीजल पर उपकर लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत वर्ष के दौरान पेट्रोल पर उपकर लगाकर एकत्र की गई राशि का योजनाबद्ध ढंग से उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक योजना को आबंटित की गई राशि और वास्तविक राशि कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

दालों पर आयात शुल्क

425. श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दालों पर आयात-शुल्क समाप्त कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दालों को ओ॰ जी॰ एल॰ के अंतर्गत रखा गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके परिणामस्वरूप राजकोष को कितना नुकसान उठाना पड़ा है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) कस्टम टैरिफ के शीर्षक संख्या 07.13 के अधीन वर्गीकृत किये जाने योग्य दालों को दिनांक 2.11.98 की अधिसूचना के माध्यम से सीमा-शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है।

(ग) वर्तमान निर्यात-आयात नीति के अनुसार दालों का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

(घ) सीमा-शुल्क से छूट के कारण पूरे वर्ष में होने वाली राजस्व हानि के एक सौ करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

आई॰ एस॰ आई॰ समर्थित आंतकवादी गिरोह

426. श्री नृपेन गोस्वामी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर राज्यों में आई॰ एस॰ आई॰ समर्थित कुछ आतंकवादी गिरोह विद्रोह फैला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्रोह पर काबू पाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) और (ख) पूर्वोत्तर के विद्रोहियों को आई॰ एस॰ आई॰ द्वारा प्रशिक्षण, शस्त्र इत्यादि देने की रिपोर्टें हैं।

(ग) पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ शामिल हैं, अर्ध-सैनिक बलों और सेना की अतिरिक्त टुकड़ियों की तैनाती;

सुरक्षा बलों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना तथा अधिसूचना का आदान-प्रदान करना; राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण/उन्मूलन करना; राज्य सरकारों को विशेष केन्द्रीय सहायता की मंजूरी; गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्रों को "विक्षुब्ध क्षेत्र" घोषित करना तथा प्रमुख विद्रोही ग्रुपों को "गैर कानूनी संगठन" घोषित करना। स्थिति पर नजर भी रखी जाती है। उचित कार्रवाई करने हेतु इसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर

427. श्री पी॰ सी॰ थामस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर, केरल पूर्णकालिक अध्यक्ष हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अध्यक्ष ने लगभग 3000 कर्मचारियों की छंटनी करने की कोई सार्वजनिक घोषणा की थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ॰) क्या प्रबंधन की किसी कर्मचारी या कामगार की छंटनी की योजना है; और

(च) यदि हां, तो एफ॰ ए॰ सी॰ टी॰ को मजबूत और लाभकारी बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं। फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी एम डी) का पद पूर्व-पदाधिकारी की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात 13.3.98 से रिक्त पड़ा है। एफ ए सी टी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार 16.4.98 से राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि॰ (आर सी एफ) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को सौंप दिया गया है।

(ग) से (ङ) सितम्बर, 1998 को हुई वार्षिक आम बैठक के पश्चात कार्यकारी अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने प्रेस कांफ्रेंस में कम्पनी के कार्य निष्पादन में सुधार हेतु अनेक सुझाव दिए। अनावश्यक जनशक्ति का यौक्तिकरण तथा पुनपरिनियोजन उनमें से एक बताया गया। कामगारों की छंटनी के बारे में कोई उल्लेख नहीं था।

(च) एफ ए सी टी पिछले कई वर्षों से लाभ दर्शा रही है। इसने अप्रैल से अक्तूबर, 1998 की छः माह की अवधि में 78.99 करोड़ रुपए की अनंतिम हानि दर्शायी है। एम ए सी टी ने लाभकारी बने रहने के उद्देश्य से लागतों में कमी, उत्पादन में सुधार के अलावा भारत सरकार से अमोनिया रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट के सिद्धांत-पुनर्निर्धारण, ब्याज रियायतों को प्राप्त करने सहित विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई शुरू की है।

स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र प्रारंभ करना

428. डा॰ उल्हास वासुदेव पाटील : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 सितम्बर, 1998 के "दि इंडियन एक्सप्रेस" में "हेल्थ केयर सिस्टम इज कोलेपसिंग इन इंडिया" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार देश के वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र को विदेशी बीमा कंपनियों के लिए खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इन सेवाओं के कब तक उपलब्ध होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय है और अनेक राज्य सरकारें उदाहरणार्था आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा उन परियोजनाओं को कार्यान्वित कर रही हैं जिनका उद्देश्य राज्य स्वास्थ्य प्रणालियों का नवीकरण और उन्नयन करना है जिसमें विशेषतौर से प्रबंध में सुधार करना, भवनों का रख-रखाव, जनशक्ति लगाना, अनिवार्य उपकरणों, औषधों और उपभोज्यों की आपूर्ति करना शामिल है।

(घ) और (ङ) संयुक्त उपक्रम की कम्पनियों सहित निजी भारतीय कम्पनियों के लिए खोले जाने वाले बीमा क्षेत्र को समर्थ बनाने के लिए संसद के शीतकालीन सत्र में एक विधान लाया जायेगा। ये कम्पनियां स्वास्थ्य क्षेत्र सहित किसी भी क्षेत्र में व्यापार कर सकती हैं।

[हिन्दी]

मेडिकल कालेज कोटा (राजस्थान) को मान्यता

429. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में कोटा में चिकित्सा कालेज की स्थापना की गई थी;

(ख) इस मेडिकल कालेज को मान्यता देने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा निरीक्षण दल किस तारीख को भेजा गया था और इस दल ने अपनी रिपोर्ट में कौन-कौन सी कमियों का उल्लेख किया है;

(ग) निरीक्षण करने के पश्चात् इस निरीक्षण दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के विषय कौन-कौन से हैं;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद के निरीक्षक द्वारा अनुकूल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बावजूद कोटा मेडिकल कालेज को अभी तक मान्यता नहीं दी गई है?

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस कालेज को कब तक मान्यता दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) जी, हां। यह संस्थान राजस्थान राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक वर्ष 1991-92 में शुरू किया गया था।

(ख) और (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा कोटा स्थित मेडिकल कालेज का प्रथम निरीक्षण जुलाई 1995 में और द्वितीय निरीक्षण 4-5 नवम्बर 97 में तथा अंतिम निरीक्षण 18-19 नवम्बर 97 में किया गया था।

(घ) से (च) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने दिनांक 23.10.98 को हुई अपनी बैठक में इन निरीक्षण रिपोर्टों पर विचार करते हुए गवर्नमेंट मेडिकल कालेज कोटा में हर वर्ष पचास दाखिलों को अनुमोदित किया है।

[अनुवाद]

मोटर कारों में घरेलू एल॰ पी॰ जी॰ का उपयोग

430. श्री के॰ सी॰ कोडय्या : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कर्नाटक में घरेलू एल॰ पी॰ जी॰ का प्रयोग करके कई मोटर कारों को चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस परामर्शकों/एजेन्सियों को मोटर वाहनों में एल॰ पी॰ जी॰ सिलेण्डरों को प्रयोग करने की अनुमति दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो कर्नाटक में अपने वाहनों में घरेलू एल॰ पी॰ जी॰ का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) कर्नाटक में घरेलू एल पी जी सिलिंडरों के साथ मोटरकारें चलाए जाने का कोई साबित मामला नहीं है। तथापि अनुसंधान और विकास संगठन प्रायोगिक उद्देश्यों के लिए आटोमेटिव ईंधन के रूप में एल पी जी का उपयोग कर सकते हैं। अब तक वाहनों में आटोमोटिव ईंधन के रूप में एल पी जी का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम और तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (उपयोग पर प्रतिबंध) आदेश, 1974 द्वारा निषिद्ध है। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों, जो वर्तमान में उपयोग में है; द्वारा उत्पन्न किए जा रहे प्रदूषण में कमी करने के लिए सरकार विद्यमान अधिनियमों, नियमावली और विनियमों में संशोधन करने की प्रक्रिया में है ताकि आटोमोबिल क्षेत्र में एल॰ पी॰ जी॰ के उपयोग की अनुमति दी जा सके। अन्य उपयोगों के लिए घरेलू एल पी जी के विपथन के विरुद्ध तेल कंपनियों द्वारा कार्रवाई की जाती है।

निजी उद्यमियों द्वारा रसोई गैस का विपणन

431. श्री फांसिस्को सारदीना : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी उद्यमियों द्वारा किये जाने वाले रसाई गैस के समानान्तर विपणन के लिए एक नई नीति शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसके कब से प्रभावी होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इस नई नीति के फलस्वरूप उपभोक्ताओं और विशेषकर सरकारी राजस्व पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) और (ख) जी हां। सरकार ने निजी क्षेत्र द्वारा एल पी जी के समानान्तर विपणन की अनुमति फरवरी, 1993 में दे दी थी। इसके बाद एल पी जी का आयात अप्रैल, 1993 में नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था जिसके अंतर्गत निजी क्षेत्र को एल पी जी का आयात करने और अपनी शर्तों और निबंधनों के तहत इसका विपणन करने की अनुमति दी गई थी।

(ग) और (घ) समानान्तर विपणन योजना के आरंभ होने के बाद विदेशी कंपनियों सहित अनेक निजी पक्षकारों ने एल पी जी के आयात के लिए बुनियादी सुविधाएं, एल पी जी की भराई और वितरण नेटवर्क स्थापित करके इस योजना में भाग लिया है। संचयी तौर पर 31.10.1998 तक समानान्तर विपणन योजना के अंतर्गत विभिन्न बंदरगाहों पर लगभग 451.5 टी एम टी थोक एल पी जी का आयात 19 पक्षकारों द्वारा किया गया है। वर्ष 1997-98 के दौरान देश में एल पी जी की कुछ बिक्री में निजी पक्षकारों का हिस्सा लगभग 4.6 प्रतिशत था। वे औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू इस्तेमालों के लिए कुछ उपभोक्ताओं की एल पी जी की मांग पूरी कर रहे हैं। उनकी एल पी जी बिक्री, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के प्रयासों में सहायता करती है।

[हिन्दी]

औषधियों की उपलब्धता

432. श्रीमती शीला गौतम :

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मरीजों को जीवन रक्षक औषधियों को सस्ते दामों पर उपलब्ध कराने के लिए कोई नए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और बड़ी मात्रा में औषधियों का निर्माण करने वाली कम्पनियों के बीच सांठ-गांठ को तोड़ने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) और (ख) सरकार उचित कीमतों पर औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत समय-समय पर औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश का प्रख्यापान करती रही है। वर्तमान आदेश, जिसे औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 के रूप में जाना जाता है, को 6 फरवरी, 1995 को प्रख्यापित किया गया था। इस समय "औषध नीति, 1986 में संशोधन" के पैरा 22.7.2 में दिए गए मानदण्ड के प्रयोग द्वारा पहचाने गए 74 औषध तथा इनके सूत्रयोग मूल्य नियंत्रण के अधीन हैं। प्रतिस्पर्धात्मक एवं उचित मूल्यों पर औषधों की और अधिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भेषज क्षेत्र को, सिवाय 5 मदों के, पूरी तरह से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। इससे भेषज क्षेत्र में और अधिक एककों को आने में बढ़ावा मिलेगा।

(ग) बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा प्रपुंज औषध उत्पादक कंपनियों के बीच सांठ-गांठ का कोई मामला सरकार के नोटिस में नहीं आया है।

[अनुवाद]

बाल स्वास्थ्य केन्द्र

433. श्री अशोक प्रधान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में बाल स्वास्थ्य केन्द्र खोले हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने बच्चों को इन बीमारियों से दूर रखने के लिए कौन-कौन से उपचारात्मक उपाय किए हैं;

(घ) क्या सरकार ने सभी केन्द्रों और औषधालयों में दवाई उपलब्ध करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ङ॰) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों को इस संबंध में उपलब्ध की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में कुछ नए बाल स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा खोले गए किसी भी स्वास्थ्य केन्द्र को बाल स्वास्थ्य केन्द्र का नाम नहीं दिया गया है। तथापि, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें बाल स्वास्थ्य सेवाएं भी शामिल हैं, उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में खोले गए उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्या क्रमशः संलग्न विवरण I, II और III में दी गई हैं।

(ग) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीनों द्वारा रोके जा सकने वाले छः रोगों के प्रतिरक्षण, तीव्र श्वसनी संक्रमणों और अतिसार रोगों के उपचार, अनिवार्य नवजात शिशु परिचर्या तथा पौषणिक रक्ताल्पता और विटामिन ए की कमी की रोकथाम सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

(घ) से (च) उपकेन्द्रों को औषधियां, औषध किट ए और बी के माध्यम से वर्ष में दो बार प्रदान की जाती हैं। इसके अतिरिक्त राज्यों को औषधियों के लिए प्रतिवर्ष प्रति उपकेन्द्र 2000/- रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उपकेन्द्रों के रख-रखाव के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता, जिसमें दवाइयों का प्रावधान भी है, संलग्न विवरण-IV में दी गई है।

(छ) और (ज) बाल स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण-I

वर्ष 1995-96, 96-97 और 97-98 के दौरान उपकेन्द्रों की राज्यवार स्थापना

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	575*	509*	
2.	अरूणाचल प्रदेश	20		20
3.	असम			
4.	बिहार			
5.	गोवा			
6.	गुजरात			

1	2	3	4	5
7.	हरियाणा			
8.	हिमाचल प्रदेश	47	19	113
9.	जम्मू और कश्मीर			
10.	कर्नाटक	200	100	50
11.	केरल			
12.	मध्य प्रदेश	1		
13.	महाराष्ट्र			
14.	मणिपुर			
15.	मेघालय			
16.	मिजोरम		63*	
17.	नागालैंड			
18.	उड़ीसा			
19.	पंजाब			
20.	राजस्थान	692	700	200
21.	सिक्किम	3		
22.	तमिलनाडु			
23.	त्रिपुरा		1	
24.	उत्तर प्रदेश			
25.	पश्चिम बंगाल			
26.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह			1
27.	चण्डीगढ़			
28.	दादरा व नागर हवेली			
29.	दमण एवं दीव	2		
30.	दिल्ली			
31.	लक्षद्वीप			
32.	पाण्डिचेरी		1	
	अखिल भारत	1540	1393	436

*स्थापना वर्ष उपलब्ध नहीं है।

विवरण-II

वर्ष 1995-96, 96-97 और 97-98 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार स्थापना

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	52*		
2.	अरुणाचल प्रदेश	5		
3.	असम			
4.	बिहार			
5.	गोवा			1
6.	गुजरात	1	3	
7.	हरियाणा			1
8.	हिमाचल प्रदेश	12	11	55
9.	जम्मू व कशमीर			2
10.	कर्नाटक	20	30	92
11.	केरल	27		
12.	मध्य प्रदेश	194*		
13.	महाराष्ट्र			
14.	मणिपुर	2		
15.	मेघालय	1	2	1
16.	मिजोरम			
17.	नागालैंड			
18.	उड़ीसा	1		296
19.	पंजाब			
20.	राजस्थान	89	20	20
21.	सिक्किम			
22.	तमिलनाडु			
23.	त्रिपुरा		2	1
24.	उत्तर प्रदेश			47

1	2	3	4	5
25.	पश्चिम बंगाल			
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह			
27.	चण्डीगढ़			
28.	दादरा व नागर हवेली			
29.	दमण व दीव			
30.	दिल्ली			
31.	लक्षद्वीप			
32.	पाण्डिचेरी		17*	
	अखिल भारत	404	85	516

* स्थापना वर्ष उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-III

वर्ष 1995-96, 96-97 और 97-98 के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की राज्यवार स्थापना

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	37*	25*	
2.	अरुणाचल प्रदेश			
3.	असम			
4.	बिहार			
5.	गोवा			
6.	गुजरात	1		1
7.	हरियाणा	3		1
8.	हिमाचल प्रदेश			13
9.	जम्मू और कश्मीर			
10.	कर्नाटक	13	8	10
11.	केरल	5	4	
12.	मध्य प्रदेश			
13.	महाराष्ट्र		5	4
14.	मणिपुर	1		
15.	मेघालय			3
16.	मिजोरम			
17.	नागालैंड			
18.	उड़ीसा			
19.	पंजाब	1		
20.	राजस्थान		5	
21.	सिक्किम	10		
22.	तमिलनाडु			
23.	त्रिपुरा			
24.	उत्तर प्रदेश			48
25.	पश्चिम बंगाल			
26.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह			
27.	चण्डीगढ़			
28.	दादरा व नागर हवेली			
29.	दमण व दीव			
30.	दिल्ली			
31.	लक्षद्वीप			
32.	पाण्डिचेरी			
	अखिल भारत	71	47	80

* स्थापना वर्ष उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण-IV

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 97-98 में प्रदान की गई राज्यवार वित्तीय सहायता

क्रम सं॰	राज्य	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1400.00	1400.00	1433.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	22.00	22.00	27.00

1	2	3	4	5
3.	असम	830.00	830.00	1216.00
4.	बिहार	890.00	1210.00	2577.00
5.	गोवा	14.00	14.00	20.00
6.	गुजरात	938.00	938.00	1390.00
7.	हरियाणा	310.00	310.00	491.00
8.	हिमाचल प्रदेश	210.00	210.00	339.00
9.	जम्मू व कश्मीर	232.50	232.50	336.00
10.	कर्नाटक	664.00	664.00	1525.00
11.	केरल	970.00	970.00	1245.00
12.	मध्य प्रदेश	1010.00	1350.00	2087.00
13.	महाराष्ट्र	1670.00	1670.00	1992.00
14.	मणिपुर	80.00	80.00	80.00
15.	मेघालय	60.00	60.00	60.00
16.	मिजोरम	21.00	21.00	25.00
17.	नागालैंड	70.00	70.00	70.00
18.	उड़ीसा	730.00	730.00	1218.00
19.	पंजाब	205.00	205.00	326.00
20.	राजस्थान	1430.00	1430.00	1875.00
21.	सिक्किम	80.00	80.00	60.00
22.	तमिलनाडु	770.00	1110.00	1776.00
23.	त्रिपुरा	70.00	70.00	101.00
24.	उत्तर प्रदेश	4800.00	3000.00	3000.00
25.	पश्चिम बंगाल	1470.00	1470.00	1861.00
	योग	18545.50	18946.50	26000.00

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आयोग

434. श्री थावर चन्द गेहलोत : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु वर्तमान अधिनियम में विभिन्न संशोधन करने या नए कानून बनाने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग से सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए कानूनों अथवा वर्तमान अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों का क्या ब्यौरा है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निपटाए जा रहे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंधित कुछ विषयों पर वर्तमान अधिनियमों/कानूनों में संशोधन करने के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं। संविधान (65 वां संशोधन) अधिनियम, 1990 की धारा 6 के अंतर्गत आयोग की रिपोर्ट को की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सभा पटलों पर रखना होता है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग ने सरकार को अभी तक 4 रिपोर्ट तथा एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की है। आयोग की पहली तथा दूसरी विशेष रिपोर्ट की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन के साथ पहले ही दोनों सभापटलों पर रख दी गई है। आयोग की इसकी तीसरी तथा चौथी रिपोर्ट की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी ज्ञापन तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है और जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होती है, की गई कार्रवाई ज्ञापन दोनों सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्य

435. श्री भीम दाहाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिक्किम समेत प्रत्येक पूर्वोत्तर राज्य में कृषि, व्यापार तथा उद्योगों को बढ़ावा देने से सम्बद्ध केन्द्रीय एजेन्सियों की वर्तमान स्थिति कैसी है तथा उनकी वित्तीय भागीदारी कितनी है;

(ख) केन्द्रीय एजेन्सियों के द्वारा 1998-99 के दौरान प्रत्येक राज्य के लिए तैयार योजनावार वित्तीय कार्यक्रम क्या है; और

(ग) इस संबंध में राज्यवार कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आई॰ एस॰ आई॰ एजेन्ट

436. श्री रामकृष्ण बाबा पाटिल : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई॰ एस॰ आई॰ के एजेन्ट अफगान निवासियों के रूप में देश में घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो आई॰ एस॰ आई॰ के ऐसे कितने एजेंटों की पहचान की गई है;

(ग) क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार इन आई॰ एस॰ आई॰ एजेन्टों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) यह कहना सही नहीं है कि आई॰ एस॰ आई॰ के एजेन्टों की अफगानी निवासियों के रूप में देश में घुसपैठ कराई गई है। तथापि, आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तानी आई॰ एस॰ आई॰/पाकिस्तान इन्टेलिजेन्स एजेंसियों के कहने पर बड़ी संख्या में भाड़े के अफगानी सैनिक कश्मीर घाटी में प्रवेश कराए गए हैं।

(ख) 1991 से 1998 तक के दौरान पहचाने गए अफगानियों की संख्या 85 है।

(ग) से (ङ) गिरफ्तार किए गए आई॰ एस॰ आई॰ एजेन्टों/भाड़े के अफगानी सैनिकों के विरुद्ध संबंधित कानूनों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।

चण्डीगढ़ में सी॰ जी॰ एच॰ एस॰ औषधालय खोलना

437. श्री सत्यपाल जैन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो क्या कारण हैं; और

(ग) यह औषधालय कब तक काम करना शुरू कर देगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) चंडीगढ़ में के॰ स॰ स्वा॰ यो॰ औषधालय खोलने का एक प्रस्ताव वार्षिक योजना 1998-99 में शामिल कर लिया गया है।

(ख) और (ग) के॰ स॰ स्वा॰ यो॰ के विस्तार हेतु स्टाफ बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय एक समिति के॰ स॰ स्वा॰ यो॰ के विद्यमान औषधालयों का कार्य अध्ययन कर रही है जिस पर, अन्य बातों के साथ-साथ के॰ स॰ स्वा॰ यो॰ के औषधालयों का आगे विस्तार की योजनाएं निर्भर करती हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष लेखा परीक्षा दल

438. श्री बीर सिंह महतो :

श्री भूपिन्द्र सिंह हुड्डा :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष लेखा परीक्षा दल के गैर-सरकारी सदस्यों ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन के लिए विचार किए गए मामलों की पुनः जांच कराने पर असहमति व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पेंशन के शेष मामलों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) पहले निरस्त किए गए लगभग 800 मामलों में विशेष लेखा परीक्षा दल के गैर-सरकारी सदस्यों ने पेंशन मंजूर करने की सिफारीश की थी। उनकी सिफारिशें, अन्य बातों के साथ-साथ, उनकी व्यक्तिगत जानकारी और स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के प्रावधानों के उदारवादी दृष्टिकोण पर आधारित थी। कुछ मामलों में उन्होंने आवेदकों को शंका का लाभ भी दिया। अब तक उनके द्वारा सिफारिश किए गए 650 मामलों में पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है। 50 मामलों में उनके द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करना संभव नहीं पाया गया है। शेष मामलों को संबंधित राज्य सरकारों/आवेदकों के साथ उठाया गया है।

आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात

439. श्री के॰ येरननायडू : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया से गेहूं का आयात करने संबंधी निर्णय लेने से पहले भण्डारण सुविधाओं पर विचार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो आयातित गेहूं का पत्तनों में पड़े रहने का क्या कारण है; और

(ग) पत्तनों से गेहूं उठाए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलो के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) जी, हां।

(ख) पत्तनों पर आयतित गेहूं नहीं पड़ा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

संसद सदस्यों के पत्रों का उत्तर

440. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों तथा गृह सचिवों को संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का उत्तर नहीं देने हेतु उन्हें कोई निदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों का अनिवार्य रूप से उत्तर दिए जाने हेतु क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसद सदस्यों से प्राप्त होने वाले पत्र व्यवहार पर तुरंत कार्रवाई करने के संबंध में केन्द्रीय सचिवालय की कार्यालय प्रक्रिया पुस्तिका में स्पष्ट दिशा-निर्देश निर्धारित हैं। राज्य सरकारों का ध्यान इन दिशा-निर्देशों की ओर इस अनुरोध के साथ खींचा गया है कि वे अपने नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों और सार्वजनिक उपक्रमों को उचित दिशा-निर्देश जारी करें।

[अनुवाद]

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश

441. श्री संदीपान थोरात : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अंतर्गत मूल्य नियंत्रण हेतु लगभग 15 औषधियों को रखते हुए सामान्य उदारीकरण नीति के अनुसार उक्त आदेश के अधीन औषधियों के मूल्य घटाने और औषधि सूची को सुव्यवस्थित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री : (डा॰ ए॰ के॰ पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) 6 जनवरी, 1995 को औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश के प्रख्यापन के बाद कुछेक औषधों को कीमत नियंत्रण में शामिल करने के विरूद्ध सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिन्हें "संशोधित औषध नीति, 1986" में अधिसूचित मानदंडों के अनुसार निपटा दिया गया था।

दिल्ली पुलिस में रिक्त पद

442. प्रो॰ अजित कुमार मेहता :

श्री विजय कुमार "विजय" :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण पद रिक्त पड़े हैं जिसके परिणाम-स्वरूप दिल्ली में अपराधों में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं; और

(ग) रिक्त पदों को कब तक भर दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

असामान्य प्रसव

443. श्री के॰ पी॰ मोहन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में असामान्य प्रसव के कारण 30 प्रतिशत नवजात शिशुओं को मिरगी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस रोग के उपचार में आयुर्वेदिक चिकित्सा की सफलता दर 95 प्रतिशत है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त रोग के उपचार के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एझिलमलाई) : (क) और (ख) मिरगी के कई कारण हैं जिनमें असामान्य प्रसवों के दौरान उत्पन्न नवजात शिशु का अभिघात से पीड़ित होना शामिल है। असामान्य प्रसवों के कारण हुए मिरगी के मामलों का सही अनुपात उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने एक औषध तैयार की है जिसका कोड नाम "आयुष-56" है। इस

औषध ने मिरगी के उपचार में आशाजनक परिणाम दर्शाए हैं। केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद ने इस औषध को पेटेंट किया है और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के माध्यम से इसका वाणिज्यीकरण किया है। कई निजी फार्मेस्युटिकल फार्में इसका निर्माण कर रही हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल पंप

444. श्री सुरेश चन्देल :

श्री राजवीर सिंह :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में रसोई गैस एजेंसी, पेट्रोल और डीजल पंपों की स्थापना की पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं तथा पेट्रोल पंप राज्य के सिर्फ चुनिन्दा शहरों में उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को राज्य के दूर-दराज क्षेत्रों में पेट्रोल पंपों की स्थापना हेतु स्थानीय संसद सदस्यों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (घ) विभिन्न क्षेत्रों में पेट्रोल पम्प और एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए संसद सदस्यों/अति विशिष्ट व्यक्तियों से समय-समय पर अनुरोध प्राप्त होते रहते हैं। वर्तमान नीति के अनुसार खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप और एल पी जी डीलरशिप, संबंधित स्थान की व्यवहार्यता और आर्थिक साध्यता के अध्यधीन उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न स्थानों पर खोले जाते हैं। तदनुसार विज्ञापन और डीलर चयन बोर्ड के माध्यम से चयन की सामान्य चयन प्रक्रिया के तहत डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों की नियुक्ति के लिए व्यवहार्य स्थान विपणन योजनाओं में शामिल किए जाते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के संरक्षण के लिए भारी संख्या में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप और विस्तार केन्द्र सीधे राज्य सरकार के उपक्रमों को आबंटित किए गए हैं।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में रोगियों के लिए सुविधाओं में वृद्धि

445. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रतिदिन कितने रोगी दाखिल होते हैं, कितने रोगियों का इलाज होता है और कितने रोगियों की शल्य चिकित्सा की जाती है और यह सुविधाएं कितने रोगियों को नहीं मिल पाती हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त अस्पतालों में रोगियों से एकत्र की गई सूचना की समीक्षा करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अस्पतालों में रोगियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) वर्ष 1997-98 के दौरान संस्थान में प्रतिदिन भर्ती किए गए, उपचार किए गए शल्य चिकित्सा आपरेशन किए गए रोगियों की संख्या क्रमशः 6326, 344 तथा 352 है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपलब्ध संसाधनों के भीतर सुविधाओं का उन्नयन एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त संस्थान के पास अस्पताल के विभिन्न विभागों के कार्य निष्पादन तथा उनकी कुशलता मानीटर करने के लिए अपनी निजी घरेलू सर्वेक्षण तथा निरीक्षण प्रणाली है।

[अनुवाद]

चीनी पर विनियंत्रण

446. श्री राजनारायण पासी :

श्री ए॰ सी॰ जोस :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीनी उद्योग से संबंधित उच्च अधिकार प्राप्त समिति ने भविष्य में लेवी चीनी की वर्तमान मात्रा कम करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 30 सितम्बर, 1998 को चीनी का शेष स्टाक क्या था तथा 1998-99 के दौरान चीनी के कितने उत्पादन का आकलन किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी को विनियंत्रित करने तथा हटा लेने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस नीति को लागू करने के बाद विभिन्न राज्यों में विशेषकर केरल में विभिन्न चरणों में चीनी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ने की आशा है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। उच्चाधिकार समिति ने दो वर्षों से अधिक अवधि के भीतर चीनी के पूर्ण विनियंत्रण की सिफारिश की है। समिति ने आगे सिफारिश की है कि दो वर्षों की समाप्ति होने पर जब चीनी का पूर्ण विनियंत्रण प्रभावी हो जाएगा तब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चीनी की आपूर्ति को समाप्त किया जा सकता है।

(ग) 30.9.98 की स्थिति के अनुसार चीनी मौसम 1997-98 से अनन्तिम आधार पर चीनी का शेष स्टॉक 53.7 लाख टन है। चीनी मौसम 1998-99 के दौरान 150 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान है।

(घ) से (च) चीनी के विनियंत्रण के बारे में महाजन समिति द्वारा की गई सिफारिश की जांच की जा रही है। इस संबंध में जब भी कोई निर्णय लिया जाता है तो मूल्यों पर पड़ने वाले इसके संभावित प्रभाव तथा अन्य विभिन्न पहलुओं को भी ध्यान में रखा जायेगा।

मेडीकल प्लांट संबंधी योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता

447. श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कालेज आफ एग्रीकल्चर कोल्हापुर द्वारा प्रस्तुत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग द्वारा मेडिकल प्लांट्स योजनाओं के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही दो परियोजनाओं का अनुमोदन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वित्तीय सहायता कब तक उपलब्ध किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) से (ङ) औषध पादपा उद्यानों की स्थापना एवं आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथी में प्रयोग होने वाले औषधा पादपों को कृषि तकनीक के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करन हेतु केन्द्रीय स्कीम के तहत औषध पादप उद्यान एवं औषध पादपों को कृषि तकनीक के विकास के लिए वित्तीय सहायता हेतु भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग को कृषि कालेज, कोल्हापुर में दो परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं।

ये प्रस्ताव जांच समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गये। औषध पादप उद्यान स्थापित करने संबंधी पहला प्रस्ताव धन की कमी के कारण स्थगित कर दिया गया। कृषि तकनीकों के विकास संबंधी दूसरा प्रस्ताव तकनीक आधारों पर स्थगित कर दिया गया है।

[हिन्दी]

कालाजार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता

448. श्री प्रभाष चन्द्र तिवारी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में कालाजार के बढ़ते प्रकोप का सामना करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन से सम्पर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन से किस प्रकार सहायता मांगी गई है; और

(ग) देश में कालाजार को रोकने और इसके उन्मूलन के लिए क्या उपाय किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन पुनरअभिविन्यास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से क्षमता बढ़ाने एवं सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण घटकों के लिए कालाजार नियंत्रण कार्यक्रम को सहायता देती रही है।

(ग) कालाजार के नियंत्रण हेतु अपनाई गई कार्य-नीतियां/उपाय निम्नलिखित हैं:-

1. केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को निःशुल्क कालाजार की औषधों की आपूर्ति करना।
2. प्रभावित क्षेत्रों में कीटनाशी छिड़काव करके वेक्टर नियंत्रण द्वारा रोग फैलने से रोकना।
3. रोग का शीघ्र पता लगाना एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रणाली के माध्यम से पूर्ण उपचार करना।
4. स्वास्थ्य शिक्षा एवं लोगों की भागीदारी।

[अनुवाद]

श्रमिकों के बारे में सर्वेक्षण

449. श्री अजय मुखोपाध्याय : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों में नियमित और नैमित्तिक श्रमिकों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

श्रम मंत्री (डा॰ सत्यनारायण जटिया) : (क) और (ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार विस्तृत श्रम बल सर्वेक्षण करता है। सर्वेक्षण व्यापक उद्योग समूह के नियमित एवं नैमित्तिक कर्मकारों से संबंधित डाटा उपलब्ध कराता है। इस तरह का अंतिम सर्वेक्षण 1993-94 में किया गया एवं परिणाम रिपोर्ट संख्या 409 में ''भारत में रोजगार एवं बेरोजगारी 1993-94'' नामक शीर्षक से प्रकाशित किया गया। रिपोर्ट में यथा प्रस्तुत रोजगार की स्थिति के अनुसार सामान्य रूप से प्रति हजार रोजगार प्राप्त व्यक्तियों संबंधी विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

रोजगार की स्थिति के अनुसार सामान्य रूप से प्रति हजार रोजगार प्राप्त व्यक्तियों का वितरण

क्र॰ सं॰	राज्य/संघ शासित प्रदेश	सामान्य प्रमुख स्थिति					
		ग्रामीण			शहरी		
		स्व-नियोजित	नियमित रूप से रोजगार प्राप्त	अनियमित मजदूर	स्व-नियोजित	नियमित रूप से रोजगार प्राप्त	अनियमित मजदूर
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	464	55	481	389	358	253
2.	अरुणाचल प्रदेश	853	124	23	215	700	85
3.	असम	531	166	303	437	447	116
4.	बिहार	518	43	439	467	367	166
5.	गोवा	324	357	319	337	470	193
6.	गुजरात	463	74	463	360	438	202
7.	हरियाणा	617	130	253	402	453	145
8.	हिमाचल प्रदेश	820	90	90	343	571	86
9.	जम्मू और कश्मीर	738	153	109	407	548	45
10.	कर्नाटक	536	55	409	389	392	219
11.	केरल	382	132	486	354	292	354
12.	मध्य प्रदेश	598	46	356	403	399	198
13.	महाराष्ट्र	467	81	452	349	518	133
14.	मणिपुर	803	142	55	596	376	28
15.	मेघालय	796	64	140	331	566	103
16.	मिजोरम	913	77	10	609	337	54
17.	नागालैंड	736	232	32	389	552	59
18.	उड़ीसा	532	53	415	362	472	166
19.	पंजाब	536	136	328	465	421	114

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	राजस्थान	763	55	182	480	412	108
21.	सिक्किम	549	283	168	448	485	67
22.	तमिलनाडु	396	101	503	344	388	268
23.	त्रिपुरा	554	134	312	372	497	131
24.	उत्तर प्रदेश	722	52	226	566	315	119
25.	पश्चिम बंगाल	516	113	371	353	490	157
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	475	369	156	169	639	192
27.	चण्डीगढ़	309	261	430	295	602	103
28.	दादरा और नागर हवेली	223	131	646	340	502	158
29.	दिल्ली	384	288	328	441	415	144
30.	दमन और दीव	324	656	20	418	471	111
31.	लक्षद्वीप	270	537	193	407	465	128
32.	पाण्डिचेरी	326	202	472	281	432	287
	योग	553	72	375	404	416	180

पेट्रोल पम्पों की नीलामी

450. डॉ॰ रवि मल्लु : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल निगम ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार पेट्राल पम्पों और रसोई गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिप नीलाम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में सफल बोलीदाता और नीलामी से प्राप्त राशि का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द की गई 15 खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों में से केवल उन 5 खुदरा बिक्री केन्द्रों की नीलामी करनी पड़ी, जो आरंभ किए गए थे। 5 खुदरा बिक्री केन्द्रों में से माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नीलामी नोटिस को रद्द कर दिए जाने के कारण एक खुदरा बिक्री केन्द्र की नीलामी नहीं की जा सकी। नीलाम किए गए शेष चार खुदरा बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

	मूल डीलर का नाम/ नीलाम किए जाने वाला स्थान	उच्चतम बोलीदाता का नाम	धनराशि (रुपए)
	1	2	3
(1)	श्रीमती विजया नायर, दिल्ली	श्री महावीर प्रसाद सैनी	3.11 करोड़
(2)	श्री अरूण कुमार गुप्ता, चंडीगढ़	श्री अमरजीत सिंह रंधावा	1.75 करोड़
(3)	श्री बैंजामिन के॰ होल्लोहान दीमापुर (नागालैंड)	श्री बैंजामिन	15.75 लाख
(4)	श्री धर्मेन्द्र कुमार टूंडला (उ॰ प्र॰)	श्री राम कुमार गुप्ता श्री अमित कुमार जैन साझेदारी से	45.0 लाख

नाफ्था के प्रयोग पर प्रतिबंध

451. श्री प्रमथेस मुखर्जी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाफ्था का प्रयोग प्रतिबंधित है और तेल निगम द्वारा अपनी रिफाइनरियों से लघु इकाईयों को 12 के॰ एल॰ एस॰ प्रति माह की छोटी मात्रा भी जारी का जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में तेल निगमों को आदेश जारी करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) से (ग) 1.4.1998 से नाफ्था के नियंत्रणमुक्त उत्पाद बनने के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विद्युत के उत्पादन के अलावा नाफ्था के लिंकेज का अनुमोदन बंद कर दिया। सरकार ने नाफ्था के उपयोग अथवा आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। तथापि, मिलावट के लिए इस उत्पाद के विपथन को रोकने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विभिन्न क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को तेल कंपनियों द्वारा नाफ्था के आबंटन के लिए दिशानिर्देश जारी किए जो निम्नानुसार हैं;

तेल कंपनी स्वयं नाफ्था को आबंटन और आपूर्ति करेगी। तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी ई सी) की सिफारिशों के आधार पर 50000 एम टी प्रतिवर्ष से कम की आवश्यकता वाली लघु पैमाने की इकाइयों के संबंध में नाफ्था की आपूर्ति आरंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए वचनबद्धित की जानी चाहिए और संबंधित तेल कंपनी को संयंत्र का दौरा करना चाहिए और एक स्पष्ट प्रमाणपत्र रिकार्ड करना चाहिए कि नाफ्था का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, जिसके लिए यह आबंटित/आपूर्ति किया गया है। नाफ्था को मानक विनिर्देशों के अंतिम उत्पादों के उत्पादन के लिए उपयोग करने और उत्पाद को वास्तविक ग्राहकों को बिक्री करने के साबित होने पर संबंधित तेल कंपनी और यदि आवश्यक हो तो टी ई सी द्वारा प्रतिवर्ष उपयुक्त उपयोग के सत्यापन के बाद 3 वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर आपूर्ति की जा सकती है। इकाई द्वारा संतोषजनक कार्यनिष्पादन के 3 वर्ष बाद नाफ्था का नियमित आवंटन किया जा सकता है।

एल॰ एन॰ जी॰ परियोजनाएं

452. **श्री टी॰ आर॰ बालू** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पेट्रोनेट एल॰ एन॰ जी॰ कार्पोरेशन द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न एल॰ एन॰ जी॰ परियोजनाओं की निगरानी कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोनेट एल एन जी का गुजरात में दहेज में 5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम एम टी पी ए) की क्षमता वाली एल एन जी परियोजना और केरल में कोचीन में 2.5 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एम एम टी पी ए) की क्षमता वाली परियोजना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना से पहले के कई कार्य पूरे कर लिए हैं और दहेज और कोचीन में भूमि के संबंध में आशय-पत्र प्राप्त कर लिया है। कंपनी दोनों परियोजनाओं के लिए इंजीनियरिंग अधिप्राप्ति निर्माण संविदाकार (ई पी सी सी) का चुनाव करने की प्रक्रिया में है। तत्पश्चात, यह अनुमान है कि परियाजनाओं के निर्माण में लगभग 36 से 42 महीने लग सकते हैं। कंपनी का मध्य-1999 तक वित्तीय समापन पूर्ण कर लेने का अनुमान है।

पेट्रोनेट एल एन जी ने मलेशिया की पेट्रोनास के साथ सहयोग करते हुए तमिलनाडु में एन्नोर में एल एन जी टर्मिनल की स्थापना करने के लिए तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम (टी आई डी सी ओ) द्वारा जारी निविदा के संबंध में भी बोली दी है। टी आई डी सी ओ के निर्णय की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा

453. **श्री रामपाल उपाध्याय** :

श्री जयसिंहजी चौहान :

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के ग्रामीण/सुदूर क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मध्यावधि समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या योजना अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरे कर लिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) देश के ग्रामीण/दूरवराज क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं का भंडारण करने के लिए गोदामों का निर्माण करने हेतु और सचल उचित दर दुकानों के रूप में उपयोग करने तथा उपभोक्ता के घर तक प्रभावी और दक्ष

सुपुर्दगी हेतु उचित दर दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं को ले जाने के लिए ट्रकों/वैनों की खरीदारी करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। इन दो योजनाओं के अधीन पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुहैया की गई सहायता निम्नानुसार है:-

वर्ष	गोदाम योजना			मोबाइल वैन योजना	
	क्षमता टन में	गोदामों की संख्या	राशि (लाख रु० में)	वाहनों की की संख्या	राशि (लाख रु० में)
1995-96	26492	58	755	129	655.70
1996-97	37930	92	755	104	660.00
1997-98	50600	85	1188	157	949.99

(ख) और (ग) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई विशेष मूल्यांकन नहीं किया है। तथापि, 1992 में आरंभ की गई सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पी०ई०ओ०) द्वारा किया गया था। इस मूल्यांकन से संकेत मिला था कि यह योजना सामान्यतया क्षेत्रों और राज्यों में बसने वाली आबादी के कमजोर वर्गों के लिए लाभकारी थी। इस अध्ययन में योजना की कुछ कमियों तथा बाधाओं का उल्लेख किया गया था। इन्हें राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों के नोटिस में ला दिया गया था जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रोजमर्रा के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं ताकि वे उपयुक्त हस्तक्षेप कर सकें।

(घ) से (च) सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों द्वारा लक्ष्यों का प्रस्ताव दिया गया था। राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार अतिरिक्त उचित दर दुकानें खोलने, अतिरिक्त राशन कार्ड जारी करने और जाली राशन कार्डों को हटाने के मामले में राष्ट्र स्तर के लक्ष्य हासिल कर लिए गए थे।

कालाजार के मामले

454. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

श्री मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार के कुछ जिलों में कालाजार का प्रकोप है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और कालाजार से कितने लोग मारे गऐ हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बाजार में कालाजार की दवा बहुत ऊंचे दामों पर उपलब्ध है जो कि आम आदमी की पहुंच से बाहर है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस बीमारी को फैलने से रोकने और दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलमलाई) : (क) बिहार के 38 जिलों में काला-जार के रोगियों की सूचना मिली है।

(ख) राज्य स्वास्थ्य प्राधिकारियों से मिली रिपोर्टों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान काला-आजार के करण हुई मौतों का ब्यौरा इस प्रकार है;

वर्ष	रोगी	मौतें
1995	21045	259
1996	25056	574
1997	15948	251
1998 (अगस्त तक)	9482	171

(ग) राष्ट्रीय काला-आजार नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत काला-आजार के लिए राज्य सरकारों को औषधें निःशुल्क प्रदान की जा रही हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों के माध्यम से ये औषधें रोगियों को निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

(घ) काला-आजार के नियंत्रण के लिए अपनाई गई कार्य-नीति इस प्रकार है;

- राज्य सरकारों के माध्यम से काला-आजार-रोधी औषधों की निशुःल्क आपूति,
- प्रभावित क्षेत्रों में डी० डी० टी० का अवशिष्ट छिड़काव शुरू करके वेक्टर नियंत्रण के माध्यम से संचरण की रोकथाम
- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से शुरू में ही निदान और पूरा उपचार।
- स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता।

जाली जाति प्रमाण-पत्र

455. श्री जोगेन्द्र कवाड़े : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में जाली जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित नौकरियां प्राप्त करने के कुछ मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में जाली जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नई दिल्ली नगर पालिका के एक अधिकारी की नियुक्ति और पदोन्नति का मामला आया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर की गई नियुक्ति के मामलों के संबंध में सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है। तथापि, प्रश्न के भाग (ग) में उल्लिखित विशिष्ट मामले की जांच की जा रही है और इस संबंध में सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

गेहूं और चावल जारी करना

456. श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाजार में गेहूं और चावल की कमी और ऊंची कीमतों को ध्यान में रखते हुए इन वस्तुओं को खुले बाजार के लिए जारी करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार ने राज्य सरकारों को खुली बिक्री के लिए उन दरों पर 40 लाख टन तक गेहूं निर्मुक्त करने का निर्णय लिया है जो देश में चार जोनों के लिए अलग से निर्धारित की गई है।

राज्य सरकारों को यह विकल्प दिया गया है कि वे इस गेहूं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों के जरिये अथवा रोलर फ्लोर मिलों, सहकारी एजेंसियों और राज्य सरकार की एजेंसियों के जरिये निर्मुक्त कर सकती हैं अथवा दोनों विकल्प अपना सकती हैं।

गेहूं की खुली बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम के मूल्य निम्नानुसार हैं:-

जोन का नाम	दर प्रति क्विंटल (रुपये में)
उत्तरी जोन	645/- रुपये
दक्षिणी जोन	716/- रुपये
पश्चिमी जोन	689/- रुपये
पूर्वी जोन	708/- रुपये

सरकार ने खुले बाजार में चावल की बिक्री अभी शुरू नहीं की है।

राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि

457. श्री भर्तृहरि मेहताब : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि के अंतर्गत उड़ीसा को मंजूर धनराशि का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) : (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान राष्ट्रीय विकलांग कल्याण निधि से उड़ीसा को निधियों की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के लिए "ग्रीन कार्ड"

458. कुमारी किम गंगटे : क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामले** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को "ग्रीन कार्ड" जारी करने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रक्रिया को अभी पूरा करने वाले राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को नियमित रूप से राशन की वस्तुएं जारी करने को सुनिश्चित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल सिंह यादव) : (क) से (ग) जून, 1997 में शुरू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को जारी किये जाने वाले विशेष कार्डों के लिए कोई विशिष्ट रंग निर्धारित नहीं किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने या तो विशेष कार्ड जारी किए हैं अथवा गरीबी रेखा से नीचे पहचान किये गये परिवारों के संबंध में पहले से मौजूद कार्डों में उपयुक्त मोहर लगाकर उचित पृष्ठांकन किया है। राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार राशन कार्डों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। दिल्ली और

लक्षद्वीप ने अभी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को शुरू नहीं किया है क्योंकि यहां गरीबों की पहचान करने और उन्हें विशेष कार्ड जारी करने का कार्य अभी पूरा होना है।

(घ) खाद्यान्नों के गरीबी रेखा से नीचे-आबादी के कोटे की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सों का मासिक आबंटन नियमित और सुगम आपूर्ति बनाए रखने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दो महीने पहले कर दिए जाते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में आगे वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार/संघ शासित प्रशासन की होती है।

विवरण

राशन कार्डों की राज्यवार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशन कार्ड (लाख में) गरीबी रेखा से नीचे	गरीबी रेखा से	जोड	निम्न माह तक सूचित
1	2	3	4	5
आ॰ प्र॰	113.02	51.53	164.55	सित॰ 98
अ॰ प्र॰	0.78	2.22	3000	जून 98
असम	19.06	22.68	41.74	अगस्त 98
बिहार	84.26	88.74	173.00	नवम्बर 97
गोवा	0.07	2.87	2.94	सितम्बर 98
गुजरात	33.62	67.59	101.21	जून 98
हरियाणा	5.62	28.51	34.13	सितम्बर 98
हि॰ प्र॰	2.84	8.96	11.80	मई 98
ज॰ व क॰	3.36	10.12	13.48	सितम्बर 97
कर्नाटक	59.10	43.33	102.43	अगस्त 98
केरल	20.61	40.04	60.65	सितम्बर 98
म॰ प्र॰	42.36	91.45	133.81	जुलाई 98
महाराष्ट्र	57.70	133.15	190.85	अगस्त 98
मणिपुर	1.13	0.67	1.80	जून 97
मेघालय	0.97	0.98	1.95	मार्च 97
मिजोरम	उ॰ न॰	1.64	1.64	फरवरी 97
नागालैंड	0.96	1.05	2.01	नवम्बर 97
उडीसा	42.21	38.80	81.01	अगस्त 98
पंजाब	4.88	45.53	50.41	मई 98
राजस्थान	21.15	76.32	97.47	अगस्त 98
सिक्किम	उ॰न॰	उ॰न॰	0.66	अक्तूबर 97
तमिलनाडु	55.00	90.73	145.73	सित॰ 98
त्रिपुरा	2.31	4.48	6.79	मई 98
उत्तरप्रदेश	95.48	159.96	255.44	जुलाई 98
पं॰ बंगाल	47.07	106.41	153.48	अप्रैल 98
अंड॰ नि॰	0.12	0.73	0.85	जुलाई 98
चण्डीगढ़	0.01	1.95	1.96	अगस्त 98
दा॰ न॰ हवेली	0.17	0.32	0.49	सितम्बर 98
दमन और दीव	0.02	0.25	0.27	फरवरी 98
दिल्ली		30.51	30.51	दिसम्बर 96
लक्षद्वीप	-	0.12	0.12	सितम्बर 98
पाडिचेरी	0.89	1.62	2.51	सितम्बर 98
जोड़	714.77	1153.26	1868.69	

* कुछ राज्यों ने योजना आयोग द्वारा अपनाई गई क्रियाविधि के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की अनुमानित संख्या से अधिक संख्या मे गरीबी रेखा से नीचे के परिवारो की पहचान की है और उन्हे विशेष कार्ड जारी किए हैं। ऐसे मामलों में अतिरिक्त स्रोत राज्य सरकार द्वारा स्वयं मुहैया किए जा रहे हैं।

उ. न. :— उपलब्ध नहीं

ताईवानीयों का रोजगार वीज़ा के बिना कार्य करना

459. श्री रामनारायण मीणा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20 विदेशी जिनमें से अधिकतर ताइवानी हैं पुणे के निकट भीगवान में एक इंण्डोनेशियन पेपर कम्पनी में बिना किसी रोजगार वीज़ा के कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सिनार मास ने लगभग सभी भारतीय अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है और सभी वीज़ा नियमों को ताक पर रखकर विदेशियों को कार्य पर लगा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो भारत में विदेशियों के अवैध रोजगार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार मैसर्स सिनार मास पल्प एण्ड पेपर (इंडिया) लिमिटेड द्वारा नियोजित कुल लगभग 800 व्यक्तियों में से केवल 23 व्यक्ति विदेशी राष्ट्रिक हैं। विदेशी राष्ट्रिकों को इसलिए नियोजित किया गया है क्योंकि उनके पास आधुनिक पेपर मशीनों को चलाने का अनुभव और विशेषज्ञता है। विदेशी राष्ट्रिक, अधिकांशतः ताईवानी, शुरू में बिजनेस वीज़ा पर आए थे। तथापि, 11 विदेशी नागरिक वापस चले गए और 12 व्यक्तियों के वीज़ा, संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ परामर्श करके रोजगार वीज़ा में बदले गए हैं।

आतंकवादी गिरोहों को आर्थिक सहायता

460. श्री कमल नाथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कश्मीर में गड़बड़ी पैदा करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के कम से कम तीन आतंकवादी गिरोहों को आर्थिक सहायता देने संबंधी सऊदी अरब के करोड़पति ओस्माबिन लादेन के बारे में प्रकाशित रिपोर्टों की कोई जांच कराई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) सरकार ने इस बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी है। तथापि, ऐसा सुझाव देने वाली ऐसी कोई विशिष्ट जानकारी इस संबंध में उपलब्ध नहीं है। जिससे यह पता चलता हो कि जम्मू व कश्मीर में सक्रिय उग्रवादियों को ओसामा-बिन लादेन धन देकर उनको समर्थन दे रहा हो। सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार से प्रायोजित उग्रवाद की समस्या से निपटने के लिए बहु-उद्देशीय पहल की है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबन्धन का मजबूत करना, उग्रवादियों के कार्यक्रमों को उनके विरुद्ध भीतरी प्रदेश में कार्रवाई करके उन्हें निष्क्रिय करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय बनाना, विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना तथा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया इत्यादि को मजबूत करना शामिल है।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न : 11.04

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 2 दिसम्बर 1998/11 अग्रहायण, 1920 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।